खण्ड-467, अंक-9
मंगलवार, 07 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(26 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 467 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रदेश के किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की मांग ...	1-2
विधान सभा मण्डप में इयर फोन टूटे हुए पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना ...	2
प्रश्नोत्तर	2-69
दिनांक 14 फरवरी, 2008 की कार्य सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-1 का भ्रामक उत्तर प्राप्त होने पर मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या-168 के अन्तर्गत सूचना ...	69-70
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	70-71
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	71-73
गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांयग ब्लाक धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत ईदगाह कालोनी पार्क तथा ब्रम्हनगर गीता पार्क में निर्मित पानी की टंकियों में सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ग्राम कटघरा चिराने पट्टी के निवासी श्री राम चन्दर एवं बंसत को आंवटित पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	[illegible]
कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में श्रीमती कमलेश्वरी की समुचित चिकित्सा न होने से हुई मृत्यु की जांच कराने एवं उदासीन चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	75-76
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध पेयजल के नमूनों का परीक्षण कराकर पाइप लाइन योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद बुलन्दशहर के औरंगाबाद जहांगीराबाद मार्ग से ग्राम गुरावली तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
रामपुर जनपद के रोहिल खण्ड केमिकल फैक्ट्री (हड्डी कारखाना) के प्रदूषण से फैल रही महामारी से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
बाराबंकी से गोण्डा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण कर हाटमिक्स प्लाण्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत गौरी ग्राम सभा में गारण्टी रोजगार के अन्तर्गत मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
जनपद गाजियाबाद के जिला चिकित्सालय व अन्य चिकित्सा केन्द्रों के लिये आपूर्ति हेतु खरीदी जा रही दवाइयों व अन्य सामग्री की गुणवत्ता व अन्य अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	79
लखनऊ के थाना गोसाईगंज की चौकी अहिमामऊ पर थाने के दरोगा व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा विधायक (श्री सिवगतुल्ला अंसारी) तथा उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	80-84
श्री इरफान सोलंकी सदस्य विधान सभा की जवाहर नेहरू शहरी विकास योजना कानपुर नगर के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मांगे जाने से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न	84-85
लखनऊ स्थित बहुखण्डी आवास से गाड़ी का सामान चोरी होने के सम्बन्ध में पीठ का ध्यान आकृष्ट करना	85-86
अधिकारियों द्वारा विधायकों को यथोचित शिष्टाचार प्रदान न किये जाने की शिकायत	86-87
श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को केन्द्रीय कारागार वाराणसी में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	87
किसी प्राधिकरण द्वारा अपने को सदन (विधान सभा) से अधिक शक्तिशाली माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ...	87-88

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	88-104
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	104-141
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खाने और खनिज) (स्वीकृत)	141-155
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-3, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	156-161
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-06, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	161-170
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत)	170
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-15-कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	171
अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	171-185
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	185-191
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	191-193
जनपद सिद्धार्थनगर थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर द्वारा भारी संख्या में गांव के किसानों का जबरन पेड़ कटवाकर गिरा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	193-195
नत्थी	196

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 26 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-343

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी

आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ददन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम. श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा), मौर्य श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी. श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती,	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल	
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं

शिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुभाष, श्री	बलिया	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हरिओम, श्री	जालौन
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन तथा विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) तथा कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री कमला कान्त गौतम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश के किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की मांग

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, दिल्ली में यू0एन0पी0ए0 के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव अन्य नेताओं के साथ किसानों की समस्याओं के लिए धरने पर बैठे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रदेश में जो किसानों की स्थिति है। उससे प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दिल्ली में क्या हो रहा है इसका मतलब यहां से क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनको न दिल्ली से मतलब है और न प्रदेश से मतलब है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दिल्ली में कुछ हो रहा है तो उसको यहां उठाने का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो दिल्ली प्रदेश में हो रहा है, खाद और बीज पर चर्चा यहां हो चुकी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लागत मूल्य पर चर्चा नहीं हुयी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, धान और गेहूं का समर्थन मूल्य कहां से घोषित होता है। यह भारत सरकार करती है या प्रदेश सरकार करती है जरा यही जानकारी कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमने नियम-311 में सूचना दी है। आप अभी अनुमति दें तो हम अभी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अभी नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, किसानों की जो स्थिति है उसको लेकर समाजवादी पार्टी का आन्दोलन है।

(समाजवादी पार्टी के श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री सनातन पाण्डेय तथा अरविन्द गिरि आदि अनेक माननीय सदस्य वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे। इस कारण सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माथुर जी, आप दिल्ली में धरने का समर्थन कर रहे हैं। अरे वहां दिल्ली प्रान्त में हो रहा है इससे यहां हाउस का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं ? इससे क्या मतलब निकल रहा है ? मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमने नियम-311 में यह सूचना दी थी और मान्यवर, यह प्रदेश भर के किसानों का मामला है। आज पूरे प्रदेश में किसान आन्दोलित है। इस साल उनका जो लागत मूल्य है उस लागत मूल्य के बराबर भी उनको नहीं मिल रहा है। पिछली बार हमने यह मांग की थी तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह केन्द्र सरकार का मामला है। हमने नियम-311 में नोटिस दी थी। इस सम्बन्ध में पुनः आग्रह करते हुए यह मांग करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है, मैं उसमें सुन लूंगा।

विधान सभा मण्डप में इयर फोन टूटे हुए पाये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मुझे सदन को एक सूचना देनी है। आज विधान सभा मण्डप में ध्वनि प्रणाली के 2 इयर फोन दो-दो टुकड़े में टूटे हुए पाये गये हैं। ये उपकरण अत्यन्त संवेदनशील है इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया इसका उपयोग करते समय यह सावधानी बरतें कि वे टूटने न पायें। आपसे यह भी अनुरोध है कि सभा मण्डप में पान का प्रयोग न करें। यह उपकरण जो टूटे हुए पाये गये, यह आपकी ही सम्पत्ति है इसकी आपको रक्षा करनी चाहिए। अतः सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे इसकी रक्षा करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे नाले के मलजल के शुद्धीकरण हेतु विचाराधीन आपरेशन निर्मल गंगा योजना

**1-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल व श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आपरेशन निर्मल गंगा जो करीब 8 हजार करोड़ रु0 की योजना है, में कितने शहरों को शामिल किया गया है ? क्या यह

सत्य है कि इससे पहले भी आपरेशन निर्मल गंगा में करीब 7 सौ करोड़ रु0 खर्च हो चुके हैं ? यदि हां, तो प्रदेश के जिस हिस्से में उक्त धन खर्च हुआ है क्या वहां पर गंगा नदी में प्रदूषण समाप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

गंगा नदी के तट पर बसे प्रदेश के 26 नगरों जिनके नाले गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे हैं के मलजल के शुद्धीकरण हेतु 'आपरेशन निर्मल गंगा' के नाम से योजना विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने सोचा था कि माननीय नगर विकास मंत्री जी इसकी गम्भीरता को देखते हुए जवाब देंगे। मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि योजना पूरी क्या है ? उसके मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं और उससे क्या लाभ होगा ? दूसरा जो धन का प्राविजन है, आपने जो आठ हजार करोड़ रुपये का प्लान बनाया है, यह धन कहां से आयेगा ? मैंने जो इसमें कहा क्या यह सत्य है कि इससे पहले भी आपरेशन निर्मल गंगा में करीब 7 सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, आपने कहा जी नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि गंगा सफाई प्रदेश में किस-किस योजना के तहत हुई ? चलिये निर्मल गंगा योजना मे नहीं हुई, इससे पहले और भी योजनाओं में हुई। कानपुर में हुई, इलाहाबाद में हुई, बनारस में हुई, तो उस पर कितना रुपया खर्च हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया, जहां-जहां सफाई हुई, वहां पर प्रदूषण की स्थिति क्या है ? यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आपरेशन निर्मल गंगा योजना अभी प्रस्तावित है और चूंकि 26 नगरों में जहां से हमारी गंगा जी बह रही हैं और उनमें नालों से मल-जल प्रवाहित हो रहे हैं तो उनके शुद्धीकरण के लिए यह योजना अभी प्रस्तावित है, विचाराधीन है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह तो इन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि हमने निर्णय नहीं लिया है, मैंने इनसे यह पूछा है कि योजना के मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं ? आखिर आपकी योजना प्रस्तावित है, विचाराधीन है तो जो योजना विचाराधीन है उसके मुख्य बिन्दु क्या है ? आप उस योजना के माध्यम से क्या करना चाहते हैं ? नम्बर-2 कि इसमें जो धन का प्रस्ताव आपने आठ हजार करोड़ रुपये का किया है तो यह योजना जो आपने प्रस्तावित की है, इसका धन कहां से आयेगा, उसका भी प्रस्ताव इसमें होगा ? दूसरा पार्ट जो मैंने इनसे पूछा कि जब तक जो सात सौ करोड़ रुपया गंगा सफाई में, इन्होंने कहा कि आपरेशन निर्मल गंगा में 7 सौ करोड़ रुपये नहीं खर्च हुए और

योजनाओं में तो खर्च हुए। हम कहते हैं कि दूसरी योजनाओं के माध्यम से, तो गंगा जी की सफाई हुई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं इनके जिले में गंगा जी की सफाई हुई। बनारस, इलाहाबाद में जो मैं कह रहा था, तो प्रदेश के किन-किन हिस्सों में अब तक गंगा सफाई जो हुई उसका रिजल्ट क्या आया, कम से कम यह तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आपने स्पेसिफिक आपरेशन निर्मल गंगा योजना के संदर्भ में प्रश्न किया, उत्तर आ गया कि विचाराधीन है। खर्च के बारे में पूछा जो विचाराधीन है, तो जी नहीं, इन्होंने कह दिया। फिर आप गंगा सफाई की अन्य योजनाओं का विवरण चाहते हैं माननीय मंत्री जी से तो यह प्रश्न से अलग है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर लीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा संरक्षण दे दीजिए हमको भी, हमने पूछा था कि योजना विचाराधीन है तो योजना क्या है ? उसके बिन्दु क्या हैं ? आठ हजार करोड़ रुपये का जो प्राविधान है, वह रुपया कहां से आयेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जो आपकी यह आपरेशन निर्मल गंगा योजना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें जो प्रस्तावित धन है, उसका पोषण कहां से हो रहा है ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही अवगत कराया, आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को कि पूरे प्रदेश में 26 नगरों मे इस योजना के संदर्भ में अभी प्राविधान किये जा रहे हैं। यह हमारी सम्पूर्ण योजना प्रस्तावित है इस पर अभी अन्तिम फैसला लिया जाना है, धन कहां से आयेगा, इन सब चीजों के बारे में जब हमारी योजना पर निर्णय फाइनल हो जायेगा उसके बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रस्तावित है या विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

कहा कि विचाराधीन है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, विचाराधीन कोई गोपनीय तो नहीं है। अब तो सूचना का अधिकार कानून बना हुआ है। आखिर यदि कोई योजना बनी है तो आप बता दीजिये।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, जहां तक आपरेशन निर्मल गंगा योजना का प्रश्न है यह विचाराधीन योजना है। इसलिए अभी इसके बारे में बहुत कुछ कह देना संभव नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वह गोपनीय दस्तावेज नहीं है ? इस सदन में अगर चीजें गोपनीय रखी जायेंगी तो फिर सूचना कहां से हमें मिलेगी ?

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैंने बताया कि यह योजना विचाराधीन है। यह महत्वपूर्ण सदन है, पवित्र है। इसलिए इसके सामने ऐसी कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूं जिसका बाद में उत्तर कुछ और निकले।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह तो पारदर्शिता की बात कही जा रही है मंत्री जी की ओर से।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, गंगा अपने आप में पवित्र हैं। उसमें आज कोई गंदगी है तो मान्यवर, वह मानव निर्मित है। नाले का पानी उसमें गिर रहा है और तरीकों द्वारा उसे अपवित्र जा रहा है। आपने बताया कि एक योजना विचाराधीन है। मान्यवर, जब कोई योजना बनती है तो उसके बिन्दुओं के बारे में आपने सोचा होगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक याचिका ग्राह्य कर रखी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी एक याचिका दाखिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिटायर्ड आई0ए0एस0 अधिकारी श्री भूरे लाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी हुई है। क्या उस कमेटी ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ? क्या उस रिपोर्ट पर आप विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि गंगा प्रदूषण या सफाई के सम्बन्ध में एक कमेटी बनी है। उस कमेटी ने कोई सुझाव दिया है।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, वैसे तो मैं माननीय सदन को पहले भी अवगत करा चुका हूं कि यह प्रश्न पूर्णतया आपरेशन निर्मल गंगा से सम्बन्धित है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक उस कमेटी (भूरे लाल कमेटी) की रिपोर्ट का प्रश्न है वह मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा और भी जो माननीय सदस्य उस रिपोर्ट की प्रति को चाहेंगे उन्हें मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पूरा सदन उसे चाहता है। यह जो योजना प्रश्नगत है यह अभी विचाराधीन है यह कहा जा रहा है तो इसको अन्तिम रूप देना विचाराधीन है या अंतिम निर्णय लेना विचाराधीन है।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैंने कहा कि जो भूरे लाल जांच समिति की रिपोर्ट है वह अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा। उसके अतिरिक्त अन्य जो माननीय सदस्य भी उसे चाहेंगे उन्हें वह रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, वह पूरा सदन देखना चाहता है।

श्री नकुल दुबे-

ठीक है मान्यवर, मैं सभी को उपलब्ध करा दूंगा।

मान्यवर, उस रिपोर्ट से निर्मल गंगा का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक यह निर्मल गंगा योजना का प्रश्न है इस योजना के बारे में ...

श्री अध्यक्ष-

नहीं माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 भूरे लाल की अध्यक्षता में एक समिति बनी है वह गंगा प्रदूषण से ही सम्बन्धित है और दूसरी आपकी स्कीम है आपरेशन निर्मल गंगा योजना एक अलग से योजना विचाराधीन रखें हैं। उनका यह कहना है कि एक अलग से इसी तरह से भूरे लाल जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो जांच रिपोर्ट दे रही है उसमें भी जो योजना विचाराधीन है आपको भी कोई राय या सुझाव दिया है या नहीं दिया है केवल इतना ही है। दिया है नहीं दिया है तो भी कहिये आपके पास उपलब्ध है या नहीं है बस इतना ही वह जानना चाहते हैं कि उस समिति ने यहां भी आपको कुछ सुझाव दिया है उस निर्मल गंगा योजना के लिए या नहीं दिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, वह रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिये कह रहे हैं तो दिया तो है ही, नहीं दिया होता तो कैसे माननीय सदस्य को रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

पता लगाकर बताने की बात कह रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह तो कह रहे हैं कि माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे तब पूरे सदन ने कहा कि सबको उपलब्ध करा दीजिए।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक आपरेशन निर्मल गंगा का प्रश्न है उस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष श्री भूरे लाल जी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में बैठक यहां होती

रहती है। अभी अक्टूबर या दिसम्बर में बैठक यहां हुई थी मुझे पूरी तरह से वह याद नहीं है। चूंकि माननीय सदन के समक्ष मैं उस रिपोर्ट को एक बार पहले प्रस्तुत कर चुका हूं उसी रिपोर्ट को माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी को मुझे देना है, वह मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आ गया है कि नहीं दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैंने पूछा यह था कि जो योजना की बात आप कर रहे हैं वह योजना अंतिम रूप लेनी है, यह विचाराधीन है या योजना बन चुकी है उसको लागू करने का निर्णय विचाराधीन है।

श्री नकुल दुबे-

योजना विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

अभी योजना बनी नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गंगा के निर्मलीकरण के लिए उसको प्रदूषणमुक्त करने के लिये गंगा एक्शन प्लान नाम से एक योजना चल रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना जो चालू है जिससे काम चल रहा है उससे यह योजना जो अलग है किस प्रकार भिन्न है और इसकी भिन्नता क्या है और यह स्पष्ट कर दूं कि क्या वह योजना असफल मान ली गयी है, इसलिए यह नई योजना लाने की सरकार विचार कर रही है ?

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह जो योजना प्रश्नान्तर्गत है अभी इस योजना पर निर्णय लिये जाने बाकी है पूर्ण लक्ष्य यह है कि आगामी समय में अपनी पतित पावनी गंगा को कैसे पवित्र किया जाय और उसको आगे आने वाले समय में कैसे पवित्र रखा जाय। उसी के संदर्भ में योजनाएं बन रही हैं और भिन्न-भिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। गंगा एक्शन प्लान की जहां तक बात है वह एक अलग योजना चल रही है और उसके साथ-साथ एक योजना बनाई जा रही है जो अपने अंतिम रूप में नहीं है। यह मैं पुनः कह रहा हूं कि चूंकि सारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किस तरह से यह पूरा प्रदेश के एक कोने से लेकर आखिरी कोने तक जो हमारी यह पवित्र नदी वह रही है इसकी सफाई करना ही हमारा लक्ष्य है।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपरेशन निर्मल गंगा के साथ जो आपकी प्रस्तावित योजना है तो क्या आप आपरेशन निर्मल यमुना का भी प्रस्ताव उसमें

शामिल करेंगे ? क्योंकि यमुना भी उतनी पतितपावनी है जितनी कि गंगा। यमुना का महत्व भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है और बहुत आवश्यक मामला है। मान्यवर, यमुना का प्रदूषित जल गंगा में आकर मिलता है अगर यमुना को शुद्ध नहीं करेंगे तो गंगा कहां से शुद्ध हो जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष-

जो आप आपरेशन निर्मल गंगा कह रहे हैं, वही मानेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यमुना का प्रदूषित जल आकर गंगा में मिलता है तो जब तक यमुना को शुद्ध नहीं करेंगे तो गंगा कहां से शुद्ध होगी ? आप माननीय मंत्री जी से कहिये कि वह इसमें बतायें।

श्री अध्यक्ष-

आप तो यमुना, घाघरा, बेतवा सब एक साथ ही ला देंगे तो कैसे चलेगा ? इस समय केवल गंगा आपरेशन की बात हो रही है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद में संगम के किनारे प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, 6 वर्ष में अर्धकुम्भ मेला लगता है और 12 वर्ष में कुम्भ मेला लगता है और लाखों लाख, करोड़ों लोग वहां पर स्नान करने के लिये आते हैं। वहां गंगा जी भी हैं और यमुना जी भी हैं तो क्या जो आप योजना बना रहे हैं, उसमें इलाहाबाद के लिये कोई विशेष योजना बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अभी विचाराधीन है।

प्रदेश में मृत्यु दर कम करने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम

**2-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन्म दर व मृत्यु दर क्या है ? क्या मृत्यु दर कम करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

प्रदेश की कुल जन्मदर 30.1 व मृत्युदर 8.6 है, जो प्रति हजार की जनसंख्या पर आगणित है।

जी हां।

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मृत्युदर कम करने के लिये प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। लगभग 30000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी है। रोग नियंत्रण के लिए सघन प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम, शिशुओं के लिए समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम एवं संस्थागत प्रसवों के लिए जननी सुरक्षा योजना तथा कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु कुल मृत्यु का कितना प्रतिशत है तथा प्रदेश में कितने ट्रामा सेन्टर है। हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राजमार्ग हो, इन पर एक्सीडेन्टल केसों के लिये क्या मोबाइल एम्बुलेन्स की व्यवस्था है ? दूसरा प्रश्न मान्यवर, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में मृत्यु का प्रतिशत क्या है ? अगर यह अलग-अलग है तो क्या इसे कम करने पर विचार किया जायेगा, कोई कार्य योजना तैयार की जायेगी ? तीसरा प्रश्न मान्यवर, वृद्ध लोगों की बीमारी से होने वाली मृत्यु के लिये प्रदेश में जेनेटिक्स विभाग के कितने चिकित्सालय वर्तमान में प्रदेश में चल रहे हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

इतना प्रश्न किये हैं डा0 तोमर साहब। उसके अलावा बीच-बीच में प्रश्न और सुझाव भी है। यह कैसे स्पष्ट होगा ? आप पहले कोई स्पेसिफिक प्रश्न करिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हो रही है, उन मृत्यु को रोकने के लिये कोई ट्रामा सेन्टर नेशनल हाईवे पर, सड़क पर बनाये हैं कि नहीं। दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में मृत्यु दर क्या है, इनको घटाने के लिये क्या योजना विचाराधीन है, यह दोनों प्रश्न बहुत साफ पूछे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जब आप जैसे ट्रांसलेटर मिल जायें तो साफ हो ही जायेगी।

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, पूरे प्रदेश की मृत्यु दर 8.6 है। इसमें रूरल में है 9.1 और अरबन में है 6.6।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, अभी तो एक ही प्रश्न का उत्तर आया है। उसमें भी जो 9.1 बताया है, इसे कम करने के लिये क्या कोई कार्य योजना है कि गांव में प्रचार-प्रसार हो ? दूसरा प्रश्न रह गया कि ट्रामा सेन्टर प्रदेश में इस समय कितने हैं और मोबाइल एम्बुलेन्स स्टेट हाईवे पर जिस तरह सब जगह है क्या उसी तरह प्रदेश में मोबाइल एम्बुलेन्स की व्यवस्था है ? तीसरा वृद्ध लोगों के लिये जेनेटिक्स विभाग प्रदेश के कितने चिकित्सालयों में चल रहा है ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मृत्यु दर कम करने हेतु नागरिकों को अस्वस्थता की दशा में तुरन्त उपचार सुविधा निकटतम उपलब्ध कराने हेतु 30 हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गयी है। मान्यवर, वर्तमान जिला चिकित्सालयों, जिला महिला चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं

विस्तारीकरण किया गया है। वहां आधुनिक पैथालॉजी लैब, स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउन्ड मशीनों की व्यवस्था की गई है। कई जनपदों में ट्रामा सेन्टर, बर्नवार्ड इत्यादि का विस्तार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार की आबादी पर एक ए0एन0एम0 उपकेन्द्र की स्थापना की गई है, जिससे सामान्य चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षित प्रसव किये जा सकें जो मृत्युदर में कमी लाने में सहायक हो सकते हैं। मान्यवर, महामारियों से बचाव के लिए राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण योजना लागू कर दी गई है, जिसमें मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकेगा। जनपदों में जापानी इंसेफेलाइटिस के टीकाकरण का कार्य किया गया है तथा इस टीकाकरण का विस्तार किया जा रहा है।

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर)

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, पहले पूरे प्रश्न का जवाब सुन लें। आपने यही प्रश्न किया था कि मृत्युदर को कैसे कम किया जायेगा तो मृत्यु दर को कम करने के लिए जो भी सुविधायें सरकार के पास उपलब्ध हैं, वह बता रहा हूं, आप सुन तो लें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं मा0 मंत्री जी नाराज हो गये। मेरा तो केवल इतना सा कहना है कि जवाब है या नहीं है, एक तो मेरा कहना है कि एम्बुलेन्स की, ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए अगर नहीं है तो अब से करें। क्योंकि रोज सड़क पर हम लोग भी तो यात्राएं करते हैं। बड़े-बड़े स्टेट हाई-वे और नेशनल हाई-वे पर सब जगह मोबाइल एम्बुलेन्स हैं, मेन रोड पर ट्रामा सेन्टर है। इसी तरह वृद्धों के लिए प्रदेश के बहुत सारे हास्पिटलों में जेनेटिक्स विभाग खोले गये हैं अगर प्रदेश में नहीं है तो यहां भी जेनेटिक्स विभाग खोले जायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका सुझाव बड़ी गम्भीरता से मा0 मंत्री जी ने लिया, अब आप बैठ जायें।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने देहात और शहरी क्षेत्रों की जन्म और मृत्युदर बतायी, ट्रामा सेन्टर की बात कही किन्तु जिन हास्पिटल्स में डाक्टर्स नहीं हैं वहां क्या करेंगे ? एक उदाहरण मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सिकन्दराराऊ में पिछले हफ्ते 12 व्यक्ति मर गये, मैं भी मौके पर पहुंचा किन्तु हास्पिटल में डाक्टर नहीं थे और जब डाक्टर नहीं होंगे तो कोई भी मशीन नहीं चल सकती, तो आखिर मृत्यु दर कैसे कम करेंगे।

श्री ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मृत्युदर को कम करने के लिए जो भी सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता होगी, वह अवश्य उठाये जायेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

यू0पी0 बोर्ड की तरह सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग

*1-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड व आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली लागू है ? क्या सरकार शिक्षा प्रणाली की इस दोहरी नीति को समाप्त कर एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

जी हां।

नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

यू0पी0 बोर्ड की तरह सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड भी विधिक रूप से स्थापित परिषद हैं जिनके द्वारा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष तथा कतिपय मामले में अन्य देशों में विद्यालय एवं उनके द्वारा अनुमोदित शिक्षा प्रणाली संचालित करने की मान्यता दी जाती है। उनके विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को यू0पी0 बोर्ड के अलावा अन्य विकल्प भी प्राप्त होते हैं जो कि उनके बौद्धिक तथा मानसिक विकास के लिए उपयुक्त हैं। प्रदेश की विशालता तथा जनसंख्या को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना सदैव आवश्यक तथा उचित है।

श्री अनिल चौधरी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया उसका एक अंश मैं पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने यह अपने उत्तर में माना है कि जो तमाम बोर्ड है जैसे सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड उनके विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को यू0पी0 बोर्ड के अलावा अन्य विकल्प भी प्राप्त होते हैं जो कि उनके बौद्धिक तथा मानसिक विकास के लिए उपयुक्त है। यानी मंत्री जी ने यह तो माना है कि सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड की जो व्यवस्था है वह बौद्धिक विकास के लिए सम्भवतः ज्यादा उपयुक्त है। मैं पहला पूरक प्रश्न करना चाहता हूं और बड़ी प्रेक्टिकल समस्या है, हमारे सूबे के छात्र यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा पास करके जब अन्य सूबों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो वहां जो कट आफ मार्क्स की बात चलती है उसमें हमारे यहां के टापर को 90-91 फीसदी

मार्क्स मिलते हैं और सेन्ट्रल बोर्ड (सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड) के टापर छात्रों को 98-99 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त होते हैं। यह जो 10 प्रतिशत का अन्तर रहता है इसके बारे में कहीं कोई सोचने वाला हमारे प्रदेश के छात्रों के लिए नहीं है। क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था बनायेगी, इस तरह की प्रश्नावली देगी कि हमारे छात्र भी उसमें ज्यादा गेन कर सकें ? अगर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे तो हमारे छात्र भी अपने मार्क्स को बढ़ाने में कामयाब होंगे ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि रोजगारपरक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षायें हैं-एम0बी0ए0, बी0 टेक0 है और बहुत सी है, बायो-केमेस्ट्री, माइक्रो-बॉयोलोजी व नैनों टेक्नॉलोजी है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एक अध्ययन कराये कि किस बोर्ड के छात्रों का ज्यादा प्रतिशत रहता है और अगर उसमें यू0पी0 बोर्ड के छात्रों का प्रतिशत इन रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में कम रहता है तो उसको बढ़ाने पर विचार करेंगे ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि यू0पी0 बोर्ड में हम अगर प्रतिवर्ष का नतीजा देखें तो 40 से 50 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं और इसी के सापेक्ष सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के नतीजे देखे जायं तो रिजल्ट लगभग 90 फीसदी रहता है। जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनमें प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा होती है तो क्या सरकार यू0पी0 बोर्ड के स्तर को बढ़ाने और इसमें छात्र अधिक से अधिक उत्तीर्ण हो, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कारगर उपाय करेगी ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, जो प्रश्न पूछे गये हैं कि इसमें परसन्टेज कैसे बढ़े यह परीक्षक तय करेगा, जो जैसा लिखेगा वैसे ही मार्किंग होगी। इसमें हम कैसे परीक्षार्थी का नम्बर बढ़वा पायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अब तो यू0पी0 बोर्ड में भी 73 से 75 प्रतिशत रिजल्ट आता है, माननीय सदस्य पुराना रिजल्ट बतला रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने भी बता दिया कि अब रिजल्ट बढ़ रहा है।

डा0 अनिल चौधरी-

सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड का परीक्षा लेने का तरीका है उसमें वस्तुनिष्ठ टाइप सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे छात्र मूर्ख हैं और वह बड़े भारी विद्वान हो जाते हैं। उनको मार्क्स इसलिए ज्यादा मिलते हैं कि वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न शत-प्रतिशत तक मार्क्स मिल सकते हैं वह ज्यादा रहते हैं और हमारे यहां डिस्क्रेप्टिव पर ज्यादा जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जो अपनी परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करने के बारे में प्रश्न कर रहा हूं ताकि हमारे सूबे के जो छात्र यू0पी0 बोर्ड से पास करके, यू0पी0 बोर्ड पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, यू0पी0 बोर्ड का सिलेबस वर्ल्ड क्लास का सिलेबस है और इस सिलेबस से बेहतर है। लेकिन

उसके पढ़े हुए छात्र को कम मार्क्स जब कम्पटीशन के लिए जाता है और वहां कट आफ बनती है तो हमारे उसी स्तर के छात्र के कम मार्क्स होते हैं और सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के छात्र के ज्यादा होते हैं। क्या इस तरह की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करेंगे कि हमारे छात्र भी ज्यादा मार्क्स गेन कर सके।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने की वजह से मार्किंग ज्यादा होती है। इसीलिये यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा में भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे गये हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने की वजह से नकल कराने में भी ज्यादा सुविधा हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं किए जा सकते। अगर सदस्य कोई सुझाव दे रहे हैं तो उस पर अगर उचित होगा तो विचार किया जायेगा।

श्री कुबेर सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में स्पष्ट तौर पर दो शब्द कहे हैं बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है इसलिए उनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के बच्चों की तरह यू0पी0 बोर्ड के बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ? जिससे सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड की तरह हमारे बोर्ड के बच्चों का बौद्धिक एवं मानसिक विकास हो।

श्री रंगनाथ मिश्र-

अध्यक्ष जी, जो भी बोर्ड चाहे सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड हो चाहे यू0पी0 बोर्ड हो सभी बोर्ड बच्चों के मानसिक विकास के लिए ही काम करते हैं। अभी सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के स्कूल बहुत ही कम हैं यहां उनके द्वारा जो प्रयास हो रहा है वह बहुत ही न्यून है। यू0पी0 बोर्ड पूरे प्रदेश के बच्चों के मानसिक विकास के लिए काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि इससे सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे। इन्हें भी मान्यता दी गई है और इनके विद्यालय को पैसा दिया गया है और भी खुलवाना चाहते हों तो खुलवा देंगे।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू ही में प्रश्न किया था कि रोजगार परक शिक्षा चाहे एम0बी0ए0 हो, बी0 टेक हो उसमें यू0पी0 बोर्ड के छात्रों की संख्या अन्य बोर्डों के अनुपात में कम है क्या सरकार इस पर कोई अध्ययन करने पर विचार करेगी ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, जो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका कम्पटीशन के माध्यम से सेलेक्शन होता है उसमें किस बोर्ड के कौन छात्र जा रहे हैं किससे कम छात्र जा रहे हैं किससे ज्यादा छात्र

जा रहे हैं मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार का परीक्षण किया जाये। जहां तक व्यवसायिक शिक्षा देने का सवाल है मेरी सरकार व्यवसायिक शिक्षा परिषद् का गठन कर रही है जिसके माध्यम से अपने हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का गठन हो रहा है जिसके माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे, ट्रेंड करेंगे ताकि व्यावसायिक एजूकेशन में अच्छे ढंग से प्रवेश हो सके।

श्री दीपनरायन सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं यहां जो चर्चा चल रही है, मैं छात्र संघ से उठकर राजनीति में आया हूं। यह जो सी0बी0एस0ई0 बोर्ड और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड हैं इनके जो विद्यालय चलाये जा रहे हैं उनमें छात्रों को पढ़ाई में हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है वहां हर विषय के अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं और वहां पर सिर्फ बड़े घरों के बच्चे ही पढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी फीस ज्यादा होती है जहां तक आपका सिस्टम है हमारे देश का सरकारी सिस्टम है वहां फीस तो कम है लेकिन वहां पढ़ाने के लिए अध्यापक गायब हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री दीपनरायन सिंह-

हमारा प्रश्न यह है कि क्या वहां मंत्री जी फीस की समानता करेंगे जिससे गरीब बच्चे उन बोर्ड के स्कूलों में पढ़ सकें। जिस कम्पटीशन की चर्चा चल रही है चाहे एम0बी0ए0 हो या बी0 टेक0 सरकार कोई सर्वेक्षण करेगी कि किन बोर्ड के पढ़ने वालों का कितने प्रतिशत सेलेक्शन इन व्यावसायिक संस्थाओं में होता है। इससे यह चीज स्पष्ट हो जायेगी कि हमारा जो इतना बड़ा सिस्टम है इसमें इतने लोग कामयाब हो रहे हैं कि कुछ चन्द लोगों को सिस्टम देकर उनको कामयाब कर रहे है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी समान व्यवस्था करेंगे कि या तो जहां फीस अधिक है उसको कम कराया जाय या फिर इन विद्यालयों में हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिये अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, उन विद्यालयों की फीस कम करने का कोई प्राविधान नहीं है। हम उनसे सिर्फ आग्रह कर सकते हैं वे फीस कुछ कम करें। जहां तक सवाल है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाय, अच्छा पठन-पाठन हो ताकि ये बच्चे भी कम्पटीशन में उनके मुकाबले खरे उतर सकें। सरकार ने इस बारे में काफी प्रयास किये हैं। अभी तक सबसे बड़ी कठिनाई थी कि नकल होने की वजह से शिक्षकों की पठन-पाठन में रुचि कम हो रही थी। सरकार व्यवस्था कर रही है कि नकल विहीन परीक्षा हो, पठन-पाठन के लिये अध्यापकों के ऊपर दबाव डाला जा रहा

है। शिक्षक कैलेन्डर जारी कर दिया गया है, जाड़े के समय में छुट्टियां कर दी जाती थीं जबकि पढ़ाई के लिये वह पीक समय होता था। अब जाड़े की छुट्टियां समाप्त कर दी गई हैं। अभी राष्ट्रीयकृत पुस्तक करने के लिये गोष्ठियां हो रही हैं कि अच्छे-अच्छे सिलेबस उसमें जोड़ दिये जायें। इस तरह से सरकार प्रयास कर रही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पठन-पाठन की स्थिति अच्छी हो सके।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप बोलें उसके बाद पाण्डे जी आप कहियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक प्रश्न आपके उत्तर से सम्बन्धित है जो आप अभी उत्तर दे रहे थे। दो व्यवस्था की बात कही जा रही है। एक वह व्यवस्था है जो सेल्फ फाइनेन्स वाले स्कूल हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से कोई अनुदान देने का प्राविधान नहीं है। स्वाभाविक है कि उनमें वेतनमान सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा कम है और आकर्षण भी ज्यादा है। सरकारी विद्यालयों में वेतनमान अधिक है और आकर्षण कुछ नहीं है। जैसा सदन की भावना को भी देखा और उनकी चिन्ता भी देखी। आखिर यह विरोधाभास पैदा होता जा रहा है। एक ओर वह विद्यालय जहां 2500-3000 रुपये पर अध्यापक काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं और एक तरफ यह विद्यालय जहां अध्यापक 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार वेतन ले रहे हैं और पढ़ाते नहीं है। माता-पिता अगर थोड़ी फीस ज्यादा देने की क्षमता रखते हैं तो उन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये तैयार है तो आज यह जो स्थिति पैदा हुई है इसका समाधान करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा है, इसमें दो राय नहीं है कि जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, जहां हम सेलरी नहीं देते हैं वहां पठन-पाठन अच्छा है और उनके प्रति लोगों का ज्यादा आकर्षण बढ़ा हुआ है। हमारे जो अनुदानित विद्यालय हैं उसमें स्थिति बहुत खराब है और यह विगत कई सालों से है। यह भी कहा गया कि नकल की जो एक प्रणाली चल गई। स्वकेन्द्र प्रणाली को अगर हम नकल प्रणाली कहा जाय तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। उसी वजह से स्थिति में गड़बड़ी आई है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इस सदन में बैठे सभी लोग जानते हैं। उसको सुधारने के लिये कई कदम उठाये गये हैं और किस प्रकार से उसके खिलाफ आन्दोलन भी चलाये जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री हटाओ के नारे भी लगाये जा रहे हैं लेकिन सरकार माननीय हुकुम सिंह जी की चिन्ता से भलीभांति अवगत है। जो कठिनाई है उसको दूर किया जायेगा। अनुदानित विद्यालयों में भी पठन-पाठन का माहौल बने इसके लिये सरकार दृढ़ संकल्पित है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, नकल की बात आज की जा रही है नकल रोकने के नाम पर लगता है प्रदेश में युद्ध होने जा रहा है। इतनी तैयारी होने जा रही है रोज कानून की व्याख्या की जा रही

है, रोज यह किया जा रहा है। वह किया जा रहा है, एफ0आई0आर0 नहीं होगा, किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा रोज इसमें वार्ता चल रही है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक वर्ष हो गए क्या सरकार ने उन विद्यालयों में जहां अध्यापक सेवानिवृत्त हो गये थे जहां पद रिक्त हैं उनको भरने के लिये छात्रों के पठन-पाठन की कोई व्यवस्था की है या फिर जो रिक्त पद हैं उसको यह कब तक भर देंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, अनुदानित विद्यालयों की संख्या लगभग पांच हजार है और सरकारी कालेजों की संख्या लगभग साढ़े चार सौ है। दस हजार के आस-पास वित्तविहीन विद्यालय हैं तो जो अनुदानित विद्यालय हैं इसमें अध्यापकों की जो कमी है उसमें अधियाचन किया जाता है। अधियाचन के द्वारा बोर्ड को भेजा जाता है। बोर्ड उसका चयन करता है। मान्यवर, अभी विधान सभा में एक संशोधन हुआ है कि अगर चयन बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है और उन्होंने किसी को चार्ज नहीं दिया, नियमावली में था, अगर वह चार्ज किसी को देंगे तो वही काम करेगा उन्होंने चार्ज नहीं दिया और वह चले गये इसी कारण से चयन बोर्ड के अध्यक्ष का नामीनेशन नहीं हो पाया है। सरकार प्रयास कर रही है अभी उसमें संशोधन किया गया है जैसे ही उस पर राज्यपाल महोदय के दस्तखत हो जायेंगे चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जायेगी और जिन विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं उनकी नियुक्ति हो जायेगी। मान्यवर, जहां पर हमारे सरकारी कालेज का सवाल है उसमें उत्तरांचल का कुछ विवाद है जिसके कारण हमारे एल0टी0 ग्रेड की नियुक्ति नहीं हो पा रही है मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बाकी जो माननीय पाण्डेय जी ने कहा कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नकल विहीन परीक्षा के लिए यह नहीं होगा, इसमे सिर्फ यह निर्देश दिये गये हैं कि छात्र-छात्राओं की एफ0आई0आर0 नहीं की जायेगी। उनके जो परिसर के अनुमन्य नियम हैं। एफ0आई0आर0 कर दी जाती थी या मुचलके पर छोड़ दिया जाता था एक दाग लग जाता था पूरे जीवन भर छात्र कलंकित रहता था। उसको रोक दिया गया। लेकिन बाकी उसके विकल्प हैं। उनको रिस्टीकेट किया जाए; उनका रिजल्ट रोक दिया जाये या दो-तीन साल के लिए परीक्षा से वंचित करना इसके तहत उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। साथ ही जो अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं नकल कराते हैं अभिभावक हैं या दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही होगी। नकल विहीन अनुचित साधन निवारक ऐक्ट 1998 का जो प्राविधान है उसके तहत कार्यवाही होगी और किसी कीमत पर नकल नहीं होने दी जायेगी।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, सदन में प्रस्तुत प्रत्येक प्रश्नों का अपना महत्व होता है उनकी उपयोगिता होती है। माननीय सदस्य ने प्रश्न प्रस्तुत किया है आई0सी0एस0ई0, सी0बी0एस0ई0 और यू0पी0 बोर्ड के बीच में जो स्थिति है उसका आंकलन भी सदन के सामने आया है। अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से यह बात भी सामने आई है कि दोनों परिस्थितियों में शिक्षकों का जो अनुपात है उत्तर प्रदेश के बोर्ड में स्कूलों में और इन बोर्डों के अध्यापकों का जो अनुपात है उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों और

सी0बी0एस0सी0 के छात्रों के बीच में जो सवाल आया है उसका प्रश्न है इसी तरह से तमाम बातें जो सदन में इस प्रश्न को लेकर आई हैं मेरा अनुरोध यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है जबकि 80-85 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के छात्र यू0पी0 बोर्ड पर आधारित हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करें।

श्री अरविन्द गिरि-

और इसलिए इस प्रश्न की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए क्या इस बात पर विशेष योजना या विशेष आंकलन करने और उसके हिसाब से कोई निर्णय लिये जाने हेतु, यह जो तमाम बातें यहां उपस्थित हुई हैं, इसके निराकरण के लिए कोई कार्य योजना बनायेंगे ? चाहे शिक्षकों का अन्तर हो, चाहे सी0बी0एस0सी0 और यू0 पी0 बोर्ड के बीच का अन्तर हो, भले ही हमारे छात्र अधिक योग्य हों लेकिन वह कम अंक प्राप्त करते हैं। क्या इस प्रकरण पर आप सभी नेताओं की कोई बैठक बुला करके कोई कार्य योजना बनाने तथा इसे और अच्छा करने की कोई योजना बनायेंगे और मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरे संज्ञान में है कि लगभग 4 हजार विद्यालय जिन्हें उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा अनुमति मिल गयी है और वह फाइल आपके यहां विचाराधीन है। इन 4 हजार विद्यालयों को मान्यता देने के लिए जो फाइल उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है और शासन स्तर पर लम्बित है, क्या उनको मान्यता देंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मान्यता देने के लिए 1921 का ऐक्ट बना हुआ है और 7क के अधीन इन विद्यालयों को मान्यता दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में 94 के अधीन भी मान्यता दी जाती है। इसके तहत पिछले दिनों पिछली सरकार ने लगभग 4 हजार मान्यता दी थी लेकिन मान्यवर, 7क बोर्ड जो है, उसके माध्यम से आती थी, मा0 उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है कि आप मान्यता तब तक नहीं देंगे, जब तक बोर्ड का गठन नहीं हो जाता। इसको पिछले दिनों विधान सभा से पास करके ऐक्ट बना करके गठन के लिए चूंकि 1921 का ऐक्ट है, आजादी के पहले के जो भी ऐक्ट हैं, उसमें परिवर्तन या संशोधन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। इसलिए यहां से पास करके महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां भेजा गया है और जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति या अनुमोदन मिल जायेगा, निश्चित रूप से ऐसे विद्यालयों को जो विचाराधीन है, मान्यता दी जायेगी।

प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा बी0एड0 के छात्रों से अवैध रूप से प्रवेश शुल्क की वसूली

*2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा बी0एड0 के छात्रों से अवैध रूप से प्रवेश शुल्क की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या

सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

02-कतिपय जनपदों से ऐसी अपुष्ट शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-151/सत्तर-2-2008-16(70)/2005, दिनांक 16 जनवरी, 2008 द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति/कुल सचिवों को निर्देशित किया गया है कि अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय के निर्देश जारी करें कि वे बी0एड0 छात्रों से निर्धारित शुल्क ही लें तथा उसका विवरण व प्राप्त की गयी शुल्क की धनराशि की विधिमान्य रसीद उन्हें उपलब्ध करायें। जिला प्रशासन एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को भी निर्देशित किया गया है कि वे जनपदों के महाविद्यालयों की आकस्मिक चेकिंग करें। साथ ही विश्वविद्यालय से ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आप अवगत है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संवैधानिक दृष्टि से शिक्षा मौलिक अधिकार है तथा संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी अनुसूची के क्रमांक-25 में शिक्षा का उल्लेख भी है और यह केन्द्र और राज्य की संवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है और राज्य सरकार फीस का निर्धारण कर सकती है। मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा बी0एड0 के छात्रों से अवैध रूप से प्रवेश शुल्क की वसूली की जा रही है ? मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कतिपय जनपदों में ऐसी अपुष्ट शिकायतें प्राप्त हुयी थीं और उसके क्रम में उन्होंने शासनादेश और निर्देश भी जारी किए हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने जांच करायी तो कितने ऐसे स्ववित्त पोषित महाविद्यालय आपको मिले जहां अनियमतता या अवैध ढंग से वसूली की गयी और आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और उनके नाम क्या हैं और दूसरी बात कि बी0एड0 के प्रवेश में विभिन्न दरों पर प्रवेश शुल्क लिया जाता है। राजकीय महाविद्यालयों में कुछ लिया जाता है और स्ववित्त पोषित में कुछ और लिया जाता है और जो मैनेजमेन्ट की सीटें होती हैं वहां लाख-लाख रुपये वसूली होती है तो क्या आप फीस की दरें एक समान निश्चित करेंगे ?

संसदीय कार्य एव वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, फीस निर्धारण करने के लिए इस्लामी एकेडेमिक एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 14-08-03 के अनुसार एक समिति का गटन किया गया था और उस समिति के द्वारा ही विभिन्न कालेजों में जो स्ववित्त पोषित कालेज हैं उनकी फीस दरों को निर्धारित करने की व्यवस्था है। मान्यवर, उस समिति का जो

कार्यकाल था वह 15 नवम्बर, 2007 को समाप्त हो गया और इस बीच वह सर्मि.. सभी कालेजों की फीस निर्धारित करने का काम नहीं कर पायी। मान्यवर, जिन विद्यालयों में फीस निर्धारित की गयी उनमें वहीं निर्धारित है। उनमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिवर्ष की वृद्धि के आधार पर उस फीस के आधार पर ही शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह विद्यालयों में निर्धारित नहीं है। मान्यवर, उसमें यह निर्देशित किया गया कि जो फीस ली जा रही है उसकी विधिमान्य रसीद दी जाये और जांच में अभी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि कहीं पर इस तरह की अतिरिक्त फीस ली गयी है और कहीं भी जांच में इस तरह की शिकायत आयेगी तो उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री धनन्जय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री जोखू लाल यादव जी के प्रश्न पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान्यवर, जो फीस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित की गयी है हमारे जनपद जौनपुर में मोहम्मद हसन डिग्री कालेज हैं वहां के प्रबन्धक ने अपने यहां बी0एड0 में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 80-80 हजार रुपये वसूल किया है। हमारे किसान छात्र हैं हमारे क्षेत्र के तमाम बच्चे हैं। आप रसीद की बात कर रहे हैं। रसीद वह जेन्युइन यूनिवर्सिटी की देते हैं उसके ऊपर का वह शुल्क अतिरिक्त लेते हैं और उनको धमकी देते हैं कि जो प्रेक्टिकल एग्जाम होगा उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, तथ्य तो आपको इस तरह से मिलेंगे नहीं तो आप किस तरीके जांच कराकर इन दोषी प्रबन्धकों को दण्डित करेंगे इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है ? क्योंकि तथ्य आपको नहीं मिलेंगे और छात्र फेल नहीं होना चाहेगा। छात्र कहीं से भी पैसा दे देता है, खेत बेचकर पैसा दे देता है, कर्ज लेकर पैसा देता है। लेकिन अपने कैरियर के लिए वह फीस दे देता है तो इनकी गुण्डागर्दी किस तरीके से आप रोकेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस विद्यालय का नाम लिया है उसकी अलग से जांच करा लेंगे, अगर तथ्य आएगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अवगत हैं कि बी0एड0 के प्रवेश में अलग-अलग विद्यालयों में अलग-अलग फीस प्रबन्धतंत्र द्वारा ली जाती है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में मैनेजमेन्ट का कोटा है, जो दस पन्द्रह फीसदी होता है, इसमें जो एक लाख, डेढ़ लाख रुपये फीस ली जाती है, ऐसे मामलों की जांच कराकर जो दोषी पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने पहले ही सीधे बता दिया है कि जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आयेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

मान्यवर, अधिकारियों से बहुत जांच होती है, रिपोर्ट आती रहती है और खाना पूर्ति होती रहती है। मा0 सदस्य धनन्जय सिंह ने जो बात कही है मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन एक आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारियों के अलावा इस सदन की एक कमेटी बना दी जाये जो इसकी जांच करें। इसमें सभी दलों के विधायक हों और उसके अनुसार कार्यवाही हो।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, बी0एड0 में एक यूनिवर्सिटी पूरे सूबे में परीक्षा कराती है। वर्तमान में कानपुर यूनिवर्सिटी ने इक्जाम कराया और उसमें काउन्सिलिंग में पच्चासी प्रतिशत यूनिवर्सिटी करती है बाकी का 15 प्रतिशत एन0आर0आई0 का कोटा होता है तो क्या वह पन्द्रह प्रतिशत जो एन0आर0आई0 का कोटा उपलब्ध है, उसकी जांच करायेंगे और क्या इसे मैनेजमेन्ट का कोटा सरकार द्वारा मान लिया गया है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न से अलग है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप प्रश्न की परिधि में पूछिये। यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर तक, जो फीस निर्धारित कमेटी बनायी गयी थी, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उसके बाद जो फीस निर्धारित की गयी है क्या वह वैध है ? क्या इसके लिए कमेटी बनायेंगे या क्या शासन इसकी फीस निर्धारित करेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब उस कमेटी का कार्यकाल समाप्त हुआ है उसके बाद से जो शुल्क निर्धारित किया गया वह विधिमान्य नहीं है जो न्यायालय के आदेश में ऐक्ट पास किया है, उस प्राविधान के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग में कमेटी बनाये जाने का मामला विचाराधीन है।

प्रदेश के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु समिति के गठन की कार्यवाही

*3-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 कालेजों के प्रबन्धकों और प्रशासक के मध्य वार्ता के बाद बी0एड0 की फीस 48 हजार से 50 हजार की गई ? जबकि

विश्वविद्यालय में 24 हजार पांच सौ निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्धकीय कालेजों में विश्वविद्यालयों के अनुसार फीस निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाटी-

जी नहीं।

इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-8-2003 के आलोक में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2004 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री पी0के0 सरीन की अध्यक्षता में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु एक समिति गठित की गयी थी जिसे बी0एड0 पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारण भी करना था। इस समिति का कार्यकाल दिनांक 15-11-2007 को समाप्त हो गया। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा उपर्युक्त विषयक समिति के गटन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, मात्र एक चीज छूटी रह गयी है। मान्यवर, इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु एक समिति गठित की गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

समय समाप्त हो गया है, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कानपुर विश्वविद्यालय में चौबीस हजार पांच सौ निर्धारित फीस थी, परन्तु जो प्रबन्धकीय विद्यालय हैं उन्होंने अड़तालीस हजार से पचास हजार की वसूली की है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि हमारी शासन से बात हो गयी है, हमारी प्रशासन से बात हो गयी है, मंत्री जी से बात हो गयी है इसलिए हम यह फीस ले रहे हैं। यह बात जब प्रकाश में आई पूर्ण रूप से कि 48 हजार, 50 हजार तो यह जिज्ञासा हुई, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जी नहीं, हम यह 48 और 50 की अनुमति नहीं दिये हैं परन्तु इस बारे में कोई भी उत्तर नहीं दिया कि 24 हजार और 500 रुपये जब यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किये, क्या इसके ऊपर सरकार ने लागू करने के लिए कोई निर्देश भेजे, यदि भेजे तो किस तारीख में भेजे और क्यों नहीं लागू हुए ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कमेटी ने अलग-अलग विद्यालयों के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की है और कोई यूनिवर्सिटी को अधिकार नहीं मिला है। मान्यवर, इस निर्णय के आधार पर और जो निर्णय कमेटी ने अलग-अलग जो निर्धारित किया है उसके अनुसार उनको फीस लेने का अधिकार है और मान्यवर, उसी तरह से जो मैंने पहले ही उत्तर में बताया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा

उपर्युक्त विषयक समिति गठन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। अब कार्यवाही होगी उसके अनुसार जो निर्धारित होगा, अनुमति दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में नई स्वास्थ्य नीति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाने हेतु कार्य योजना

*1-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई स्वास्थ्य नीति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के अपनाने के लिए प्रदेश में कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या उनमें महिलाओं, वृद्धों, आदिवासियों एवं गरीबों के स्वास्थ्य के लिये कोई विशेष प्राविधान किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्र)-

प्रदेश की जनता को उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा-उपचार की सुविधा दी जा रही है, जिसके अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति भी शामिल है। पृथक से कोई स्वास्थ्य नीति नहीं है। इन वर्गों के स्वास्थ्य सम्बन्धी हितों का संरक्षण विभिन्न योजनाओं में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हेतु उच्च समिति का गठन

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया है ? क्या मा0 मुख्य मंत्री शैक्षिक वातावरण को बनाये रखने के लिये छात्रसंघों के पदाधिकारियों को मनोनीत करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

जी नहीं।

शासन द्वारा छात्रसंघों के चुनाव सम्बन्धी समस्त पहलुओं पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

नोट :-नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

एड्स की रोकथाम हेतु अभियान एवं मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने की जानकारी

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एड्स जैसी घातक बीमारी की रोकथाम हेतु किये गये सरकारी अभियान का पिछले 3 वर्षों का तुलनात्मक प्रभाव क्या है ? क्या पॉजिटिव लक्षण प्राप्त मरीजों को आवश्यक दवाइयां सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध करायी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

एच0आई0वी0/एड्स के रोकथाम हेतु किये गये अभियान का पिछले 3 वर्षों की तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

(1) स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों की स्थिति :-

वर्ष	परामर्शित व्यक्तियों की संख्या	एच0आई0वी0 जांचों की संख्या	एच0आई0वी0 जांच में पाये गये धनात्मक व्यक्तियों की संख्या	धनात्मक प्रतिशत
2005	61947	35877	3418	9.52
2006	66197	43928	4873	11.09
2007	175229	131940	9424	7.14

(2) गर्भवती महिलाओं द्वारा लिये गये परामर्श की स्थिति :-

वर्ष	परामर्शित नई गर्भवती महिलाओं की संख्या	नई गर्भवती महिलाओं की एच0आई0वी0 जांचों की संख्या	एच0आई0वी0 धनात्मक नई गर्भवती महिलाओं की संख्या	धनात्मक प्रतिशत
2005	4081	2227	9	0.40
2006	14607	6961	56	0.80
2007	126886	102972	235	0.23

(3) रक्तकोषों में रक्तदान की स्थिति :-

वर्ष	रक्त संग्रहण (यूनिट)
2005	331303
2006	356295
2007	397688

(4) यौन जनित रोगियों की स्थिति :-

वर्ष	यौन जनित नये उपचारित रोगियों की संख्या
2005	99155
2006	90652
2007	156854

(5) एण्टी रिट्रोवायरल ट्रीटमेन्ट केन्द्रों की स्थिति :-

वर्ष	एड्स से ग्रसित रोगियों की संख्या, जिन्हें ए0आर0टी0 दिया गया
2005	928
2006	2038
2007	4126

उपरोक्त तालिका में उपलब्ध कराये गये विवरण से यह स्पष्ट होता है कि एड्स की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान का सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है और विशेषकर एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर व क्षय रोग पर नियंत्रण की कार्य योजना व निःशुल्क उपचार की मांग

*4-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर व क्षय रोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त रोगों का निःशुल्क उपचार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

मस्तिष्क ज्वर रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा मस्तिष्क-जवर (जे0ई0) नियंत्रण कार्ययोजना बनायी गयी है, जिसमें रोग नियंत्रण हेतु वाहक पर नियंत्रण, रोगी का निदान एवं उपचार, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन सम्मिलित है।

क्षय रोग (टयूबरक्यूलोसिस) पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2005 से प्रदेश मे पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत क्षय रोगियों का पंजीकरण एवं जांच से लेकर उपचार तक की सुविधा सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मस्तिष्क-ज्वर एवं क्षय रोग के रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0जी0पी0जी0आई0 चिकित्सालय लखनऊ व राजकीय मेडिकल कालेजों में गरीबों के लिए आरोग्य निधि स्थापित करने की योजना

*5-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी के कारण एस0जी0पी0जी0आई0 चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ व राजकीय मेडिकल कालेजों में विशिष्ट व मंहगे इलाज से वंचित रहने वाले गरीबों के लिए आरोग्य निधि स्थापित करने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। इसका स्वरूप निर्धारित हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने की योजना एवं स्वीकृत धनराशि की मांग

*6-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की सहभागिता से कम्प्यूटर कोर्स शुरू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कालेजों में कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराकर कम्प्यूटर की शिक्षा कब से प्रारम्भ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने की योजना है।

चालू वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत रुपये 40,52,97,000/-की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्राचार्यों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग

*7-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्नातक महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों के वेतनमान में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या

सरकार इस विसंगति को दूर करके एक समान वेतनमान देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

जी नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्राचार्यों के वेतनमान का निर्धारण किया जाता है। अतः शासन द्वारा उक्त विसंगति को दूर किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के सभी संकायों में समान शुल्क हेतु समिति का गठन

*8-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध आदि के सभी संकायों में समान शुल्क लिये जाने की नीति बनाने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति शासन द्वारा गठित की गई है ? यदि हां, तो उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं और उसने अभी तक क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शुल्क ढांचें, शुल्क निर्धारण एवं शुल्क में वृद्धि आदि के सम्बन्ध में एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1848/70-4-2007-64 ए0क्यू0 (3)/2007, दिनांक 10 सितम्बर, 2007 के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी थी जिसे कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/70-4-2008-64 ए0क्यू (3)/2007, दिनांक 13-02-2008 द्वारा पुनर्गठित किया गया है। उक्त पुनर्गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :-

1-प्रो0 ए0एस0 वरार, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	अध्यक्ष
2-प्रो0 रमेश चन्द्र सारस्वत, कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	सदस्य

3-प्रो0 के0 एन0 त्रिपाठी, सदस्य
कुलपति, डा0 भीमराव
अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा

4-श्री वी0के0 पाण्डेय, कुलसचिव, सदस्य
महात्मा ज्योतिबाफुले
रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली

5-श्री जे0 प्रसाद, वित्त अधिकारी, सदस्य/सचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

अभी तक उक्त समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्गठित समिति को 03 माह में अपनी संस्तुतियां/सुझाव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के प्रशिक्षण के उपरान्त बी0टी0सी0 चयन की प्रक्रिया पर विचार

*9-श्री लल्लू सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के चयन हेतु पुनः बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा कराकर अध्यापकों की नियुक्ति करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के चयन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें चयनित लगभग 60000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इनके प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त बी0टी0सी0 चयन की प्रक्रिया पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम को संचालित करने की जानकारी

*10-श्री हुकुम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं तथा लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 06-14 वर्ष के सभी बच्चों को कक्षा 1-8 की प्रारम्भिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत समस्त बच्चों का नामांकन ड्राप आउट समाप्त करना तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है।

प्रदेश में समस्त 70 जनपदों में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं :-

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम,

विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम,

[illegible] वितरण,

बालिकाओं को यूनीफार्म का वितरण,

बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना,

विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था,

शिक्षा की गुणवत्ता हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के साथ विद्यालयों को शैक्षिक अनुसंधान हेतु विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत पर संसाधन केन्द्र की स्थापना।

लक्ष्य प्राप्ति भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*11-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[6ठे सोमवार के तारां0प्र0सं0-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों के विनियमितीकरण की मांग

*12-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों का नियमितीकरण किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

दिनांक 08 अगस्त, 1993 तक तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों के विनियमितीकरण का प्राविधान है। तद्नुसार इनके विनियमितीकरण की कार्यवाही की गयी है।

उक्तोनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में चयन हेतु हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट स्नातक एवं प्रशिक्षण अर्हता के प्राप्तांकों के

[illegible] सूची बनायी जाती है ? क्या यह सत्य है कि इस चयन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के कारण मा0 उच्च न्यायालय में वाद भी दायर हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों को चयन का आधार न बनाकर बी0एड0/बी0पी0एड0 डिग्री धारकों के शिक्षा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

(क) जी नहीं। विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 सम्बन्धी शासनादेश दि0 10-7-2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में चयन हेतु हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक एवं प्रशिक्षण अर्हता के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर चयन सूची तैयार करने का प्राविधान किया गया है। संदर्भित शासनादेश में प्रतीक्षा सूची बनाने का कोई भी उल्लेख नहीं है।

(ख) जी नहीं। चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने व्यक्तिगत आधार पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें योजित की जाती है, जिनमें शासन का पक्ष प्रस्तुत करके यथा अपेक्षित आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंकों की जानकारी

*14-श्री अनूप सण्डा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक काम कर रहे हैं ? क्या सरकार प्रदेश के शेष जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंकों की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों तथा 02 अन्य जिला स्तरीय चिकित्सालयों, इस प्रकार कुल 52 चिकित्सालयों में ब्लड बैंक कार्यरत हैं।

जी हां।

शेष जनपदों में भवन निर्माण एवं लाइसेन्स प्रक्रिया पूर्ण होने पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों पर विशिष्ट बी0टी0सी0 की नियुक्ति

*15-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में कुल कितने अध्यापकों की कमी है ? इसके सापेक्ष कुल कितने अध्यापकों की सरकार नियुक्ति करने जा रही है ? नियुक्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 101480 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

वर्तमान में 60000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 हेतु चयन एवं प्रशिक्षण के उपरान्त सफल प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

बालिकाओं की शिक्षा के विकास हेतु असेवित/सेवित की योजना

*16-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या नये स्कूल खोलने हेतु निजी प्रबन्धकों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

बालिका शिक्षा के विकास हेतु असेवित/सेवित योजनान्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना की योजना संचालित है।

प्रदेश में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु योजना

*17-श्री मदन भैया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शासन ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार दसवीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन वर्ष 2000 में किया गया है। हाई स्कूल स्तर पर संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में प्राइवेट नर्सिंग होमों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की फीस तथा उनके कार्य-कलापों पर नियंत्रण

*18-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट नर्सिंग होम द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की फीस एवं उनके कार्य-कलापों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

उत्तर प्रदेश प्राइवेट क्लीनिकल स्टेबिलशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2008 वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में एड्स रोगियों की संख्या तथा एड्स की रोकथाम के उपाय

*19-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एड्स के कितने रोगी किन-किन जिलों में पाये गये हैं ? क्या सरकार एड्स की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के जनपदों में दिसम्बर, 2007 तक पाये गये एड्स रोगियों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0सं0	जनपद	रोगियों की संख्या
1	आगरा	18
2	अलीगढ़	73
3	इलाहाबाद	192
4	अम्बेडकर नगर	41
5	औरैया	06
6	आजमगढ़	133
7	बदायूं	23
8	बागपत	50
9	बहराइच	13
10	बलिया	93
11	बलरामपुर	25
12	बांदा	12
13	बाराबंकी	25
14	बरेली	05
15	बस्ती	46
16	बिजनौर	02
17	बुलन्दशहर	06
18	चन्दौली	39
19	चित्रकूट	06
20	देवरिया	100
21	एटा	09
22	इटावा	59
23	फैजाबाद	46
24	फर्रुखाबाद	13
25	फतेहपुर	37

26	फिरोजाबाद	40
27	गौतमबुद्धनगर	00
28	गाजियाबाद	37
29	गाजीपुर	98
30	गोण्डा	49
31	गोरखपुर	63
32	हमीरपुर	34
33	हरदोई	05
34	हाथरस	02
35	जे0पी0 नगर	00
36	जालौन	27
37	जौनपुर	188
38	झांसी	29
39	कन्नौज	18
40	कानपुर देहात	12
41	कानपुर नगर	260
42	कौशाम्बी	28
43	कुशीनगर	169
44	लखीमपुर	08
45	ललितपुर	05
46	लखनऊ	387
47	महराजगंज	13
48	महोबा	01
49	मैनपुरी	18
50	मथुरा	19
51	मऊ	53
52	मेरठ	01
53	मीरजापुर	62
54	मुरादाबाद	07

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55	मुजफ्फरनगर	00
56	पीलीभीत	17
57	प्रतापगढ़	70
58	रायबरेली	42
59	रामपुर	21
60	सहारनपुर	01
61	संतकबीरनगर	07
62	संतरविदास नगर	66
63	शाहजहांपुर	10
64	श्रावस्ती	03
65	सिद्धार्थनगर	38
66	सीतापुर	09
67	सोनभद्र	30
68	सुल्तानपुर	55
69	उन्नाव	38
70	वाराणसी	413
	योग	3524
	अचिन्हित स्थान (पुराने आंकड़ों से अग्रसारित)	170
	महायोग	3694

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार की योजना एड्स नियंत्रण के लिये बनी है जिसका क्रियान्वयन उ0 प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घटते भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज योजना

*20-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सरकार प्रदेश में घटते भू-गर्भ जल स्तर को देखते हुए पूर्व से निर्मित तालाबों एवं कुओं की सफाई एवं मरम्मत कराकर जल संचय की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई मंत्री (श्री लखीराम नागर)-

सरकार द्वारा प्रदेश में घटते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज योजना के अन्तर्गत बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण तथा पोखरों/जल संचयन स्रोतों की सफाई हेतु निम्न नीतिगत निर्णय लिये गये हैं:--

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाने तथा प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आदर्श जलाशय योजना' आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में कुत्ते के काटने से प्रभावित रोगियों हेतु ए0आर0वी0 की दवा चिकित्सालयों में उपलब्ध कराने की मांग

1-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुत्ते के काटने से प्रभावित रोगियों की संख्या की तुलना में इसके उपचार हेतु ए0आर0वी0 का उत्पादन पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश में ए0आर0वी0 उत्पादन के अन्य केन्द्र खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। प्रदेश में ए0आर0वी0 का उत्पादन नहीं किया जाता है।

जी नहीं। प्रदेश में ए0आर0वी0 उत्पादन के कोई केन्द्र खोले जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है। आवश्यकता के अनुसार ए0आर0वी0 की दवायें क्रय कर सम्बन्धित चिकित्सालयों/औषधालयों को उपलब्ध कराई जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ में चन्द्रभूषण शाह महाराज इण्टर कालेज में पंजीकृत विद्यार्थी की संख्या तथा अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्र भूषण शाह महाराज इण्टर कालेज आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ के प्रत्येक कक्षाओं में कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं और किन-किन

विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

उक्त विद्यालय में कक्षा 9 में 115, कक्षा 10 में 80, कक्षा 11 में 78 एवं 12 में 70 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। विद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गृह विज्ञान के अध्यापकों का पद हाई स्कूल एवं इण्टर स्तर पर रिक्त है।

जी हां।

प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित है। आयोग से चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। एल0टी0 ग्रेड की नियुक्तियां मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका विचाराधीन होने के कारण अवरुद्ध हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त एल0टी0 ग्रेड के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर महानगर में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन एवं लम्बित प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

श्रीमती प्रेमलता कटियार

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को पेंशन दिए जाने की योजना के अन्तर्गत 31-3-07 को कुल कितनी विधवाओं को पेंशन दी जा रही है और वित्तीय वर्ष 07-08 में अब तक कितने नये आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया गया है तथा कितने आवेदन फार्म लम्बित हैं ? यदि हां, तो कब तक इन आवेदन फार्मों को स्वीकृत करके पेंशन उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 31-03-07 को कानपुर महानगर में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित 13581 महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में अब तक 1429 आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया जा चुका है तथा 3650 आवेदन फार्म लम्बित हैं।

उक्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों का परीक्षण कर पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की विधवा निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन मिलने की जानकारी

4-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रोवेशन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्रांक 1154/जि0प्रो0आ0/म0क0/ 2007-08 दिनांक 12 जुलाई, 2007 के माध्यम से प्रश्नकर्ता को विधवा पेंशन के योग्य 711 निराश्रित महिलाओं की दी गयी सूची की सभी महिलाओं को विधवा पेंशन मिलनी प्रारम्भ हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के प्राइमरी पाठशाला में कक्षों/भवन निर्माण आदि हेतु जांच समिति का गठन

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के प्राइमरी पाठशाला नारंगपुर के नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षों एवं नोही, उमरपुर के मुख्य भवन के निर्माण में की गयी अनियमितता की समयबद्ध जांच मुख्यालय की तकनीकी समिति से कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

संदर्भगत् विद्यालय अतिरिक्त कक्षों एवं विद्यालय भवनों के निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा त्रिसदस्यीय समिति, जिसमें सहायक अभियन्ता, ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ जिला समन्वयक (निर्माण), सर्व शिक्षा अभियान प्रतापगढ़, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मंगरौरा, प्रतापगढ़ हैं, गठित की गयी है। जांच आख्या अभी तक प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में रामनाथ शिक्षण संस्थान को मान्यता दिये जाने की जानकारी

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में प्राथमिक विद्यालय पूरेकोलाहल सूर्यगढ़ जगन्नाथ परिसर से लगा निजी प्रबन्धतंत्र का विद्यालय रामनाथ शिक्षण संस्थान पूरेकोलाहल को बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्राइमरी स्तर तक

की अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है ? क्या सरकारी विद्यालय के रहते हुए परिसर से लगे निजी विद्यालय को मान्यता दी जा सकती है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क-3/271970, दिनांक 20-9-07 मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

पत्र में उल्लिखित तथ्यों का नियमानुसार परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय महाविद्यालय ढिबई में विधि संकाय की स्वीकृति दिये जाने के आदेश

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय ढिबई (प्रतापगढ़) में विधि संकाय की स्वीकृति दिये जाने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से संचालित महाविद्यालय में अतिरिक्त संकाय के रूप में विधि पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

लखनऊ के हजरतगंज में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को सदस्य द्वारा लीज पर देने के आदेश के विरुद्ध कार्यवाही

8-श्री अनूप सण्डा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, वक्फ बोर्ड को वक्फ सम्पत्ति को 3 वर्ष के लिये लीज पर देने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो अब्दुल रज्जाक खां सदस्य, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वक्फ नं0-42 ए फरदी बिल्डिंग हजरतगंज, लखनऊ को दिनांक 6-9-2005 को किन अधिकारों के तहत लीज पर देने का आदेश पारित किया ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वक्फ ऐक्ट 1995 की धारा-56 के अन्तर्गत बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है, किसी सदस्य को अधिकार नहीं है। बोर्ड के किसी प्रस्ताव द्वारा सदस्य को धारा-56 के अन्तर्गत कोई

अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किया गया। अनियमित रूप से लीज पर दी गई वक्फ सम्पत्ति के पट्टे को निरस्त किये जाने के लिये वक्फ बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं। सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा के मनकापुर के राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां को इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत करने की मांग

9-श्री राम विशुन आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां को इन्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने का प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

निर्धारित मानकों के आधार पर उच्चीकरण का औचित्य नहीं पाया गया है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद गोण्डा नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं स्वीकृत विद्यालयों का विवरण

10-श्री राम विशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृत नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थल सम्बन्धी चयन किये जाने के सम्बन्ध में 13-8-07 को बैठक बुलायी गयी थी ? यदि हां, तो जनपद के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों के कितने-कितने प्रस्ताव लिये गये ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्थल चयन हेतु बैठक दिनांक 25-08-07 को बुलायी गयी थी।

विधान सभा वार प्राप्त प्रस्ताव एवं स्वीकृत विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है:--

उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र0सं0	प्रस्तावक	प्राप्त प्रस्ताव संख्या	स्वीकृत प्रस्ताव संख्या
1	**श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 मंत्री**	**01**	**01**

2	मा0 विधायक कटरा बाजार	17	12
3	मा0 विधायक बलरामपुर	10	8
4	मा0 विधायक मुजेहना	14	7
5	मा0 विधायक डिक्सिर	45	42
6	मा0 विधायक गोण्डा	91	23
7	मा0 विधायक करनलगंज	20	15
8	मा0 विधायक मनकापुर	10	6
	योगः-	208	114

प्राथमिक विद्यालय

क्र0सं0	प्रस्तावक	प्राप्त प्रस्ताव संख्या	स्वीकृत प्रस्ताव संख्या
1	मा0 विधायक डिक्सिर	07	04
2	मा0 विधायक गोण्डा	02	00
3	मा0 विधायक बलरामपुर	01	00
	योगः-	10	04

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ मण्डल में सहायता प्राप्त इण्टर कालेज से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की शिक्षकों की पेंशन की मांग

11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र कम्प्यूटर सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-170360/2007 दिनांक 28-9-07 जो मेरठ मण्डल में सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के प्राइमरी विभाग की शिक्षकों की पेंशन के सम्बन्ध में है प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

मेरठ मण्डल के सहायता प्राप्त इण्टर कालेज से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग की शिक्षिकाएं दिनांक 30-06-2001 से 30-06-2003 के मध्य सेवानिवृत्त हुई हैं। उक्त सुविधा का लाभ इन शिक्षिकाओं को दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि शासनादेश संख्या-148/79-6-04-

28(18)/2000 दिनांक 28 जनवरी, 2004 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षक/शिक्षिकाओं को पेंशन इत्यादि का लाभ आदेश निर्गमन की तिथि से अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को ही अनुमन्य है। उक्त शासनादेश न्याय/वित्त विभाग के परमर्श के क्रम में मा0 मंत्रि-परिषद् के उच्चानुमोदनोपरान्त निर्गत किया गया है। इस प्रकार उक्त शासनादेश में कोई संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की तैनाती

12-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में कितने एलोपैथिक चिकित्सालय व डिस्पेंसरियां वर्तमान समय में स्वीकृत हैं ? क्या उक्त डिस्पेंसरियां/स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक व अन्य स्टाफ मानक के अनुसार तैनात किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 08 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात है। मात्र नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोनहाडीह पर 01 चिकित्सक का पद रिक्त है।

वर्तमान में चिकित्सकों की कमी हैं। आगामी स्थानान्तरण सत्र में यथा संभव तैनाती कर दी जायेगी।

13-श्री लालजी यादव-

[3सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद सिद्धार्थनगर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध गाड़ियां एवं उनकी मरम्मत/तेल में हुए व्यय धनराशि का विवरण

14-श्री लालजी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से कितनी सरकारी गाड़ियां सम्बद्ध हैं ? क्या उक्त गाड़ियों के अलावा चिकित्सालयों के एम्बुलेंस आदि को भी सम्बद्ध रखा गया है ? यदि हां, तो उक्त गाड़ियों के

रख-रखाव व तेल मद में कितनी धनराशि 2005 से अब तक वर्षवार खर्च की गयी है ? उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय सिद्धार्थनगर को 11 गाड़ियां तथा 01 एम्बुलेन्स आवंटित/सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कोई वाहन मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर के कार्यालय से सम्बद्ध नहीं है।

वर्ष 2005 से अब तक गाड़ियों की मरम्मत एवं तेल मद में हुए व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:--

वर्ष	व्यय धनराशि रुपये
2005-06	12,38,448.00
2006-07	3,99,749.00
2007-08	1,75,529.00

प्रदेश के आगामी शैक्षिक सत्र में छात्रसंघों के चुनाव हेतु माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन

15-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगामी शैक्षिक सत्र में छात्रसंघों के चुनाव कराये जाने के सन्दर्भ में शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छात्रसंघों के चुनाव से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।

प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना का लाभ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के गरीब किसानों को प्रदान करने की जानकारी

16-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में वर्ष 2007-08 में निःशुल्क बोरिंग योजना एवं पम्प सेट का लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को शासन द्वारा दिया जाना बन्द कर दिया गया है ? क्या उक्त लाभ दलित वर्ग के किसानों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या

सरकार निःशुल्क बोरिंग योजना का लाभ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के गरीब किसानों को प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी नहीं।

जी हां।

इस योजना का लाभ पूर्व से ही प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनुपर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पवांरा में नियुक्त स्टाफ की जानकारी

17-श्री सुभाष पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मछली शहर जनपद जौनपुर में पवांरा बाजार के निकट अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती न होने से नागरिकों को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि हां, तो उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पवांरा में चिकित्सक एवं स्टाफ की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पवांरा में शासन द्वारा स्वीकृत पद पर एक चिकित्साधिकारी, एक फार्मासिस्ट एवं एक वार्ड ब्याव कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा व मेरठ मण्डल में आलू पर आधारित इकाई/उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने सम्बन्धी विवरण की जानकारी

18-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उत्पादकों/निवेशकों को इकाई/उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने का विवरण क्या है ? उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी इकाइयाँ कार्यरत हैं ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

उत्पादकों/निवेशकों को इकाई/उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने का विवरण निम्नवत् हैं :--

1-फल एवं सब्जी, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी तथा पाक्कला ट्रेड में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित करना।

2-नव उद्यमियों को तकनीकी परमर्श देना।

3-खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता नियंत्रण एवं विश्लेषण की सुविधाएं प्रदान करना।

4-राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धित कार्यक्रमों में सहायता देना।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

रूहेलखण्ड मण्डल के सभी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति की मांग

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रूहेल खण्ड मण्डल के सभी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में स्थायी रूप से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जी हां।

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज में मानक के अनुसार शिक्षक, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अन्य सुविधाओं की मांग

20-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में राम अजोर चौरसिया राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पट्टी में नियमित प्राचार्य, सभी विषयों के नियमित शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक तथा अपेक्षित उपकरण, लैब रूम, शौचालय तृतीय श्रेणी एंव चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मानकों के अनुसार क्या उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालय में कब तक मानक के अनुसार नियुक्तियां एवं अन्य सुविधायें पूर्ण करा दी जायेंगी ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

उक्त विद्यालय वर्ष 1987-88 में हाईस्कूल स्तर पर संचालित हुआ तथा वर्ष 2004 में इण्टर स्तर पर उच्चकृत हुआ। विद्यालय में प्रवक्ता के 09 एवं एल0टी0ग्रेड के 10 पद सृजित हैं,

जिसके सापेक्ष प्रवक्ता के 03 एवं एस0टी0 के 04 पद भरे हुए हैं। प्रवक्ता के 06 पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित है। एल0टी0 ग्रेड की नियुक्तियां मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका विचाराधीन होने के कारण अवरुद्ध है।

प्रवक्ता वेतनक्रम में लोक सेवा आयोग से चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त एल0टी0 ग्रेड के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भव होगी। विद्यालय में हाईस्कूल स्तर पर एक प्रयोगशाला कक्ष एक सभागार कक्ष 04 शिक्षण कक्ष, कार्यालय कक्ष, एक स्टाफ रूम तथा एक प्रधानाचार्य का कक्ष उपलब्ध है। बालिकाओं के लिए 03 तीन शौचालय तथा प्रधानाचार्य एवं स्टाफ के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हैं। इण्टर स्तर पर लैबरूम एवं उपकरण आदि की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा जिला योजना से की जा रही है।

जनपद कुशीनगगर की प्रबन्ध समिति के सभी मान्य सदस्यों को सूचना देकर प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाने की व्यवस्था

21-डा0 पी0 के0 राय-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू इण्टर कालेज तरया सुजान-जनपद कुशीनगर की प्रबन्ध समिति की विगत पांच वर्षों में कितनी बैठकें हुयी ? क्या सरकार प्रबन्ध समिति की बैठक सभी सदस्यों को सूचित कर सम्पन्न कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कुल 17 बैठकें हुई।

जी हां।

प्रबन्ध समिति के सभी मान्य सदस्यों को सूचना देकर प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाने की व्यवस्था किये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र सेवरही विकास खण्ड एवं विकास खण्ड दुदही के प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती

22-डा0 पी0 के0 राय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सेवरही-जनपद कुशीनगर के वि0 खण्ड दुदही एवं सेवरही के कितने प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक विहीन हैं ? क्या सरकार ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र सेवरही, कुशीनगर के विकास खण्ड दुदही में 24 प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं है परन्तु इनमें प्रत्येक विद्यालय में शिक्षामित्र की व्यवस्था है। 21 जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षक विहीन है।

विकास खण्ड सेवरही में 18 प्राथमिक विद्यालयों में परिषदीय अध्यापक नही हैं इनमें से 12 में शिक्षामित्रों की व्यवस्था है। 06 प्राथमिक विद्यालय तथा 15 जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षक विहीन हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सुन्दरी देवी, अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय रामपुर (बी) आराजी लाइन वाराणसी को प्राथमिक विद्यालय जक्खिनी में ही पदस्थापित करने का कथित प्रकरण

23-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी द्वारा आदेश बेसिक शिक्षा परिषद्/21090-297/98-99, दिनांक 14-10-98 के विपरीत श्रीमती सुन्दरी देवी, अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय रामपुर (बी) आराजी, लाइन वाराणसी जिनकी आयु 60 वर्ष है, का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त स्थानान्तरण निरस्त कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। निलम्बन बहाली के पश्चात् श्रीमती सुन्दरी देवी को प्राथमिक विद्यालय जक्खिनी में पदस्थापित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सर्व शिक्षा अभियान में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का क्रय करने का प्रकरण

24-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान सर्वशिक्षा अभियान सत्र के अन्तिम समय में रुपया 18.00 लाख की पुस्तक क्रय की गयी है ? क्या इस प्रक्रिया में शासन द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया को नजरअन्दाज करते हुये स्थानीय प्रकाशकों से

न क्रय कर दिल्ली के प्रकाशकों से ही समस्त पुस्तकें क्रय की गयी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या माननीय मंत्री इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी नहीं।

शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही पाठ्य पुस्तकें क्रय की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खागा ऐट हरदो व हथगांव पर आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग

25-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरदों व हदगोंम में आपातकालीन सेवायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आपातकालीन सेवायें चलाये जाने हेतु निर्देश देंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खागा ऐट हरदो व हथगांव में स्थापित व संचालित है जो 30 शैय्यायुक्त है जिसमें वाह्य रोगी तथा अन्त रोगी देखे जाते हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के प्राइमरी विद्यालय बरगदा सुमैरपुर में नियुक्त शिक्षा मित्र के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी विद्यालय बरगदहा ब्लाक सुमैरपुर जनपद उन्नाव में नियुक्त शिक्षा मित्र के विरुद्ध दिनांक 10-10-2007 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव ने पत्रांक सं0-2063-64/2007 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत विषय विशेषज्ञों का आमेलन किया जाना/रिक्त पदों पर चयन

27-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 2007 तक प्रदेश के अशासकीय वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के कुल कितने पद सृजित हैं तथा कुल कितने प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिये कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी हां।

उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत विषय विशेषज्ञों का आमेलन किया जा रहा है। विषय विशेषज्ञों के आमेलन के पश्चात् शेष रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की स्वास्थ्य की जांच

28-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 90 प्रतिशत विद्यार्थी कुपोषण के शिकार हैं ? इन विद्यार्थियों के आँखों की बीमारी, एलर्जी, श्वास रोग, हड्डी सम्बन्धी रिकेट्स, दांतों की बीमारियों की नियमित चिकित्सीय जांच कराने की कार्य योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों में जांच की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों से स्कूल भवन में निर्माण का कार्य किये जाने की जानकारी

29-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, जिससे शिक्षा प्रभावित हो रही है ? क्या यह सत्य है कि उपलब्ध अध्यापकों को स्कूल भवन निर्माण में भी लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवन निर्माण का कार्य, अन्य संस्थाओं से कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

प्रकरण नीतिगत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के महिला चिकित्सालय बल्दीराम में महिला चिकित्सक की नियुक्त की जानकारी

30-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर में कितने चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान समय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने चिकित्सक तैनात हैं ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में जिस चिकित्सक की तैनाती की जाती है वह अवकाश लेकर चला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष महिला चिकित्सकों की तैनाती तथा उनको नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित रहने एवं रात्रि निवास करने का निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

महिला चिकित्सालय बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर में कुल 01 महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है जो वर्तमान में रिक्त है।

जी नहीं।

महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31-08-2007 को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनोंपरान्त संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने हेतु महिला चिकित्सकों की तैनाती यथाशीघ्र की जायेगी।

जनपद अलीगढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

31-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक संख्या-मा0 खैर/4152/2007-08 दि0 26-7-07, जो प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय विद्यालय इण्टर कालेज, खैर (अलीगढ़) को सम्बोधित है और जिसमें पूर्व प्रधानाचार्य श्री महेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में है के क्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ ने अपने प्रश्नगत पत्र दिनांक 26-07-2007 की कार्यवाही को अपने पत्र दिनांक 27-09-2007 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया था।

32-श्री लालजी यादव-

[उसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

33-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[दिनांक 20-2-08 के अता0प्र0सं0-97 द्वारा उत्तरित]

सुल्तानपुर में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सहकारी समिति के सेल्स मैन श्री हंस लाल गुप्ता के वेतन का भुगतान न करने का कारण

34-श्री अनूप सण्डा-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हंसलाल गुप्ता सेल्स मैन केन्द्रीय इंजीनियरिंग सहकारी समिति सुल्तानपुर का गत तीन वर्षों से वेतन भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? इनका वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

श्री हंस लाल गुप्ता, सेल्समैन को वेतन देय न होने का कारण भुगतान नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखा संगठन में नियुक्त/कार्यरत लेखा कर्मियों की सेवा नियमावली की जानकारी

35-श्री अनूप सण्डा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 6180/15-5-196/86 दिनांक 7 अगस्त, 1986 द्वारा बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत लेखा संगठन में नियुक्त/कार्यरत लेखा कर्मियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित हो गयी है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

कार्यवाही गतिमान है।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव की साधन सहकारी समिति में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गोदाम के चार्ज का कथित प्रकरण

36-श्री लालजी यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति गजियापुर विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव जिला मऊ पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गोदाम का चार्ज दिया गया है? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी वर्ष 2004 में निलम्बित हुआ था? यदि हां, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वहां से हटाने का निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संस्कृत इण्टरमीडिएट कालेजों को मिलने वाली अनुदान राशि की मांग

37-श्री लालजी यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत इण्टरमीडिएट कालेजों को मिलने वाली अनुदान राशि वर्तमान सरकार द्वारा बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार पूर्व की भाँति उक्त लागू प्रक्रिया पुनः शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में मानक के अनुसार जूनियर हाई स्कूल स्थापित करने की जानकारी

38-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में मानक के अनुसार कितने जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता है ? क्या सरकार मानक के अनुसार अवशेष विद्यालय स्थापित करवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद मैनपुरी में मानक के अनुसार 75 जूनियर हाईस्कूल की आवश्यकता है।

जी हां।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ग्राम जलालपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी

39-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ग्राम जलालपुर, ब्लाक बेकर में वर्ष 2005 व 2006 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिये शासन द्वारा कितनी धनराशि निर्गत की गयी थी ? क्या सरकार द्वारा उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रु0 42.37 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

जी नहीं।

यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मार्च 2008 तक निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं व मुरादाबाद के स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

40-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूँ व जनपद मुरादाबाद के स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा डाक्टर गांव में ही रुकें इस हेतु व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनाती, उपलब्धता के आधार पर की जाती है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही उ0 प्र0, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराकर तथा विभागीय पदोन्नति के आधार पर की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

जहां तक चिकित्सकों के गांव में ही रुकने की व्यवस्था का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में निर्मित आवासों में चिकित्सक निवास कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना

41-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन विधान सभा क्षेत्रों में सरकारी डिग्री कालेज व पी0जी0 कालेज नहीं हैं क्या सरकार उन क्षेत्रों में गांव देहात के गरीब व पिछड़े विद्यार्थियों को शिक्षा देने की कोई योजना बना रही है ? क्या सरकार गरीब व पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की किसी योजना पर भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जिन जनपदों में राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं वहां राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना शासन की प्राथमिकता है तथा असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की शासन की नीति है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के महिला अस्पताल में चिकित्सक/स्टाफ की नियुक्ति की मांग

42-श्री राम किशुन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के न0पा0परि0 मुगलसराय के अन्तर्गत एक महिला अस्पताल का निर्माण राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में चिकित्सक/स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की जानकारी

43-श्री जोखू लाल यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र-प्रतापपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रतापपुर में बालिकाओं की शिक्षा हेतु

राजकीय बालिका इण्टर कालेज है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विकास खण्ड की बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

जी नहीं। उक्त विकास खण्ड में असेवित योजनान्तर्गत 10 लाख वाली योजना में एक विद्यालय लालती वर्मा बालिका उ0 मा0 विद्यालय प्रतापपुर तथा निजी प्रबन्धन के अन्तर्गत 02 विद्यालय वी0 एन0 वी0 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उग्रसेनपुर तथा बलराम बालिका उ0 मा0 विद्यालय दलपतपुर, प्रतापपुर संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग नवीन विषयों का समावेश योजनान्तर्गत संचालित होने की सूचना

44-श्री जोखू लाल यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फूलपुर, इलाहाबाद में विज्ञान विषय की शिक्षा नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान विषय पढ़ाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग का अनुभाग संचालित नहीं है ?

उपरोक्तानुसार।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग नवीन विषयों का समावेश (जि0 यो0) योजनान्तर्गत संचालित है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में फ्री बोरिंग योजना

45-श्री लालजी यादव-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर (विल्थरा रोड) में फ्री बोरिंग योजना के तहत वर्ष 2006-07 व 2007-08 में ग्राम सभावार लाभ दिया गया है ? क्या यह सही है कि फ्री बोरिंग के नाम पर मिलने वाली छूट को कागजों पर ही नाम दर्शाकर अधिकारियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी वर्षवार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखीराम नागर-

जी हां। क्षेत्र पंचायत स्तर पर ग्राम सभावार लक्ष्य निर्धारित करते हुये इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों को क्षेत्र पंचायत के लक्ष्यों की सीमा के सापेक्ष वर्ष 2006-2007 व वर्ष 2007-2008 में लाभ दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के बिसौली व सहसवान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैबीज टीकों की आपूर्ति की व्यवस्था

46-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूँ के बिसौली व सहसवान विधान सभा क्षेत्रों के अस्पतालों में जानवरों के काटने पर लगाये जाने वाले रैबीज टीकों की भारी कमी के कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार द्वारा इन टीकों की आपूर्ति हेतु कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। जनपद बदायूं के बिसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पी0 एच0 सी0, इस्लामनगर को 25 वायल, पी0 एच0 सी0, आसफपुर को 30 वायल तथा सी0एच0सी0, बिसौली को 13 वायल एवं विधान सभा सहसवान क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 वायल तथा दहगवां को 34 वायल की आपूर्ति की गयी है।

जी हां। आवश्यकता के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूं द्वारा टीकों की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति व तैनाती की मांग

47-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला डाक्टरों की कमी के कारण ग्रामीण महिलाओं को असुविधा हो रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि महिला डाक्टरों के खाली पदों को भरने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सकों का कोई पद सृजित नहीं है।

महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31-08-2007 को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनोपरान्त संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने हेतु महिला चिकित्सकों की तैनाती यथाशीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने की नीति की जानकारी

48-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति एवं असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्धतंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने की शासन की नीति के कारण।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की अनुदान सूची पर अंतिम निर्णय की मांग

49-श्री राम विशुन आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्रा-

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी

50-श्री डी0 पी0 यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूँ की सहसवान क्षेत्रान्तर्गत कितने जूनियर हाई स्कूलों व प्राइमरी स्कूलों में एक ही अध्यापक कार्यरत हैं ? इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मसिंह सैनी-

सहसवान क्षेत्रान्तर्गत 235 प्राथमिक एवं 24 जूनियर हाईस्कूलों में एक-एक शिक्षक कार्यरत है।

अर्ह शिक्षकों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फार्मासिस्ट (एलोपैथ) के अस्थगित पदों के स्थान पर चीफ फार्मेसिस्ट के पदों का सृजन

51-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-1458/5-8-सात-92/88, दि0 6-1-1997, संख्या-1925/5-7-2404/85, दि0 5-5-1996, एवं 3996-5- 8-9-सात 94/86, दिनांक 14-10-1991 के द्वारा फार्मासिस्ट (एलोपैथ) के कुल 1297 पदों को अस्थगित कर दिया गया था, जिससे चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की कमी से जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उक्त फार्मासिस्टों के पदों को पुनर्जीवित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

शासनादेश दिनांक 06-01-97, 05-05-96 एवं 14-10-91 द्वारा फार्मेसिस्ट (एलोपैथ) के कुल 1297 पदों को अस्थगित किया गया है। किन्तु स्थगित किये गये पदों के स्थान पर चीफ फार्मेसिस्ट के पद सृजित किये गये थे जिन्हें चिकित्सालयों में महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है, जिसके कारण आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

जी नहीं।

फार्मेसिस्ट एवं चीफ फार्मेसिस्ट का कार्य औषधियों का वितरण एवं उनके रखरखाव से सम्बन्धित है, अतः फार्मेसिस्ट के पदों को उच्चीकृत किये जाने से आम जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर गांव घाटूपुर में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की जानकारी

52-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय विहीन गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत गांव घाटूपुर, विकास खण्ड क्षेत्र धनुपुर में कब तक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मसिंह सैनी-

जी हां।

सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत सत्र 2002-03 में न्याय पंचायत भूपतिपुर ग्राम सभा भैरा डांड के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय घाटूपुर खोला गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा भनईपुर के ग्राम प्रधानों आदि के शिकायती-पत्र का संज्ञान लेते हुये शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण का अनुमोदन

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा एवं बाबा बेलखर नाथ धाम की ग्राम सभा भनईपुर होशियारपुर,

परसण्डा, सैतापुर में शिक्षा मित्रों के चयन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ को उपरोक्त ग्राम प्रधानों एवं ग्रामवासियों के शिकायती-पत्र उप जिलाधिकारी, पट्टी के विरुद्ध माह जुलाई/ अगस्त, 2007 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्मसिंह सैनी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को ग्राम सभा भनईपुर के ग्राम प्रधान का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है।

ग्राम प्रधान की शिकायत का संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या-2215/79-5-2006-282/98, दिनांक 23 अगस्त, 2006 के परिप्रेक्ष्य में ग्राम प्रधान द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा मानकर शिक्षामित्र के नवीनीकरण का अनुमोदन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री उदय नारायण कटियार द्वारा मानक के विपरीत तथा अपूर्ण भवनों का निर्माण के सम्बन्ध में धनराशि की रिकवरी एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

54-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री उदय नारायण कटियार जो वर्ष 06-07 व 07-08 में नगर बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव का कार्य देख रहे थे, द्वारा निर्मित कराये गये विद्यालय-भवनों की गुणवत्ता की जांच प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर करायी गयी ? क्या यह भी सही है कि वह जांच आख्या जनपद उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र संख्या 7933, दिनांक 8-10-07 के अन्तर्गत शासन को भेजी गयी ? यदि हां, तो उक्त जांच पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव द्वारा जांच आख्या अपने पत्रांक 7933 दिनांक 8-10-2007 द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय उ0 प्र0, लखनऊ को भेजी गयी है।

जांच में श्री उदय नारायण कटियार द्वारा निर्मित कराये गये भवन मानक के विपरीत पाये गये तथा निर्माण कार्य भी अपूर्ण है। मानक के विपरीत तथा अपूर्ण भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में धनराशि की रिकवरी कराने एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में सहायक शिक्षकों के मृतक आश्रित के रूप में की गयी नियुक्तियां एवं उनको प्रशिक्षण दिलाने की जानकारी

55-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्ष 2003 से जनवरी 2008 तक 60 सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां मृतक आश्रित के रूप में की गयी और इनको प्रशिक्षण न दिलाकर अप्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में शिक्षण कार्य लिया जा रहा है ? क्या यह भी नियम है कि पांच वर्ष प्रशिक्षण न देने पर शिक्षक स्वतः प्रशिक्षित मान लिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित मानेगी अथवा प्रशिक्षण दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के श्री राजेश कुमार सिंह (बी0एस0ए0) द्वारा की गई स्थानान्तरण/समायोजन एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

56-श्री सुखलाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, जनपद पीलीभीत का पत्रांक 20 दिनांक 18-10-2007 जो श्री राजेश कुमार सिंह (बी0एस0ए0) पीलीभीत के द्वारा की गई स्थानान्तरण/समायोजन एवं अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित था पर मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव शिक्षा को जांच सौंपी गयी थी ? क्या यह जांच पूर्ण हो गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जांचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिकायतों की जांच हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) बरेली मण्डल बरेली को निर्देशित किया गया है।

प्रदेश के बन्द पड़े सहकारी शीतगृहों को बेचने का निर्णय

57-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के कस्बा बेबर में सहकारी समिति कोआपरेटिव का शीतगृह वर्तमान में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीतगृह की मशीनें ठीक कराकर चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी नहीं।

बन्द पड़े सहकारी शीतगृहों को बेचे जाने का निर्णय लिया गया है।

विधान भवन परिसर में सुसज्जित इमरजेंसी अस्पताल के निर्माण की मांग

58-श्री मदन भैया व श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन परिसर में आतंकी घटना की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए परिसर में 50 बेड का सुसज्जित इमरजेंसी अस्पताल का स्थायी रूप से निर्माण करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

सचिवालय परिसर में डिस्पेन्सरी तथा विधान भवन से थोड़ी दूरी पर डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय स्थापित है।

जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों नर्सों एवं कम्पाउण्डरों/फार्मासिस्टों के स्वीकृत, कार्यरत रिक्त पदों का विवरण एवं नियुक्ति

59-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों, नर्सों, कम्पाउण्डरों एवं फार्मासिस्टों के कितने पद सृजित हैं तथा उन पर कितने कर्मी कार्यरत हैं ? सरकार द्वारा रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों नर्सों एवं कम्पाउण्डरों/फार्मासिस्टों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नांकित है :-

क्रमसं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	चिकित्सक	39	30	09
2	फार्मासिस्ट	15	15	00
3	नर्स	42	34	08

प्रदेश में चिकित्सकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनाती उपलब्धता के आधार पर की जाती है। पदों को भरने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराकर तथा विभागीय पदोन्नति के आधार पर की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदेश में उपचारिकाओं (नर्स) के रिक्त पदों पर नये चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त कार्य लेने की जानकारी

60-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त शासन द्वारा अन्य शासकीय कार्य जैसे-जनगणना, मतगणना, चुनाव ड्यूटी, बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन संकलन आदि का कार्य कराया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य न लेकर अध्यापकों से केवल अध्यापन कार्य लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी नहीं।

बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन तथा संकलन आदि कार्य विभाग के सामान्य कार्यक्रमों में से हैं। जनगणना, मतगणना तथा चुनाव ड्यूटी आदि कार्य सार्वजनिक हित में सम्पादित किये जाते हैं तथा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी आवश्यकतानुसार उक्त कार्य में लगाया जाता है।

उक्तवत।

61-श्री डी0 पी0 यादव-

[दिनांक 20-2-2008 के अता0 प्र0 सं0-98 द्वारा उत्तरित]

62-श्री लालजी यादव-

[3सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा के उजगरा डेरा जसपुरा प्राथमिक विद्यालय के नियमित संचालन हेतु कार्यवाही की मांग

63-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-01-08 जो जनपद बांदा में प्रा0 पाठशाला उजगरा डेरा ब्लाक जसपुरा के जुलाई से बन्द होने से उत्पन्न

स्थिति विषयक है, जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

विद्यालय के नियमित संचालन हेतु कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में राजघाट से रामनगर तक के सेन्चुरी क्षेत्र में मछली मारने के प्रतिबन्ध को समाप्त करने की मांग

64-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में राजघाट से रामनगर तक के सेन्चुरी क्षेत्र में मछली मारने पर कोई प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार जीविकोपार्जन व परिवार का भरण-पोषण करने वाले मछुवारे परिवार के लोगों के हित में उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना निषाद)-

जी हां।

भारत सरकार के "वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972" (अधिनियम सं0-53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग-3 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-4170/14-3-62/89, दिनांक 21-12-89 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत वाराणसी में गंगा नदी में राजघाट से रामनगर तक लगभग 7 कि0मी0 जल क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव बिहार (वाराणसी) घोषित किया गया है जिसके तहत उक्त कछुआ वन्य जीव बिहार में सभी वन्य जीवों का आखेट प्रतिबन्धित है। मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

वन्य जीवों के संरक्षण हेतु यह प्रतिबन्ध वन विभाग द्वारा लागू किया गया है।

उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करने सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वन विभाग/भारत सरकार में निहित है।

प्रदेश में नेशनल हाइवे पर ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुअलिटी प्रबन्धन की योजना

65-श्री मदन चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नेशनल हाइवे पर ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत गाजियाबाद जनपद के गढ़ मुक्तेश्वर में ट्रामा सेन्टर बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना प्रारम्भ की गयी है।

जी नहीं।

उक्त योजना में जनपद गाजियाबाद को सम्मिलित कर लिया गया है। इसके दृष्टिगत सम्प्रति गढ़ मुक्तेश्वर में ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कानपुर नगर में लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषिकों को फ्री बोरिंग की सुविधा की जानकारी

66-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर महानगर में लघु कृषकों को फ्री-बोरिंग की सुविधा दिये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष का क्या लक्ष्य है और अब तक कितने कृषकों को फ्री-बोरिंग का लाभ प्रदान किया गया और कितने शेष हैं ?

श्री लखीराम नागर-

जनपद कानपुर नगर में लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को फ्री बोरिंग की सुविधा दिये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में 6503 का लक्ष्य है। माह जनवरी, 2008 तक कुल 5748 कृषकों को फ्री-बोरिंग का लाभ प्रदान किया गया है। 755 कृषक शेष हैं।

प्रदेश के प्राइवेट विद्यालयों की फीस एवं एडमीशन फीस का निर्धारण करने की मांग

67-श्री लल्लू सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0 प्र0 में चल रहे प्राइवेट विद्यालयों की फीस एवं एडमीशन फीस का निर्धारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्रा-

जी नहीं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत वर्ष 1986 के बाद से असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का व्ययभार प्रबन्धतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से वहन करने की व्यवस्था है।

जनपद जौनपुर खुटहन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नामीपुर व जमुनिया (विशुनपुर) में डाक्टर/कर्मचारियों की तैनाती की जानकारी

68-श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में स्थित खुटहन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नामीपुर व जमुनिया (विशुनपुर) में कब तक डाक्टर व अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुटहन, जनपद-जौनपुर के भवन का निर्माण कार्य मई, 2008 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नार्मापुर व जमुनिया (विशुनपुर) में डाक्टर एवं अन्य कर्मी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में रानी आवन्ती बाई पब्लिक हाई स्कूल को कक्षा-12 की मान्यता दिये जाने की मांग

69-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में संचालित रानी आवन्ती बाई पब्लिक हाई स्कूल जिसको कक्षा 10 तक मान्यता प्राप्त है की कक्षा 12 तक सामान्य वर्ग की मान्यता हेतु पत्रावली शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त स्कूल को कब तक मान्यता प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद इलाहाबाद में प्रतापपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती की मांग

70-श्री भोलू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचल की महिलाओं की चिकित्सा हेतु प्रदेश के सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापपुर में कोई महिला चिकित्सक तैनात है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विद्यमान शासनादेशों के अनुसार विशेषज्ञ उपसंवर्ग (महिला) की तैनाती की जाती है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्साधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्साधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

जनपद इलाहाबाद की चालू एवं बन्द पड़ी सहकारी समितियों की जानकारी

71-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कितनी सहकारी समितियां हैं ? इसमें से कितनी सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं ? क्या सरकार की बन्द समितियों को चालू कराने की कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड-हंडिया के अन्तर्गत गांव डुबकी, खुर्द सहकारी समिति बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो इसे कब से चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद इलाहाबाद में कुल 207 सहकारी समितियां (पैक्स) हैं।

172 सहकारी समितियां (पैक्स) सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं तथा 35 बन्द हैं।

जी हां।

विकास खण्ड हंडिया की डुबकी खुर्द साधन सहकारी समिति बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अनुपस्थित रहने वाले डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

72-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में कितने डाक्टरों की तैनाती की गयी है तथा वर्तमान में कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों के अनुपस्थित रहने के कारण मरीजों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार कार्य पर उपस्थित न रहने वाले डाक्टरों के विरुद्ध जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद महामायानगर के तहसील सिकन्दराराऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दराराऊ में चिकित्सकों के स्वीकृत 08 पदों के सापेक्ष 03 चिकित्सक तैनात हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दराराऊ में तैनात चिकित्सकों द्वारा केन्द्र पर उपस्थित रहकर मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है।

अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में खसरे के रोग की रोकथाम के प्रयास की जानकारी

73-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में खसरे का प्रकोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अब तक खसरे के लखनऊ में कितने रोगी पाये गये ? सरकार द्वारा खसरा रोग की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं परन्तु जनपद लखनऊ में 01 जनवरी, 2008 से 21 फरवरी, 2008 तक खसरे के कुल 10 रोगी पाये गये हैं।

खसरा रोग की रोकथाम के लिए यूनीवर्सल इम्यूनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत खसरा प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सक दल द्वारा बच्चों को खसरे के टीके लगाये गये, खांसी, जुकाम व बुखार की दवायें वितरित की गयीं व विटामिन ए का घोल पिलाया गया। चिकित्सक दल द्वारा लगातार प्रभावित क्षेत्र में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ग्राम सभा लौवासाथ प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिये जाने की जानकारी

74-श्री लालजी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाय के अन्तर्गत ग्राम सभा लउवा के प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को मिलने वाला खाद्यान्न विगत दो वर्षों से नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद मऊ के विकास खण्ड मण्डाय के अन्तर्गत लउवा नाम का कोई ग्राम सभा नहीं है अपितु ग्राम सभा लौवासाथ है जिसमें स्थित प्राइमरी स्कूल में विगत 02 वर्षों एवं योजना के प्रारम्भ से बच्चों को अनवरत मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों एवं विषयों को संचालित करने का निर्णय लेने सम्बन्धी जानकारी

75-श्री मदन भैया-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ (इस्कान) द्वारा प्रकाशित "गीता" को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में लागू करने पर विचार करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय है। पाठ्यक्रमों एवं विषयों को संचालित करने का निर्णय विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् द्वारा लिया जाता है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज में ग्राम सरौती के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं शिक्षण कार्य की जानकारी

76-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज में ग्राम सरौती के प्रा0 विद्यालय में वर्ष 2007-2008 हेतु पूर्व से कार्यरत शिक्षा मित्रों का पुनर्नियोजन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कार्यरत शिक्षामित्रों की जगह अन्य शिक्षामित्रों का चयन कब हुआ ? विद्यालय में शिक्षण कार्य किस प्रकार सम्पन्न किया जा रहा है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

सत्र 2006-07 में प्राथमिक विद्यालय सरौती, नवाबगंज में शिक्षामित्रों के पदों पर सुश्री सरिता देवी एवं माधुरी सिंह कार्यरत थीं। सुश्री सरिता देवी वर्तमान में कार्यरत हैं तथा द्वितीय शिक्षामित्र सुश्री माधुरी सिंह को विद्यालय से लगातार अनुपस्थित होने के कारण निष्कासित किया जा चुका है। नवीन चयन की कार्यवाही गतिमान है।

विद्यालय में 02 शिक्षक एवं 01 शिक्षामित्र द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के चौसाना जलालाबाद में सामुदायिक केन्द्र खोले जाने की मांग

77-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले चौसाना जलालाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के न होने के कारण स्थानीय जनता को इलाज कराने दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ऊन में ग्राम चौसाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन के कस्बा झिझाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के भवन नगर पंचायत में कन्या इण्टर कालेज खोलने की जानकारी

78-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले थाना भवन नगर पंचायत क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज नहीं है जिससे छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थाना भवन नगर पंचायत क्षेत्र में एल0आर0 कन्या इण्टर कालेज, थाना भवन स्थित है। छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूर नहीं जाना पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाना एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी करने का विवरण

79-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-92 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सकों को शासन के पत्र संख्या एम0 एस0/346-से0-14/पांच पी-69/93, दिनांक 13 मई, 1994 के आदेशों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु रजिस्ट्रार, पी0जी0आई0 ने अपने पत्र संख्या पी0जी0आई0/ई0आर0/ऐकेडमिक/25860/2006, दिनांक 29-11-06 के द्वारा प्रमुख सचिव/निदेशक को पत्र भेजा है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निदेशक द्वारा जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

शासन के आदेश संख्या-4666/चिकि0-4-1124/90, दिनांक 10 जुलाई, 1992 के अनुक्रम में प्रशिक्षण दिया गया। शासन का पत्र संख्या-एम0एस0/346-सेक-14/पांच-पी-69/93, दिनांक 13 मई, 1994 उक्त शासनादेश के पूरक के रूप में प्रेषित किया गया।

डा0 ए0 के0 श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 01-08-92 से 31-07-93 की अवधि में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्डियोलॉजी विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में रोटेशन में प्रशिक्षण पूर्ण किया गया।

रजिस्ट्रार पी0 जी0 आई0 द्वारा अपने पत्र संख्या-पी0 जी0 आई0/ ई0आर0/ ऐकेडमिक/25860/2006, दिनांक 29-11-06 के माध्यम से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न कर

डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव को उनके निवास एवं कार्यालय के पते पर प्रेषित किया गया है तथा प्रतिलिपि विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 14 फरवरी, 2008 की कार्य-सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-1 का भ्रामक उत्तर प्राप्त होने पर मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या-168 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, निदेश संख्या 165(1) है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई है, जहां उत्तर स्पष्ट न हो, तथ्यों से परे हो तो वहां सदस्यों को यह अधिकार दिया गया है 165(1) के अन्तर्गत हम सूचना दे सकते हैं। मान्यवर, मैंने दो बार सूचना दी है, कल भी सूचना मेरी लगी थी और मान्यवर चूंकि कल सदन व्यवस्थित नहीं था इसलिए उस समय मैं यह प्रश्न नहीं उठा सका, मैं इस प्रश्न को रखने की अनुमति चाहता हूं, यदि आप प्रश्न रखने की अनुमति देना चाहें तो।

श्री अध्यक्ष-

यह तो निदेश-168 में है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर नियम जो भी हो। कल मैंने दिया था। आपके सामने आ गया होगा।

श्री अध्यक्ष-

हां, वह आ गया है हमारे पास।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इससे पहले भी मैंने प्रश्नों के बारे में दिया था तो मैं यह अपेक्षा कर रहा था मान्यवर, कि उसके बारे में सम्बन्धित माननीय मंत्री से जानकारी की जायेगी, उनको बताया जायेगा, क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था, इसमें समाज के कई महत्वपूर्ण वर्ग हैं उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मान्यवर, उसमें केवल इतना दे दिया, क्योंकि नोटीफिकेशन में उन वर्गों का नाम नहीं है, इसलिये उन वर्गों को सुविधा से वंचित कर दिया गया है। मैंने पूछा तो यही था कि उनको वंचित करने का आधार क्या है ? आधार मान्यवर, नोटीफिकेशन नहीं होता है। आधार कुछ कारण होते हैं। कुछ समीक्षा आपने कराई होगी ? कोई आयोग आपने बैठाया होगा ? कोई कमेटी बैठाई होगी और बैठाने के बाद में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि नहीं यह वर्ग इससे वंचित करने के लायक है। आपने केवल यह कह दिया कि शासन के आदेश संख्या फलां-फलां में इन वर्गों का नाम नहीं रहा, पहले था अब नहीं रहा, इसलिये इनको वंचित कर दिया गया। तो मान्यवर, यह निश्चित रूप से जनहित का भी प्रश्न है। इसका उत्तर हमें मिल जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको माननीय मंत्री जी के यहां भेज दिया जायेगा, अभी 25 को ही तो भेजा है इसे। इसका उत्तर आपको मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है मान्यवर, जब आप भेजे हैं तो मैं आशा/उम्मीद करता हूं कि इसी सत्र में मुझे इसका उत्तर मिल जायेगा और हमें कहने का मौका मिल जायेगा। बहुत ज्यादा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, स्वयं भी अगर आप इस पर एक नजर डाल लें, मेरे प्रश्न पर और उसके उत्तर पर, आप स्वयं संतुष्ट हो जायेंगे कि जानबूझ करके उसके उत्तर को टाला जा रहा है। कारण कुछ भी हो। मैं किसी पार्टी को, या इस इस सरकार को इसके लिये दोष नहीं देता परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया मान्यवर, समाज के 18 महत्वपूर्ण वर्गों को आपने सुविधा से वंचित कर दिया केवल शासनादेश के आधार पर, तो शासनादेश हुआ क्यों वह, किस कारण से हुआ ? यही मेरी जिज्ञासा थी मान्यवर और इसी का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने 25-02-08 को माननीय मंत्री जी को भेजा है और मैं फिर इसको दिखवा लूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है मान्यवर।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में मेरा एक तारांकित प्रश्न-11 लगा हुआ था। क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसाधारण के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने के विषय में शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मान्यवर, आज सुबह मुझे लिखित सूचना प्राप्त हुई कि यह प्रश्न छठें सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। मान्यवर, मैं इस सूचना को लेकर प्रश्न अनुभाग गया था। मैंने सम्बन्धित पत्रावली को देखा जिसके तहत यह स्थानान्तरित हुआ है। मान्यवर, यह पता चला कि इसमें स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने प्रश्न निश्चित होने के बाद प्रश्न अनुभाग में यह पत्र भेजकर यह कह दिया कि इस प्रश्न का जवाब नगर विकास विभाग देगा। इसलिये इसे नगर विकास विभाग में भेज दिया जाये। मान्यवर, आप अवगत हैं कि प्रदेश में जन साधारण के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में कहा था कि वह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेंगे। उनका समाचार-पत्रों में बयान भी इस बारे में आया था। मान्यवर, जन साधारण के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना जो ग्रामीण नागरिक हैं उनके लिये भी होगी और जो जन सामान्य शहरों में रहते हैं तो वह शहरी नागरिकों के लिये भी होगी। मान्यवर, इस जनहित से जुड़े सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी सदन में नहीं देना चाहते हैं। इसका जवाब माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी देंगे ऐसा कहा जा रहा है। मान्यवर, आखिर जन साधारण बीमा का ग्रामीण विकास मंत्री जी से क्या सम्बन्ध है। छटें सोमवार के लिये यह ट्रांसफर किया गया है। मान्यवर, आप सदन की कार्य-प्रणाली को जान रहे हैं 14 मार्च के बाद यह विधान सभा नहीं चलने वाली है। इस तरह से छठवां सोमवार इस सत्र में नहीं आने वाला है। मान्यवर, इस तरह से गलत पत्र भेज करके हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, हमं यह जानना चाहते हैं कि किन नियमों के अन्तर्गत सवाल स्थानान्तरित कर दिया गया है। क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने से अब पीछे हट रही है। यह मेरा शुद्ध व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपकी बात आ गयी। शासन का इसमें अनुरोध आया कि इस विभाग से यह सम्बन्धित है। तो शासन के अनुरोध पर मैंने उसे सम्बन्धित विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। शासन ने यह उचित समझा कि यह फलां विभाग से सम्बन्धित है। अब इसमें सरकार का अनुरोध आया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आप इस पर पुनर्विचार कर लें यह प्रश्न इसी सत्र में आ जाये।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 26 फरवरी, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री राम बिशुन आजाद की गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री चन्द्र भद्र सिंह की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मायंग, ब्लाक धनपतगंज, जनपद सुल्तानपुर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री इरफान सोलंकी की जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत ईदगाह कालोनी पार्क तथा ब्रम्हनगर गीता पार्क पर निर्मित पानी की टंकियों में सुचारु रूप से पानी की आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ग्राम कटघरा चिरानेपट्टी के निवासी श्री राम चन्दर एवं बसंत को आवंटित पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में श्रीमती कमलेश्वरी की समुचित चिकित्सा न होने से हुई मृत्यु की जांच कराने एवं उदासीन चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा अवैध रूप से वसूले जा रहे गुण्डा टैक्स को बन्द करने एवं राजस्व क्षति को बचाने के सम्बन्ध में (वे अनुपस्थित हैं)।

सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध पेयजल के नमूनों का परीक्षण कराकर पाइप लाइन योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की जनपद बुलन्दशहर के औरंगाबाद-जहाँगीराबाद मार्ग से ग्राम गुरावली तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

नौवीं सूचना श्री काशी राम की रामपुर जनपद के रोहिल खण्ड केमिकल फैक्ट्री (हड्डी कारखाना) के प्रदूषण से फैल रही महामारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की बाराबंकी से गोण्डा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण कर हाटमिक्स प्लाण्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया की फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत गौरी ग्राम सभा में गारण्टी रोजगार के अन्तर्गत मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री सुखलाल की पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर में पिलखनी-डिस्टलरी द्वारा क्षेत्र के लगभग 30 गांवों में पेयजल को प्रदूषित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (वे अनुपस्थित हैं)

चौदहवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की राज्य सम्पत्ति विभाग में बीस वर्षों से तैनात चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने के सम्बन्ध में में। (वे अनुपस्थित हैं)

पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के जिला चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सा केन्द्रों में आपूर्ति हेतु खरीदी जा रही दवाइयों व अन्य सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गयी।

1-डा0 हरगोविन्द भार्गव

2-श्री अवस्थी बाला प्रसाद

3-श्री निर्मल वर्मा

4-श्री प्रदीप जैन आदित्य

5-श्री संजय कपूर

6-श्री अब्दुल वारिस खां तथा

7-श्री अनिल कुमार सिंह यादव।

उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[आपको सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मनकापुर में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मात्र कागजों में खाना पूर्ति कर दी जाती है जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों एवं अन्य ग्रामों में आवास के आवंटन में क्षेत्रीय सन्तुलन को ध्यान में न रखकर मनमाने तरीके से आवंटन किया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जो स्वयं सहायता समूह का गठन एवं अनुदान दिया गया है अधिकांशतः अनियमित एवं कागजों तक ही सीमित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में इनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है। राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि के नाम से इनके द्वारा दो बैंकों में खाता खोला गया एवं शासनादेश का उल्लंघन कर संयुक्त खातों का संचालन न करके खण्ड विकास अधिकारी मनकापुर द्वारा एकल हस्ताक्षर से खातों का संचालन किया गया। क्षेत्र पंचायत की बैठक 9 अगस्त, 2007 को सम्पन्न कर कार्य योजना तैयार कर ली गयी थी लेकिन जिला मुख्यालय पर कार्य योजना अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया। इनके द्वारा ग्राम पंचायतों की परियोजनाओं पर बिना क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन के डी0आर0डी0ए0 कार्यालय गोण्डा भेजा गया एवं धनराशि भी आवंटित कर दिया गया जो नियम के विरुद्ध है। विकास खण्ड कार्यालय में अनुदान पंजिका प्रथम, द्वितीय, तृतीय में धनराशि का आवंटन एवं व्यय में शासन द्वारा चलायी जा रही अन्य योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। समय से कार्यालय पर न बैठने के कारण योजनायें प्रभावित हो रही हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मायंग, ब्लाक धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र भद्र सिंह-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही गम्भीर विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। मायंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्लाक धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है और न तो कोई डाक्टर व अन्य स्टाफ ही वहां पर तैनात किया गया है। यह स्वास्थ्य केन्द्र बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र में है और जनहित में इसके अधूरे कार्य को धन देकर तत्काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है। स्थानीय लोगों में उक्त केन्द्र का अधूरा कार्य पूर्ण न कराये जाने के कारण काफी रोष व्याप्त है। यह एक बहुत ही गम्भीर एवं लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। तत्काल वहां पर चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को तैनात किया जाय अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जाय।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने एवं चिकित्साधिकारी आदि को तैनात किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत ईदगाह कालोनी पार्क तथा ब्रम्हनगर गीता पार्क में निर्मित पानी की टंकियों में सुचारु रूप से पानी की आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इरफान सोलंकी-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे जनपद कानपुर नगर अन्तर्गत ईदगाह कालोनी पार्क तथा ब्रम्हनगर गीता पार्क दोनों स्थानों पर पानी की टंकी पूर्व में ही विधायक निधि से बनायी गयी जो तैयार है परन्तु उक्त टंकियों में पानी की सप्लाई न करने से स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है और पीने के लिए पानी की जटिल समस्या उत्पन्न हो गयी है। मेरे द्वारा बार-बार लिखित व मौखिक अनुरोध करने के बावजूद भी कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आम लोगों में बहुत ही रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है तत्काल इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और दोनों टंकियों को सुचारु रूप से पानी सप्लाई किये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ग्राम कटघरा चिराने पट्टी के निवासी श्री राम चन्दर एवं बंसत को आवंटित पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप सण्डा-

महोदय,

[सुल्तानपुर जनपद की कादीपुर तहसील के ग्राम कटघरा चिराने पट्टी के निवासी रामचन्दर व बसन्त के पूर्वजों के नाम वर्ष 25-11-1975 में 2 बीघा 4 बिस्वा जमीन का पट्टा हुआ था जिसका गाटा सं0 789 है। रामचन्दर लकवाग्रस्त एवं अस्वस्थ व्यक्ति है बराबर प्रयास के बावजूद 32 वर्ष के बाद भी इन्हें इनकी जमीन पर आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है। अवैध कब्जे को हटाकर इन्हें कब्जा दिलाने के बजाय पुलिस ने इनके खिलाफ 107/116 की कार्यवाही भी कर दी।

यह न्यायोचित होगा कि रामचन्दर एवं उनके भतीजे बसन्त को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाया जाये वरना सरकार की पट्टा धारकों को कब्जा दिलाने के अभियान पर ही प्रश्न चिन्ह लग जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण पर नियम-301 के अन्तर्गत सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

कानपुर के लाल लाजपत राय चिकित्सालय में श्रीमती कमलेश्वरी की समुचित चिकित्सा न होने से हुई मृत्यु की जांच कराने एवं उदासीन चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव दरियाबादी-

[मैं इस सदन के माध्यम से कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। श्रीमती कमलेश्वरी निवासिनी-लाटूश रोड, कानपुर दिनांक 21-02-08 को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत पर कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय,जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज से सम्बद्ध है, में उपचार हेतु वार्ड सं0-17, बेड नं0-15 में भर्ती थीं। वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा समुचित चिकित्सा न किये जाने के कारण उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और दिनांक 21-02-08 से वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा उनका कोई इलाज न होने के कारण दिनांक 25-02-08 को सुबह 04.00 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। इस सम्बन्ध में दिनांक 24-2-08 को मुझे जानकारी हुयी तो मैं उक्त चिकित्सालय के वार्ड नं0-17, बेड नं0-15 पर हालचाल लेने के लिए गया तो मुझे यह अवगत कराया गया कि अभी तक किसी भी वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण नहीं किया गया है, केवल प्रशिक्षु चिकित्सकों द्वारा ही उनका इलाज हो रहा है, जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और गम्भीर मरीजों का इलाज उनकी जांच तक ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीमित है। इन परिस्थितियों के कारण प्रतिदिन चिकि0 में दो-तीन मरीज मरते रहते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य-श्री एस0 के0 कटियार को फोन पर उक्त मरीज की स्थिति से अवगत कराते हुये तत्काल वरिष्ट चिकित्सकों द्वारा इलाज कराने की बात कही, किन्तु वहां पर किसी भी वरिष्ट चिकित्सक द्वारा उक्त मरीज का इलाज नहीं किया गया, जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी उदासीनता का परिचायक है, वह दिनांक 21-02-08 से 25-02-08 तक इलाज के अभाव में पड़ी रहीं। उनका समुचित इलाज न होने के कारण दिनांक 25-2-08 को प्रातः 04-00 बजे उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय जांच समिति बनायी जाये और उदासीन वरिष्ट चिकित्सकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध पेयजल के नमूनों का परीक्षण कराकर पाइप लाइन योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ब्लाक मंगरौरा, पट्टी, आसपुर देवसरा के प्रत्येक ग्राम में एकल ग्राम पेयजल योजना तथा ग्राम समूह पेयजल योजना जन स्वास्थ्य एवं खारे तथा दूषित पेयजल की दृष्टि से पाइप लाइन योजना के बनाये जाने एवं उसे स्वीकृत किये जाने की जनहित में आवश्यकता है। प्रत्येक ग्राम के उपलब्ध पेयजल के नमूनों के परीक्षण की समयबद्ध निर्देश की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के औरंगाबाद-जहांगीराबाद मार्ग से ग्राम मुरावली तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर सिंह-

[महोदय, ग्राम गुरावली लगभग 4 हजार आबादी का गांव है। जहांगीराबाद-औरंगाबाद मार्ग से गुरावली गांव की दूरी लगभग 3 कि0मी0 है। उक्त मार्ग जब से बना है तब से आज तक कभी मरम्मत नहीं हुआ है तथा मार्ग में गहरे-गहरे गड्ढे हो गये हैं। अनेकों स्थान पर सड़क नाम की कोई चीज बची नहीं है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रामपुर जनपद के रोहिल खण्ड केमिकल फैक्ट्री (हड्डी कारखाना) के प्रदूषण से फैल रही महामारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री काशीराम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से रामपुर जनपद के रोहिल खण्ड केमिकल फैक्ट्री (हड्डी कारखाने) के प्रदूषण से फैल रही महामारी से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद में रोहिल खण्ड केमिकल फैक्ट्री द्वारा हड्डी से पाउडर व हड्डी से खाद (उर्वरक) बनाया जाता है। इस फैक्ट्री के जहरीली एवं बदबू दार गैस से इस क्षेत्र के अजीतपुर, ज्वालानगर, पनवड़िया, रोशनबाग के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। आये दिन इस कारखाने के जहरीली गैस से सड़क पर लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं व उल्टी होने से बेहोश हो जाते हैं। हड्डी के ढेरों से यहां पर भयंकर बीमारियां इस क्षेत्र में फैल रही हैं। तेज हवाओं के चलने पर यहां के निवासियों का बदबू के कारण भोजन करना भी मुश्किल हो जाता है। आक्रोशित जनता इस कारखाने को शहर से पांच कि0मी0 दूर स्थापित करने की मांग कर रही है। जनहित मे कोई अप्रिय घटना न घटित हो इसलिये इस कारखाने को शहर से 5 कि0 मी0 दूर स्थापित किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये रामपुर के रोहिल खण्ड केमिकल फैक्ट्री को शहर से 5 कि0 मी0 दूर लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बाराबंकी से गोण्डा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण कर हाटमिक्स प्लान्ट से निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाराबंकी से गोण्डा तक सड़क अत्यन्त खराब है, सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हैं तथा समतल सड़क एवं चौड़ी न होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है तथा जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग से करीब सैकड़ों विधान सभा के लोग एवं सैकड़ों विधायकों का भी आवागमन होता है। कभी-कभी रास्ता जाम की स्थिति ऐसी रहती है कि विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने आते समय रास्ता जाम होने के कारण विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने में देरी हो जाती है। लखनऊ से बाराबंकी, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर जाने के लिये निकटतम दूरी के लिये अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी नहीं है, जिससे आवागमन हो सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुये चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत गौरी ग्राम सभा में गारण्टी रोजगार के अन्तर्गत मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र खागा के क्षेत्र पंचायत हथगांव की गौरी ग्राम सभा में गारण्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत 40 रुपये एवं 50 रुपये देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देने पर परियोजना निदेशक महोदय को जांच दी गयी जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी, फतेहपुर को मिल गई। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही प्रधान या बी0डी0ओ0 के खिलाफ नहीं की गई है और न आज तक मजदूरों को 100 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है।

इसी तरह अम्बेडकर ग्राम अब्दुल्लापुर क्षेत्र पंचायत हथगांव में 50 रुपये रोज के हिसाब से मजदूरी प्रधान के द्वारा दी जा रही थी जिसे मजदूरों ने लेने से इंकार कर दिया। इस बात पर विवाद हो गया और वहां के मजदूरों को प्रधान व प्रधान के गुण्डों द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया जिससे उनको गम्भीर चोटें आईं और इस सम्बन्ध में थाना-हथगांव में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज हुई है। लेकिन मजदूरी दिलाने के सम्बन्ध में अभी तक बी0डी0ओ0 अथवा सी0डी0ओ0 द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे मजदूरों को 100 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिल सके।

उक्त घटना लोक महत्व की एवं अविलम्बनीय है। अतः सरकार से नियम-301 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखलाल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत में विगत कई वर्षों से सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना हेतु मांग चल रही है। दिनांक 06 व 07 अप्रैल, 2007 को मुख्य न्यायाधीशों के सेमीनार में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि तहसील स्तर पर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये जाये।

उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त उपरोक्त विषयक पत्र महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किये परन्तु अब तक अपेक्षित कार्यवाही के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

उपरान्त भी कथित न्यायालयों की स्थापना सम्भव नहीं हो सकी, जो नितान्त दुःखद एवं चिन्तनीय है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से तहसील बीसलपुर जनपद पीलीभीत में रि.विल जज (कनिष्ठ श्रेणी) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के जिला चिकित्सालय व अन्य चिकित्सा केन्द्रों के लिये आपूर्ति हेतु खरीदी जा रही दवाइयों व अन्य सामग्री की गुणवत्ता व अन्य अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, जनपद गाजियाबाद में विभिन्न अस्पतालों के लिये दवाइयों की सरकारी खरीद में अत्यन्त घटिया गुणवत्ता, मानक से परे तथा फैक्ट्रियों के मालिकों से मिलकर ऐसी दवाइयों की आपूर्ति स्वीकृत की जाती है जिनकी एक्सपायरी तारीख नजदीक होती है। इसी प्रकार की अनियमिततायें अन्य मेडिकल सम्बन्धी सामग्री खरीदने में की जा रही हैं। जिससे आम मरीज को सरकारी चिकित्स का लाभ उचित रूप से नहीं मिल पा रहा है। कृपया उच्च स्तरीय औचक निरीक्षण के द्वारा जांच कराकर कार्यवाही करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कि जो माननीय सदस्य नहीं हैं उनकी जगह हमारी सूचना शामिल कर लें)

श्री अध्यक्ष-

जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी जगह नियमानुसार सूचना ले ली जायेगी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

आज नियम 300 के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उसमें कोई नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिये कोई 300 की सूचना नहीं सुनी जायेगी।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय इरफान सोलंकी और अंसारी जी का व्यक्तिगत मामला है इनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के थाना गोसाईगंज की चौकी अहिमामऊ पर थाने के दरोगा व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा विधायक (श्री सिबगतुल्ला) तथा उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं 24 तारीख को सदन में सम्मिलित होने के लिये अपने गृह जनपद से लखनऊ आ रहा था। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक अहमा चौकी है उससे लगभग 4 कि0 मी0 पहले एक एक्सीडेंट हुआ था रोड पर तमाम गाड़ियां जाम लगी हुई थीं वहां से जाम समाप्त होने के बाद जब मैं लखनऊ की ओर आगे बढ़ा तो मेरी गाड़ी को कुछ सादी वर्दी के लोग ए0 के0 47 लिये हुये थे, रोका और कहा कि हम आपकी गाड़ी की जांच करना चाहते हैं। हमने उनकी जांच में पूरा सहयोग किया। हमें अहमा चौकी में ले जाकर बैठाया गया। मैंने उनका परिचय जानना चाहा तो उन्होंने जिस अभद्रता और जिस भाषा का प्रयोग किया वह इस सदन में दोहराने लायक नहीं है कि मैं उसे यहां दोहराऊं। मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं मेरे साथ रिश्तेदार पीछे की गाड़ी में बैठे हुये थे जो अपना निजी असलहा लिये हुये थे। उन सबको ले जा करके चौकी पर जमीन पर बैठा दिया गया, मुझे भी बैठा दिया गया और जांच के नाम पर दो घंटे तक रोके रखा गया। फिर मुझसे कहा गया कि आप जाइये इन लोगों की जांच करके, इनके असलहों का सत्यापन करके इन्हें छोड़ दिया जायेगा। लेकिन बजाय छोड़ने के फर्जी मुकदमात में मेरे साथ चल रहे जिला पंचायत सदस्य कांता राम जी जो सम्मानित सदस्य हैं जिनके ऊपर एक भी किसी तरह का कोई अपराधिक मुकदमा नहीं है, जाकिर हुसैन, मेरा एक रिश्तेदार कासिम इन सब लोगों को 3 गाड़ियों से हम लोग थे, हमारी केवल गाड़ी छोड़ दी गयी हमारे साथ पकड़ी गयी दो गाड़ियों को रोक लिया गया। यही नहीं हुआ बल्कि गुजरने वाली किसी गाड़ी से अगर कोई कह दे रहा था कि मैं गाजीपुर का हूं तो उसे रोक कर बैठा लिया जा रहा था। एक लोग अपने मरीज को देखने पीजीआई आ रहे थे उनको भी वहां बैठा लिया गया। इन सब लोगों को रोककर 21 आदमियों की टीम बनाकर मुख्तार अंसारी के गिरोह का बताकर बिल्कुल फर्जी मुकदमें में चालान कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्य की जांच सदन के सम्मानित सभी दल के सदस्यों को लेकर करा ली जाय। अगर हम दोषी हों, हमसे कोई गलती हुई हो, कोई ऐसा नियम हो कि कोई सदस्य अपने रिश्तेदार के साथ नहीं चल सकता है तो जो भी दण्ड दिया जाये मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। हमारी भी जान को खतरा है। मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था, तमाम पेशेवर अपराधी हत्या करने के लिये खोज रहे हैं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ चल रहा है अगर यह अपराध है तो मैं सदन से मांग करता हूं आपसे व्यवस्था चाहता हूं आपका संरक्षण चाहता हूं कि इस घृणित कार्य का जो हमारे साथ अपमान का और जो मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है कि उसकी जांच इस सम्मानित सदन के सदस्यों से करा ली जाय और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय तथा जो फर्जी मुकदमें हमारे साथियों पर लगाये गये हैं,

उन्हें मैं वापस लेने का आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आशा है कि आप हमें जरूर संरक्षण प्रदान करेंगे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक नियम 300 का सवाल है, आपने उसमें पहले ही निर्णय दे दिया है। मान्यवर, हमारे पास जो सूचना है, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 24-02-2008 को गाड़ियों का एक काफिला असलहों से लैस होकर सुल्तानपुर रोड पर जा रहा था कि सूचना मिलने पर जनपद पुलिस व एस0टी0एफ0 द्वारा चेक करने पर गाड़ियों में बैठे लोगों द्वारा पुलिस पर हमलावर होकर बाधा उत्पन्न की गयी, जिन्हें कारण बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों द्वारा अपना नाम क्रमशः अमरनाथ, रमाकान्त, रामबरन, नसीम अहमद, मनोज कुमार, शम्भू राम, सुभाष यादव, बब्बन यादव, कामता राम, राम बरन यादव, जाकिर हुसैन, शमसुद्दीन, जुबेर अहमद, मो0 कासिफ, अरविन्द कुमार सिंह, अंसार अहमद, गुड्डू, आशीष कुमार राय, तौकीर, राधेश्याम मौर्य, शकील हैदर समस्त निवासीगण जनपद गाजीपुर बताया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से 5 रिवाल्वर, 4 राइफल एक डी0 बी0 बी0 एल0 गन, 118 जीवित कारतूस, 32 मोबाइल फोन, 2 बोलेरो, एक स्कार्पियों, एक इनोवा व दो जिप्सी बरामद हुयी। इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक, कैन्ट जनपद लखनऊ द्वारा थाना कैन्ट पर मुकदमा अपराध संख्या 55/8 धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व मुकदमा अपराध संख्या 56/08 धारा 147, 148, 149, 332, 353 भारतीय दण्ड विधान वाद क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट व मुकदमा अपराध संख्या 5766/08 धारा 25/27 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत कराया गया। मौके पर चेकिंग के दौरान गाड़ियों के पेपर न होने के कारण धारा 207 एम0 वी0 एक्ट में सीज की गयी।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं तो समझ रहा था कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े होंगे तो वह बतायेंगे कि सम्मानित सदस्य के साथ इस अभद्र आचरण के लिये, जिन लोगों ने किया, खेद व्यक्त करेंगे, पर यहां तो कुछ उल्टा नजारा सामने आ रहा है। मान्यवर, आज तक अभी यह नहीं बताया गया, अगर हो तो बता दें, मैं अपनी जानकारी के लिये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उसमें कोई अवैध लाइसेंस था, कोई इल लीगल लाइसेंस था। 22 मोबाइल, मेरी जानकारी बहुत कम है। मेरी जानकारी में अभी तक मोबाइल पर लाइसेंस नहीं बना है। उसकी बरामदगी का क्या तुक है। दो गाड़ियां, क्या उनके पेपर नहीं है, चोरी की है, उनकी बरामदगी का क्या तुक है, कुछ जस्टीफिकेशन तो हो। एक सम्मानित सदस्य, उनके विरुद्ध क्या कोई मुकदमा है, क्या वह माफिया हैं, कोई उनके खिलाफ गिरोहबन्द का मुकदमा पहले से चल रहा है, गाड़ी चोरी की है मैं इसलिये फिर अपनी जानकारी सही करना चाहता हूं कि अगर अवैध असलहे थे तो एक दूसरा प्रकरण बनता है। अगर लाइसेंस शुदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असलहे थे तो उनकी गिरफ्तारी दिखाना कौन बड़ी भयानक चीज हो गयी, कौन बड़ा तमगा इसमें हासिल करना चाहते हैं। मेरा निश्चित आरोप है मेरी जानकारी है कि मान्यवर, अंसारी के परिवार को समाप्त करने के लिये इसके पहले भी एक्सप्लोसिव बरामद हो चुके हैं। विस्फोटक बरामद हो चुके हैं और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपकी पुलिस कह रही है कि उनकी हत्या करने का इरादा था। तो एक सम्मानित विधायक, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, उनके साथ अगर उनके रिश्तेदार आ रहे हों, कोई अवैध असलहे के साथ नहीं चल रहे हों, कोई चोरी की गाड़ी से नहीं चल रहे हों, मोबाइल तो आज सब्जी वाला भी रखता है, मोबाइल अगर उनके पास है तो कौन सी चोरी हो गयी और फिर मान्यवर, कुछ बातें भी होती हैं, कुछ बातें यहां कहीं नहीं जाती हैं, कुछ हम आप बैठकर तय करते हैं। मान्यवर, मैं यहां सदन के संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि यह प्रयास है हत्या करने का अगर होगी, तो इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी जिसने बलात रोकने की कोशिश की है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से सदन में कह देना चाहता हूं कि अगर गाड़ी चोरी की नहीं है, तो उसे रिहा होना चाहिये, लाइसेंस अगर फर्जी है तो मुकदमा कायम करके उसे जेल भेज दीजिये लेकिन यदि लाइसेंस सही है तो ले करके चलना कोई गुनाह नहीं है। रही बात 144 लागू करने की तो मान्यवर, जो ट्रांजक्शन होता है, लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी है इससे बहुत लोग गुजरते हैं, सड़क पर है, कहीं शाहजहांपुर जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, यह व्यवस्था अभी कानून ने नहीं दी है। अगर स्थायी निवास हो तो 144 का बैन है लेकिन अगर कोई गाड़ी ले करके गुजर रहा हो, शाहजहांपुर जा रहा हो, सीतापुर जा रहा हो, लखनऊ से गुजर रहा हो तो इस पर यह लागू नहीं होता। यह तो अजीब तमाशा हो जायेगा कि आप चलिये और पता लगाइये कि कहां-कहां 144 लागू है। कोई प्रदर्शन नहीं किया है, कोई झगड़ा नहीं किया है और उसके बाद कह दिया कि पुलिस पर हमला बोल दिया। अरे ! मान्यवर यह कहानी सुनते-सुनते। मत कीजिये मैं आपसे चाहूंगा कि एक ऐसे सम्मानित सदस्य को संरक्षण दीजिये और सरकार की भी गलती नहीं हो सकती, जिन अधिकारियों ने किया है उन्हें प्रायश्चित कराइये, यह मत कराइये, वरना निश्चित रूप से अगर कुछ होगा तो चाहे वह सरकार हो या जिस अधिकारी ने कराया वह हो उसकी जिम्मदारी होगी, मैं पूरे सदन से यह कह देना चाहता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस सदन में इस सवाल को उठाने की आवश्यकता पड़ी यही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा दुर्भाग्य है कि एक सदस्य अपनी सुरक्षा के मामले में इस सदन में इस तरीके का सवाल उठाये यह कम पीड़ा की बात नहीं है। आप हमारे संरक्षक हैं और श्रीमन्, जिसके साथ कोई आपराधिक इतिहास जुड़ा हो, उसको खंगालने का तरीका पुलिस का हो सकता है लेकिन एक ऐसे सदस्य जिसके बारे में किसी ने एक भी शब्द उसके प्रतिकूल नहीं कहा है, उसके बारे में जो सुलूक हुआ है उसके बारे में, मैं आपका संरक्षण चाहते हुये एक बात कहना चाहता हूं कि जो गाड़ियां रोकी गई हैं अंसारी साहब की.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपके सत्तारूढ़ दल के बसपा के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भी हैं। यही नहीं है कि किसी पार्टी के हों राजनैतिक रूप से लें तो बसपा के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, अगर सत्तारूढ़ दल के निर्वाचित सदस्य के साथ भी ऐसा हो रहा है तो दुःखद है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मेरी निश्चित सूचना है कि उन गाड़ियों के चेचिस नम्बर को मिटा करके और उसके बारे में दूसरी तरह की भ्रांति पैदा करने का काम उनके नम्बर प्लेट को स्क्रेच करके और दूसरा डालकर एक दूसरा अपराध बनाने की भी साजिश उनके साथ हो सकती है। मेरा कहना है कि आप अंसारी साहब की हिफाजत करें और मान्यवर, जो कुछ भी किसी मेम्बर के साथ हुआ है, वह नहीं होना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसी भी व्यक्ति के जीवन की हिफाजत के लिए सरकार गम्भीर है और माननीय सदस्य या आम नागरिक की हिफाजत की चिन्ता सरकार को है लेकिन मान्यवर, किसी को यह इजाजत तो नहीं दी जा सकती कि वह असलहों का इस तरह से प्रदर्शन करे।

(विपक्ष के सभी सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें मुकदमा अपराध सं0-57 से 66/08 धारा 25/27 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत कराया गया है तो मान्यवर, आर्म्स, ऐक्ट की धारा तो तभी लगेगी जब नाजायज असलहे भी हों।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ऐसे भी लगता है जब एक भी अवैध न हों। मान्यवर, आप अपने कक्ष में बुला लें यहां बात करना ठीक नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

धारा 44 लखनऊ में लागू था। उसके आधार पर उन धारकों में जो सम्बन्धित धारायें बनती हैं उसके अनुसार कार्यवाही हुई है। माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही तो नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जहां तक माननीय सदस्य की सुरक्षा का सवाल है इसको आप दिखवा लेंगे और इनको किसी प्रकार का खतरा हो तो पूरा सहयोग करिये।

मा0 विधायक जी के लिये व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं और मा0 सदस्य को अपने कक्ष में बुलाकर बात कर लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप अपने कक्ष में बुलवा लीजिए, यहां व्यवस्था देने मात्र से नहीं होगा। मान्यवर, समुचित व्यवस्था हो सके माननीय सदस्य की सुरक्षा की, इसलिये निश्चित निर्देश सरकार को दें, चाहे अपने कक्ष से ही दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बुलवा लेते हैं।

(श्री इरफान सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा की जवाहर नेहरू शहरी विकास योजना कानपुर नगर के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मांगे जाने से सम्बन्धित औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी साहब, कोई जिले की योजना नहीं बता रहा है तो इसमें नियम-300 कहां से आता है ? आप किसी और नियम में लिखकर दीजिए। नियम-300 की ग्रेविटी को कायम रखिये। अब हर चीज को नियम-300 में लायेंगे, तो यह उचित नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नये सदस्य हैं और नये मा0 सदस्य अपनी योजना के बारे में जानना चाहें तो जानकारी मिलनी चाहिए। माननीया मुख्य मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि चाहे कोई भी दल का सदस्य हो, विधान सभा के सम्मानित सदस्य को रिस्पेक्ट करिये, उसको जानकारी दीजिए। मा0 सदस्य ने योजना जानने के लिये मुख्य नगर अधिकारी को टेलीफोन किया, उसने टेलीफोन पर जो भाषा बोली वह सदन में रिपीट नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष-

उनके साथ दूरभाष पर जिस तरह का आचरण प्रस्तुत किया, दुर्व्यवहार किया तो इसको आप इसमें लिखिये, किसी दूसरे नियम में इसको दीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, वही इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए।

श्री इरफान सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने नगर आयुक्त से बात करनी चाही तो उन्होंने पहले हमारा फोन रिसीव नहीं किया.....

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियमावली में नियम है कि अगर किसी अधिकारी ने अभद्रता की है और विशेषाधिकार का कोई मामला आया है तो उसके लिये अलग नियम है। नियम-300 में इसे आपने अग्राह्य कर दिया फिर उसको उठाना उचित नहीं होता। आपने अग्राह्य कर दिया है, आपके अग्राह्य के विनिश्चय के बाद प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 विधायक जी, आप सुन लें, बहस न करें। अगर आपके साथ इस तरह का आचरण हुआ है तो आपके अधिकार सुरक्षित हैं, नियमों के अन्तर्गत लाइये मैं देखूंगा। आप जनसेवा का काम कर रहे हैं और अगर दूरभाष पर इस तरह का व्यवहार किया है तो उसको आप किसी दूसरे नियम में दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप इतने उदार हैं, नये सदस्य हैं इसलिये एक मिनट में सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, मैं नियम-300 की सूचनाएं अग्राह्य कर चुका हूं।

श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, आप कार्यवाही करियेगा या नहीं लेकिन सुन तो लीजिए। मान्यवर, मैंने कानपुर नगर के नगर आयुक्त साहब से कहा कि हैलेट अस्पताल जो कानपुर में सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर अतिक्रमण हो गया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मैंने अतिक्रमण हटाने की बात कही तो उसने मेरी बात सुनी नहीं । जब मैंने कहा कि मैंने एक महीने पहले गुजारिश की थी कि आप आकर उस जगह को देख लो तो उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं हर जगह जाऊं। कहियेगा तो मैं आपको फोन पर जो बात हुई उसकी कॉपी दे दूंगा। उसने मेरी बात नहीं सुनी। स्वास्थ्य मंत्री जी कानपुर से ही हैं वह बता सकते हैं कि हैलेट अस्पताल में कितने अवैध कब्जे हो चुके हैं। वहां के डाक्टर परेशान हैं। नगर आयुक्त से जब मैंने पूछा तो उसने मिलने से इंकार कर दिया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने एक शांतप्रिय नागरिक होने के नाते बदतमीजी नहीं की वरना मैं भी कुछ कर सकता था। मैं यही कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे अधिकारियों को बतायें कि माननीय विधायकों से कैसे बात करनी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष-

जो भी दूरभाष पर हुआ है उसको लिखकर दे दीजिए।

लखनऊ स्थित बहुखण्डी आवास से गाड़ी का सामान चोरी होने के सम्बन्ध में पीठ का ध्यान आकृष्ट करना

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, 25 तारीख को हाउस में शामिल होने के लिये 24 तारीख को अपने बहुखण्डी डालीबाग, लखनऊ कालोनी स्थित आवास पर आ गया था। बहुखण्डी आवास में

दर्जनों माननीय मंत्रिगण भी रहते हैं और सैकड़ों विधायक उस परिसर में रहते हैं तीन बिल्डिंगें हैं वहां पर मेरी गाड़ी नीचे खड़ी थी तमाम पुलिस की सुरक्षा रहती है उसके बावजूद रात में चोर आया और गाड़ी चुराने का प्रयास किया जब गाड़ी नहीं चुरा पाया तो गाड़ी तोड़कर उसकी सी0डी0 प्लेयर व अन्य कीमती सामान चोरी करके ले गया। इसके पहले इसी परिसर में हरदोई के विधायक बब्बू की बुलैरो गाड़ी की चोरी हो गयी। माननीय सदस्यों और मंत्रियों के आवासों की सुरक्षा में इतनी ढील है और इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं जबकि निर्दोष लोगों को लखनऊ की पुलिस पकड़-पकड़ कर जेलों में बन्द कर रही है। अध्यक्ष महोदय, चोरी की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश में हमने लखनऊ के एस0एस0पी0 से बात करने की कोशिश की तो बताया गया कि वह बैठक में हैं कोतवाल को टाइम नहीं है चौकी इंचार्ज आया भी तो वह तहरीर लेकर चला गया और कहा कि मुकदमा पंजीकृत करवा देंगे लेकिन 24 घण्टे हो गये, अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चला है विधायकों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं। पिछले सत्र में हमने इसी सदन में सूचना दी थी कि हमारे आवास पर अपराधिक कृत्य के लोग गये थे हमारी सूचना के बाद कोतवाल गये थे लेकिन उसके बावजूद आज भी अपराधी पकड़ नहीं पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी जितने भी विधायक आवास हैं आये दिन यह शिकायतें आ रही हैं कि गाड़ियों की चोरी हो रही है इसको दिखवा लें और दिखवाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवा लें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इसको दिखवा लेते हैं।

अधिकारियों द्वारा विधायकों को यथोचित शिष्टाचार प्रदान न किये जाने की शिकायत

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अध्यक्ष महोदय, यह अकेले इनका मामला नहीं है यह पूरे गरिमामयी सदन का अपमान है। सदन बिल्डिंग से नहीं बनता है सदन सदस्यों से बनता है जब सदस्यों की गरिमा नहीं बचेगी तो कैसे काम चलेगा। जब किसी विशेष सचिव स्तर या सचिव स्तर के अधिकारी का फोन जाता है तो अधिकारी के वहां पर मौजूद न रहने पर जब वह लौटकर आता है तो उसको फोन करता है लेकिन विधायक किस स्तर का है।

श्री अध्यक्ष-

इसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

विधायक चपरासी के स्तर का है, लोअर डिवीजन क्लर्क के स्तर का है, विशेष सचिव के स्तर का है। सचिव के स्तर का है या प्रमुख सचिव के स्तर का है इस पर मैं व्यवस्था चाहती हूं आज इस सदन में निर्धारित हो जाय कि हम विधायकों का स्तर क्या है ताकि उसी हिसाब से हमें प्रोटोकाल मिले।

श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को केन्द्रीय कारागार वाराणसी में दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में सदन को सूचना दिनांक 13 फरवरी, 2008 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी का टेलेक्स संदेश दिनांक 23 फरवरी, 2008, जो इस सचिवालय में दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्राप्त हुआ है, द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा जनपद महराजगंज को शासनादेश संख्या 453 जे0एल0/22-02-2008-100(20)/07, दिनांक 19-02-2008 के अन्तर्गत महानिदेशक कारागार के आदेश फैक्स पत्र संख्या 4867(7)/एस0ए0एम0ए0-1(3) /33टी0सी0/08, दिनांक 22-02-2008 के अनुपालन में दिनांक 23 फरवरी, 2008 को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में दाखिल किया गया है।

किसी प्राधिकरण द्वारा अपने को सदन (विधान सभा) से अधिक शक्तिशाली माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

कोई प्राधिकरण अगर विधान सभा से अधिक शक्तिशाली अधिक सर्वोच्च सदन बनने का प्रयास करे तो आखिर विधायक कैसे काम करेंगे। सदन की मर्यादा और रक्षा कैसे होगी। यह प्रकरण बहुत स्पष्ट है इस सदन में हम नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं विधेयक पास करते हैं कभी ऐसा होता है कि समय का अभाव होता है तो मूल नियम बनाकर शेष नियम.....

श्री अध्यक्ष-

इसमें व्यवस्था क्या है ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

इस तरह से जब चाहें व्यवस्था का प्रश्न उठा दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना अग्राह्य की गई है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, तो फिर यह कब सुनी जायेगी ? माननीय अध्यक्ष महोदय किस नियम के तहत इसको लिया जायेगा यह बता दें ?

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं वह अपने को किस स्तर का समझें ?

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26 फरवरी, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 2 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय पाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अशोक सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री माधो पासवान, श्री आर0पी0एन0 सिंह, श्री शिवबालक पासी, श्री राजाराम त्यागी, चौ0 रवीन्द्र प्रताप तथा श्री अजय कपूर की प्रदेश में निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित भू-स्वामियों से की जा रही है गृह ऋण की धनराशि की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा की जनपद गाजीपुर की छावनी लाइन के शहरी क्षेत्र की जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर नागरिकों को भू-स्वामित्व प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में भारी संख्या में वाहनों में अवैध रूप से रसोई गैस किट लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा वृन्दावन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम के अन्तर्गत 25.00 करोड़ रुपये विद्युत व्यवस्था हेतु स्वीकृत किये जाने के उपरान्त भी कार्य शुरू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री उदयराज यादव तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की प्रदेश के किसानों को उपज मूल्य से कम मूल्य पर अपनी उपज बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री अनूप सण्डा, श्री राम किशुन तथा श्री सिबगतुल्ला अंसारी की आगामी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार किये जाने का निर्णय लिये जाने से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं। पहली श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, दूसरी श्री दुर्गा प्रसाद यादव, तीसरी डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, चौथी श्री लल्लू सिंह, पांचवीं श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, छठवीं डा0 अनिल चौधरी, श्री मदन भैया, श्रीमती विमलेश, सातवीं डा0 अजय तोमर, आठवीं श्री इमरान मसूद, नवीं श्री यशपाल सिंह चौहान, दसवीं श्री दीप नारायण सिंह, ग्यारहवीं श्री सुन्दर सिंह, बारहवीं श्री प्रदीप जैन आदित्य तथा तेरहवीं श्री मिथलेश कुमार।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपने कहा है कि दो सूचनाओं को सुना जायेगा बाकी को नहीं सुना जायेगा। पहले आपने कहा था कि आप हमें भी सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सुनने की बात तो बाद में आ रही है।

* श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, हमने 311 में सूचना दी थी वह बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित थी। वहां पर पेयजल से सम्बन्धित है। मान्यवर, दो मिनट कहने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, देख लेंगे। पेयजल संकट आपका तगड़ा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, गरीब तबके के जीवन से जुड़ा सवाल है। एक आम आदमी को जीवन यापन के लिये रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। मान्यवर, जो भी सरकार सत्ता में आती है, वह जनता का बहुमत, आदेश लेकर आती है और विभिन्न स्तर पर वह बहुत से कल्याणकारी योजनाओं को चलाया करती है। यह दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में जब कभी भी सरकारें बदलती हैं तो पुरानी योजनाएं समाप्त हो जाती हैं और उनका लाभ जिन लाभार्थियों को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, आधा अधूरा मिल पाता है। मैं एक ऐसा ही उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। निर्बल वर्ग आवास योजना उन कमजोर तबके के परिवार के सिर पर छत देने के लिये चलाई गई थी कि वे अपने संसाधन से जो अभी तक खुले आसमान के नीचे सोने के लिये मजबूर थे उन्हें पैसा दिया गया। मुश्किल से उनको 5-6 हजार रुपया मिला और यह योजना थी कि वे अपने मकान पर छत डाल लेंगे और उसके बाद उनका जीवन यापन आसान हो जायेगा। मान्यवर, आप अपने स्तर से उन परिवारों की परिकल्पना कीजिये जो बेसहारा है अपने सिर पर छत नहीं डाल सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पांच हजार और छः हजार रुपये सरकार से प्राप्त करके अपने लिए मकान की व्यवस्था कर रहे हैं। यह योजना बंद हो गई है आज स्थिति यह है कि जिन्होंने लिया था उनके दरवाजे पर 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार की रिकवरी वसूली पहुंच गई। जिनके पास छत नहीं है वहां 25 हजार की वसूली पहुंच जाएगी तो उनकी रातें जेल में गुजरेंगी। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। सरकार कल्याणकारी होती है मैं आपके माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा इस योजना में ज्यादा पैसा नहीं लगना है। तीन-चार करोड़ रुपया जो मूलधन है यह है और बाकी ब्याज है। सरकार समय-समय पर ऐसी योजनाओं का ब्याज माफ करती रही है। ऐसी बहुत सी योजनायें हैं जहां पर समाज का यह तबका दुबारा नहीं दे सकता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो गरीबी रेखा से ऊपर हो। इसमें सब बी0पी0एल0 से नीचे रहने वाले लोग हैं। मैं मान्यवर, आज कार्य-स्थगन के इस मुद्दे पर ग्राह्यता पर कम बोलना चाहता हूं एक अपील, एक अनुरोध और एक विनय पूरे प्रदेश के गरीब लोगों की तरफ से आपसे विशेष रूप से और आपके माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री जी से सरकार का सैकड़ों करोड़ों रुपया बकाया होता है तो आप बट्टे खाते में डाल देते हैं। न जाने कितनी मिलों का, कितनी फैक्ट्रियों का करोड़ों रुपया आप बट्टेखातों में डाल देते हैं। मान्यवर, सरकर अगर यह घोषणा कर दे कि दो तीन करोड़ रुपया जो कुल बकाया है हम इसे माफ कर देते हैं तो इससे सरकार का यश बढ़ जाएगा और गरीबों का बोझ खत्म हो जाएगा। मैं इसे आलोचना करने के लिये नहीं बल्कि समाज के गरीब तबके के ऊपर आई मुसीबत से निजात दिलाने के लिये आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करने के लिये खड़ा हूं कि यह जो दो-तीन करोड़ रुपया बकाया है इसको माफ कर दीजिए और किसी तरह से यह संदेश दे दीजिए कि मौजूदा सरकार आप गरीबों को जेल नहीं भेजेगी बल्कि उनके सिर पर छत रखने का प्रयास करेगी। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से सीधे ग्राम्य विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ददूदू प्रसाद)-

मान्यवर, यह कार्य-स्थगन के माध्यम से नियम-56 में माननीय तिवारी जी ने जो विषय उठाया है यह एक-दो करोड़ का मामला नहीं है। निर्बल वर्ग आवास योजना कदाचित सन् 1975-80 के आस-पास चलाई गई और उसका हुडको का पैसा था माननीय अध्यक्ष जी और हुडको का 250 करोड़ रुपया बनता है। जिसमें पचास करोड़ रुपये की रिकवरी हो चुकी है दो सौ करोड़ रुपये की वसूली की जानी है जो प्रगति पर है वसूली हो रही है। मैं समझता हूं कि यह राशि कम होती तो सरकार इस पर विचार करती। परन्तु यह राशि काफी है जो सरकार के वित्तीय संसाधन हैं वह अनुकूल नहीं है। मैं तिवारी जी से कहूंगा कि बड़ी आसानी के साथ इसमें वसूली हो रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 50 करोड़ की वसूली हो चुकी है और ग्रामीण आवास परिषद् वसूली का काम कर रही है। यह तात्कालिक नहीं है बहुत पुराना मामला है यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसकी तात्कालिकता तो है वसूली आज हो रही है। तो तात्कालिकता तो है लोकमहत्व भी है क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे जुड़े लाखों लोग हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं आप जो बता रहे हैं यह सही नहीं है। मेरा आग्रह' है आप इस पर विचार कर लें अगर आपके संसाधन में आ सके तो पूरी जानकारी मंगा लें पूरी फीगर मंगा लें इस पर विचार करने की आश्वासन दे दें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जैसा ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बताया कि आसानी से वसूली की कार्यवाही हो रही हैं किसी के प्रति उत्पीड़ात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है। जोर-जबरदस्ती इस तरह से नहीं की जा रही है। इसलिए आज की समस्या नहीं है, पुराना मामला है। ऋण के रूप में दिया गया था और जब ऋण के रूप में दिया जाता है, तब उस ऋण को प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है, इसलिए यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 प्रमोद तिवारी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 राजस्व मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि जनपद गाजीपुर के छावनी लाइन स्थित कुछ गांवों में अभी भी जमींदारी प्रथा चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के द्वारा गांवों में 1955 में गांवों की जमींदारी समाप्त कर दी गयी थी। उसी तरह से जो शहरी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था, 1956 का, उसके द्वारा उसमें यह व्यवस्था थी कि उसके नियम-1 (3) के पार्ट-ए में म्यूनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया, पार्ट-बी में केन्द्रीय और राज्य सरकार की जो भूमि थी, उन सबको चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की व्यवस्था थी। उसके अधीन हुआ यह कि 1963 में जो जमींदारी थी, ग्रामीण हिस्सों की वह समाप्त कर दी गयी, परन्तु शहरी क्षेत्र की आज भी वहां कायम है। वहां पर हजारों लोग रह रहे हैं, अपना घर बना चुके हैं, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वहां पर उनके खेत भी है, बाग भी है और आज उनको नोटिस दिया गया है, 31 दिसम्बर, 2007 को उनको नोटिस दिया गया है कि आप लोग अपने घर से हट जायें, अपना कब्जा छोड़ दें, अन्यथा इसको गिरा दिया जायेगा। तो मान्यवर, यह निवेदन करना था कि जो हजारों लोग वहां पर सैकड़ों साल से रह रहे हैं, आखिर उनका दोष क्या है ? अभी भी अगर

वहां पर जमींदारी व्यवस्था कायम है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? जिम्मेदार तो इसके लिए सरकार है। नौकरशाही ने जिला प्रशासन ने तो बैठे-बैठे नादिरशाही फरमान जारी कर दिया कि आप के घर गिरा दिये जायेंगे, उनको एहसास नहीं होगा, इसलिए एहसास नहीं होगा क्योंकि उनके हाथ में महीने की निश्चित तनख्वाह आती है, बड़े घरों के होते हैं, लेकिन मान्यवर, हम जानते हैं कि आपका ताल्लुक जमीन से है, आप धरती के हैं, आप हमारे बीच के हैं, उन लोगों की समस्याओं को आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह गरीब आदमी हैं और तिनका-तिनका जोड़ कर कैसे घर बनता है। पूरी जिन्दगी बीत जाती है, तब जाकर एक घर बनता है। 'उम्र बीत जाती है, एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां गिराने में।' आज आदेश हो गया है, मान्यवर और वह लोग इस चिन्ता में है, उनके घरों में बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उन्हें नींद नहीं आती है कि हमारा घर गिरा दिया जायेगा, हमारे खेतों पर कब्जा हो जायेगा तो हम कहां जायेंगे। कभी उनसे कहा जाता है कि जो डी0एम0 सर्किल रेट है, उसके हिसाब से आप पैसा जमा कर दीजिए तो वह धनराशि इतनी अधिक है कि एक गरीब आदमी उसे नहीं जमा कर सकता है। इसमें मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि आप मा0 राजस्व मंत्री जी को यह निर्देशित करने की कृपा करें कि वहां पर जो जमींदारी है, उसका उन्मूलन कर दिया जाए। क्योंकि मात्र वही एक क्षेत्र बचा है जहां आज भी जमींदारी व्यवस्था कायम है और सब जगह समाप्त हो गयी है तो हम चाहते हैं कि आप कृपया उन्हें निर्देशित करें ताकि उन गरीब लोगों का घर न गिराया जाए और जब तक आपका कोई अन्तिम निर्णय नहीं आता है तब तक तो वहां पर कुछ भी न हो, यह हमारा आपसे निवेदन है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह कोई तात्कालिक नहीं है और कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है, नियम-56 अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें सहयोग करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई चर्चा तो हो नहीं रही है, राजस्व विभाग का बजट भी आयेगा, उसमें चर्चा का अवसर भी मिलेगा, इसमें सहयोग करने की आवश्यकता क्या है ? नियम-56 का जो विषय है आपने ग्राह्यता पर सुना, मा0 सदस्या ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुतीकरण किया और अगर अच्छी तरह से प्रस्तुतीकरण करने के बाद भी मा0 चौधरी साहब को बीच में खड़े होने की आवश्यकता कहां से आ गयी ? नियमों में है कि जिस विषय पर चर्चा होने की सम्भावना होती है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या उस पर चर्चा हुई है, वह नियम-56 में नहीं आता, इसलिए मान्यवर, मैने मेरिट के बारे में चर्चा ही नहीं की।

मान्यवर, मैंने तो यही कहा कि चूंकि यह नियम-56 में नहीं आता है चूंकि इस विषय पर राजस्व विभाग की अनुदान मांग आएगी तो उसमें चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें। चौधरी साहब की आदत है कि जब विपक्ष का कोई माननीय सदस्य या शादाब फातिमा जी खड़ी होती हैं तो उनका खड़ा होना जरूरी हो जाता है। मान्यवर, जब फातिमा जी ने अपनी बात का अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण कर दिया तो उनके बीच में खड़े होने की कहां से बात आ गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, साढ़े आठ मिनट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सिर्फ यही बताने में खर्च कर दिये कि यह नियम-56 में नहीं आता है। मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें हजारों लोगों के घर गिराने की नोटिस दी गयी है, लोगों को उजाड़ने की कार्यवाही शुरू हो गयी है। आप इस पर सरकार का स्पष्टीकरण रखने की बात करते या तो यह कहते कि नियम-56 में यह नहीं आता है। क्योंकि अगर सरकार को जानकारी नहीं है तो कहें कि कल इसकी जानकारी लेकर बात करेंगे। मान्यवर, तात्कालिकता पर बात करने में उनको क्या कठिनाई है ? मान्यवर, हजारों लोगों के घर गिराने की समस्या पर एक महिला सदस्य ने इतनी गम्भीरता से बात उठायी है तो यह कह रहे हैं कि यह नियम-56 में नहीं आता है। मान्यवर, यह तो आप तय करेंगे कि यह नियम-56 में आता है कि नहीं आता है। सरकार अपना दृष्टिकोण बतायें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें 30 साल या 50 साल से लोग बसे हैं। इसको जरा दिखवा लें कि स्थिति क्या है ? कारण क्या है ? क्यों गिराया जा रहा है ? मैंने इस पर सुश्री शादाब फातिमा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है अतः इसको अग्राह्य किया जाता है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने सूचना के माध्यम से प्रदेश की ज्वलन्त समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। मान्यवर, गाड़ी कम्पनी से बनकर आती है, मैं तकनीकी कारण पर नहीं जाना चाहता हूं छात्र-छात्राओं और आम लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज लोग लाभ के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, कम्पनी से बनने के बाद जब गाड़ी आती है तो उसके मानकों के साथ खिलवाड़ करने का षडयंत्र चल रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ लोग पेट्रोल की गाडियों में सस्ती दर पर गाड़ी चलाने के लिए एल0पी0जी0 किट लगा रहे हैं। यह पूरे प्रदेश में हो रहा है। इतनी घटनाएं हो रही हैं कि कोई नगर जनपद नहीं बचा है जहां पर दुर्घटनाओं के फलस्वरूप नागरिकों की जान न जा रही हो। जिसने चाहा एक सस्ती एल0पी0जी0 किट ले लिया और मान्यवर, सिलेण्डर लगाने के बाद गाड़ी में आग लग जाती है। मान्यवर, ऐसे कई उदाहरण है जहां पर छोटे-छोटे बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हम अपेक्षा करते थे कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस तरफ जाएगा। मैं जब छोटे-छोटे बच्चों के आग से जलकर मरने की बात कर रहा हूं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मैं इस पर नहीं मुस्कुरा रहा हूं। मेरा ध्यान माननीय चौधरी साहब की तरफ था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ध्यान कोई खराब जगह भी नहीं था। मैं चाह रहा था कि थोड़ा ध्यान इधर भी होता। इधर आकर्षण नहीं है लेकिन विषय महत्वपूर्ण है, समस्या बहुत गम्भीर है तो मान्यवर, पुलिस से अपेक्षा करते थे कि जहां पर इस प्रकार की गाड़ियां चलेंगी तो पुलिस उनका चालान करेगी लेकिन पुलिस को यह कमाई का एक धन्धा मिल गया है।

गाड़ी को पकड़ते हैं, चैक करते हैं और उसके बाद जो कुछ उनकी जेबों में होता है उस व्यक्ति से ले लेते हैं तो दो बात हो गयी। एक तो तमाम प्रदेश में एलपीजी सलेण्डर कम है और उसका कारण यह है कि गैस चूल्हों में न जाकर गाड़ियों में लगायी जा रही है और इसका परिणाम घातक है। मान्यवर, यह नियम-56 में आता है या नहीं आता है यह बात नहीं है बात यह है कि यह कितना ज्वलन्त है, कितना महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, यह महत्वपूर्ण अंश है। तो क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आज के बाद एक अभियान चलाकर ऐसी तमाम गाड़ियों को बन्द किया जायेगा जिसमें मानकों के प्रतिकूल एल0पी0जी0 के सलेण्डर या दूसरी चीजें लग रही हैं जिसके कारण सवारियों के लिए खतरा साबित हो रहा है, उन्हें बंद किया जायेगा ? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको गम्भीरता से लें एक सघन अभियान चलायें और जिनकी ऐसी गाड़ियां हैं उसे बन्द कर दें। मैं यह भी चाहूंगा कि इसी महीने में एक संदेश जाना चाहिए। किसी भी स्कूल में ऐसी गाड़ी न लगे जिसमें एल0पी0जी0 मानकों के अनुरूप सलेन्डर न लगा हो।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यन्त गम्भीर मुद्दे पर आपने मुझे ग्राह्यता पर विचार रखने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, परिवहन के नियमों में यह है कि किसी भी गाड़ी के इंजन से छेड़-छाड़ करने की अनुमति नहीं दी गयी है जो ऐसा करता है उस मैकेनिक के खिलाफ जिसने इस प्रकार की किट डेवलेप की है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की किट, जो जनरेटर चलाये जाते हैं डीजल के, उसमें भी लगायी जा रही है। जनरेटर में एक लीटर डीजल एक घंटे में खर्च होता है मगर यह उससे सस्ते में पड़ता है। इसमें पच्चीस फीसदी में ही काम हो जाता है तो नतीजा यह होता है कि एक तरफ तो कुकिंग गैस का इस्तेमाल हो रहा है इन दोनों में और यह लखनऊ में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ रहा है। खाना पकाने की गैस सिलेण्डर जिसकी लागत 296/-रुपये की है यह उसके स्थान पर चार सौ, साढ़े चार सौ और पांच सौ रुपये में घरों पर सप्लाई हो रहा है तो अपराध एक है और प्रभाव हर चूल्हों पर पड़ रहा है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, प्रत्येक महिला प्रभावित है। इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए तो मैं आपके माध्यम से तीन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं। एक तो उन मैकेनिक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जो गाड़ियों में इस प्रकार की सस्ती किट लगा रहे हैं, जनरेटरों पर किट लगा रहे हैं, दूसरा जो चेकिंग परिवहन विभाग, पुलिस विभाग की ओर से हो उसमें हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी हालत में ऐसी गाड़ियों को न छोड़ा जाय और तीसरा जिलापूर्ति कार्यालय में जो गैस की सप्लाई की व्यवस्था है मान्यवर कि 21 दिन के अन्दर नियमों के अनुसार एक रिफिल मिलना चाहिये, मान्यवर, 21 दिन के अन्दर नहीं मिल रही है तो उस कन्ट्रोल आर्डर को भी प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कराया जाना चाहिये। मान्यवर, ये तीन छोटी-छोटी बातों पर हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस विषय को मैंने गम्भीरता से सुना और मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी नियम विरुद्ध अगर इस तरह का संचालन हो रहा है तो उसको कड़ाई से रोका जायेगा और उसके लिये सघन अभियान चलाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, माननीय खन्ना जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर जी, प्रांच मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र जो कि पर्यटन और धार्मिक स्थल है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारी केन्द्र सरकार के

द्वारा ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम के अन्तर्गत तमाम शहरी क्षेत्रों के विद्युत सुधार के लिये भारी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई थी उसी के अन्तर्गत मथुरा और वृन्दावन शहर की ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम के लिये 25 करोड़ रुपये विद्युत विभाग, दक्षिणान्चल विद्युत निगम को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के माध्यम से पैसे मिले थे और मान्यवर, पिछले तीन सालों में स्थिति यह है कि उस 25 करोड़ का पता नहीं है और जो बिजली के काम कराये गये सुधार के लिये वह आऊटर कालोनीज में करा दिये गये उन शहर की बस्तियों के अन्दर, संकरी गलियों में नहीं कराये गये जिससे कि तारों का रिप्लेसमेंट होना था। मान्यवर, मथुरा और वृन्दावन बहुत ही पुरातन शहर है एक आदिकाल के बने हुए शहर हैं वहां की अभी 30-40 वर्ष पहले जो विद्युत लाईनें खींची गई थीं वह जर्जर अवस्था में थी और उसी के लिये केन्द्र सरकार से पैसा प्रदेश सरकार को दिया गया था। मान्यवर, तीन साल से वह स्कीम सिसक रही है और मथुरा और वृन्दावन शहर के अन्दर के जो कूचे और गलियों के अन्दर बाजारों के अन्दर जो तार लटके पड़े हुए हैं वहां तमाम मन्दिर हैं राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे के और वहां दुनिया भर के तीर्थयात्री आते हैं रोज आये दिनों घटनायें होती रहती हैं, शार्ट सर्किट होते रहते हैं और तार गिरते रहते हैं। मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि वैसे मथुरा शहर में बियापाड़ा, चौबियापाड़ा, मनोहरपुरा या अन्दरूनी शहर, इसी तरह वृन्दावन की घनी बस्ती है, बस्ती या प्राचीन मन्दिरों के पास तारों के झुण्ड के झुण्ड झूल रहे हैं बन्दर आ करके और उनका नुकसान कर रहे हैं और रोज रोज किसी न किसी दिन बहुत बड़ी-बड़ी घटनायें और दुर्घटनायें आगजनी के मामले होते रहते हैं। मान्यवर, ए0बी0बी0 लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे की कम्पनी को ठेका दिया गया उन्होंने अपने इस ठेके को डेलीगेट करके बिल्कुल लोवर ग्रेड के ठेकेदार को काम दे दिया और 25 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपये तक जो खर्च किया गया वह बिल्कुल घटिया स्तर के काम हुए। ऐसा लगता ही नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे की कम्पनी ए0बी0बी0 लिमिटेड ने यह काम किया है। ऐसा लगता है कि किसी लोवर ठेकेदार ने यह काम किया है। मान्यवर, वहां के बिजली के पोल बिल्कुल जर्जर हैं और बहुत बुरा हाल है मैं चाहूंगा आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहते हुए कि विद्युत मंत्री जी को, दक्षिणांचल विद्युत निगम के एम0डी0 साहब को और विद्युत पावर कारपोरेशन के एम0डी0 और चेयरमैन को आप निर्देशित करें कि मथुरा शहर और वृन्दावन शहर के जो जर्जर लाईनें हैं बिजली की उनको तत्काल उस आये हुए पैसे से बदलवाया जाये जिससे कि आम नागरिक और दुनिया भर से आने वाले धार्मिक पर्यटक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा मिले और विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से हो पाये। इसमें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत आप यह निर्देशित करें कि मथुरा शहर और वृन्दावन शहर के अन्दर की जर्जर लाइनों और बिजली के तारों को बदलवाया जाये जिससे कि वहां का आम आदमी राहत महसूस कर सके अन्यथा किसी भी दिन आपको पता लगेगा, अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे की खबर बनेगी कि इतने लोग मारे गये, इतने लोग बिजली के तारों के

गिरने से मर गये। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है इस मामले पर आपका ध्यान मैं केन्द्रित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय मंत्री जी एक योजना संचालित है। जो ए0पी0डी0आर0पी0 उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है मान्यवर, हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हां, इसको दिखवा लें। मैंने श्री प्रदीप माथुर को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन जब चल रहा था तब हम लोगों ने भी इस बात को उठाने के लिये प्रयास किया था, आज नेता प्रतिपक्ष सदन में न आ कर पार्लियामेंट में किसानों की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने जंतर-मंतर स्थल पर। मान्यवर, यह भी गम्भीर बात है कि किसान मारे जा रहे हैं। इस सरकार की संवेदनहीनता किसानों के प्रति बढ़ गई है। प्रदेश में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। खाली बुन्देलखण्ड का प्रश्न नहीं है। चाहे गन्ना किसान हो, आलू का किसान हो, आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग के किसान आज पूरी तरह से उपेक्षित हैं। कल हम लोगों ने फतेहपुर का मामला उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसे बड़े हल्केपन से लिया था। एक सरकारी रिपोर्ट सदन के सामने पढ़ दी जबकि वास्तविकता कुछ और है। लेकिन अगर हम अपनी बात को यहां पर नहीं कहेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे। माननीय प्रतिपक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं वह इसलिये कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको कम से कम भारत सरकार देख ले। आज संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार को अधिकार है मूल्य तय करने का। हम यह स्वीकार करते हैं। लेकिन जब भारत सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है उनको लागत मूल्य नहीं दे पा रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह फर्ज बनता है और उसको यह अधिकार है कि वह किसानों को उस पर बोनस दे। मान्यवर, गेहूं 950 रु0 प्रति क्विंटल, धान 975 रु0 प्रति क्विंटल, गन्ने पर 140 रु0 प्रति क्विंटल कास्ट आ रही है। यह उस आयोग की रिपोर्ट में वर्णित है। मान्यवर, आज किसान 950 रु0 में पर क्विंटल गेहूं उत्पादित कर पा रहा है। भारत सरकार ने 1000 रु0 उसका समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। क्या वह किसान जब 1000 रु0 में आपको देगा तो क्या वह जिन्दा रह पायेगा। क्या उसकी अर्थव्यवस्था ठीक रह पायेगी। आप कह देते हैं कि हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत गम्भीर

है। कोई भी मौत न तो आत्महत्या से हुई है और न भूख से हुई है और न कर्ज से ग्रस्त होकर हुई है। आपने 300 करोड़ रुपये कर्ज माफी के लिये बजट प्रावधान की बात कही थी। लेकिन आपने क्या किया है प्रावधान केवल 100 करोड़ रु0 का । अगर आप वास्तव में उनकी समस्या के प्रति गम्भीर है तो आप घोषणा करिये कि जो गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य 1000 रु0 पर होगी उस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 300 रु0 का बोनस दिया जायेगा, क्योंकि आज गेहूं का उत्पादन घटा है। मान्यवर, आज पूरे विश्व में गेहूं का उत्पादन घटा है। आस्ट्रेलिया में 40 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है। पर्यावरण बिगड़ने के कारण उत्तर प्रदेश में एक तिहाई जमीन पर गेहूं की बुवाई नहीं हुई है। आप जो गंगा एक्सप्रेस वे निकाल रहे हैं उसमें आज ही अखबार में छपा है कि उसमें कितने एकड़ उपजाऊ जमीन आ रही है। वह जमीन किसानों की चली जायेगी। यानि की उत्पादन और घटना चला जायेगा। इस तरीके से यदि आप मूल्य घटाते चले जायेंगे तो गरीबों की और गरीबी बढ़ाते जायेंगे। अगर आप किसानों के हमदर्द हैं तो आप घोषणा कर दें कि तीन सौ रु0 बोनस देंगे किसानों को। अगर सरकार हमदर्द है किसानों के प्रति तो घोषणा कर दें। आप देखें नेता प्रतिपक्ष किसानों के प्रति हमदर्द है किसानों के प्रति तो घोषणा कर दें। आप देखें नेता प्रतिपक्ष किसानों के प्रति हमदर्द है वह धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट के सामने ताकि भारत सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति सजग हो। मान्यवर, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में सजग होते नहीं देखा इसी कारण से आज नेता प्रतिपक्ष यहां के सारे कार्यक्रमों को छोड़कर दिल्ली में धरना दे रहे हैं। आप अगर सरकार आंकड़ों के आधार पर चलेंगे तो फिर आपको खतरा पैदा हो जायेगा। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का किसान बहुत जागरूक है। वह एक बात को देखता है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय प्रश्न है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इसी बात को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। यह लोक महत्व का है क्योकि किसानों से जुड़ा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जी उठकर अभी कह देंगे कि यह तात्कालिक प्रश्न नहीं है इस मारे यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है। अगर सही मामले में किसानों के प्रति आप हमदर्द हैं तो स्पष्ट रूप से आपको घोषणा करनी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम मानेंगे कि हमारा आरोप सही है। मान्यवर, जिस तरह से सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है उसके विरोध में ही हम लोग इस प्रश्न को आज सदन में सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में धरना दे रहे हैं। किसानों के मामले में आपको सजग होना चाहिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का अभारी हूं कि नियम 56 पर कार्यस्थगन की जिस सूचना पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी वह संदेश मेरे कहने के पहले ही इन तक पहुंच गया।

श्री अध्यक्ष-

बहुत लगाव ज्यादा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह अत्यन्त लगाव है। मैं चाहता हूं कि जितना लगाव मुझसे है क्या इसी तरह का लगाव प्रदेश के किसानों से भी है। किसानों की जो समस्या है, इस सरकार के गठन के बाद से।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य पान खा के ही नहीं आये हैं, पान खा भी रहे हैं। इमरान मसूद भाई हमारे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं यह मुझे नहीं मालूम है वह पान खा के सदन में आये हैं, खा भी रहे हैं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैंने पान कभी खाया ही नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पान नहीं वह कोई दवा होगी यह समझने में भूल हुई होगी आपसे, आप पास आकर देख लें वह दवा है।

ऐसी छोटी मोटी बातों में हम सदस्य आपस में न देखा करें तो ज्यादा अच्छा है, देखकर भी इग्नोर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह कुछ नहीं खाये हैं चेहरा इस तरह का है कि मालूम पड़ता है कि कुछ खाये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इतनी सतर्कता तो उचित है कि आदमी इस पर लक्ष्य करे कि कोई ऐसी चीज सदन में न हो जो सदन की गरिमा के अनुरूप न हो लेकिन इतनी गम्भीरता होनी चाहिये कि आक्षेप से पहले उसको देख लें गम्भीरता से।

(श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा टोकाटाकी करने पर)

हां वह नजर में रख लें मगर दिल से भी उतार मुझे,

मैं आइना हूं, प्यार से निहार मुझे।

माननीय अध्यक्ष जी किसानों के प्रति इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है। इस सरकार के गठन के समय से ही।

*आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आइने की बात कही है इन्होंने लेकिन जो इनका इतिहास रहा है आइने पर ही मैं एक बात कह दूं-

हमेशा यह आइने में मिले, आइने पर झुझलाये,

(आइना एक दर्पण होता है, अपनी शक्ल दिखाई देती है)

हमेशा ये आइने से मिले, आइने पर झुंझलाये,

इन्होंने अपनी कमी की तरफ नहीं देखा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमको तो ऐसे आइने मिल जायें तो उस पर काजल का टीका लगाना पड़ता है कि नजर न लगे। माननीय अध्यक्ष जी इस सरकार के गठन के समय से ही इसका दृष्टिकोण किसानों के प्रति स्पष्ट है। इस सरकार के गठन के बाद जब जब किसान अपनी समस्याओं को कहने आया तो चाहे गाजीपुर में आया हुआ किसान हो, लाठीचार्ज से मृत्यु को प्राप्त होगा चाहे फतेहपुर में किसान के साथ होगा, गन्ना किसान अपना बकाया भुगतान मांगने जाये तब उसके साथ होगा और श्रीमन् उसको लाभकारी मूल्य देने के सवाल पर, जो उसकी लागत है जो तमाम शोध संस्थानों में और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित किया है उसके लागत मूल्य के बराबर भी वह समर्थन मूल्य मांगने के लिये आगे आता है तो सरकार कहती है कि वह नियम 56 में नहीं आता है। मान्यवर, विद्वानों को पता है कि किस नियम में आता है। हमने जो नियम पढ़े हैं उन नियमों के हिसाब से अगर किसान की समस्या, किसानों को पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य दिये जाने की समस्या अगर लोक महत्व की नहीं है तो लोक महत्व की दूसरी कौन सी समस्या हो सकती है। तात्कालिक यह है कि नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश में सवाल को बार-बार उठाने के बाद उन किसानों के इस सवाल का हल नहीं मिलने पर आज दिल्ली में उनको जो धरना देना पड़ा है उसके चलते पूरे प्रदेश में किसान आन्दोलित है तो इसकी व्यापकता और आज के दिन वह आन्दोलित है तो इसकी तात्कालिकता है कि नहीं। मैं तो सिर्फ औचित्य पर बोल रहा हूं। तो मान्यवर, इसके लोकमहत्व, इसकी अविलम्बनीयता, इसकी तात्कालिकता के बारे में कोई भी दूसरा प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। इस कार्य-स्थगन को स्वीकार करके सरकार मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से अपने दृष्टिकोण पर आये और इस पर चर्चा हो जाय कि यह समर्थन मूल्य मिलना चाहिये कि नहीं मिलना चाहिये। समर्थन मूल्य देने का काम यदि केन्द्र सरकार का है, सारी चीजें केन्द्र सरकार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिम्मे डाल दी जायें। सारी चीजों की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार पर डाल दी जाये तो इस प्रदेश के किसानों का जो अहित हो रहा है, इस प्रदेश के किसानों की जो कमर टूट रही है, इस सरकार की नीतियों से। इनका जो प्रभाव हो रहा है, उसके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। उस जिम्मेदारी को यह सरकार स्वीकार करती है कि नहीं करती है। सरकार का दृष्टिकोण भी आ जाय और बाकी सदस्यों की रुचि भी है इस विषय पर, इसलिये इस कार्यस्थगन पर आप चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन चर्चा कर सके।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यदर, यह सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों की समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण करने में लगी हुई है। मान्यवर, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। माननीय डा0 राकेश धर त्रिपाठी जी ने सामान्य बजट की चर्चा में उल्लेख किया था कि माननीय चौधरी साहब और नेता प्रतिपक्ष का ध्यान अब कहां पर रहने लगा है। इससे किसानों से कोई लेना देना नहीं है अगर किसानों से लेना देना होता तो मान्यवर, किसानों के हितों के लिये जब इसके पहले प्रदेश में सूखा पड़ा था, मान्यवर, मुझे याद है हम लोग वहां पर बैठे थे आपने काफी विस्तार से किसानों की समस्याओं की खाद और बीज की समस्या का उल्लेख करने का काम किया था। उस समय उद्योग परिषद्, फिल्मी परिषद् न जाने क्या-क्या बना था, ये उसकी तरफ मुखातिब थे, तब किसान याद नहीं आता था। आज इनको दिखाने के लिये किसान याद आता है और उठने बैठने के लिये किसान अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगता है यह तो सर्वविदित है। मान्यवर, किसानों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनायें प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बुन्देलखण्ड एवं अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों के लिये सरकारी अथवा व्यवसायिक बैंकों से लिये गये ऋण पर ब्याज में राहत देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008-09 में 100 करोड़ रुपये के आय-व्ययक की व्यवस्था की गई है। इसके साथ-साथ हमने यह भी बचनबद्धता की है कि इसके अतिरिक्त जो भी खर्च आयेगा, लगभग 300 करोड़ रुपये, वह भी पूरा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त पूरे बुन्देलखण्ड में इस माह लघु और सीमान्त कृषकों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के समस्त कृषकों को सिंचाई की सुविधा के लिये शासकीय व्यय पर पहली बार प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, पूरे देश में यह पहला उदाहरण है कि पूरे शासकीय व्यय पर ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था के लिये स्प्रिंकलर सेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ-साथ पूरे बुन्देलखण्ड में अन्य सभी प्रकार के किसानों को जो लघु और सीमान्त कृषकों के ऊपर है, उनको भी उस सेट में 75 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लेने का काम किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार को 7 हजार 16 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। मान्यवर, किसानों को मूलधन माफी और ब्याज माफी का जो प्रस्ताव है, वह भी भेजा गया है। 4 प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही साथ अभी माननीय सदस्यों ने बीज खाद का जिक्र

किया। मान्यवर, गत वर्ष 47.14 लाख मीट्रिक टन खाद की जगह 2007-2008 में 48.50 लाख मीट्रिक टन फर्टीलाइजर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विपरीत 15 फरवरी, 2008 तक लगभग 33 लाख मीट्रिक टन उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। वर्तमान समय में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही साथ रबी की बुवाई के लिये फसलों के बीज के लिये 25.80 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष 27.24 लाख क्विंटल बीज का वितरण सुनिश्चित किया गया। प्रदेश में कहीं भी बीज की कमी नहीं है। मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के उत्पादन लागत को देखते हुए धान की सामान्य जाति की उत्पादन लागत 817 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के लिये रुपया 1050 प्रति क्विंटल की संस्तुति भारत सरकार को की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2006-2007 में गेहूं की उत्पादन लागत 776 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2008-2009 के लिये 1150 रुपये प्रति क्विंटल की संस्तुति की गई। जबकि भारत सरकार द्वारा एक हजार रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया। सरकार पूरी तरह से किसानों के हितों के लिये संकल्पित है, किसानों की समस्याओं के लिये संवेदनशील है। किसानों की समस्याओं के निराकरण में तत्परता बरतने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, खाद की कमी वास्तव में तब थी जब मा0 चौधरी साहब इधर बैठते थे। जब हम लोग आवाज उठाते थे तो कहते थे कि कहीं खाद की कमी नहीं है लेकिन मान्यवर, हमने यह नहीं कहा कि खाद की कमी नहीं है बल्कि हमने स्वीकार किया है कि जितनी डी0ए0पी0 की जरूरत थी, उतनी एडवांस पैसा देने के बाद भी हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, फिर भी हमने प्रयास किया, यूरिया के लिये आज कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ स्टाक निर्मित करने के लिये पहले से ही एडवांस खाद रखें उसके लिये बजट में भी प्रावधान किया गया है कि हम पहले से खाद उपलब्ध करायें ताकि कोई समस्या खाद की न आने पाये। मान्यवर, गांव में एक कहावत है कि "खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे" जब कुछ नहीं कर पाये तो अपनी झुंझलाहट को मिटाने के लिये दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं। जब वहां दिल्ली में धरना दे रहे हैं तो विधान सभा में धरना देने का काम चौधरी साहब कर रहे हैं, अपनी झुंझलाहट को मिटाने के लिये। किसान पूरी तरह से जागरूक है और किसान आज इस बात को महसूस कर रहा है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार जिसकी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हैं, किसानों की सच्ची हितैषी है, किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये पूरी तरह से संकल्पित है, यह किसानों की हितैषी सरकार है इसलिये मान्यवर, इस कार्य-स्थगन का जहां तक सवाल है तो जो विधान सभा ने अपनी निमयावली बनाई है उसके नियमों में भी यह व्यवस्था दी गई है। चूंकि कृषि विभाग का बजट आयेगा और यह बजट सत्र है, अनुदान की मांग आयेगी, आपको कटौती रखने का अवसर मिलेगा, उस समय विस्तृत रूप से सभी माननीय सदस्यों को इस पर

चर्चा करने का अवसर सुलभ हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि कार्य-स्थगन के रूप में इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बहुत ही विस्तृत वक्तव्य हम लोगों ने सुना। सबसे ज्यादा चर्चा बुन्देलखण्ड में किये गये प्रयासों के बारे में सरकार ने की है, जो संकल्प इनका हो मान्यवर, संकल्प पूरा होना तो दूर उसका एक अंश भी बुन्देलखण्ड की धरती पर उतरा नहीं है जितनी मदद की बात यहां पर करते हैं। उसके अलावा कुल मिलाकर इन्होंने बहुत आक्षेप लगाये, सरकार में हैं आक्षेप तो हमें सुनना ही है, प्रदेश का किसान लाठी-गोली झेल रहा है हम तो सिर्फ आक्षेप सह रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं और मैंने लम्बा भाषण इसलिये सुना कि शायद आप इसे अन्त में कहेंगे। केन्द्र सरकार पर समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी है और उसके डालने के बाद भी पत्र लिखने के अलावा क्या राज्य सरकार अपने स्तर से उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभकारी मूल्य (लागत मूल्य आपने बता दिया) दिलाने के लिये अपनी ओर से बोनस देने का काम करेगी या नहीं। उत्तर केवल "हां" या "ना" में बता दीजिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष और अम्बिका चौधरी का कहां लगाव था, कहां देखते थे। तो नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन कहा था कि सबसे ज्यादा लगाव तो आपसे ही है उनका। आज भी आप माने या न मानें, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक दिन कहा, उन्होंने तो मा0 मुख्य मंत्री जी से कहा था। लेकिन यह बात जैसा माननीय चौधरी साहब ने कही आपने कह दिया कि भारत सरकार को 7 हजार करोड़ रुपया देने के लिये आपने भारत सरकार को लिख दिया कि गेहूं का मूल्य 1150 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए, भारत सरकार ने 1 हजार रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया तो क्या 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस आप डिक्लेयर करेंगे, यह तो आपका अधिकार है। जब हर चीज भारत सरकार ही करेगी तो यह सरकार किसलिये है ? श्रीमन् या तो मना करें।

श्री लालजी वर्मा-

मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भारत सरकार का है, भारत सरकार ही तय करेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

बोनस देने का अधिकार आपका है। आप बोनस की घोषणा कीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है और स्वीकार करने के बाद भी बोनस नहीं देना चाहती है। इसलिये इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री अम्बिका चौधरी जी अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री अनूप सण्डा जी व श्री राम किशुन की है, दोनों मा0 सदस्य नहीं हैं इसलिये इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब बजट ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की सूचनायें हो गई हैं, अब मद संख्या-8 ले रहा हूं। माननीय खाद्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, जब आपको बुलाया था आप नहीं थे, आपकी सूचना अग्राह्य हो गई है। आप बाद में दे दीजियेगा।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,36,95,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अनूप कुमार सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, एक मिनट सुन लीजिये। बोर्ड के सेण्टर निर्धारण के बारे में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको बुलाया था लेकिन आप उपस्थित नहीं थे इसलिये मैं आगे बढ़ गया हूं। आप इसे फिर से दे दीजियेगा।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी का जिन्होंने मुझ जैसे एक किसान के बेटे को खाद्य एवं रसद विभाग का बजट इस सदन में रखने का मौका दिया। खाद्य रसद विभाग सारी वितरण व्यवस्था का जिम्मेदार है। ....

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 खाद्य मंत्री जी अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आज सुन लेंगे।

(श्री अनूप कुमार सण्डा द्वारा अपने आसन से सुनने का आग्रह करते रहने व अपने आसन से बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

सण्डा जी, आप बैठ जाइये। चन्देल साहब जिस समय कार्यस्थगन चल रहा था आप थे नहीं। आप इसको फिर दे दीजियेगा। अब मैंने माननीय मंत्री जी को आमंत्रित कर लिया है, आप कल बोल लीजियेगा।

श्री अनूप कुमार सण्डा-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

सण्डा जी जो कुछ बोल रहे हैं, उसे लिखा नहीं जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सण्डा जी को एक मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब लिबरल का मतलब यह नहीं है कि जब चाहें तब बोलने लगे। जब नियम-56 की सूचना ले रहे थे तब मैंने कहा था कि सुन लेंगे। चन्देल साहब की पेयजल समस्या के बारे में सूचना है, इसको पुनः दे देंगे। अब मैंने मद संख्या-8 ले लिया है।

अब अगली मद ले ली है तो नियम 56 में अब कैसे सुन लें। सण्डा जी कल अपनी सूचना दे दीजिये।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

अध्यक्ष जी मैं कह रहा था कि जहां सार्वजनिक वितरण की जिम्मेदारी खाद्य एवं रसद विभाग की है वहीं भारत सरकार द्वारा गेहूं और धान का समर्थन मूल्य है उसको भी खरीदने की जिम्मेदारी खाद्य एवं रसद विभाग की है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में है बार

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बार इसमें त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था होने के बावजूद उंगली उठाने का काम हो रहा था और हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी की जानकारी में जब यह बात आई तो उन्होंने एक अगस्त, 2007 में एक शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया कि जिलाधिकारी से नामित पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में देखरेख में वितरण व्यवस्था रहेगी और विधिवत आज मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इस शासनादेश के बाद उत्तर प्रदेश में वितरण व्यवस्था सही हुई है आज मैं कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत उंगली मिट्टी के तेल के सवाल पर अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश में उठाने का काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो हमारी उत्तर प्रदेश की मांग है एक लाख 80 हजार कि0ली0 की मांग है और भारत सरकार से एक लाख 32 हजार कि0ली0 मिट्टी का तेल दिया जाता है। दूसरा जो कारण है यह जो कम्पनियां हैं मिट्टी के तेल की कम्पनियां हैं हमारे जिलाधिकारी जो पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं खाद्यान्न वितरण के समय तो भारत सरकार के अधीन तेल कम्पनियां हैं उस समय यह मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं करा पाती हैं जिनके कारण हम पर्यवेक्षकों की देखरेख में मिट्टी का तेल नहीं बंटवा सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्या मिट्टी के तेल की है उसको हम अपने अधिकारियों के माध्यम से उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इसको भी किसी अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में लगाकर मिट्टी के तेल का भी वितरण उत्तर प्रदेश में कराया जाय। वितरण व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं के खरीद की भी हमारे सामने जिम्मेदारी थी 13 मई, 2007 को जब सरकार बनी है तो उस समय गेहूं की खरीद चल रही थी गेहूं की खरीद में आप जानते हैं, सदन जानता है आजकल जो प्राइवेट लोग हैं आई0टी0सी0 जैसे लोग गेहूं खरीदने का काम उत्तर प्रदेश में करते हैं। 15 लाख मी0टन का लक्ष्य था तो 15 जून के बाद आढ़तियों के माध्यम से पांच लाख 45 हजार मी0टन गेहूं खरीदने का काम किया जो पिछले वर्षों की तुलना में पांच गुना ज्यादा था। धान की खरीद की समस्या है तमाम हमारे मित्र हैं तमाम हमारे सहयोगी हैं किसान की आज समस्या उठा रहे हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहन कुमारी मायावती की यह पहली सरकार उत्तर प्रदेश में आसीन है जिसने धान की खरीद में पहले 62 प्रतिशत पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 64 प्रतिशत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सी0एम0आर0 में रिकवरी के सापेक्ष 67 प्रतिशत वसूलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के राजकोष में 35-36 करोड़ बचाने का काम किया। यह पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है। हमारे चौधरी साहब किसान की बात उठाने का काम कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 20 मीट्रिक टन धान खरीदने का रिकार्ड कायम करने का काम किया है। आज किसानों का रोना सभी माननीय सदस्य रोते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज इतने दिनों से सदन चल रहा है और हम सब सदन में बैठे है। आज तक किसी माननीय सदस्य ने

यह प्रश्न नहीं किया कि उनके जनपद में कहीं धान खरीद की कोई समस्या हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई इस तरह की धान खरीद न होने की समस्या से हमको अवगत कराने का काम करेगा तो हम 24 घण्टे के अन्दर भारत सरकार द्वारा घोषित दाम पर धान खरीदने का काम करेंगे। मान्यवर, आप रिकार्ड उठाकर देख लें इस वर्ष का रिकार्ड उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला है धान खरीद के मामले में। मान्यवर, बार-बार यह आरोप लग रहा है कि किसानों की अनदेखी हो रही है लेकिन किसी माननीय सदस्य ने धान खरीद न किये जाने का कोई प्रश्न नहीं किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विसंगति है। खाद्य और रसद विभाग का बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्ड अलग है और ग्राम्य विकास का अलग है। खाद्य रसद में जो आय थी वह 9 हजार रुपये और ग्राम्य विकास में ग्रामीण क्षेत्र में 19 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र में 25 हजार रुपये थी। यह पहली सरकार है जो बहिन मायावती जी के नेतृत्व में बनी है जिसने पुनः सर्वे के आदेश दिये कि राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के जो पूरे प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड है, जिसके माध्यम से समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आवास विभाग या अन्य विभाग जो भी उनको सुविधा देते हैं। उनका यह मानना है कि पात्र व्यक्तियों के ही कार्ड हों और उनको ही उसका लाभ मिले। इसी तरह से कल भी ग्राम्य विकास विभाग मंत्री जी ने इस तरफ इशारा करने का काम किया था। हमारे विभाग में उपभोक्ता फोरम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। 30-35 जगह पर उपभोक्ता फोरम भवन बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से बांट माप विभाग किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। इस विभाग में दो तीन निगम है। जैसे आवश्यक वस्तु निगम जो कि अपने पैरों पर खड़ा है और 18 जिलों में यह कार्यरत है और खरीद और वितरण का काम इसके जिम्मे है। कर्मचारी कल्याण निगम उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के हित के लिये बना था। पहले दोपहिया वाहन इस निगम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी खरीद सकते थे और उनको इसमें लाभ मिलता था लेकिन दुर्भाग्य से यह सुविधा बन्द हो जाने के कारण यह निगम जर्जर हालत में हो गया। इसके बाद वैट लगने के बाद तो इसकी स्थिति और खराब हो गई थी। करीब एक महीने तक यह निगम बन्द रहा और इसमें कार्यरत कर्मचारियों की खराब हालत हो गई। वह तो हमारी बहिन मायावती जी ने इसको वैट से छूट दे दी जिससे इसके 140 स्टोर फिर खुल गये। मान्यवर, आज बुन्देलखण्ड की बार-बार बात उठती है। बुन्देलखण्ड में खाद्य रसद विभाग के माध्यम से यह सरकार जो वहां बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्ड धारक हैं उनको खाद्यान्न मुहैया कराने का काम कर रही है। साथ ही साथ 1 लाख 18 हजार गरीब परिवारों को चिन्हित करके 15 किलो गेहूं फ्री देने का काम खाद्य रसद विभाग कर रहा है।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

इसी के साथ बुन्देलखण्ड के जनपदों में मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली में जो नक्सलाइट इलाके हैं उसको मिलाकर पांच सौ खाद्यान बैंक खाद्य रसद विभाग ने खोलने का काम किया है। पांच सौ खाद्यान बैंकों से जो पात्र व्यक्ति हैं उनको एक कुन्तल बिना किसी सूद ब्याज के, तीन-चार महीनों के लिए एक कुन्तल गेहूं देने का काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में, चाहे वह बुन्देलखण्ड का इलाका हो, चाहे नक्सलाइट इलाका हो, कोई भूख से न मरे, यह हमारी सरकार की मंशा हैं इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, हम गांव के परिवेश से निर्वाचित होकर आते हैं। चाहे शहरी क्षेत्र से हों चाहे गांव के क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हों, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो वास्तव में गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, महिलायें पुरुष इकट्ठा होने के बाद चाहे मेरे सामने हों चाहे आपके सामने हों, चाहे विपक्ष के सामने हों, चाहे सत्ता पक्ष के सामने हों, बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्ड मांगने का काम करते हैं। लेकिन यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है यह भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार से हम बार-बार खाद्य मंत्री के रूप में, खाद्य रसद के प्रमुख सचिव बार-बार भारत सरकार से अनुरोध करने का काम किए हैं लेकिन भारत सरकार ने यह कार्ड बनवाने का काम नहीं किया। आज एक करोड़ 6 लाख लोग बी0पी0एल0 के पात्र हैं जिनको भारत सरकार खाद्यान और मिट्टी का तेल मुहैया करा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़े से समय में इस विभाग के कार्यक्रम रखने का काम आपके सामने किया है मुझे आशा है कि विपक्ष की तरफ से जो भी कटौती का प्रस्ताव आएगा, जो भी कटौती का प्रस्ताव रखेगें जो सुझाव आएंगे उसको हम अपने अधिकारियों के माध्यम से उन्हें समायोजित करके इस खाद्य एवं रसद विभाग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे वह गरीब हो, चाहे, वह अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो खाद्य एवं रसद विभाग से प्रभावित नहीं है या उससे लाभान्वित नहीं है। मुझे दुख हुआ कि माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ट नेता हैं मंत्री हैं। यह तो आपने जरूर अपने बजट में कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन जिस हल्के तरीके से इस बजट को यहां पर रखा गया है वह निश्चित रूप से निन्दनीय भी है और सोचनीय भी है। मान्यवर, आवश्यक वस्तु के वितरण प्रबन्धन उसकी आपूर्ति और मूल्य का नियंत्रण की समस्या आज से ही नहीं बल्कि आप द्वारा दिये गये लिटरेचर में लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसकी बात हुई, विभिन्न नाम बदलते गये और नाम बदलते-बदलते आ करके चाहे वह नागरिक आपूर्ति विभाग राशनिंग विभाग दो अलग-अलग विभाग के नाम से रहा हो, लेकिन अब अन्त में यह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नाम से कार्य

कर रहा है और विभाग का यह लक्ष्य है कि जनता को उचित मात्रा में गुणवत्तापरक खाद्यान्न सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। इसमें गेहूं भी आता है, चावल भी आता है मिट्टी का तेल भी आता है, चीनी भी आती है, रसोई गैस भी आती है और निर्माण में आने वाली सामग्री चाहे सरिया हो, सीमेंट हो, कोयला हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो इसके अधीन नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा लक्ष्य वर्तमान समय में रहा है, कम से कम वर्तमान सरकार के समक्ष तो निश्चित तौर पर होना चाहिए और यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्य सामग्री मिट्टी का तेल उचित दर पर उपलब्ध कराना, उसी के साथ किसानों की जो उर्वरक है, किसानों की जो पैदावार है, किसानों की जो उपज है, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि गेहूं और चावल की खरीददारी जो समर्थित मूल्य है उस उचित दर पर, उसके उत्पाद की खरीददारी किया जाना भी इस विभाग का कार्य है। मान्यवर, पहले ही पृष्ठ पर यह लिखा गया है कि विभागीय कार्यशैली को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सिटीजन चार्टर तैयार कर अंगीकृत किया गया और उसी पर यह भी लिखा हुआ है कि सर्वेक्षण में 2,87,124 ऐसे अपात्र लोग पाये गये जो पात्रता श्रेणी में नहीं थे, जिन्हें कार्ड वितरित किये गये थे। मैं इसकी ओर आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी सदन में पीछे का रिकार्ड अगर निकाल कर के देखा जाये तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा सवाल यदि यहां पर हुए हैं और मा0 सदस्यों की जिसमें जिज्ञासा रही है वह है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बीपीएल कार्ड, अन्त्योदय कार्डधारकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में कोटेदारों और राशन माफियों के बारे में और इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में। यह बातें आई हैं। अभी इसी सत्र में एक सवाल आया था और मा0 मंत्री जी ने इस पर स्पष्ट आश्वासन तो नहीं दिया था लेकिन मा0 हुकुम सिंह जी ने सवाल किया था 20 फरवरी, 2008 को और जिसमें यह था कि केवल उत्तर प्रदेश में 3,02,089 करोड़ रुपये का खाद्यान्न साइफन किया गया है जो गरीबों के लिये था, कमजोरों के लिये था, उस बीपीएल और अन्त्योदय के लिये था, इतनी धनराशि का राशन बाजार में बेच दिया गया। मान्यवर, इस विभाग की जिम्मेदारी मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ मुनाफाखोरी को रोकना, काला बाजारी को रोकना भी हैं लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूं, जो समस्या है, चाहे विधायक इधर के हों, या विधायक उधर के हों, जब अपने क्षेत्र में गांवों में जाते होंगे तो सबसे ज्यादा समस्या यही सामने आती होगी मैं नगर के विधायकों को नहीं कहता, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कह रहा हूं।

मान्यवर, वहां पर सबसे ज्यादा समस्या कोटा न मिलने की, खाद्यान्न न मिलने की आती है। लेकिन एक ऐसा नेकसस है। कहावत है कि तुम भी लूटो हमें भी लुटने की आजादी है, सबसे ज्यादा वह लूटे जिसके हाथ में लाठी है। मान्यवर, लखनवाला आयोग गठित हुआ था और उसने बी0पी0एल0 की रिपोर्ट दी थी। उस समय बी0पी0एल0 का 95 लाख 48 हजार था। आज की तारीख में यह संख्या 106.7 लाख है। जिसमें 65,845 लाख बी0पी0एल0 में हैं और शेष 40,945 लाख रुपये अन्त्योदय में हैं। मान्यवर, पहले पृष्ठ में लिखा है कि 2 लाख 87 हजार

124 परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किये गये जो अपात्र थे और वहीं पर जो मान्यवर, कांशीराम योजना में जो नगर चिन्हित किये गये हैं चाहे वह जनपद की नगर पालिकाएं हैं उनमें आपने यह कहा कि वहां पर 26 हजार 550 कार्ड निरस्त किये गये जो अपात्र थे। बावजूद इसके जो पात्र पाये गये उनकी संख्या 70 हजार के आसपास थी, 73 हजार 52 बी0पी0एल0 कार्ड से वंचित थे जो पात्र थे। यह प्रथम चरण मान्यवर, कांशीराम योजना के अन्तर्गत जो चयनित हैं यह केवल उनके आंकड़े हैं जो 73 हजार 52 पात्र श्रेणी के लोग राशन कार्ड से वंचित थे और जो अपात्र थे 26 हजार 550 कार्ड निरस्त किये गये। बावजूद इसके 46 हजार 502 जो बी0पी0एल0 वंचित हुए तो उन बी0पी0एल0 के लिये आपने क्या इंतजाम किया है, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जरूर इस बात का उल्लेख करेंगे। और क्या जो बी0पी0एल0 की संख्या के बारे में मैंने कहा, यह आप भी अवगत हैं कि जि तनी बी0पी0एल0 की संख्या को दर्शाया गया है, हकीकत में उससे ज्यादा पात्र बी0पी0एल0 परिवार कार्ड से वंचित हैं। सरकार का यह कहना है कि जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक होगा वही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिये भी पात्र होगा और सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उसी को मिलेगा। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है और सुझाव है, यह ठीक है कि आप बी0पी0एल0 सर्वे का कार्य करा रहे हैं और क्यों यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसके निर्देश पर यह विभाग कार्य करता है। बी0पी0एल0 सर्वे कराने के लिये उसी तर्राके से एक आयोग का गठन किया जाये जिससे कोई भी कमजोर व्यक्ति इससे वंचित न रह जाये। क्योंकि गांव में कार्ड का जो वितरण है उससे सभी अवगत होंगे कि लाल कार्ड जो अन्त्योदय कार्ड है वह कार्ड ताकतवर अपात्र लोगों ने अपने प्रभाव के नाते उसको अपने हाथ में ले रखा है क्योंकि उसमें गेहूं चावल का दाम 2-3 रुपये है। और जो बेचारा गरीब है, जो विधवा है जो लाचार है उसको कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिये मिले तो सभी जो इस श्रेणी के पात्र लोग हैं उन सभी पात्र लोगों को राशन कार्ड की यह सुविधा मिलना चाहिए। वरना एक को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा तो यह विसंगति दूर करने के ऊपर निश्चित तौर पर सरकार विचार करे।

मान्यवर, राशन की दुकानें हैं और राशन की दुकानों में आपने आरक्षण का प्राविधान कर रखा है, लेकिन आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है आप इसकी जांच करा लें। यह चाहे विकलांग के लिये हो, किसी शहीद के परिजन के लिये हो, किसी एक्स आर्मीमैन के लिये हो या किसी अन्य श्रेणी के लिये हो, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, आज माफिया शब्द चला है, भू माफिया, एजूकेशन माफिया उसी तरह से आपके विभाग में राशन माफिया है जिनके पास पन्द्रह बीस दुकानें हैं, बीच में नियम बना था उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर कोई दुकान निलम्बित होती है तो वह दूसरी दुकान के साथ अटैच हो जाती है, तो उसमें यह था कि एक महीने के अन्दर उसकी सम्बद्धता उससे खत्म हो जायेगी, लेकिन बहुत से कोटेदार आधा दर्जन या डेढ़ दर्जन दुकानों को अपने साथ सम्बद्ध रखे हैं। माननीय अधिष्ठाता

महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने तेल की बात की। मिट्टी के तेल की आवश्यकता देहातों में रहने वाले लोगों को ज्यादा है। आपने प्राविधान किया है कि जिनके पास एलपीजी गैस होगी उन्हें तीन लीटर और जिनके पास यह नहीं है उनको पांच लीटर तेल दिया जायेगा। लेकिन हकीकत कुछ और है। यह जो मिट्टी के तेल का आवंटन हुआ है, भारत सरकार के द्वारा यह आवंटन किया जाता है यह मैं मानता हूं, यह आपने कहा था, लेकिन जो मिट्टी के तेल का आवंटन हुआ एक लाख बत्तीस हजार तिहत्तर किलो लीटर प्रति माह के हिसाब से किया गया और जो पर कैपिटा भारत सरकार का मानक है वह 8.79 है और उत्तर प्रदेश का 7.29 है। यह आवंटन किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया गया है इसका उल्लेख नहीं है। संभवतः 1991 की जनसंख्या के आधार पर आवंटन किया गया था। उस समय का आवंटन और इस समय का जो आवंटन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिये और कोशिश करें। मिट्टी के तेल की आपूर्ति से ज्यादा जो जरूरी है वह मिट्टी के तेल का वितरण है। गांव में रहने वाले लोगों की मिट्टी के तेल की ढिबरी जलती है, लालटेन जलती है। हकीकत यह है कि मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। जो मिलता है वह निर्धारित रेट पर नहीं मिलता है। ऐसा भी सुनने में आता है कि मिट्टी का तेल कागजों में खर्च कर दिया जाता है, टैंकरों से चला जाता है। मिट्टी के तेल की मिलावट डीजल और पेट्रोल में हो रही है, इसलिये मिट्टी के तेल की आपूर्ति के साथ उसके वितरण के बारे में निश्चित तौर से गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि आपका विभाग राजस्व अर्जित करने वाला विभाग, नहीं लेकिन बावजूद इसके राजस्व अर्जित करते हैं। आप इस विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर की हैसियत को देख लीजिए उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार का बोल-बाला इस विभाग में है, इसलिये माननीय मंत्री जी आपको विशेष तौर से प्रयास करना पड़ेगा तभी उस गरीब को आपकी योजनाओं का लाभ मिल पायेगा।

किसानों के उत्पाद की जो खरीददारी की बात है आपने कहा कि 15 लाख टन आपका लक्ष्य था, और 5.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी इस बार हुई। 750 रुपया समर्थन मूल्य था और सौ रुपया उसमें बोनस दिया गया। विगत वर्षों के अगर आंकड़ों को देखें आप तो 2004-05 में जो खरीददारी हुई वह 17.4 लाख मीट्रिक टन हुई 2005-06 में 5.59 लाख मीट्रिक टन हुई और 06-07 में सबसे कम खरीददारी हुई 0.48 मीट्रिक टन और 07-08 में आपने साढ़े 16 लाख कहीं पर लक्ष्य लिखा हुआ है उसके सापेक्ष 5.45 लाख मीट्रिक टन की खरीददारी हुई है। इस बात की जो खरीददारी हुई है उसमें आपने कमीशन एजेन्ट रखा है और कमीशन एजेन्ट को भुगतान 2.5 प्रतिशत के हिसाब 18 रुपये 75 पैसा प्रति कुन्तल के हिसाब से किया गया। माननीय अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्षों के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि जो कमीशन एजेन्ट आपने रखा और जिसका भुगतान किया गया वह कमीशन एजेन्ट रखने के बाद आपकी उपलब्धि

क्या रही और आप उसमें कितना इजाफा कर सके, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, विगत वर्षों में अगर आप देखें तो गेहूं का उत्पादन उसका क्षेत्रफल और उसका रकबा, के ऊपर अगर दृष्टि डालें आप तो ऐसा लगता है कि करीब-करीब यह स्थिर हो कर के रह गया है। क्षेत्रफल जो आपका पहले 2003-04 का विपणन वर्ष हुआ 91.5 लाख हेक्टेयर है और उत्पादन हुआ है 255.66 लाख मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर जो उत्पाद हुआ 27.94 कुन्तल, 2004-05 में 89.99 हेक्टेयर में क्षेत्रफल रहा 275 लाख मीट्रिक टन उत्पाद हुआ और उत्पादकता 25.02, वर्ष 2005-06 में 90.93 और 3000 लाख मीट्रिक टन उत्पाद हुआ और उत्पादकता इस साल सबसे ज्यादा 33.39 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रही है और 2006-07 में जो विपणन वर्ष 2007-08 है जो बीता है उसमें 92.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल 275 लाख मीट्रिक टन उत्पाद और 29.86, मेरा आंकड़ा रखने का मतलब, यह आंकड़े आप ही के हैं, आंकड़े रखने के पीछे और कोई मकसद नहीं केवल यह मकसद है कि इस पर भी चिन्ता करने की आवश्यकता है कि एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, पापुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी कोशिश है कि जन्म दर घटाया जाये, मृत्यु दर घटाया जाये और वहीं पर उत्पादक क्षमता हमारी नहीं बढ़ रही है।

श्री अधिष्ठाता-

राय साहब आज बहुत सारे बजट हैं, इसलिये कृपया संक्षेप में कहें। दो मिनट में खत्म कर दें आप।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत कम समय दिया था, इसलिये उनका भी समय मैंने ले लिया है।

इसके पीछे मान्यवर, मेरा कहने का मकसद केवल इतना ही था मान्यवर, कि इस पर विचार करना होगा कि कृषि योग्य भूमि का जो अधिग्रहण विभिन्न कार्यों के लिये किया जा रहा है उसके ऊपर निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए उस पर विचार करना चाहिए। मान्यवर, जनसंख्या अगर इसी तरह से बढ़ती चली जायेगी और हमारी उत्पादन क्षमता वैसे ही स्थिर रहेगी तो हम किस तरह से प्रदेश के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकेंगे। धान के बारे में आपने कहा मैं स्वीकार करता हूं कि धान में इस बार सर्वाधिक खरीददारी हुई है इसके लिये मैं आपको बधाई दे रहा हूं। जो इन्फोर्समेंट के लिये आपने बात रखी है खाद्य प्रकोष्ठ, फूड सेल, इसमें जाने के लिये पता नहीं क्यों पुलिस वाले जाने के लिये बड़े परेशान रहते हैं हो सकता है इसमें कुछ माल पानी होगा। उसको आप जरा गतिशील करें जिससे जवाबदेही बने जिससे प्रदेश की आम जनता को कुछ एहसास हो सके। एल0पी0जी0 गैस की बात हुई। इसके बारे में काफी चर्चा हुई है नये कनेक्शन के बारे में आपने कहा कि वितरक चूल्हा लेने के लिये बाध्य नहीं करेगा। एक आध वितरक ही आपको ऐसा मिलेगा जो चूल्हे के लिये बाध्य नहीं करता हो वरना सभी मजबूर करते

हैं। कितने लोग प्रतीक्षा सूची में कनेक्शन पाने के लिये यह नहीं उल्लेख आया है इस बार। पिछली बार यह बात आई थी कि 15 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। उसके बारे में आप अपने उत्तर भाषण में बताने का कष्ट करेंगे। इसके अलावा बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में जो गैस भरी जा रही है उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिये क्योंकि उसको लेकर कई जगहें घटनायें हुई हैं और कई लोग हताहत हुए हैं। आपका आवश्यक वस्तु निगम है, कर्मचारी कल्याण निगम है। आपने स्वतः स्वीकार किया है कि दुपहिया वाहनों की बिक्री नहीं हो रही है डिपो के माध्यम से इसलिये वह उत्तरोत्तर घाटे की ओर जा रहा है। जो आपका कारोबार नीचे होता चला जा रहा है उसके बारे में आप सोचें। मूल्य नियंत्रण की जो बात है आज जबरदस्त मार लोगों पर मंहगाई की है। इस मंहगाई की मार से इस प्रदेश की जनता को बचाने की जिम्मेवारी माननीय मंत्री जी आपकी है। इसलिये इस दिशा में आपको कुछ सार्थक प्रयास करने होंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग की अनुदान मांगों पर डा0 पी0के0 राय साहब द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो राय साहब कटौती प्रस्ताव के भाषण के दौरान रखी है। काफी बातों को उन्होंने कवर किया है। मैं तीन-चार बातों पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं। मान्यवर, स्टेट्स-को से दुर्व्यवस्था अच्छी है। माननीय खाद्य मंत्री पुराने हैं अनुभवी हैं और वह विभाग की रग-रग से वाकिफ हैं। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की बात आई। चाहे मान्यवर, इधर के बैठे सदस्य हों या उधर बैठे सदस्य हों और इधर बैठे हुए लोग भी कभी न कभी सत्ता में रह चुके हैं, वह व्यवस्था अपने आप में दोषपूर्ण है। लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता। उसकी वजह से सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये 1975 के बाद से किसी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया उसी तरह से यह भी है कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के ऊपर कुछ भी छूने से सरकार कतराती है। मान्यवर, यह एप्रोच जो है, मैं समझता हूं कि सही नहीं है और उसमें जितना भी सुधार हो सके इसमें करना चाहिये। हम अपने वातावरण को चेंज नहीं कर सकते। दिन को हम रात नहीं कर सकते हैं न रात को दिन कर सकते हैं, यह भी हम स्वीकार करते हैं लेकिन उसके बाद भी कई चीजें ऐसी हैं जो सुधारी जा सकती है बिना किसी बाधा के। जैसे मिसाल के तौर पर हम राशनकार्ड लेकर मिट्टी के तेल की दुकान पर जाते हैं और मिट्टी का तेल हमको पिछले 3 महीने से नहीं मिला, उसमें इंटरी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और उसी राशनकार्ड के ऊपर कोटेदार हमारी पिछले तीन महीने की इंटरी कर देता है। यह ऐसा सिस्टम है जो सुधारा जा सकता है। इसमें विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम कोटेदार को इतनी सुविधा नहीं होनी चाहिये इसके लिये

एक सिस्टम इवाल्व करना चाहिये कि वह कोटेदार जितना तेल मिट्टी का अमुक व्यक्ति ने कन्ज्यूम किया हो, लिया हो उसकी ही इंटरी उस राशनकार्ड पर होनी चाहिये जितना उसने प्राप्त किया हो। यह नहीं कि 4 महीने से नहीं लिया तेल उसके बाद भी उसके ऊपर इंटरी आ जाय।

दूसरी बात बी0पी0एल0 और अन्त्योदय के बारे में कहा गया कि यह एक करोड़ 6 लाख है, भारत सरकार यह संख्या निर्धारित करती है इनके कार्डों की संख्या न माननीय मंत्री जी बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं लेकिन जांच में हम उसको सही कर सकते हैं। इस पर मैं दो बातों पर बल देना चाहता हूं। भारत सरकार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस पर आग्रह किया जाना चाहिये कि हर हालत में बी0पी0एल0 परिवारों को, अन्त्योदय परिवारों को जो अनाज है उपलब्ध कराने के लिये उसकी संख्या में वृद्धि की जाय। इसमें हर स्तर पर दबाव बनाना चाहिये। जब तक हम उसकी संख्या में वृद्धि नहीं कर पायेंगे। तब तक बी0पी0एल0 और अन्त्योदय परिवारों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। यह सरकार आज यह दावा करती है कि दबे कुचले लोगों को रिप्रजेन्टेशन देती है इसलिये इस पर सबसे ज्यादा आग्रह होना चाहिये कि इसकी संख्या बढ़ाई जाये।

दूसरी बात यह है कि नये राशनकार्ड के ऊपर कभी प्रतिबन्ध लग जाता है स्थानीय स्तर पर कभी बनना शुरू हो जाता है तो उसके लिये कोई क्रास चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर नया राशनकार्ड सही है कहीं बाहर से आकर वह रहा है तो उसका जरूर बनना चाहिये। कहीं कहीं ऐसा भी है कि राशनकार्ड में यूनिट ज्यादा है और संख्या कम है। जनसंख्या कम और राशनकार्ड की यूनिट ज्यादा, राशनकार्ड ज्यादा बन गये और राशन के कोटे के दुकानदारों के पास हर दुकानदार के पास 100-100, 200-200 राशनकार्ड फर्जी मिलेंगे हम जनरल पब्लिक की चेकिंग कराकर उसके राशन कार्ड कैंसिल करा सकते हैं लेकिन कोटेदार उनका नेटवर्क सप्लाई इंस्पेक्टर से लेकर जिलापूर्ति अधिकारी तक इतना मजबूत है कि वह राशनकार्ड कभी कैंसिल नहीं होते इसलिये जो कोटेदार हैं उनकी आमदनी का जरिया है वह अपनी जगह बना रहता है। यह व्यावहारिक कठिनाई है। माननीय मंत्री जी स्वयं इससे अवगत होंगे और मैं समझता हूं कि इससे पूरा सदन अवगत है। अगर क्रासचेकिंग होने लगे राशनकार्ड की तो यह सिस्टम रोका जा सकता है।

तीसरी बात जिलों जिलों में इस समय बायो डीजल बिक रहा है कुछ कलेक्टर ने रोक लगाई है। यह बायो डीजल क्या है ? इसकी राशनिंग है इसके ऊपर कन्ट्रोल आर्डर लागू है या नहीं लागू है यह एक पैरलल व्यवस्था है जब मैंने पूछा कि यह आप कहां से लाये तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी बैटरी से चलने लगे तो यह बात पूछोगे नहीं कि बैटरी कहां से लाये ? यह बायो डीजल इस पर कोई कन्ट्रोल आर्डर लागू होगा या नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय व्यवस्था इस पर लागू होगी कि नहीं होगी। कई जगह रोका गया। कहते हैं कि यह उत्तरांचल में बनता है और

उत्तर प्रदेश में यह बायो डीजल विभिन्न जिलों में बिक्री होती है। जो मार्केट वैल्यू है डीजल की, जो आम डीजल बिकता है उससे मार्केट वैल्यू इस डीजल की कम है।

चौथी बात, अभी हमारे डाक्टर साहब यह कह रहे थे कि गैस के कनेक्शन के साथ इस बात के लिये बाध्य किया जाता है कि वह चूल्हा जरूर लें और मैं समझता हूं कि गैस के कनेक्शन में बहुत लिमिटेड आमदनी होती है, चूल्हे में मनमाने पैसे ले लेते हैं जो वितरक लोग हैं उस कुकिंग गैस में चूल्हा लेने की जो बाध्यता है, इसमें व्यवहारिक सिस्टम लागू किया जाना चाहिये कि किसी भी प्रकार से चाहे वह अपने बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करें कि चूल्हा लेने की बाध्यता नहीं होगी या कोई उसके ऊपर कन्ट्रोल करें, नियंत्रण करें, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, कि किसी भी प्रकार से उन लोगों को बाध्य नहीं किया जायेगा जो लोग कनेक्शन लेंगे उन लोगों को चूल्हा लेने के लिये। मान्यवर, एल0पी0जी0 गैस का 21 दिन के अन्दर रिफिल होता है। हो सकता है कि गैस की सप्लाई की कमी हो। अगर हम सप्लाई की बात करेंगे तो माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह तो केन्द्र सरकार से संबंधित है। लेकिन मान्यवर, जितने भी कनेक्शन दिये गये हैं, उनके लिये यह नियम है कि 21 दिन के अन्दर वह दुबारा रिफिल लेने के अधिकारी हैं। मान्यवर, आजकल शादी ब्याह का जोर ज्यादा है, 5 सिलेण्डर शादी में देने की व्यवस्था है, लेकिन यह गैस मिलती नहीं है। इसके ऊपर इतनी भयंकर कालाबाजारी है। इसका 296 रुपये का रेट है, अगर इस रेट में चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 400 रुपये के हिसाब से चाहेंगे तो तुरन्त मिल जायेगा और वह गैस वाला आपके घर तक पहुंचवा देगा। इसलिये गैस के सिलेण्डर दूसरे कामों में भी यूज हो रहे हैं इस संबंध में मैंने आज नियम-56 के अन्तर्गत एक सूचना भी दी थी। गैस के सिलेण्डरों से आज गीजर चल रहे हैं, गैस के सिलेण्डरों से आज डीजल जनरेटर चल रहे हैं, गैस के सिलेण्डरों से गाड़ियां चल रही हैं, इसकी भी चेकिंग होनी चाहिये, इसकी भी रोकथाम होनी चाहिये और खासतौर से कामर्शियल और जो घरेलू गैस है, इसमें भी डिस्टिंक्शन होना चाहिये।

श्री अधिष्टाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

गैस हर घर की जरूरत है गैस हर व्यक्ति की जरूरत है हर चूल्हे की जरूरत है, मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके पहले कि आप लाल बत्ती जलायें मैं अपनी बात खत्म करता हूं। दो बातें रह गई थीं, उनको छोड़ देता हूं।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य और रसद विभाग के बजट पर, जो कटौती प्रस्ताव डा0 पी0के0 राय जी ने रखा है, उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया, मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं जहां के बारे में काफी चर्चा होती है। मैं सिर्फ दो-तीन सुझाव

देना चाहता हूं। बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी तक जो बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड है सरकार कह रही है कि इनकी चेकिंग की जा रही है और हम इनको पुनः बनवाने की कार्यवाही कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो इसके सही पात्र लोग हैं उन्हीं के बनाये जायें। क्योंकि यह कार्ड राजनैतिक झंझावत में फंस जाते हैं, क्योंकि जिनका प्रधान होता है या प्रधान जिन लोगों को चाहते हैं उन लोगों को बनवा देते हैं और यह ज्यादातर सम्पन्न लोगों के बने हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अब जो नई सूची बने उसमें पारदर्शिता हो। दूसरी बात अभी माननीय मंत्री जी ने कहा किसानों के गेहूं और धान के बारे में। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तिलहन जब बाजार में आई, दलहन तिलहन की फसल मार्केट में जब आई, किसान जब उसको बेचने गया तो 2400 से 2700 रुपया क्विंटल का दाम मिला और ज्यादा समय नहीं हुआ और 2-3 महीने के अन्दर ही वह फसल 7400 से 7800 रुपये क्विंटल मार्केट में बिक रही है और किसान को मात्र 2400-2700 रुपये ही मिला। इस प्रकार बिचौलियों को दो माह में ही दूना भाव प्राप्त हो रहा है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाया जाता है जबकि सरकार बराबर यह कहती है कि इसकी बराबर चेकिंग होती है, जबकि 80 प्रतिशत ऐसे पेट्रोल पम्प हैं जिसमें मिट्टी के तेल की मिलावट होती है। ज्यादातर शिकायत करने पर कोई ऐसा पम्प सील नहीं होता, क्योंकि उनकी सांठ-गांठ अधिकारियों से होती है। कभी भी आप शिकायत करें लेकिन जब चेकिंग में पकड़े जायेंगे तो एक-दो महीने बाद ही पम्प फिर से चालू हो जाता है एक निवेदन है कि मान्यवर, जो कार्ड धारक हैं, जब वह मिट्टी का तेल लेने के लिये लिये जाते हैं कोटेदार के पास तो कोटेदार कह देता है कि तेल नहीं है। कुछ लोगों को वह बांटता है और उसके बाद अपनी दुकान बन्द कर देता है। अगर उसकी शिकायत कोई जन प्रतिनिधि से करता है और हम लोग जाते हैं तो कोटेदार कहता है कि हमारे यहां कार्ड ज्यादा लगे हैं और हमें सामान कम मिलता है, यही सीधा सा जवाब वह दे देते हैं और ऐसा देखा भी गया है कि जो दुकानें लगी हैं उनमें कार्डों की संख्या ज्यादा है और सामान कम मिलता है हो सकता है कि ऐसा सभी जगहों पर न हो लेकिन इसके बहाने से ज्यादातर कोटेदार ब्लैक में बेच करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, इसलिये मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जितने कार्ड हों उतना सामान कोटेदार को निश्चित रूप से दिलाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घूरा राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत चलता है। मान्यवर, हम इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि बी0पी0एल0 कार्ड, अन्त्योदय कार्ड, ए0पी0एल0 कार्ड सही पात्र व्यक्तियों को दिये जा रहे हैं। बी0पी0एल0 कार्डों के लिये पूर्ववर्ती सरकारों में मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं

हमारे साथी हैं नहीं लेकिन बलिया के बारे में आपको बता रहा हूं कि खाद्यान्न के तहत जितना खाद्यान्न बलिया में गया था, वह सीधे बिहार की ओर चला गया और जब उसकी जांच होने लगी तो हम लोग विपक्ष में बैठते थे और हम लोगों ने मांग की कि इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराई जाय। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि बराबर आनाकानी करने के बाद जब जांच सी0बी0आई0 करने लगी तो लगा कि उसमें बड़े-बड़े नेता फंस रहे हैं, जब बड़े-बड़े नेता उसमें फंसने लगे तो उसकी जांच दूसरी एजेन्सी को दी गई ताकि विलम्ब होता चला जाये। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार को और माननीय मंत्री जी को, जो उस सरकार में गड़बड़ियां हुई थीं, बी0पी0एल0 कार्ड उन लोगों का बनाया गया था जो सक्षम लोग हैं और समृद्धि लोग हैं, उनका बी0पी0एल0 कार्ड बनाया गया था लेकिन इस सरकार में, मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी को जिन्होंने तमाम गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बनाया जिसे मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने बतलाया है कि राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग का एक बोर्ड बनाकर, जिनके नाम उन्होंने तय किये हैं, गांव में खुली बैठक कराकर जो अनियमित कार्ड हैं उसको निरस्त करके और पात्र व्यक्तियों का कार्ड मौके पर बना दिया जाये। यह व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है और जोरदार ढंग से यह कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन उस समय इतनी बड़ी अनियमिततायें थीं। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि अभी हमारे जिन महोदय ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार में कार्ड को रख लिया जाता था और जो खाद्य और रसद के माफिया हैं, सारे कार्ड रख करके एक जगह उत्तरवाते और बलिया से बिहार नजदीक है, बिहार में सप्लाई करा देते। इस गवर्नमेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इस गवर्नमेंट में यह व्यवस्था है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं बधाई देना चाहता हूं इस विभाग के मंत्री जी को और बहन कु0 मायावती जी को कि एक व्यवस्था बनाया है कि अगर कहीं गलत पाया गया तो एफ0आई0आर0 भी हो रहा है और कार्ड बनाते समय फोर्स भी रह रही है ताकि सुचारु रूप से बी0पी0एल0 कार्ड, ए0पी0एल0 कार्ड, अन्त्योदय कार्ड व अन्य कार्डों की व्यवस्था की जाये। मैं इस बात पर इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में यह सूखा और नक्सली इलाका है उसमें बलिया भी आता है इनमें उन गरीबों के लिये एक क्विंटल खाद्यान्न की व्यवस्था जो की गई है और उन गरीब पात्रों को निःशुल्क व्यवस्था कराई जा रही है लेकिन पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं माननीय मंत्री जी के बजट पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौ0 सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, मैं खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। बार-बार हमारे मा0 सदस्य कह रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था बी0पी0एल0 कार्डों की हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार को और मा0 मंत्री जी को यह सूचना दे रहा हूं और अगाह कर रहा हूं कि बी0पी0एल0

कार्ड पिछले किसी सरकार में बने हों, किसी तरह से बनाये गये, अगर इसी बात की चर्चा हम करते रहेंगे तो ये जो गरीब लोग हैं जिनको मिट्टी का तेल राशन का खाद्यान्न जो भी मिलता है उसके साथ नाइंसाफी होगी। जैसे कि पूर्व सरकारों ने गलत बना दिया वही माध्यम आज भी इसी तरह से किया जा रहा है। तो मेरा इस सरकार से जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, बार-बार यही कहा जाता है मेरा कहना है कि जितनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी और उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जितने बी0पी0एल0 कार्ड अब बनाये जायं। इस तरह की कोई कमेटी या आयोग बनाया जाय और फिर भी कोई धनवान व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति बी0पी0एल0 कार्ड धारक होता है तो जिस अधिकारी ने कार्ड बनाया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मान्यवर, खाद्य एवं रसद के मायने हम सभी लोगों और गांवों की जनता के लिये मिट्टी का तेल, चीनी यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन घटनाओं के बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सरकार दलितों, शोषितों, पिछड़ों की और बहुत से लोग जो समाज के बहुत निचले स्तर के लोग हैं, उनकी बनी थी और बहुमत की सरकार आई थी। मेरी खैर विधान सभा क्षेत्र में 16 फरवरी को एस0एस0पी0, अलीगढ़ ने मिट्टी के तेल की मिलावट डीजल में करते हुए एक पेट्रोल पम्प में छापा मारा। सभी अखबारों ने लिखा। 120 लाख का मिलावट का सामान पकड़ा गया। जो मिलावट कर रहे थे उसमें एक व्यक्ति के तेल के टैंकर का स्वामित्व पूर्व जनप्रतिनिधि का था जो सरकार से संबंध रखते हैं। जो पेट्रोल पम्प मालिक हैं, उनके फोटो सरकार के लोगों के साथ जगह-जगह छपे हुए हैं और गोंडा का डीलर वह भी इस सरकार का जनप्रतिनिधि है। तीनों टैंकर और पेट्रोल पम्प सीज हुए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर एस0एस0पी0 ने छापा मारा और 317 में एफ0आई0आर0 हुई तो यह 15-20 दिन में कैसे रफा-दफा करके छोड़ दिया, क्या तो छापा मारने वाले गलत थे ? जो माल पकड़ा गया वह कहां चला गया ? तीनों टैंकर बन्द रहे, तीनों टैंकर के मिट्टी के तेल का स्वामित्व भी सरकार के संरक्षण प्राप्त लोगों के नाम हैं। आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई और दोबारा से उसको खोल दिया और मिट्टी के तेल के डिपो दोनों के दोनों खोल दिये गये। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या यह सरकार खाद्य और तेल का वितरण इस तरह से करायेगी ? क्या निचले स्तर के लोगों को इसी तरह से वंचित रखा जायेगा। मैं विधान सभा में अपने क्षेत्र की बात करता हूं। गांव में वितरण होने वाले मिट्टी तेल को पिछली सरकार में हमने दबाव डालकर मुश्किल से जैसे तैसे बंटवाया लेकिन जब से यह सरकार आई है मेरे विधान सभा क्षेत्र के किन्हीं पांच गांव का नाम बता दें जहां पर हर महीने मिट्टी का तेल दिया जा रहा हो। तीसरे महीने में मिट्टी का तेल दिया जा रहा है। एक घटना मैं आपको हाथरस जनपद के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रधान है सैफऊ ब्लाक गांव हसनपुर की और कोटाधारक हैं जिसकी दुकान है वह ससुर हैं मैं सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं 9 महीनों से फाइल डी0एम0 और डी0एस0ओ0 के यहां भाग रही है कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं संज्ञान में लाते हुए मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप बहुमत की सरकार में हैं आपने यह बीड़ा उठाया है कि किसी तरह से गलत कार्य नहीं होंगे

लेकिन यह क्या हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा अगर आपकी सरकार आई है तो आपका पूर्ण दायित्व है कि मिट्टी का तेल और राशन जिसको गरीब लोग लेते हैं उनको ठीक तरह से प्राप्त हो। लेकिन आपके संरक्षण प्राप्त लोग इन चीजों को खाये जा रहे हैं यह बेहतर नीति किसी के समझ में नहीं आती है। गेहूं की खरीद के बारे में मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार किसानों की थोड़ी भी हितैषी है तो जो मूल्य निर्धारित हो उसके ऊपर सरकार की ओर से बोनस दिया जाय यही मेरी मांग है। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 रफी अहमद उस्मानी-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। खाद्य एवं रसद विभाग में जो कोटेदार नियुक्त होते हैं उनको खाद के ब्लाक के गोदामों से कम सामग्री उनको मिलती है। मिट्टी का तेल कम प्राप्त होता है। हमारी विधान सभा श्रीनगर जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ब्लाक फूल बेहड़, नकहा में मिट्टी के तेल का गोदाम है। खाद का गोदाम उन ब्लाक मुख्यालय पर न होकर शहर लखीमपुर में बनाया गया है। वहीं से काला बाजारी की जा रही है मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के ब्लाक हैं उनके गोदामों को उन्हीं ब्लाक मुख्यालयों पर बनाया जाय। इससे अच्छी तरह से सर्वेक्षण हो सकेगा और क्षेत्र के जागरूक लोग देखेंगे कि कहीं मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में तो नहीं जा रहा है। गेहूं ब्लैक में तो नहीं जा रहा है। इसी तरह से जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक बिजुआ में मिट्टी के तेल का डिपो है। उस डिपो से लगातार उसकी शिकायतें हो रही हैं। होता यह है कि जिस गोदाम की जिस कोटेदार की शिकायत होती है उसे निलम्बित कर दिया जाता है और निलम्बन करने की जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है और उसकी बाद में सुविधा शुल्क लेकर वैसी ही रिपोर्ट लग जाती है और उस कोटे को बहाल कर दिया जाता है। गोदाम की बहाली कर दी जाती है। उसके ऊपर एक कमेटी होनी चाहिये जांच होनी चाहिये कि किस दुकानदार को कितनी बार निलम्बित किया गया और उसे बार-बार क्यों बहाल किया जा रहा है। इसी तरह से बी0पी0एल0 सूची है उस सूची की पूरी सूची में तमाम गांव ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में ब्लाक फूलपुर बेहड़, सिसौरा, श्रीनगर वहां पर जिन लोगों के पास जमीने हैं, मालदार लोग हैं उनके पास बी0पी0एल0 कार्ड हैं यह नहीं होना चाहिये जो गलत लोगों ने कार्ड बनवा लिये हैं या जिन गलत लोगों के नाम सूची में हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये और उन्होंने जितना भी सरकारी धन और अनुदान प्राप्त किया है उसकी वसूली होनी चाहिये। इसी तरह से प्राइमरी स्कूलों में जो सरकारी दुकानों से चावल और गेहूं भेजा जाता है उनका भाड़ा बहुत कम है उनको कम दिया जाता है। जिससे वह छोटे-छोटे नन्हें मुन्ने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से मान्यवर, जो कोटेदार हैं वह एक माह का कोटा लेकर बांट देते हैं और पिछले माह का ब्लैक कर देते हैं। इस तरह से वे एक माह का बांटते हैं और एक माह का ब्लैक

कर देते हैं। मान्यवर, इसकी भी जांच होनी चाहिये। मान्यवर, सरकार ने कहा था कि कोटेदार के कार्य को देखने के लिये एक सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और उसकी देख रेख में ही सामग्री का वितरण होगा लेकिन मान्यवर, इस तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है। जो पहुंच वाले और सरकार से सम्बद्ध लोग हैं वे खुले आम मनमानी कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में कुकिंग गैस की बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रही है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर नहीं मिल रहा है। 21 दिन के बाद जैसे सिलेण्डर मिलने का प्राविधान है। 21 दिन हो जाते हैं और उपभोक्ता सिलेण्डर के लिये जाता है तो उससे कहा जाता है कि 21 दिन बाद मिलेगा और इस तरह से 42 दिन के बाद मिल पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 रफी अहमद उस्मानी-

मान्यवर, हमारे यहां फूलबेहड़ और सिसौरा में कोटेदारों के कोटे निलम्बित होने के बाद फिर बहाल हो गये, इसकी जांच होनी चाहिये। मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का अवसर दिया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि खाद्यान्न का, गैस का मिट्टी के तेल का सही तरीके से वितरण नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मैं इससे हटकर एक अलग विषय की ओर माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपके अधीनस्थ रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट उत्तर प्रदेश अधिनियम, 13-1972 के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही होती है वह आपके अधिकार क्षेत्र में हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक प्राविधान है जब कोई व्यक्ति मकान बनायेगा तो जिस दिन मकान बनकर तैयार होगा उसके 20 साल तक वह मकान रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की सीमा के अन्दर नहीं आयेगा और 20 साल के बाद उस पर रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू होगा। इस सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी अपना मकान बनाता है लेकिन वह अपना मकान किरायेदार को किराये पर उठाने को जल्दी तैयार नहीं होता है। उसको मकान किराये पर देने में रुचि कम हो रही है। कारण क्या है ? कारण यह है कि 20 साल की जो अवधि है 20 साल में आपके इस ऐक्ट का उस पर अधिकार नहीं रहता है। इस ऐक्ट के प्राविधान उस पर लागू नहीं होते हैं। उस पर लागू होता है ट्रांसफर प्रापर्टी ऐक्ट। इसलिये 20 साल के अन्दर उसको जो उसकी लागत मूल्य है वह भी उसे नहीं मिल पाती है और रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू होने के बाद रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार अधिकारी उसका रेन्ट तय करते हैं और वह रेन्ट उस मकान मालिक को

स्वीकार नहीं होता है। मान्यवर, मैं एक पजेशन लॉयर हूं। मैंने पहले भी कहा था कि इस अधिनियम में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, समाज के हित में, किरायेदार के हित में, मकान मालिक के हित में। 20 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इस कानून के अन्तर्गत आपने अधिकरण बनाने की घोषणा की। कुछ धाराओं के अन्तर्गत वाद होते हैं और वह अधिकरण करेगा। लेकिन मुझे जानकारी है कि ज्यादातर वह मुकदमें ए0डी0एम0 सिविल सप्लाई तय करते हैं और ए0डी0एम0 सिविल सप्लाई के पास समय का अभाव होता है उनके पास बहुत से काम होते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि अधिकरण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू करके और हर जगह पर, हर जिलों में रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत यू0पी0 ऐक्ट 13-1972 के अन्तर्गत आप अधिकरण बनवायें ताकि मुकदमों का जो ढेर लगा हुआ है वह जल्दी समाप्त हो और वादों का जल्दी निस्तारण हो। मान्यवर, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश अधिनियम, 13-1972 के अन्दर परिवार की परिभाषा दी हुई है। ट्रांसफर प्रापर्टी ऐक्ट में परिवार की परिभाषा दी हुई है। आपके परिवार की परिभाषा और ट्रान्सफर प्रापर्टी ऐक्ट, जब दोनों ट्रांसफर प्रापर्टी ऐक्ट और उ0प्र0 अधिनियम, 13-1972 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मूल ऐक्ट में जो इन दोनों में अन्तर है इसको टीक करवाने का प्रयत्न करें। उपभोक्ता फोरम के बारे में बात कही गई। मैं लखनऊ के बारे में जानता हूं कई जिलों के बारे में जानता हूं आपने उपभोक्ता फोरम तो बना दिया लेकिन उपभोक्ता फोरम जिला उपभोक्ता फोरम मकानों के अभाव में दो-दो कमरों के मकानों में चल रहे हैं और आपने व्यवस्था बनाई है कि तीन सदस्यों का यह फोरम बनेगा और इन तीन में एक जुडीशियल एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक एक्जीक्यूटिव जब तक यह तीनों नहीं बैठेंगे तब तक वहां पर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद का निस्तारण नहीं हो पाता है। कृपया इसको संचित करने की व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मेरा आग्रह है इसमें जो जुडीशियल मेम्बर बनाते हैं एक मेम्बर बना दीजिये और जिला उपभोक्ता फोरम की संख्या बढ़ा दीजिये जिससे वादों का निस्तारण हो सके। मेरा आग्रह है कि...

श्री अधिष्ठाता-

बैठें, प्रदीप जैन जी को बुला लिया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

स्टेट में अपील करने का आपने प्राविधान किया है स्टेट अपील जो सुनते हैं। इनके पास भवन नहीं हैं इनको भवन दिलाइये, संसाधन दिलाइये ताकि जिस उद्देश्य के लिये इनका निर्माण किया है उसकी पूर्ति हो सके। इसी के साथ आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस तरह से पूरे प्रदेश की ध्वस्त है मैं आपको एक व्यंग्य सुनाना चाहता हूं-एक सेठ जी को दूध पीने का बहुत शौक था। बहुत सम्पन्न थे सुबह जैसे ही प्रातः उठते थे आंखे खुलते ही दूध पीने की आदत थी। जिस जगह से दूध आता था उसने देखा कि सेठ जी जाग्रत नहीं हैं उसने पानी मिलाना शुरू कर दिया जब सेठ जी को दूध में थोड़ा फर्क लगा तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि तुम जाकर देखो घर में जो दूध आ रहा है उसमें पतलापन क्यों है ? उस नौकर ने जाकर देखा कि दूधवाला दूध में पानी मिला रहा है और उसको उसने पकड़ लिया, दूधवाले ने कहा देखो भई यह तो हमारा काम है तुम भी इसका लाभ उठा लो और उसने एक गिलास दूध नौकर को पिलाना शुरू कर दिया। सेठ जी को लगा कि मैंने क्रास चेकिंग के लिये नौकर को भी भेजा लेकिन दूध के स्वाद में परिवर्तन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बाडी गार्ड को जिस पर पूरा भरोसा करते थे कि यह ईमानदार है और यह हमारे जीवन की रक्षा करता है उन्होंने नौकर के पीछे बाडी गार्ड को भेज दिया। वह बाडी गार्ड दूध वाले के यहां पहुंचा। उसने देखा दूधवाला भी दूध में पानी मिला रहा था और नौकर भी दूध में पानी मिला रहा था। बाडी गार्ड ने दो हाथ नौकर को लगाये तो नौकर बोला हम तो गरीब आदमी हैं सेठ जी पैसा नहीं देते हैं। अब आप देख लो, तो दूधवाले ने बाडी गार्ड से कहा कि आप थोड़ा बड़ा गिलास दूध पी लो तो बाडी गार्ड भी दूध पीने लगा। जब सेठ जी को 5-7 दिन बाद फिर लगा कि दूध के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल बेकार का बेकार तो उनका जो मुनीम था जो उनका पूरा रोकड़ देखता था उससे कहा कि भैया तुम जाकर देखो कि क्या स्थिति है, मैंने तीन-तीन आदमी चेकिंग पर लगाये लेकिन दूध के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुनीम जी, सुबह-सुबह छुपे-छुपे गये और उन्होंने पूरा वाकया दो दिन में पकड़ लिया और फिर उन्होनें तीनों की कस कर क्लास लगाई। तीनों ने कहा कि मुनीम जी आप तो वैसे भी सेठ जी के सब कामों में, इसमें भी हो जाओ और यह स्थिति आई कि जितना बकाया दूध था, मुनीम जी पी गये और सेठ जी जब सोकर उठे तो मुनीम जी केवल वह बर्तन ले आये और सेठ जी के मुंह पर लगा दिया सेठ जी ने कहा दूध ? मुनीम जी ने कहा कि आप दूध पी गये और फिर सो गये, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सिस्टम है। (हंसी) मान्यवर, आज जो खाद्य प्रकोष्ठ है या जितनी भी ऐसी एजेन्सियां हैं आज चाहे गरीबी रेखा का कार्ड हो या एपीएल कार्ड हो, किसी भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्ति को समुचित मात्रा में खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, शक्कर और गैस नहीं मिल पा रही है। अगर कोई जिलापूर्ति अधिकारी के पास जाता है तो वह पैसे ले लेता है, अगर जिलाधिकारी के पास कोई जाता है, कोई कमेटी बनती है तो वह उसका संज्ञान नहीं लेते और अगर बड़े लेविल पर कोई अधिकारी आये क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इसमें केवल आपकी अकेले की सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो हमारा संघीय ढांचा है, केन्द्र से लेकर राज्य तक, उस ढांचे में वितरण प्रणाली की पारदर्शिता के लिये बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद आज वह प्रयास सार्थक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो खाद्य रसद विभाग में मिट्टी का तेल है, हमारे पास मोहल्ले के लोग आ जायें, गांव के लोग आ जायं, वह कहते हैं कि मिट्टी का तेल 5 ली0 की जगह 4 ली0 मिला। जब कोटेदार से बात करते हैं तो वह कहता है कि जहां से हम ड्रम लाते हैं वहीं से हमें कम मिलता है, हमें कमीशन बहुत कम मिलता है। इसी तरह गेहूं में है, इसी तरह गैस की स्थिति है कि गैस को तौलने का खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कोई यंत्र नहीं रखा गया है कि जहां डिलेवरी होना है, वहां उसको तौला जाए। कई बार तो ऐसा होता कि सिलेण्डर में पानी आ जाता है आधा पानी और आधी गैस। हम आपसे कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर से एक लम्बे समय से यह प्रक्रिया चली आ रही है, गरीबी रेखा के नीचे के कार्डों पर हम गेहूं और शक्कर देते हैं, वहीं एपीएल कार्ड पर भी चावल और गेहूं देते हैं। हम समझते हैं एपीएल कार्ड के जितने भी धारक हैं, वह कभी गेहूं और चावल लेने नहीं जाते, वह गेहूं जो 6 रुपये 60 पैसे और चावल 8 रुपये 45 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से ए0पी0एल0 कार्डधारकों को मिलना चाहिये, जिनकी संख्या 4 लाख 12 हजार 384 है, हम समझते हैं कि इनमें से 384 लोग भी गेहूं चावल लेने नहीं आते हैं, सबसे पहले तो वहीं बिक जाता है। इसी तरह से जो मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल गांव वालों की झोपड़ी में नहीं पहुंच पाता, गरीब आदमी के यहां नहीं पहुंच पाता, आज प्रदेश के अन्दर बसें मिट्टी के तेल से चल रही हैं, उनका कहना यह रहता है कि मिट्टी के तेल से बस चलाने से हमारे इंजन पर उतना खर्च नहीं आता जितना उससे बचत डीजल का प्रयोग न करने पर होती है। मान्यवर, हम केवल एक बात इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसमें एक प्रक्रिया ऐसी हो जाये, जिस प्रक्रिया के माध्यम से कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह किसी भी दल के हों, जो कमेटी है, उनमें सदस्य नामित करने का अधिकार मिले, नहीं तो क्या होता, आज आप वहां बैठे हैं, कल यहां बैठे थे और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी विडम्बना है। अब आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने खाद्य एवं रसद विभाग के 2008-09 के बजट के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व एवं खाद्य एवं रसद मंत्री के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अवाम के लिये अनेक योजनायें चलाने का निर्णय

लिया है। मा0 अधिष्टाता महोदय, प्रदेश का खाद्य एवं रसद विभाग प्रदेश की जनता को पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता का खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

माननीय अधिष्टाता महोदय, हमारी सरकार विगत वर्षों की भांति वर्ष 2007-08 में प्रयासरत है कि प्रदेश की अवाम को सभी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता हो सके और मूल्य पर नियंत्रण हो सके। मान्यवर, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं को जन साधारण तक पहुंचाने तथा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाने के लिये वर्ष 2007-08 में धान तथा गेहूं की किसानों से सीधी खरीद एवं कमीशन ऐक्ट के माध्यम से व्यवस्था की गई है जो सराहनीय कदम है। मान्यवर, भारत सरकार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 106.79 लाख निर्धारित की गई है। मान्यवर, इसमें 40.945 लाख परिवार अन्त्योदय योजना के भी सम्मिलित हैं। इस योजनान्तर्गत 65.845 लाख बी0पी0एल0 परिवारों को चिन्हित करके उन्हें सफेद रंग के राशन कार्ड तथा अन्त्योदय अन्य योजनान्तर्गत 40.945 लाख परिवारों को चिन्हित करके उन्हें गुलाबी रंग के राशन कार्ड वितरित किया गया है। मान्यवर, हमारी लोकप्रिय प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एक अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को मिले राशन कार्डों का सत्यापन कराया जिसमें 2 लाख 67 हजार 124 अपात्र परिवारों को बने राशन कार्डों को निरस्त किया गया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में खाद्य एवं रसद मंत्री जी के निर्देशन में इस विभाग की कार्यशैली चुस्त दुरुस्त बनाने हेतु विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सिटिजन चार्टर तैयार किया गया। इसमें साफ है कि हमारी सरकार द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग का बजट सराहनीय है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं सामने बैठे हुए लोगों के लिये दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि-बैटकर इंसाफ की कुर्सी पर तुम नृत्य देखते रहे, प्रदेश जलता रहा, रो रही थी पूजा और अलका जैसी बहनें, रक्त बहता रहा और जश्न चलता रहा। धन्यवाद।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अधिष्टाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, अभी और कई महत्वपूर्ण विभागों का बजट होना है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को बुलवाकर आप इसको पास कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्टाता-

अभी 8 विभागों का बजट है। हम चाहेंगे कि माननीय सदस्य हर विभाग पर थोड़ा-थोड़ा बोलें। 2-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, आज जो माननीय मंत्री जी ने खाद्य एवं रसद विभाग का बजट रखा है निश्चित तौर पर बजट रखने में ऐसा आभास लगता है कि यह बजट खाली कागजों पर आधारित है। इसका सम्बन्ध सीधा-सीधा गांवों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बीपीएल, एपीएल और अन्त्योदय कार्डों की जांच की गयी और जो अपात्र लोग थे उनके कार्डों को काटा गया, निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो कमेटी बनायी गयी थी उसमें उन्होंने ठीक से जांच नहीं की। प्रधान के दरवाजे पर बैठकर उनकी लिस्ट के अनुसार कार्डों का सत्यापन कर दिया। जो ग्राम प्रधान के विरोधी थे उनके कार्डों को काट दिया गया। यह वही सूची है जो आपके पास है। आज जो आप खाद्यान्न, गेहूं की बात करते हैं-गेहूं दिया नहीं जा रहा है या उस रेट पर मिल नहीं रहा है, क्या चावल का जो रेट है उस रेट पर उपलब्ध हो रहा है, जो मिट्टी का तेल है क्या उस रेट पर उपलब्ध हो रहा है यह सोचने की बात है। आज गरीब आदमी एक दो महीने तक अपने कार्ड लेकर दुकान में जाता है। कम से कम तीन महीने तक दुकानदार गेहूं, चावल और मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं कराते हैं। जांच होती है लेकिन उसकी जांच कागजों पर आधारित है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह लोक सभा में भी रहे हैं, इसको कागजों से हटा करके प्रैक्टिकल तौर पर गांवों में सत्यापन करायें और हर महीने गांव में एक कमेटी बना दी जाय जिसके द्वारा यह चीजें मुहैय्या हों। इसी तरह से गैस की भी परेशानी है। आज उसे दूसरी चीजों के लिये इस्तेमान किया जा रहा है, जनरेटर सेटों के लिये उसका इस्तेमाल हो रहा है जिससे लोगों को गैस नहीं मिल रही है और ब्लैक में लेनी पड़ रही है, तो इसकी भी जांच करायें और वास्तव में घरेलू उपभोग के लिये चाहिए वह उपलब्ध हो, वह महंगे रेट पर मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपने लाल बत्ती जला दी है, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं। मैं इस विभाग की विषमता के बारे में बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दो तीन चीजें नोट कर लें और जब जवाब देने के लिये खड़े हों तो इसका भी कृपया जवाब दें। आपके विभाग में एक निगम है उत्तर प्रदेश राज्य आवश्यक वस्तु निगम। आपने कहा कि यह अपने पैरों पर खड़ा है। वैसे भी इसमें चौबीस करोड़ पच्चासी लाख का लाभ मिला है। इस विभाग की क्या परेशानी है, कितनी विषमतायें हैं यह बताने की बहुत आवश्यकता है। इस विभाग के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है और जो आपके अन्तर्गत विभाग है, खाद्य तथा रसद विभाग इन दोनों विभागों में अन्तर देखें। खाद्य तथा रसद विभाग के इंसपेक्टर का जो वेतनमान है वह 4500-7000 और जो आवश्यक वस्तु निगम के इंसपेक्टर का वेतनमान 1350-2400 है। आप इनके पेज 67 देखें, पेज 83, 99 तथा 100

देखें। अधिकारियों की इसमें जो कारीगरी है वह देखें आवश्यक वस्तु निगम का जहां 100वां पेज है उसमें जहां वेतनमान दिये जाते हैं उसके आगे उसका कोई हवाला नहीं है और जो खाद्य एवं रसद विभाग के सारे अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनके सबके वेतनमान दिये हैं और खाद्य एवं रसद और उ0 प्र0 राज्य आवश्यक वस्तु निगम में अन्तर कितना दिया है यदि खाद्य एवं रसद के ड्राइवर का वेतनमान देखेंगे तो 3050 और 4590, आवश्यक वस्तु निगम का देखेंगे तो 950 और 1500 कहां तीन हजार पचास कहां 950, निगम आपका लाभ में है और एक और बात है इसमें आपके केवल 857 कर्मचारी हैं और करीब 75 दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, पंचम वेतन आयोग लागू नहीं हुआ, आपके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने शासन को रिकमेण्ड करके भेज दिया कि पंचम वेतन लागू होना चाहिए लेकिन शासन में बैठे जो अधिकारी हैं उनको इंतजार है छठे वेतन आयोग का कैसे उन्हें लाभ मिले और वहां का जो कर्मचारी है अधिष्ठाता महोदय वहां निगम के ड्राइवर को मिल रहा है 950-1500 रुपये और एक विषमता है माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, तीन साल से इस निगम के किसी कर्मचारी का एक भी पैसा नहीं बढ़ा क्योंकि निगम में डी0ए0 लागू नहीं है यदि निगम में तीन साल पहले किसी कर्मचारी को 3000 रुपये मिल रहे थे तो आज भी वह 3000 रुपये ही पा रहा है, लेकिन आपके विभाग के ये अधिकारी इन सब बातों को आपकी जानकारी में नहीं लाते हैं। शासन में मामला लम्बित है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मेरा आपसे एक अनुरोध है इस महंगाई के जमाने में तीन साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई उनकी तनख्वाह वहीं की वहीं है। निगम में भी पंचम वेतन शीघ्र लागू कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, जहां तक एल0पी0जी0 गैस की बात है, आपके बजट में भी है कि सबको होम डिलिवरी दी जायेगी, गैस सबके घर पर पहुंचेगी, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, 90 परसेण्ट लोग ऐसे हैं जिनको गैस घर पर नहीं पहुंचती है आज साइकिल पर सिलेण्डर रख कर जब व्यक्ति सिलेण्डर लेने जाता है वहां पर पूरे-पूरे दिन लाइन लगाता है उसको गैस नहीं मिलती, दूसरे दिन फिर आता है, दो-दो, तीन-तीन दिन में गैस मिलती है और गैस ब्लैक में मिलती है, 500 रु0 से लेकर 600 रुपये तक में सिलेण्डर मिलता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रयास किया जा रहा है यह बात ठीक है लेकिन जो माननीय जैन साहब ने बताया

वह बात सही है। जो मिट्टी का तेल खासतौर से इन गरीबों के लिये है, लेकिन डीलर व सप्लाई विभाग का कर्मचारी दुकानदार पर 30 परसेण्ट तेल अपने पास ही रख लेता है तो वह तेल गरीबों को कहां से और कैसे मिलेगा इस पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

ठाकुर सूरज पाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए बहन जी के मार्ग दिशा-निर्देशन में हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसकी सराहना करते हुए इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी बहन जी के शासन में जो पारदर्शी वितरण प्रणाली की व्यवस्था बनाई गई थी, पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से इस विभाग को ही हाईजैक कर लिया गया था। इस पूरे विभाग को ही हाईजैक कर लिया गया था, भ्रष्टाचार का ऐसा केन्द्र बना दिया गया था और फिर लोगों को चिन्हित कर लिया गया था बूथ स्तर से लेकर, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिले के डिस्ट्रीब्यूटर स्तर तक धांधली का एक ऐसा माफिया गिरोह बना दिया गया था जिससे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलता था। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि सफेद कपड़े पर अगर एक चाय का धब्बा भी पड़ जाता है वह बार-बार धोने पर भी नहीं छूटता है, तो आपके द्वारा जमाया हुआ यह दरख्त इतनी जल्दी नहीं उखड़ सकता है। मान्यवर, जो पुनः निरीक्षण करके बीपीएल कार्ड बनाये जा रहे हैं उसमें पारदिर्शता होगी और पात्र लोग ही उसे पायेंगे। निश्चित रूप से यह गरीबों के पक्ष मे जनहित में लिया गया निर्णय है। इससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत, बीपीएल योजना के अन्तर्गत गरीबों को लाभ तभी मिलेगा जब भ्रष्टाचार की जड़ों पर पहले से जो बैठे हुए हैं उन पर अंकुश लगे। आपके द्वारा बिठाये हुए वह लोग हैं। मान्यवर, हमारी बहन जी के दिशा-निर्देशन में पहली बार इस विधान सभा में तहसीलदार, ए0डी0एम0 राशन की दुकानों पर जाकर स्वयं राशन को बंटवाने का काम करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) पहले किसी भी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब डी0एम0 से बात होती तो वह यही बताते हैं कि ए0डी0एम0 स्वयं जाकर राशन बंटवा रहे हैं। तहसीलदार बंटवा रहे हैं। इससे राशन की दुकानों के डीलर बड़े भयभीत हैं। मान्यवर, विपक्ष का काम तो विरोध करना होता है आप किसी खुशी का इजहार तो नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार में जो राशन डीलरों के खिलाफ कार्यवाही हुई है उसमें तमाम दुकानों के लाइसेंस निरस्त हुए हैं। इसी तरह से बैकलॉग के अन्तर्गत पहली बार कोटा निर्धारित करते हुए हमारी सरकार में दलितों को राशन की दुकानों के लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। यह हर जनपद की हमारे पास रिपोर्ट है जहां यह कार्यवाहियां हुई हैं। हर जनपद में जितनी भी दुकानें आवंटित हुई हैं उसमें

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दलित वर्ग को लाभ हुआ है। मैं पुनः इस खाद्य तथा रसद विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। मैं माननीय खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री जी को बताना चाहूंगा, जो सदन में बहुत सी बातें रखी गयी हैं उसमें न जाकर एक बात कहना चाहूंगा कि बीपीएल कार्ड की जो बात रखी गयी है मान्यवर, उसमें जो पात्र नहीं थे उनको भी पात्र बनाया जा रहा है। उसमें पालिसी को जो चेंज किया गया है यह अपने आप में एक रिकार्ड है। मान्यवर, जो भी दल सत्ता में आ रहा है उसके जो भी फालोअर हैं उनका बन रहा है। इस सरकार में भी जो उनके फालोअर हैं उनके बनने की प्रक्रिया हो रही है और जो वास्तव में वंचित लोग हैं जो वास्तव में पात्र लोग हैं वह वंचित हो रहे हैं। इस विसंगति की ओर ध्यान देने की जरूरत है, बीपीएल कार्ड पात्र लोगों को ही मिले। मान्यवर, मिट्टी के तेल मे मिलावट की बात आती है, अधिकांशतः मिट्टी का तेल तो पेट्रोल पम्पों पर चला जाता है। यह पेट्रोल पम्पों पर मिट्टी का तेल कहां से आता है यह देखने की बात है। एक बात मान्यवर, यह भी आती है देश में, प्रदेश में, जिस चीज की बिक्री कहीं नहीं हो पाती है वह सामान राशन की दुकानों पर बिक्री के लिये पहुंच जाता है। क्वालिटी का ध्यान ही नहीं रखा जाता है कि क्वालिटीयुक्त सामान आम जनता को राशन की दुकानों से मिले। जो वहां पर गेहूं मिलता है उसमें पत्थर आदि के टुकड़े पड़े होते हैं, जो चावल मिलता है उसमें कंकड़ी पड़ी मिलती है। इस तरह का सामान राशन की दुकानों पर आज बेचा जा रहा है। मान्यवर, आप क्वालिटी के साथ-साथ क्वान्टिटी को भी देखें जो तीन लीटर तेल मिल रहा है क्या वह पूरा का पूरा मिल रहा है। वह मापक यंत्र में अन्दर कुछ खोंस देते हैं जिस कारण से वह एक लीटर में 900 एमएल ही मिल पाता है। जब तक क्वालिटी सही नहीं होगी और क्वान्टिटी पूरी नहीं मिलेगी तो जनता को लाभ नहीं मिल पायेगा, इस ओर आप ध्यान देने का काम करें। माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी एक बात कहना चाहूंगा निवेदन है कि आप इसे नोट कर लें। आपके यहां विभाग में ए0आर0ओ0 बरेली में थे इन्द्राज सिंह जी। उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में उनके लड़के को नौकरी मिली है वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मिली है जबकि वह बीए, एमए है। उसने विभाग में उच्च पद पाने के लिये अप्लाई कर रखा है। उनके बारे में मुख्य मंत्री जी के यहां से लेटर गया है लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। उसके बारे में आप निर्णय लेकर उसकी योग्यता के अनुसार उसे नियुक्ति दिलाने का कष्ट करें। एक तरफ सरकार कहती है कि हम अनुसूचित जाति के लिये यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं और एक तरफ यह जीताजागता रिकार्ड है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क है उसको ठीक करें। जब तक कथनी और करनी एक नहीं होगी तब तक इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। इसके साथ ही आपने बोलने का मौका दिया इसलिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

*श्री राम किशुन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य एवं रसद पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह ऐसा विभाग है जो पूरे प्रदेश के हर वर्ग और हर समाज के लोगों को छूता है। मान्यवर, मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मिट्टी के तेल की कालाबाजारी मुगलसराय नगरपालिका के अन्तर्गत डीजल के बड़े-बड़े कारखानें हैं। वहां से डीजल भी निकलता है और मिट्टी का तेल भी निकलता है। गाड़ियां बाहर निकलती हैं और मिलावट वहीं से शुरू हो जाती है। कृपया इसको दिखवाने का काम आप करें। गैस के लिये लाइनें लगाकर लाठियां भी बरसाई गई हैं महिलाओं के ऊपर मुगलसराय के अन्तर्गत यह आपकी हालत है। अभी बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्ड के बारे में बड़ी चर्चा हुई है यह वही कार्ड बने हैं जहां अपने विरोधियों को नुक्सान पहुंचाने या लाभ पहुंचाने का काम था, वही काम हुए हैं। बी0पी0एल0 कार्ड कहीं भी पारदर्शिता से नहीं बना है। इसको आप जब चाहें जहां से चाहें जांच कर लें।

जहां तक खाद्य माफियाओं का सवाल है यह खाद्य माफिया सरकार बनते ही, आप सब सुन लें, यह गुण्डे माफिया, राशन माफिया यह किसी के नहीं हैं, यह सबके हो जाते हैं। ज्यों ही आपकी सरकार बनी रात 12 बजे यह सारे माफिया गुण्डे आपकी सरकार के संरक्षण में जाकर जी खा रहे हैं। उसी प्रकार से रसद माफिया, खाद माफिया भी जो बड़े दुकानों से, सामान खरीदकर सस्ते गल्ले की दुकानों से, ले जाते हैं और खुले आम उसे बेच रहे हैं इस सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। दो बातें और कहना चाहता हूं। जो इंडियन आयल पेट्रोलियम है वहां पर खुलेआम बड़े-बड़े गोदाम बने हैं, अवैध गोदाम बने हैं। डीजल उसमें टैंकरों से निकाल कर गोदाम में, सारे के सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सब जानते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको छू सके और वहीं से उसमें मिट्टी का तेल मिलाकर पुनः उन्हीं टैंकरों से पेट्रोल पम्पों को सप्लाई हो जाती है। पूरे पूर्वांचल को मुगलसराय चन्दौली जनपद से मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल की सप्लाई होती है। ऐसे कार्यों को रोकने का काम आज तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो गेहूं का दाम और धान का दाम है हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने बड़ा धान खरीदा है, हां आपने धान खरीदा है, सच है कभी अपने अन्दर झांककर देखिये कि वह धान बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया है। कितने किसानों से कितने प्रति एकड़ जमीन से उनका निर्धारित था किसानों से नहीं लिया गया। मैं भी एक किसान का बेटा हूं मैंने दो लाख रुपये का धान व्यापारी को बेचा है। मैं विधायक हूं मेरा धान नहीं खरीदा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। मेरा धान सरकार नहीं खरीद सकी क्योंकि वह सीधे-सीधे सस्ते रेट किसान से धान ली गई और उसी धान को बिचौलियों ने को-आपरेटिव के माध्यम से, विक्रय केन्द्र के माध्यम से इनको सरकार को उपलब्ध करा दिया है और किसानों के नाम से फर्जी पर्ची उनको उपलब्ध करा दी गई है। इसलिये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। माननीय मंत्री जी जिसको आपको दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिये। जहां तक गैस किल्लत का सवाल है चाहे बड़े शहर हों या छोटे शहर हों गैस की इतनी हालत खराब है कि लोगों के घरों के अन्दर चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कह रहे हैं यह अपने अन्दर झांककर देखें। यह मैं मानता हूं कि यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लेकिन आप ऐसा काम करें कि आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगायें पूरे ऊपर से नीचे तक, आप दूसरों को दोष देकर, दूसरी सरकारों पर दोष देकर नहीं बच सकते हैं।

*डा0 अजय तोमर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे खाद्य रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं इस कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए केवल दो-तीन बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इस प्रदेश में गरीब और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का अगर रात में कोई सहारा है तो वह डिबिया है, वह बत्ती है, वह लालटेन है। मान्यवर, प्रदेश के शहरी क्षेत्र के अधिकतर राशन डीलर महीने में 10 दिन और वह भी दो या तीन घण्टे के लिये दुकानें खोलते हैं, और गांव के डीलर की इससे भी बुरी स्थिति है यह मुश्किल से महीने में एक या दो दिन मिट्टी के तेल का वितरण करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि पूरा तेल क्यों नहीं बांट रहे हो, महीने में तीसरे दिन क्यों बांट रहे हो, तीन लीटर या पांच लीटर की जगह दो लीटर क्यों दे रहे हो, तो उनका कहना है कि ऊपर तक इसका पैसा जाता है या हमें ऊपर तक कुछ करना पड़ता है और इसका जीता जागता उदाहरण भी मुझे देखने को मिला है। पूरे प्रदेश में मिट्टी के तेल के डीलरों को मिट्टी का तेल बांटने के लिये, जो स्टाकिस्ट होते हैं, उनका कोटा निर्धारित यहां से किया जाता है। बागपत जनपद में एक डीलर भारत पेट्रोलियम का है और इस डीलर को 432 केन मिट्टी का तेल दिया जा रहा है। जबकि इंडियन आयल के उसी जनपद में दो डीलर हैं जबकि उनको एक से भी कम मात्र 420 केन मिट्टी का तेल दिया जा रहा है, मान्यवर, इस प्रकार एक स्टाकिस्ट को दो स्टाकिस्टों से ज्यादा तेल दिया जा रहा है और पूरे प्रदेश में इस तरह का उदाहरण एक या दो ही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस तरह की अनियमितताओं को दूर करने का काम करें। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं मान्यवर, एल0पी0जी0 गैस के लिये मैंने वहां के डी0एस0ओ0 को अनेकों बार फोन करके कहा है कि सभी गैस विक्रेताओं के सूचना पट पर आज स्टाक इतना है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाली सिलेण्डर इतने हैं, भरे इतने हैं, आज का रेट यह है, होम डिलीवरी का यह है, गोदाम से रेट यह है, यह वह लिखने का काम करें। शायद वहां का डी0एस0ओ0 उन लोगों से मिला हुआ है। वहां जो होम डिलीवरी का रेट है उस रेट पर गोदाम से गैस सिलेण्डर देने का काम किया जा रहा है, मान्यवर, इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि बजट में इस तरह का संशोधन का प्रस्ताव रखा जाय। मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वर्ष 2008-2009 के खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर समर्थन में बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, आप जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार इस सदन की नेता लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में बनी है, तब से आप देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में 2001 की जनगणना के आधार पर बी0पी0एल0 कार्ड की संरचना हुई थी, इस पर भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई, लेकिन इसको हमारी नेता ने बड़ी गम्भीरता से लिया और ध्वस्त वितरण प्रणाली को पर्यवेक्षक के आधार पर सुधारने का प्रयास शुरू किया। जिलाधिकारी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे, झुग्गी-मुनादी होगी, उनके रहते हुए, उनके दिशा-निर्देशन में, उनकी उपस्थिति में खाद्य वितरण किया जायेगा। यह व्यवस्था जब से लागू हुई, गांव गरीब के लोग 80 प्रतिशत लोग पहले जो इस राशन से वंचित रह जाते थे, अब पाने लगे हैं। दूसरा मान्यवर, आप जानते हैं कि बी0पी0एल0 कार्ड के आधार पर ही प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उन्हें चाहे महामाया आवास हो, इन्दिरा आवास हो, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, यह सारी योजनायें इसी पर आधारित हैं लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने मनमाने तरीके से काम किया और जब इसका सत्यापन हुआ तो सत्य पाये गये कि जिसके पास ट्रैक्टर थे, जिनके पास पक्के मकान थे, जिनके पास दस एकड़ जमीन थी, उनको गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड थमा दिया गया लेकिन जिनके पास दो बिस्वा जमीन थी, मकान नहीं थे उन्हें अमीरी रेखा का कार्ड दिया गया। इसीलिये हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अभी एक निर्देश/शासनादेश जारी किया कि बी0पी0एल0 कार्डों का सत्यापन किया जाय और इसके लिये त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई। कितनी चिन्तित है हमारी नेता सदन कि ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग की एक संयुक्त टीम के अधिकारीगण पहले 13 कालमों का प्रारूप होगा वह गांव में जायेंगे, फार्म भरेंगे, कच्चे मकान के नम्बर निर्धारित हैं, पक्के मकान के नम्बर निर्धारित हैं, जिनके खेत है, खेत में दो बीघे के नम्बर निर्धारित होंगे उन नम्बरों के आधार पर राशन-कार्डों की एक जांच रिपोर्ट जायेगी। फिर एस0डी0एम0 के नेतृत्व में एक तहसील के जितने भी खण्ड विकास अधिकारी होंगे वह उसके सदस्य होंगे, जो सप्लाई इंस्पेक्टर है वह उसके सदस्य होंगे, वह उस सूची का सत्यापन करेंगे, फिर भी सत्यापन सूची पर राशन कार्ड नहीं बनेंगे, फिर नेता सदन ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाने के लिये कहा है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सदस्य

होंगे, जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य होंगे, वह उस सूची का सत्यापन करेंगे। फिर 14 फरवरी को ग्राम सभा के पटल पर, ब्लॉक के पटल पर उस सूची को चिपकाया जायेगा। गांव के लोग अगर उससे संतुष्ट नहीं हैं तो वह अपना आरोप दाखिल करेंगे, उसके बाद उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद वह सूची ग्राम्य विकास आयुक्त के माध्यम से जिले को जायेगी तब जा करके राशन कार्ड बनना सुनिश्चित होगा। यह काम मार्च तक होना है, और यह इस बात की गवाही है कि हमारी नेता सदन कितनी चिन्तित हैं राशन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिये जो पूर्ववर्ती सरकारों में चौपट हो गयी थी। इसलिये इस सरकार का बजट जो रखा गया है वह बहुत सराहनीय है। किसानों के धान खरीद का जो रिकार्ड कायम हुआ है उसके लिये हम सरकार की प्रशंसा करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

माननीय अधिष्टता महोदय, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह खाद्य एवं रसद विभाग एक ऐसा विभाग है जो सीधे-सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका लगाव इस विभाग से नहीं है, यह इतना बड़ा विभाग है। मेरा सुझाव है कि वितरण प्रणाली व्यवस्था को मा0 मंत्री जी सुधार दें। इसे सरकार नयी दिशा दे तो अच्छा है। केवल आरोप-प्रत्यारोप कि आपके समय में यह था हमने यह कर दिया, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने जो किया उसकी सजा हमें मिल रही है अगर यही आप भी करेंगे तो इससे भी भारी सजा आप भुगतने को तैयार रहे। मेरा कहना है कि जो वितरण प्रणाली है यदि इसको आपने सुधार दिया तो आम जनता में आपकी छवि सुधरेगी। यह जो एल0पी0जी0 गैस है, इसकी व्यवस्था है कि 21 दिन के अन्दर यह उपभोक्ता को उपलब्ध करा दी जानी चाहिये। लेकिन होता क्या है कि होम डिलीवरी के लिये जो गैस एजेन्सी वाले हैं जाने कैसे खानापूर्ति कर लेते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरा सुझाव है कि जितने भी गैस के कार्ड-धारक हैं, उनको 21 दिन के अन्दर होम डिलीवरी उनके घर पर उनका कनेक्शन नम्बर डालकर और उनसे रिसीव कराकर 21 दिन के अन्दर उपलब्ध कराई जाये ताकि वितरण प्रणाली की व्यवस्था सुधर सके। इससे चोर बाजारी भी समाप्त हो जायेगी और जो गैस गाड़ियों में फोर-ह्वीलर में उपयोग की जा रही है उस पर भी अंकुश लगेगा। जो खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, आज जो कई सालों से कोटाधारक हैं इनको कोई कमीशन नहीं मिलता। इनको 6 रुपया प्रति क्विंटल मिलता है और आपने इनके लिये कुछ सुनिश्चित नहीं किया है यह तो खुद ही आपकी व्यवस्था इनको चोरी करने के लिये इंगित करती है। यह घटतौलिया का शिकार बनते हैं जहां से यह राशन उठाते हैं वहां से ही इन्हें पांच परसेंट कम मिलता है। 100 का 95 किलो स्वयं पाते हैं और उसके बाद यह आम उपभोक्ता को कैसे देंगे ? इसलिये आपको नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। जहां तक मिट्टी के तेल की डीजल और पेट्रोल में मिलावट की बात है, हमारे

विधान सभा में हमारे घर से 3 कि0मी0 पहले वीरमापुर में एक बहुत बड़ा मिट्टी के तेल का गोदाम बनाया गया है, किस अथारिटी के नाते उन्होंने बनाया है, किसने उनको लाइसेंस दिया है ? वहां पर मुगलसराय डिपो से सीधे हमारे यहां मिट्टी के तेल का टैंकर आता है फिर रात को पेट्रोल पम्पों पर सप्लाई होता है। मेरा मंत्री जी से कहना है कि इसकी जांच करा लें और दोषियों को दण्डित करें। इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि हमारे बहुत से साथियों को अपनी बात रखनी है अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजाराम त्यागी-

माननीय अधिष्ठाता महादेय, खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एल0पी0जी0 गैस को छोड़कर बाकी खाद्य एवं रसद विभाग में जितनी बाते हैं वे सब दबे कुचले लोगों से संबंधित हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे अन्त्योदय कार्ड हो या बी0पी0एल0 सूची के लोगों को मिलने वाला राशन है, सबका सब पूरी तरह से मार्केट में ब्लैक होता है और जो सरकार की मंशा है कि दबे कुचलों तक पहुंचे वहां तक नहीं पहुंच पाता है। मैं दबे-कुचले लोगों के बल पर बनने वाली सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि इससे पहले की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बी0पी0एल0 सूची बनी है, वह गलत तरीके से बनी है। वर्ष 2002 से पहले जो बी0पी0एल0 सूची बनी उसका वर्ष 2005 में रिन्यूवल हुआ है उससे पहले जो बी0पी0एल0 सूची बनी थी टीक उसी तरीके से उसका रिन्यूवल नहीं हुआ बल्कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान ने मिलकर मनमाने तरीके से उसको बनाया है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार में जरा भी साहस है तो जो बी0पी0एल0 की सूची का सर्वे हो रहा है, उससे पहले जो वर्ष 2005 के पहले बनी थी उस दोनों की जांच क्यों नहीं करवाई जाती और जिन लोगों ने हेर फेर किया है चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो उनके खिलाफ साहस हो यह सरकार कार्रवाई करे। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बी0पी0एल0 सूची का नया सर्वे हो रहा है उसमें 3 विभागों को जोड़ा गया है लेकिन कोई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वे नहीं हो रहा है। यह अधिकारी/कर्मचारी जिस दिन इच्छा होती है ग्राम प्रधानों के घर जाते हैं या गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं और वहीं बैठ करके लिस्ट बना लेते हैं। मान्यवर, आपके बजट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक निर्धारित कार्यक्रम बनाया जाए जैसे मतदाता सूची बनाई जाती है और पहले से अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, डुग्गी पीटी जाती है कि फलां दिन वोटर लिस्ट शुद्ध होगी। उसी तरह से कोई प्राविधान नहीं है, डुग्गी पीटी जाए, समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार कराया जाए, पर्चे चिपकाये जाएं कि फलां दिन बी0पी0एल0 सूची का सर्वे होगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से दबे कुचले, गिरे लोगों को सम्मान मिलेगा, इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दीप नारायण सिंह ''दीपक यादव''-

माननीय अधिष्ठाता जी, काफी देर से प्रयास कर रहा था, अब जाकर अवसर मिला है, इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, श्री पी0के0 राय द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

इस सम्बन्ध में हमारे तमाम साथियों ने अपना-अपना पक्ष रखा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र से हम चुनकर आये हैं वहां पर एक-डेढ़ साल में 200-300 लोग भूख के कारण मारे गये हैं। वितरण व्यवस्था की तारीफ हमारे सामने बैठे साथियों ने की है अगर यह वितरण व्यवस्था ठीक होती तो इतने सारे लोग भूख के कारण नहीं मारे गये होते। मेरा निवेदन यह है कि मान्यवर, जो कमियां, परेशानियां हैं उसको सब महसूस करें और व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। आज गांव के कोटेदार की स्थिति यह है मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं आज गांव में अगर कोई बड़ा आदमी बचा है तो वह कोटेदार है। गांव की सारी राजनीति कोटेदार के यहां से चलती है। कोटेदार ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि किसे प्रधान बनाना है किसे हटाना है ऐसी स्थिति में वह रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि लोगों की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। प्रदेश में क्या व्यवस्था बनाने जा रहे हैं ? वर्तमान परिस्थितियों में वहां की परिस्थितियां कैसी हैं उन्हीं हालातों से मैं अवगत कराना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के कोटों को सोसायटियों में समाहित कर दिया जाय इससे यहां वितरण की व्यवस्था निश्चित रूप से सुधरेगी और कोटेदारों का वर्चस्व समाप्त हो जायेगा। मेरी प्रार्थना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो अनाज मिलता है वही बुन्देलखण्ड में भी मिलता है 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं एक कार्ड पर मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग चावल खाना ज्यादा पसन्द करते हैं जबकि हमारे बुन्देलखण्ड के लोग गेहूं की रोटी खाना ज्यादा पसन्द करते हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पीले कार्ड पर गेहूं की कीमत 6.60 रुपये प्रति किलो है और चावल की कीमत 8.45 रुपये प्रति किलो है। इसको संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि बुन्देलखण्ड में गेहूं खाने वाले ज्यादा लोग हैं इसकी व्यवस्था बनाने का कष्ट किया जाये। ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 और अन्त्योदय तीन तरह के कार्ड होते हैं लेकिन हमारे यहां चार साल से सूखे के कारण बड़े-बड़े लोग हैं वह भी भुखमरी की स्थिति में हैं। उनके लिये भी नये कार्डों की व्यवस्था की जाय क्योंकि जमीन होने के नाम पर यह समझा जा रहा है कि बड़े आदमी हैं लेकिन उनकी हालत मजदूरों से भी बदतर है इसलिये नई व्यवस्था बनाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री दीप नारायण सिंह ''दीपक यादव''-

मान्यवर, लोगों की जान से ज्यादा समय की कीमत नहीं है। मैं महत्वपूर्ण बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे कुछ सुधार हो सके और व्यवस्था बदले और इन लोगों के प्राणों को बचाया जा सके। इस समय ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें कोटेदारों, सप्लाई

आफिसों के बीच ऐसी मिलीभगत हो गई है कि किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। मेरा अनुरोध है कि वितरण की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे गरीबों को बचाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीभगवान पाठक-

अधिष्ठाता महोदय, आपने खाद्य एवं रसद विभाग के इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। कटौती का प्रस्ताव रखते समय राय साहब ने एक बात को स्वीकार किया कि धान की खरीद इस प्रदेश में अच्छी हुई है। अधिष्ठाता महोदय धान किसान पैदा करता है और जब किसान का धान या और जो उपज जो वह पैदा करता है वह खरीद अधिक से अधिक सरकार करती है तो निश्चित रूप से किसान को लाभ होता है। किसान जब खुशहाल होता है तो गांव खुशहाल होता है, गांव खुशहाल होता है तो जिला और प्रदेश खुशहाल होता है इसलिये यह जो बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है इस सरकार की सोच है निश्चित रूप से गरीबों के उत्थान के लिये गरीबों के प्रति जो चिन्ता है, चिन्ता यह सरकार कर रही है। किसानों को उचित दाम दिलाकर के किसानों एवं गरीबों को न्याय मिलेगा। बी0पी0एल0 सूची में जो पिछले दिनों काफी गड़बड़ी हुई थी, उस सूची को भी दुरुस्त करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, पिछली सरकार में, मैं बलिया जनपद का रहने वाला हूं आदरणीय चौधरी साहब बैठे हुए हैं .....

(इस समय 3 बजकर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इनको पता है सिकन्दरपुर तहसील में आपको ताज्जुब होगा अधिष्ठाता महोदय कि पूरे तहसील की दुकान एक कोटेदार चलाता था। आज इसमें बदलाव हुआ है इस बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद आज हर गांव में कम से कम कोटेदार को वह सामान मिल रहा है। कुकिंग गैस की व्यवस्था के सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष जी कहा गया कि इसकी कमी है यह कमी आज ही नहीं है, बहुत समय पहले से चली आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

लगभग दो घण्टे से आप लोग चर्चा कर रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, काफी समय बीत गया है। अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण कराकर इसको समाप्त करायें।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ढाई घण्टे से आप लोग खाद्य एवं रसद ले रहे हैं, अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। अब अगला मद ले लीजिये। अगर आप लोग दो-दो मिनट में दो चार सदस्य बोलना चाहें तो ठीक है। आगे और भी बजट है अभी।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, आपकी बड़ी कृपा होगी कि डा0 पी0के0 राय साहब के कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, स्थिति यह है कि सूबे में धान खरीद की बात आई मान्यवर, इससे पहले मैंने काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से धान खरीद पर एक नोटिस सदन में दिया था और आपने सुना था और सरकार ने स्वीकार किया था मान्यवर, कि लक्ष्य के विपरीत धान की खरीद नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी बहुत योग्य हैं, कर्मठशाली हैं आगे कोशिश करेंगे कि किसानों का धान या उत्पाद खाद्य विभाग खरीदे। मिट्टी के तेल और राशन की बात आई तो सत्ता पक्ष के लोगों ने तारीफ की। बी0पी0एल0 सूची कायदे से बनाई जा रही है ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 की जो सूची बनाई जा रही है वह एक जगह बैठकर ठेकेदारी प्रथा से बनाई जा रही है। इसको दिखवाना उत्तर प्रदेश के गरीबों के हित के लिये बहुत जरूरी है क्योंकि सारी योजनायें जो गांव के लिये बनाई जा रही हैं और आज जब गांव के गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा बोर्ड का एक्जामिनेशन होने वाले हैं गांव में बिजली आती नहीं है पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा। गरीब विद्यार्थी जो इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं एक ढिबरी जलाने के लिये परेशान हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यह मूलभूत सुविधाओं का सवाल है। मैं यह कहता हूं कि इनका दावा सरकार का मुफलिसी का मोर्चा सर हो गया पर हकीकत है कि मौसम और बदतर हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठ जाइये इसके बाद तो आगे बोलना भी नहीं चाहिये आपको।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

माफ करिये, सच कहूं आज इस परिवेश में कोख ही ज़रखेज है एहसास बंजर हो गया। मान्यवर, आप निर्देश दें कि गरीबों को मिट्टी का तेल, गरीबों को सही सुख सुविधा मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष-

बहुत हो गया कई सदस्य बोल चुके हैं। ढाई घंटे इस विभाग पर चर्चा की गई है। आप लोग बैठें। माननीय सदस्य अपने सुझाव आज ही लिखकर दे दें हम उसको कार्यवाही में शामिल कर लेंगे।

(लिखित भाषण के लिए देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 196 पर)

*श्री सुन्दर लाल लोधी-

माननीय अध्यक्ष जी. आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दो मिनट में हम सुझाव देंगे। दो मिनट ही नहीं बल्कि एक ही मिनट में देंगे। एक मिनट छोड़ देंगे। आपने बड़ी मुसीबत से दो मिनट का समय दिया है। मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है बड़े अधिकारी हर जनपद के ऊपर हैं। बड़े कर्मचारी इनके जनपद के ऊपर हैं। इनके पास स्वतंत्र आर्थिक अपराध से ले करके सभी कुछ जांच करने की एजेन्सी है। परन्तु दुखद यह है कि जो जिला पूर्ति अधिकारी जो जनपद के ऊपर बैठे हैं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मूक दर्शक हैं मूक दर्शक इस आधार पर हैं कि उनका विभाग तो अलग है माननीय मंत्री जी उससे अलग हैं परन्तु उनके डील जो होते हैं वह जनपद में एस0डी0एम0 से होते हैं एस0डी0एम0 उन पर हावी है। जब वह दो विभागों में घिर जाते हैं, अभी हमारे माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बड़ी तारीफ की, तारीफ करते हुए कहा कि वहां पर तहसीलदार बंटवा रहे हैं एस0डी0एम0 बंटवा रहे हैं लेकिन यह सब लूट में शामिल हो गये हैं इसलिये इस प्रथा में खाली खाद्य विभाग के अधिकारियों को रखा जाय और एस0डी0एम0 को हटा दिया जाय तो उ0प्र0 में सुचारु रूप से व्यवस्था चल सकेगी। क्योंकि उनके पास खाद्य विभाग में खुद ही इतनी शक्ति है थोड़ी सी पुलिस फोर्स देकर वही सक्षम हैं। आज जो कोटेदार मालामाल बने जा रहे हैं नाममात्र के लिये डी0एस0ओ0 से कहा जाता है लेकिन उस कोटेदार का सीधा सम्बन्ध एस0डी0ओ0 से है। एस0डी0एम0 से वह सीधे जुड़ा है। एस0डी0एम0 आज पूरे उत्तर प्रदेश में लूट के केन्द्र बने हैं इसी के साथ हम एक मिनट में अपने सुझाव देकर अपनी बात को विराम देते हैं।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया है खासतौर से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जब वह अपने बजट भाषण में उत्तर दें तो मिलावट आज की बहुत बड़ी समस्या है, यह सीधे-सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। यह कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मिलावट को रोकने के लिये कारगर कदम उठाये जायें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और राइस मिल एसोसिएशन है जिसके माध्यम से सरकारी एजेन्सियां चावल और गेहूं की खरीद करती हैं। 50 के0जी0 हम चावल, गेहूं खरीदते हैं लेकिन वही गेहूं और चावल जब कोटेदार को जाता है तो वह 42-45 किलो निकलता है। कोटेदार मजबूर है उसकी शिकायत बराबर आती रहती है। मान्यवर, मिट्टी का तेल है, किरोसिन आयल है कोटेदार को दो सौ लीटर में से 180 लीटर मिट्टी का तेल कोटेदार को मिलता है। 20 लीटर तेल जो जिले का डी0एम0 है वही नहीं देता है। अगर एक कोटेदार ने पांच ड्रम तेल लिया तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

100 लीटर तेल उसको वहीं से कम मिलता है इसमें शिकायतें आती रहती हैं। डा0 पी0के0 राय द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया उस पर आपने बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री सनातन पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे डा0 पी0के0 राय द्वारा लाये गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी द्वारा अपने विभाग का बजट पेश करने से पूर्व अपने भाषण में कहने का कार्य किया गया कि पूर्व सरकार ने 62 से 64 प्रतिशत तक चावल में रिकवरी लेने का काम किया था, लेकिन यह सरकार किसानों की हितैषी है और हमने 66 प्रतिशत रिकवरी लेने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस दिन आपने यह आदेश देने का काम किया था उस दिन पूरे प्रदेश में चावल मिल मालिकों ने आपका धान लेने से इंकार कर दिया था। इसके बाद आपने धान खरीद की जिम्मेदारी खाद्य निगम, प्रादेशिक सहकारी संघ, यू0पी0 एग्रो, उपभोक्ता सहकारी संघ, आवश्यक वस्तु निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम को दिया था। एक भूचाल आ गया था, इस प्रदेश में कि यह कैसे हो पायेगा तो उस समय खरीददारी के लिये लगाये गये विभागों के बीच और चावल मिल मालिकों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। समझौता यह हुआ कि नमी और गर्दे के नाम पर किसानों से 100 कुन्तल धान के स्थान पर आपने 105 कुन्तल धान लेने का काम किया है, इसकी आप जांच करवाने का काम करें। आपने प्रति कुन्तल में 5 किलो किसानों से चोरी करने का काम किया है, आप पर यह इल्जाम है और आप जो किसानों की हितैषी होने की बात कर रहे हैं, कहीं से भी यह सरकार किसानों के हित के कार्य नहीं कर रही है। दूसरी तरफ किसान आज सीधे अपना धान क्रय केन्द्रों पर ले जाता है लेकिन जब वह क्रय केन्द्रों को अपना धान ले गया तो आपके अधिकारियों ने मजबूर करने का काम किया कि आप इसे सीधे मिल मालिकों तक पहुंचा दें ताकि दोनों के बीच का जो भाड़ा है, उसे बचा सकें। आपने कोई भी किसानों के हित के काम नहीं किये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं यहां पर एक मा0 सदस्य ने स्वयं कहा है कि उन्होंने अपना धान बिचालियों को बेचने का काम किया है। अध्यक्ष जी मैं भी किसान का बेटा हूं मैंने भी धान बेचने का काम किया है, मुझे कैश में पैसा भेजा गया था तब मैंने कहा कि जब मैंने धान दिया है तो मुझे चेक मिलना चाहिये, कैश नहीं मिलना चाहिये। जब मैंने 105 किलो का पैसा मांगा तो उन्होंने कहा था, मिल मालिकों से कि चलिये, दे दीजिये। क्या मतलब है, जब प्रदेश का पूरा किसान त्रस्त है तो एक मा0 सदस्य को खुश करके आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं ? तो मेरा मानना है कि यह सरकार कहीं से भी किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। इसके साथ ही मैं डा0 पी0के0 राय द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में मंत्री जी आप भी गांव जानते हैं, थोबहा, 6 हजार की आबादी का गांव है और सब गरीब तबके के लोग हैं, एक एकड़ से कम जमीन सबके पास है और वहां दुकान नहीं बन पाती है। प्रस्ताव होता है, जिसके पक्ष में प्रस्ताव होता है, जब बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने पक्ष में प्रस्ताव नहीं करा पाते हैं तो हर बार प्रस्ताव निरस्त करा देते हैं। अब फिर प्रस्ताव हुआ है तो क्या आप दुकान बनवा देंगे ? अबकी प्रधान हाईकोट चला गया है कि हमारे पक्ष में बार-बार प्रस्ताव होता है, अधिकारी लिखते हैं कि बहुमत इसके पक्ष में है लेकिन दुकान नहीं बनती है तो कृपा करके दुकान बनवा दो।

डा0 पी0के0 राय-

मा0 अध्यक्ष जी, यह विभाग कितना महत्वपूर्ण है और कितना आम जन से जुड़ा हुआ है, इसका यह प्रमाण रहा है कि मा0 सदस्य अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उनको वक्त नहीं मिल पाया है। फिर भी जितने भी सम्मानित सदस्यों ने हमारे कटौती प्रस्ताव के ऊपर बल देने के लिये चर्चा में हिस्सा लिया है। मान्यवर, उसी के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय विधायकों ने भी इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का जब उत्तर भाषण आये तो माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा चाही है और जो सुझाव दिये हैं, जो जमीनी हकीकत है तो माननीय मंत्री जी के उत्तर भाषण में स्पष्ट तौर पर जवाब आ जाये। तो आपका उत्तर भाषण आ जाये उसके बाद हमारे सदस्यों की जिज्ञासा शान्त होगी। मान्यवर, अब कृपया माननीय मंत्री जी का उत्तर दिलवा दें।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राय साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बी0पी0एल0 कार्डों की जांच की बात उठाई है कि मान्यवर, कांशीराम योजना में, तो यह एक सतत प्रक्रिया है जांच की। जांच हो रही है जिस मोहल्ले में, जिस गांव में जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें वहीं पर आवंटित करने का काम किया जा रहा है और पूरे जनपदों में जो पात्र लोग होंगे, मान्यवर, कांशीराम योजना के नाम से मोहल्ले बने हैं वहीं पर जांच के पात्र लोगों को कार्ड आवंटित किया जायेगा। मान्यवर, माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया था। हिन्दुस्तान टाइम अखबार के माध्यम से जिसमें भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जांच के लिये लिखा था। वह वर्ष 2006-07 का था। वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06 के मामले पहले भी उठे थे जिसे खाद्य एवं रसद विभाग ने सी0बी0आई0 को जांच देने का काम किया था और इसमें भी संयुक्त सचिव, भारत सरकार ने लिखा था और मैंने हुकुम सिंह जी के जवाब में उस दिन भी कहा था कि जो प्रकोष्ठ हैं उससे जांच कराने के बाद यदि कुछ तथ्य सामने आयेंगे तो इसे भी उसी तरह से जांच

के लिये रिफर कर दिया जायेगा। दूसरे हमारे खन्ना साहब चले गये, इन्होंने भी बी0पी0एल0 के कार्डों की जांच की बात उठाई। हमारे लखनऊ से विधायक श्री सुरेश श्रीवास्तव जी ने अपने क्षेत्र में किराये ऐक्ट की बात उठाई है हम इसमें बात करके देखेंगे कि कहां दिक्कत है। कोशिश करेंगे कि इनके क्षेत्र के लोगों को, लखनऊ के लोगों को जो दिक्कत है वह देखेंगे। इसी तरह से हमारे सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने विशेष कर वितरण व्यवस्था पर ही लोगों ने बात उठाई है और यह सही है कि यह सरकार आने के बाद खाद्यान्न वितरण में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। मैंने स्वयं अपने भाषण में स्वीकार किया कि मिट्टी का तेल मांग के अनुसार भारत सरकार हमको नहीं दे रही है। हमारी मांग कुछ ज्यादा है उससे कुछ कम मिल रहा है दूसरे जब रोटेशन में खाद्यान्न मिलता है तो यह डिपो वाले जो मिट्टी का तेल आवंटित करते हैं उस समय नहीं दे पाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से मिट्टी के तेल की व्यवस्था सही हो। जिस तरह से खाद्य वितरण की व्यवस्था अच्छी चल रही है उसी तरह से यह भी चले। श्री राम किशुन यादव जी ने एक बात उठायी थी, वह चले गये हैं, उन्होनें कहा कि पढ़ने का काम नहीं किया है, तो वह देखें कि जिस तरह से पंजाब हरियाणा में आढतियों के माध्यम से खरीद पहले से ही होती थी, पिछले दिनों गेहूं की खरीद में भी और इस वर्ष धान की खरीद में भी डेढ़ प्रतिशत आढ़तियों को देकर के धान की खरीद कराई गई है। उन्होनें पढ़ने का काम नहीं किया। मैं सदन के सत्तापक्ष और विपक्ष के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे आदरणीय सदस्य, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी, जो अध्यक्ष, विधान सभा भी रहे हैं, ने अपने गांव का मामला उठाया, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक शासनादेश हो गया है कि पहले दलित लोगों को मिलेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आप किसी को भी दीजिये लेकिन आवंटित तो कीजिये।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

दलित के नाम का प्रस्ताव नहीं आ पा रहा है जिस कारण यह हो रहा है। डी0एम0 को बैक लाग पूरा करने का शासनादेश गया है, तो किसी भी दलित का नाम आप दे दीजिये वह हो जायेगा। जिन लोगों ने भी इस पर चर्चा की उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आवश्यक वस्तु निगम की भी बात उठाई गई और लिखकर भी दिया गया तो मैं इसको दिखवा लूंगा कि क्या मामला है। सबका धन्यवाद। अन्त में राय साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

राय साहब कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, चूंकि सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया है इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,36,95,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,67,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, प्रदेश में राजस्व संग्रह करने वाले विभागों में खनिज विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस वर्ष खनिज विभाग से 31 जनवरी तक लगभग तीन सौ करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। 295 करोड़ के आसपास, जो पिछली सरकार की अपेक्षा लगभग 36 करोड़ ज्यादा है। आज यह खनिज विभाग एक अलग विभाग बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले यह उद्योग विभाग में शामिल रहता था, अब यह भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के नाम पर पहली बार पेश हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस विभाग की स्थापना 1955 में हुई और वर्ष 1963 में खनिज प्रशासन का कार्य इस विभाग को सौंपा गया और 1985 में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को खनिज सेक्टर का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में वर्तमान में मुख्य खनिजों में 64 और उप खनिजों में 2587 खनिज पट्टे स्वीकृत हैं। मुख्य खनिजों में मुख्यतः

कोयला, पाइरोफालाइट, पायस्फोर, सिल्कासैण्ड, लाइमस्टोन एवं ग्रेनाइट और उप खनिजों में बालू, मिट्टी, ईंट-भट्टे की मिट्टी, बालू, मौरंग, बजरी, बोल्डर, पटिया, खण्डा, गिट्टी, लाल मौरंग आती है और इसके अतिरिक्त प्रदेश में कुल लगभग 10533 ईंट भट्टे हैं। माननीय अध्यक्ष जी वर्तमान सरकार द्वारा इस वर्ष कोयले के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो नई परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। यथा कृष्णशिला एवं बीना-2 भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करा कर इसकी सभी औपचारिकतायें पूरी करा ली गई हैं और बहुत जल्द इसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। इन परियोजनाओं में उत्पादन से हमारे प्रदेश को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होगी। खनिज कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभाग द्वारा खनिज अन्वेषण के महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष बल दिया जा रहा है। विभाग द्वारा जब तक 16 विभिन्न खनिजों के भण्डारों का शुद्धीकरण किया गया है जिनमें चाईनाक्ले, लाइमस्टोन, डायस्फोर, पाइरोफालाइट, फास्फेट, बाक्साइट प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त बहुमूल्य खनिजों की खोज विगत वर्षों में की जा रही है। ललितपुर में सोना, प्लेटेनियम और जनपद बांदा में हीरे की खोज की गई है। माननीय अध्यक्ष जी वर्तमान सरकार द्वारा बहुमूल्य रत्नों की खोज हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत मेसर्स डी बियर्स, पी0एच0पी0, रियोटिन्टो एवं झांसी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को पांच लाइसेंस दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में तेल एंव प्राकृतिक गैस की खोज हेतु पेट्रोलियम एस्सप्लोरेशन के भी चार लाइसेन्स, ओ0एन0जी0सी0 एवं आयल इण्डिया लिमिटेड तथा केयनर्स एनर्जी आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से कार्य हेतु एक्सप्लोरेशन लाइसेन्स दिये गये हैं। मान्यवर, खनिज अन्वेषण व खनिज प्रशासन के अतिरिक्त खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में विकास का कार्य खनिज विकास निधि के माध्यम से किया जाता है। 2002-2003 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में थी उस समय खनिज विकास निधि की स्थापना की गई थी और उस समय खनिज विकास निधि के माध्यम से जहां खनिज बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर सड़कें, हैण्ड पाईप, शेड बनाने के लिये जो श्रमिक वहां पर काम करते हैं, ऐसी व्यवस्था खनिज विकास निधि के माध्यम से की जाती है इस साल भी इसमें 08 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है माननीय अध्यक्ष जी यह विभाग मूलतः राजस्व प्राप्ति के लिये है। इस साल इसमें 448 करोड़ का लक्ष्य रखा गया हैं, अभी हमको लगभग 300 करोड़ की प्राप्ति हुई है और अभी तो फरवरी और मार्च भी है हम उम्मीद करते हैं कि यदि लगभग 100 करोड़ रुपया और मिलेगा तो लगभग 400 करोड़ रुपया खनिज विभाग में आयेगा।

मान्यवर, कुल लगभग साढ़े 27 करोड़ रुपये इस विभाग का खर्च है। इस साढ़े 27 करोड़ में से 3 करोड़ 66 लाख रु0 सेलरी की मद में जाता है। टेलीफोन के बिलों और बिजली के बिलों के भुगतान में कुछ रुपया जाता है। 7 करोड़ 55 लाख रु0 अन्वेषण के कार्य में खर्च होता है। 8 करोड़ रुप्या खनिज विकास निधि में खर्च होता है। इस तरह से कुल मिलाकर 19 करोड़ रु0 का खर्च है। बाकी चार सौ करोड़ रु0 की प्राप्ति अनुमानित है। मान्यवर, इसलिये

इसमें बहुत ऐसा कोई कटौती का प्रस्ताव मायने नहीं रखता है क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़े बजट का व्यय नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत न करें उसे वापस ले लें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने तथा खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा था कि जो सरकार बजट लाई है वह केवल गप्प का पुलिंदा है। मान्यवर, मंत्री जी ने अभी अपने विभाग का लक्ष्य बताया है। यह बताया कि पिछले वर्ष से 36 करोड़ रु0 ज्यादा (जनवरी माह तक) राजस्व प्राप्त हुआ है। मान्यवर, गत वर्ष 2006-07 में 350.50 करोड़ रु0 का लक्ष्य था, 344.76 करोड़ रु0 की प्राप्ति हुई थी। अभी चूंकि फरवरी का एंड है मार्च खत्म होने में केवल 33-34 दिन बाकी है और 300 करोड़ का अर्जन हुआ है और बाकी 150 करोड़ रु0 कहां से आ जायेंगे। इतनी जल्दी कहां से आ जायेंगे। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में अवैध खनन का कार्य जारी है। जिस तरह से खनिज अधिकारियों ने मंत्री जी को घेर रखा है इनके कार्यालय को घेर रखा है उससे सब अवगत हैं। इनके नाम से वसूली करने का जो काम हो रहा है वह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। मान्यवर, मंत्री जी की सरकार यह दावा करती है कि यह सरकार दलितों और गरीबों की सरकार है। मान्यवर, आज इन्दिरा आवास के लिये 25 हजार रुपया मिलता है। जब से यह सरकार बनी है तब से तीन गुना मौरंग और बालू के दाम बढ़ गये हैं। और उस अनुपात में इन्दिरा आवास की राशि नहीं बढ़ी है। यह मौरंग से जुड़ा हुआ मामला है। वह गरीब आदमी अपने आवास की छत कहां से डालेगा। इस सरकार ने वैट प्रणाली को लागू कर दिया है उसके बाद से सरिया, मौरंग और अन्य चीजों के दाम बढ़ गये हैं। मान्यवर, इस विषम स्थिति में गरीबों की उपेक्षा यह सरकार कर रही है। अगर हम केवल चित्रकूट मण्डल को देखते हैं जहां के मंत्री जी रहने वाले हैं। 4 हजार 540 लाख का लक्ष्य था, अभी तक वसूली हुई है 2 हजार 816 लाख। शेष धनराशि की वसूली बाकी है। इन्हें वहां पट्टे मिल ही नहीं रहे हैं। जो पत्रावलियां हैं वह निदेशालय और शासन के मकड़जाल में फंस गई हैं। इसी तरह से विन्ध्याचल को आप लें जहां सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे जिले आते हैं वहां आपका लक्ष्य 7 हजार 220 लाख का था और 6 हजार 245 लाख की प्राप्ति हुई है 975 लाख अवशेष है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय प्रत्येक जिले में मिट्टी से संबंधित कार्य हो रहा है।

भट्ठा मालिकों एवं हाईवे निर्माण अवैध खनन कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा कोई मानीटरिंग नहीं की जा रही है उसका कोई कारण माननीय मंत्री जी नहीं बता पाये। यह राजस्व विभाग पैसा वसूली कर देने का काम करता है। मंत्री जी के पास खनिज अधिकारी हैं नहीं आप भू-वैज्ञानिकों से काम ले रहे हैं। एक अधिकारी 10-10 जिले तक देख रहा है। किसी के पास गाड़ी साधन जीप हैं नहीं अगर कहीं से सूचना मिलती है अवैध खनन की तो वही बालू माफिया की गाड़ी से जाकर उसकी जांच करने जाते हैं वही अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है तो कैसे जांच करेंगे, इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, इतना ही नहीं हम बताना चाहते हैं अभी तक मान्यवर, जो राजस्व वसूली की जाती है माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान में पद्धति है वहां पूरे के लाट बनाकर पूरी क्वैरी करा ले, पूरे राजस्व का वसूली की जाती है वहां का अध्ययन करा लें अपने अधिकारियों से, अगर राजस्थान के तर्ज पर वह सिस्टम लागू करते हैं तो राजस्व की ज्यादा पूर्ति हो सकती है लेकिन मान्यवर, कैसे करेंगे मंत्री जी, इन्होंने दलाल पाल रखे हैं इनकी पार्टी के महासचिव हैं [x x x]

श्री अध्यक्ष-

नाम नहीं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

चलिये नाम नहीं। हम वापिस लेते हैं इस बात को। बड़े-बड़े बालू माफिया हैं उन लोगों ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ठेका ले रखा है, पूरे बुन्देलखण्ड का ठेका ले रखा है। केवल माननीय मंत्री जी ने सरकार बनते ही एक बालू माफिया के ऊपर छापा डाला था और उनकी मशीनें बन्द करा दी थी। मटौन्ध थाने में एफ0आई0आर0 हुई पता नहीं 2 महीना बाद कैसे एफ0आई0आर0 समाप्त हो गयी, फिर से वहीं मशीनें चलने लगीं। जबकि बुन्देलखण्ड सूखे से तबाह है। पूरे प्रदेश में मशीनों से काम हो रहा है। मजदूर तबाह हैं मजदूर पलायन कर रहा है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को पता हो या न पता हो, मंत्री जी का और सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी का धौंस दिखाकर इनके जितने बालू माफिया हैं इनके इर्दगिर्द कार्यालय में बैठकर, घर में बैठकर फर्जी एम0एम0 बना करके करोड़ों रुपये का राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे पास यह फर्जी एम0एम0 11 है यह सहारनपुर से जारी हुए हैं। यह इमाम महबूब का पट्टा है इसी तरह से अमित जैन का है, विकास राजित का है, महमूद वाजिब का है इस तरह से सैकड़ों हमारे पास एम0एम0 11 हैं। यह पुलिन्दा है सरकार का।

(माननीय सदस्य ने एम0एम0 11 दिखाये)

इस तरह से अरबों रुपये का नुकसान यह अपने बालू माफिया से करा रहे हैं। यह सरकार बहन मायावती का नाम लेकर धन उगाही का काम कर रही है। आपको बताना चाहता हूं

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कि जिस तरह से यह सरकार ने व्यवस्था की है वन विभाग और खनिज विभाग की 2 क्वैरी चौकियां होती हैं पूरे प्रदेश में वन विभाग और खनिज विभाग की पैरलेल चौकियां होती हैं अगर दोनों को मिलान करा लिया जाय वन विभाग की चौकी बता रही है कि प्रतिदिन 100 ट्रक निकले हैं और इतने घनफुट बालू बोल्डर गिट्टी निकली है और इनकी खनिज चौकी बता रही है उससे 10 गुना कम। यह हमारे पास वन विभाग का पूरा चिट्ठा है। यह हम सदन के सामने दिखाना चाहते हैं यही इनके गप्प का पुलिन्दा है, इस तरह से करोड़ों रुपये का इन लोगों ने घोटाला किया है। हम चाहते हैं कि इसकी सी0बी0आई0 जांच करा दें प्रत्येक खनन चौकी और वन चौकी की। अपने आप खुलासा हो जायेगा। इतना ही नहीं एम0 एम0 11 की जो इनकी पर्ची है उसमें एक शासनादेश का हवाला कर देते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई घनमीटर का उल्लेख नहीं होता, माननीय मंत्री जी इसको देख लीजियेगा, जांच कर लीजियेगा और ट्रैक्टर की ट्राली की पर्ची 10 चक्का ट्रक निकल रहा है, पता नहीं आपको समय नहीं देखने का।

आपके इर्द-गिर्द जो लोग लगे हैं वह किस तरह आपको गुमराह कर रहे हैं। किस तरह से आपसे बातें करते हैं और वहां क्या कर रहे हैं ? मान्यवर, जितने भी खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर जो भी खनन कार्य हो रहा है, जैसे सोनभद्र है। वहां पत्थर की 100 अवैध खदाने चल रही है। उनकी रिनीवल की फाइलें पेडिंग हैं, पट्टेदार करीब 6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, उनका मोलभाव हो रहा है, उन पर पार्टनरशिप तय हो रही है तो क्यों नहीं राजस्व का घाटा होगा, क्यों नहीं राजस्व की कमी आयेगी। तमाम फाइलें शासन में निदेशालय में पेंडिंग पड़ी हैं, खनिज अधिकारी हो, या चाहे जिलाधिकारी हो, जब मुख्य मंत्री का नाम, माननीय मंत्री जी का नाम लेकर उनको धौंस दिखाई जायेगी तो जो अधिकारी चाहेगा, वह रिपोर्ट नहीं लगा पायेगा। जो बालू माफिया चाहेगा, वही रिपोर्ट लगेगी। इस तरह से पूरे प्रदेश में खनन की बड़ी लूट हो रही है और राजस्व को घाटा पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी ने अभी खनिज विकास निधि की चर्चा की थी। हम बताना चाहते हैं कि खनिज विकास निधि में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं। खनिज विकास निधि का उद्देश्य है कि खनिज बाहुल्य एरिया में सड़क बनाना, वहां शौचालय बनाना, हैण्डपम्प लगाना, श्रमिकों के लिये रैनबसेरा बनाना, लेकिन मान्यवर, इसके स्थान पर निदेशालय की साज-सज्जा हो रही है, वहां ए0सी0 लगाये जा रहे हैं, पिछले साल के कारपेट दुबारा बदले जा रहे हैं, खिड़की-दरवाजे नये लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश के क्वैरी कार्यालयों को मजबूत कर देते तथा उनके लिये गाड़ियों की व्यवस्था कर देते तो जो इनके निरीक्षण करने वाले हैं उनके लिये कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, उनके लिये कोई सुविधा नहीं है तो कैसे इनके राजस्व की बढ़ोत्तरी होगी। मान्यवर, इसके अलावा हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने 10 बड़ी कम्पनियों को अन्वेषण हेतु पट्टा दिये हैं। डीवीयर्स कम्पनी, मेसर्स बी0एच0पी0 खनिज अन्वेषण प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, मेसर्स हीराकुण्ड, डायमंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, अगर माननीय मंत्री जी कभी मौके पर जायें और देखें कि यह लोग क्या कर रहे हैं जिसने पट्टा लिया,

पट्टा के उद्देश्य क्या थे, शर्त क्या थी, इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं लेकर चूंकि माननीय मंत्री जी के पास समय नहीं है, तो कौन देखेगा। जिन अधिकारियों के पास गाड़ी नहीं है, वह लखनऊ से कैसे जायेंगे। बस से बैटकर जाते हैं और जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां बाहर से आई हैं, बम्बई से आई हैं, देखती हैं कि यह खनिज अधिकारी आज बस से आ रहा है, और वह 15 लाख, 50 लाख की गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं तो क्या वह हमारे खनिज अधिकारी की कीमत समझेंगे। उसका कोई डर भय नहीं होगा। इसलिये सुधार की आवश्यकता है। मान्यवर, यह सरकार जिस तरह से दावे ठोंक रही है, 1200 से अधिक होईकोर्ट लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद में और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें लम्बित हैं और इनके पास अधिकारी कितने हैं, केवल एक अधिकारी। एक आदमी 1200 मुकदमें कैसे देखेगा। मान लीजिये उसी डेट में मुकदमा लखनऊ में लगा है, उसी डेट में इलाहाबाद में लगा है और उसी डेट में सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो कौन जायेगा मंत्री जी उनकी पैरवी करने। क्या आपके दलाल जायेंगे जो खनिज को लूटने का काम कर रहे हैं, यहां तो सरकारी अधिकारी ही जायेगा इसलिये मेरा सुझाव है कि आप लीगल सेल की स्थापना कीजिए और अधिकारी बढ़ाये जायें जिससे कि राजस्व की वसूली/बढ़ोत्तरी हो सके इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं और मा0 मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि जब पहले हमारी सरकार बनी तब निषाद कश्यप, बिन्द समाज के लोगों को बालू पट्टे देने का काम किया था।

पूरे प्रदेश में जो प्रपत्र-14 बनना चाहिए वह प्रपत्र-14 नहीं बन रहा है। जो बालू खान से जुड़े लोग हैं, वह परेशान हैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं 43 पट्टों के रिन्युअल का मामला सोनभद्र में निषाद समाज की समिति का चल रहा था। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, हमने भी क्वेश्चन लगाया था और उस पर मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जी हां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 संख्या न्यायालय के आदेश पारित दिनांक 17-04-2007 के अन्तर्गत सोनभद्र द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मई से कार्यवाही हो रही है, हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, एक नहीं कई पत्र मैंने भी लिखे हैं लेकिन अभी तक 43 पट्टे धारक आज भी इलाहाबाद होईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मा0 मंत्री जी के यहां चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको नियम संगत पट्टे नहीं मिले हैं आखिर वह कहां जायेंगे। सुप्रीमकोर्ट पहुंच गये लेकिन सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। मा0 मंत्री जी इन फाइलों को दिखवायें कहीं सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की अवहेलना में फंस न जायें। इसलिए हम कहते हैं कि इनको दिखवा लें। जिस तरह से आपने कर्मचारियों को बताया है, आपके पास जो प्रदेश में क्वैरी कार्यालय है, नवक्षेत्रीय कार्यालय, जनपदीय कार्यालय है, वहां पर कितनी संख्या है आपके कर्मचारियों की, कुल 125 संख्या है पूरे प्रदेश में। आखिर एक आदमी कैसे कन्ट्रोल करेगा, इसमें स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में पट्टेधारक मछुआ समुदाय के लोग आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं। खान अधिकारी तो केवल लूटने का काम करता है।

पता नहीं वह रकम कहां जाती है इसका पता लगायें। मछुवा समाज के लोगों को बालू मौरंग खनन का पट्टा नहीं मिल रहा है जबसे बसपा सरकार प्रदेश में आयी मछुवा समाज जो खनन कार्य में लगा था तबाह हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 विशम्भर जी, आपके दल के सदस्यों की और भी पर्चियाँ आ रही हैं, 15 मिनट हो गया है, कृपया समाप्त करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, सोनभद्र में एक विज्ञप्ति 01 अगस्त, 2007 में निकाली गयी थी, 01-09-2007 तक विज्ञप्ति पूरी हो रही। अब मान्यवर, शासन में मोलभाव हो रहा है माफियाओं द्वारा। आखिर फिर कैसे राजस्व बढ़ेगा जब सितम्बर से लेकर अब तक पत्रावली का निस्तारण ही नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि ढाई लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सुविधा शुल्क दीजिए और 20 परसेंट का शेयर दीजिए। पूरे प्रदेश में खनिज का जितना भी काम है उसमें बढ़ोत्तरी न हो करके कमी हो रही है। चूंकि मा0 मंत्री जी के पास जिला पंचायत विभाग भी है और भूतत्व खनिज विभाग भी है। मान्यवर, जहां-जहां खनिज विभाग की चौकियां हैं, वहां पर पंचायत विभाग के लोगों ने बैरियर लगा रखे हैं बार-बार मामला उठाया, कई बार नियम-51 में भी सूचना दी लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। मान्यवर, बेन्दाघाट चौकी में कोई बैरियर नहीं है लेकिन वहां पर जबरदस्ती जिला पंचायत वाले वसूलते हैं। प्राइवेट ट्रक वाले बात करते हैं कि आपके जिले में ट्रक जाती है तो महोबा से लगाकर भूरागढ़ बेन्दाघाट तक वसूली की जाती है, पुलिस अलग से वसूली करती है। इसके अलावा जिला पंचायत वाले, खनिज विभाग वाले वसूलते हैं। मान्यवर, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका भी कोई हिसाब-किताब होना चाहिए, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कीजिए निषाद जी, समय की कटौती का हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

हम बताना चाहते हैं कि सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर रही है जिस तरह से प्रत्येक ट्रक एम0एम0-11 पर 1100 रुपये, बालू, मौरंग और गिट्टी पर 500 रुपये यह अतिरिक्त लिया जा रहा है। यह कहां जा रहा है ? इसकी वसूली कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े ठेकेदार, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिये हैं, बुन्देलखण्ड लिये हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में वसूली हो रही है, यह वसूली बंन्द होनी चाहिए। क्योंकि इससे बालू की कीमत 3 गुना बढ़ गयी है और यह आम उपभोक्ता, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबको तबाह कर रहा है। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे सुझाव आये हैं, जो भी जानकारियां दी है, उसकी जांच करा लें। जो हमारे पास एम0एम0-11 है उसमें

यह देखें कि कौन से बालू माफिया लोग हैं, कल से हम उम्मीद करेंगे उनको अपने दफ्तर व आवास में नहीं आने देंगे। यही हम उम्मीद करते हैं और अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री दीप नारायण सिंह "दीपक यादव"-

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, आज जो बुन्देलखण्ड में सूखा है, इस सूखे के पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण खनन है। मान्यवर, सभी जानते हैं कि खनन से प्रकृति का गहरा सम्बन्ध है। सूखा कोई दैवी आपदा नहीं है बल्कि अत्यधिक खनन के कारण दैवी आपदा हमारे ऊपर लद गयी है। माननीय मंत्री जी ने अभी सभी के सामने कहा कि 300 करोड़ रुपया साल भर में आमदनी हुई और 100 करोड़ रुपया एक-दो महीने में विभाग और कमा लेगा। मैने यह इसलिए कहा है कि जो हमारा स्वरूप पृथ्वी का है, जो मौसम है, उन मौसमों के पीछे भी बड़ी कहानी है, बड़ा कारण है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के मौसम के पीछे अरब सागर से उठने वाले बादल और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादलों का इन पहाड़ों से गहरा रिश्ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत न होता तो हिन्दुस्तान के ये 4 मौसम हमारे देश में न होते और हम भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह या तो ठण्ड में जी रहे होते या गरमी में तप रहे होते। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो पहाड़ों की श्रृंखलायें हैं यह हमारे मौसम को बनाये रखने में बहुत बड़ी सहायक है। जो पहाड़ों के स्वरूप को बदला जा रहा है। मैं इसलिए इस दिशा की ओर ले जाना चाहता हूं कि सिर्फ धन-सम्पदा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसको कैसे रोका जाए ? हमने कहा जहां पहाड़ बादल को रोकने का काम करते हैं वहीं पेड़ बादल को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारे खनन के कारण वन भी समाप्त हो गये और पहाड़ों के स्वरूप भी बदल गये और पहाड़ों की गहराई भी ज्यादा हो गयी। मेरा इस महत्वपूर्ण विषय पर कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी कोई सीमा निर्धारित की जाए, उसके ऊपरी स्वरूप को न बदला जाय। अगर इसी तरह से पहाड़ों के स्वरूप को बदलेंगे तो हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति बन सकती है कि जैसा हम दुनिया में देख रहे हैं कि किन हालातों में जा रहे हैं। चाहे पानी का स्तर गिर रहा हो जल स्तर गिरने के कारण के पीछे कहीं न कहीं खनन कारण है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाय कि न तो ऊपरी पहाड़ में परिवर्तन हो न ही पहाड़ की गहराई में परिवर्तन हो जिससे कम से कम बुन्देलखण्ड जैसी सूखे की स्थिति अन्य हिस्सों में न जाय। 400 करोड़ रुपया एक साल में आमदनी दे रहे हैं इसमें बुन्देलखण्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है लेकिन हमारे यहां लोग भूखों मर रहे हैं परेशानियों में जी रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि हमने विकास निधि बनाई है तो जहां से सबसे ज्यादा आमदनी हुई है तो जो बुन्देलखण्ड के लोग अकाल में जी रहे हैं यह धनराशि बुन्देलखण्ड को मिल जाय जिससे वहां भूख से मौतों को बचाने का काम हो सके और ऐसी व्यवस्था बनाई जाय कि मौसमी परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सदस्यगण दो-दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय निषाद जी ने बताया कि आज प्रदेश का खनिज विभाग माफियाओं द्वारा संचालित हो रहा है। प्रदेश की खनिज नीतियां, प्रदेश के खनिज अधिकारियों की पोस्टिंग खनिज माफिया अपने ढंग से कराने का काम कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 300 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 36 करोड़ ज्यादा है। मात्र 36 करोड़ की राजस्व में वृद्धि होगी लेकिन रायल्टी का अन्तर तीन गुना मार्केट में मिलने वाली बालू, मौरंग, बोल्डर के दामों में तीन गुना वृद्धि हो गयी। जिस प्रकार से लूटने का काम माफिया प्रदेश के अन्दर कर रहे हैं इसकी मिसाल न पहले कभी देखी गई न सुनी गई। जैसा कि निषाद जी ने बताया कि प्रदेश की वन चौकियों पर वसूली की जाती है। ट्रांजिट फीस से उप खनिज निकलने पर उससे ऊपर काटा जाता है। खनिज विभाग द्वारा रायल्टी वसूल की जाती है। सहारनपुर का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक अप्रैल, 07 से 20 फरवरी 08 तक वन विभाग द्वारा करीब 15 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया टी0एफ0 के माध्यम से 40 लाख टन उप खनिज का उत्पादन हुआ इसके सापेक्ष खनिज विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 07 से 30 जनवरी, 08 तक 3 करोड़ 93 लाख रुपये जमा कराया गया और इनके हिसाब से क्योंकि यह कहा गया कि जो रायल्टी वसूलते है। यह घन मीटर पर वसूली जाती है। 93 लाख क्यूबिक मीटर खनिज उत्पादन पर टन में निकालेंगे तो लगभग 1.6 टन क्यूबिक मीटर 22 लाख टन का उत्पादन खनिज विभाग के रिकार्ड के मुताबिक होगा जो वन विभाग के रिकार्ड से 18 लाख टन कम है। इतना बड़ा घपला हो रहा है। एम0एम0-11 का उल्लेख निषाद जी ने किया पूरा होलोग्राम एम0एम0-11 जारी किया जा रहा है यह ठप्पे हैं यह सही है कि या तो हमसे मांगेंगे हम वह करा लें यह कहना कि दोनों विभागों में मिलान करा लिया जाय तो इससे बड़ा घोटाला सामने नहीं आएगा। यह एम0एम0-11 जारी किया जाता है इसके ऊपर पंचिंग की जानी चाहिए लेकिन कोई पंचिंग उसके ऊपर नहीं की जाती है बार-बार अनुरोध किया मैंने इसे विधान सभा के अन्दर भी इस सवाल का उठाने का काम किया लेकिन पंचिंग नहीं की जाती है। ट्रैक्टर ट्राली में एम0एम-11 के ऊपर पांच चक्कर को निकालने का काम किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह भी डालना चाहूंगा कि एम0एम0-11 के ऊपर मात्रा अंकित होनी चाहिए। लेकिन मात्रा की जगह यह 5-2-08 का एम0एम0-11 परिपत्र मेरे पास मौजूद है। उसकी जगह शासनादेश का उल्लेख किया जा रहा है। मान्यवर, जिस शासनादेश का उल्लेख किया जा रहा है 1844 का मैं डायरेक्टर

खनिज से भी मिला था उन्होंने कहा कि यह निष्प्रभावी हो गया। वो निष्प्रभावी हो गया और इसके ऊपर मात्रा नहीं दी जा रही है और न्यूनतम मात्रा जो विभाग द्वारा दी गई है वह ट्रक के ऊपर दस चक्का के ऊपर 20 टन की है मान्यवर, 20 टन के ऊपर जो न्यूनतम मात्रा है उसके ऊपर भी वसूली नहीं की जा रही है। इस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने खनिज विकास निधि का जिक्र किया है लेकिन खनिज विकास निधि का पैसा कहां खर्च हो रहा है यह समझ से बाहर है। मेरा क्षेत्र पूरा खनिज से भरा हुआ है लेकिन इसका एक रुपया भी मेरे क्षेत्र में खनिज विकास निधि से लगने का काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

इमरान जी अब हो गया।

श्री इमरान मसूद-

जबकि मेरा क्षेत्र भी बुन्देलखण्ड की तरह है। यहां पर आदमी पानी के लिये तरसता है। यहां पर हैण्डपम्प लगवाने का काम किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय निषाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, ठीक है, हो गया। समय समाप्त हो गया।

* श्री राधेश्याम गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में भूमिका के बगैर 2/3 प्रश्न माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र फतेहपुर का यमुना का पूरा क्षेत्र है। मौरंग और बालू के खनिज का क्षेत्र है। मौरंग का रेट जो 15 दिन पहले 400 रुपये एक ट्राली में लिया जाता था वह 15 दिन से 820 रुपये कर दिया गया है जो ट्रक रेट 800 रुपया लिया जाता था वह 1800 लिया जा रहा है इस प्रकार से यह जो लोकल स्थानीय लोगों को भी जो मौरंग बालू ले जानी पड़ती है, इतना मनमाना रेट देना पड़ रहा है और उसमें माननीय मंत्री जी को चिन्ता करनी चाहिए कि माननीय मंत्री जी का भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हम वह शब्द नहीं कहना चाहते क्योंकि हमारे स्वभाव में भी नहीं है कि क्या लूट खसोट हो रही है और क्यों हो रही है। किस प्रकार से उपभोक्ताओं का और जो अभी कहा कि साधारण स्थानीय लोग जो छोटे-छोटे मकान बनाने वाले हों उनको इतनी मंहगी मौरंग उपलब्ध हो रही है जिसका सरकार के ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं गरीब लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। यह जो मौरंग में मनमानी वसूली की जा रही है। रेट तमाम बढ़ाकर लिये जा रहे हैं। वन विभाग से भी पैसा लिया जा रहा है। 500 रुपया ट्रक। वन विभाग वसूल करता है 300 रुपया ट्राली से वसूल करता है। इस प्रकार से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतनी मंहगी मौरंग आकर के स्थानीय लोगों को पड़ती है। इसलिए मंत्री जी इसको देखें और इसको रोकें और साथ-साथ अपने विभाग की बदनामी को भी बचायें। इतना ही मेरा निवेदन है। मैं माननीय निषाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी भूतत्व एवं खनिज विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 16 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यह सरकार गरीबों के हित के लिये कार्य कर रही है। विपक्ष में बैठे हुए लोगों को सदन में चिल्लाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट में पहली बार प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले में इस वर्ष 18 प्रतिशत के रिकार्ड राजस्व कर की वृद्धि हुई है जिससे लगभग 36 करोड़ रुपये की आय हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों को सदन में झूठा राग अलापने के अलावा कुछ नहीं बचा है पिछली सरकार ने कई सीमेन्ट फैक्ट्रियों को बन्द कर दिया था वर्तमान में हमारी सरकार ने 3/4 सीमेन्ट फैक्ट्रियों को चलवाने का काम किया है जिसमें प्रमुख रूप से चुनार की फैक्ट्री है। जहां पर इस कम्पनी के चालू होने से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। वहीं पर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष राजस्व आय बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश को निरन्तर विकास की एक नई दिशा देने का काम हो रहा है तो इन लोगों को नहीं भा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और जो लोग यह कहते हैं कि यह बजट गप का पुलिन्दा है मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं।

कांग्रेस, भा0ज0पा0, स0पा0 ने तो
यू0पी0 को बरबाद कर दिया
अपने ही खासमखास को
आबाद कर दिया,
गुण्डों माफियाओं का
भारी तादाद कर दिया,
जनता को लुटवाते हैं
अपनी निगरानी में,
जंगल राज कायम रहा
सपा की प्रधानी में,
गुण्डों पर शिकंजा कसा
तो हल्ला कर रहे सदन में,

कुछ शर्म हो तो डूब मरो
चुल्लू भर पानी में।।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, बलिया के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं। इस वित्तीय वर्ष में मंत्री जी अभी तक लोकल सैन्ड का कोई ठेका नहीं हुआ। बिना ठेके के इस समय फरवरी है दो महीने बाद पूरा साल बीत जाएगा, पूरे वर्ष गंगा घाघरा और टौंस से जो लोकल सैन्ड निकाला जाता है उसकी खुली लूट पूरे जिले में हो रही है। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल मानना चाहें तो बल है अगर बजट प्रस्ताव पर बल मानना चाहें तो बल है।

श्री महिपाल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे अपने बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मान्यवर, बहन कुमारी मायावती के निर्देशानुसार माननीय मंत्री जी द्वारा जो भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का बजट जो प्रस्तुत किया गया मैं समर्थन करते हुए मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्हें वास्तव में 16 प्रतिशत राजस्व बढ़ाकर दो महीने बाकी हैं 2008 में, मंत्री जी ने 16 प्रतिशत राजस्व बढ़ाने का काम किया है इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसी के साथ बहुत सी जगह खनन विभाग के माध्यम से नई-नई योजनायें जारी करके भारत सरकार के माध्यम से, कोयले की तथा बांदा में दूसरे स्टोन का खनन करने का जो काम किया है इसके लिए मैं खनन विभाग को बधाई देना चाहता हूं। बहुत सी सीमेन्ट की फैक्ट्रियां जो रोजगार परक योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट की फैक्ट्रियां बन्द थीं उनको चलाकर माननीय मंत्री जी ने रोजगार देने का काम किया है इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं विशेष कर जबसे हमारी सरकार बनी है अवैध खनन जो पिछली सरकार में हो रहा था आज तो एम0 11 दिखाने की बात आ रही है। लेकिन पिछली तत्कालीन सरकार में 2005-2006-07 एम0एम0 11 की आवश्यकता नहीं पड़ी है बल्कि अवैध खनन कराकर सरकार को हानि देने का काम किया है। आप तो माननीय निषाद जी सी0बी0आई0 की जांच की बात आप करते हैं इसमें सी0बी0आई0 की जांच हो जाए। मैं कहना चाहता हूं 2005-06-07 की इसमें सी0बी0आई0 की जांच करा लें। जिन्होंने करोड़ों-करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इस मंच के माध्यम से आपके माध्यम

से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हमारे इस बजट को, उसके समर्थन में राजस्व बढ़ाने का जो आह्वान मा0 मंत्री जी ने किया है, मैं उसके समर्थन में धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 सदस्य भाई विशम्भर प्रसाद निषाद जी, दीप नारायण यादव जी और इमरान मसूद जी ने खनिज विभाग की कुछ बातों की तरफ इंगित किया, इससे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा, श्री निषाद जी को, क्योंकि उन्हें इस विभाग के बारे में अनुभव है, इस विभाग को वह देख भी रहे थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और शायद इसी अनुभव के कारण कुछ ही दिनों में इनसे विभाग स्थानान्तरित किया गया था। काफी ज्यादा खनिज विभाग के बारे में अनुभव है, निषाद जी मेरे जिले के भी रहने वाले हैं, हम और यह दोनों एक साथ काम किये हैं, बहुजन समाज पार्टी में पहले यह भी थे, बहुत सारी चीजें इन्होंने कही कि मौरंग का दाम बढ़ गया, गिट्टी के दाम बढ़ गये। मा0 अध्यक्ष जी, जब हर वर्ष रायल्टी रिवाइज होती है, उसका रेट बढ़ता है, पट्टा जहां हम एक लाख रुपया, दो लाख रुपया में स्वीकृत करते थे, आज हम उसे 10 लाख, 15 लाख रुपये में स्वीकृत कर रहे हैं तो निश्चित रूप में जो ले रहा है, वह रेट बढ़ाएगा लेकिन यदि कहीं पर ज्यादा रेट बढ़े हैं, तो उसे मैं दिखलाऊंगा, उसकी जांच भी कराऊंगा। जहां तक यह कहना है कि दलाल बैठे हैं, मंत्री जी के आफिस में, इसका अनुभव मुझसे ज्यादा, उनको खुद है कि मेरे यहां बैठते हैं या उनके यहां बैठते थे, मेरी समझ से उनकी यह बात उचित नहीं है। एक बात उन्होंने कही कि सहारनपुर के एक आदमी को जो पश्चिम के मार्फिया हैं, मुझे जानकारी है कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं ? बहुत सारी चीजें मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं जो इललीगल माइनिंग हुई, बड़े पैमाने पर हुई चाहे वह झांसी हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे सोनभद्र हो, जब उन पर कार्यवाही हुई, इललीगल माइनिंग की वसूली की नोटिस दी गई, एफ0आई0आर0 हुई, जब यह सारी कार्यवाही हुई, उनकी जो लीजें हैं, उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई तब यह सारी बातें उठ रही हैं। अभी तक 3 साल तक सहारनपुर में बिना किसी पट्टे के, बिना किसी लीज के, जैसा अभी मा0 विधायक जी ने कहा, बिना किसी पट्टे के, बिना किसी लीज के 3 साल तक इललीगल माइनिंग हुई और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उस पर कार्यवाही हुई तो वन विभाग की बात आ गई कि वन विभाग का इतना पैसा आया और खनिज विभाग से इतना पैसा आया। माननीय अध्यक्ष जी, यह हम दिखवा लेंगे, यह देखेंगे कि किसने चोरी की ? यह जो 18 लाख टन का गैप बता रहे हैं यह किसने चोरी की, कहां गयी यह गिट्टी-मौरंग सहारनपुर में, किसके द्वारा इललीगल माइनिंग की गई, किसने निकाली ? वन विभाग के पट्टे थे नहीं, लीज थी नहीं तो खनिज विभाग को रायल्टी जमा नहीं की गयी, वन विभाग वाले अड़ गए, वन विभाग वालों ने ले लिया। मान्यवर, जब हम लोगों ने इसको रोकने के लिये कार्यवाही की, मा0 अध्यक्ष जी जब हम और कड़ी कार्यवाही करेंगे तो फिर एक दिन हाउस में आपके सामने बता उठेगी कि देख लीजिये यह कार्यवाही हो रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम तो कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

अभी आप कार्यवाही की मांग कर रहे हैं फिर आप सदन में सवाल लगायेंगे कि हमारे लोगों के ऊपर कार्यवाही हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। मान्यवर, माननीय निषाद जी ने कहा कि खनिज विभाग में अधिकारियों की कमी है। यह सही है कि खनिज विभाग में अधिकारी/कर्मचारी कम हैं। लगभग 510 का स्टाफ है। अभी बैकलाग की भर्ती में करीब 30-35 पद और बढ़ गये हैं तो कुल मिलाकर लगभग 550 के करीब स्टाफ हो जायेगा हमारी कोशिश है कि खनिज विभाग का स्टाफ बढ़ायें। मान्यवर, गाड़ियों के बारे में कहा गया कि गाड़ी नहीं है। उसमें भी हम लगे हुए हैं। मान्यवर, मुझसे पहले निषाद जी थे फिर उनके बाद उनकी ही पार्टी के पावरफुल मंत्री थे। मुझसे जल्दी वह गाड़ी और स्टाफ बढ़ा सकते थे। उन्हें ही सब कुछ करना था, उन्हीं के घर में सबकुछ था। तब माननीय निषाद जी को ध्यान नहीं आया। माननीय अध्यक्ष जी सहारनपुर के एक आदमी के बारे में कहा गया कि इकबाल को सारा माइनिंग का काम दिया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इकबाल को तो काम दिया ही नहीं गया था, इकबाल के पास तो कहीं काम है ही नहीं और मान्यवर, खुद उनकी ही पार्टी के लोग जो बांदा में काम करते हैं। झांसी की बात आयी। माननीय सदस्य श्री दीप नारायण सिंह जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में मौसम में बदलाव होता है, पहाड़ों की दशा न बिगड़े। जल का स्तर नीचे चला गया, उससे बड़ी दिक्कत है। मान्यवर, 3 साल तक तो यह खुद माइनिंग करते रहे और तब मौसम और पहाड़ों की बात नहीं आयी। आज जब माननीय सदस्य जी का काम बंद है तो मौसम, पहाड़ों की याद आयी। मान्यवर, खुद माननीय सदस्य की पत्नी के नाम इल्लीगल माइनिंग की एफ0आई0आर0 है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखीं। मान्यवर, सहारनपुर के मामले की जांच कराकर यदि उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो कड़ी कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, अभी जो हमारे माननीय सदस्य श्री राधे श्याम जी ने कहा तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत है तो मैं आपसे बात भी करूंगा और उसके बाद कार्यवाही भी करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बातें थीं मैंने उनका जवाब दे दिया है तो मेरा निवेदन है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पास करें। मान्यवर, खनिज विभाग के बजट में कोई ऐसी बात नहीं है। 4 करोड़ 53 लाख पहले जो 2 महीने का दे चुके हैं, 22 करोड़ 67 लाख 50 हजार की बात है। बड़ा बजट भी नहीं है जो सैलरी और अन्वेषण के काम में खर्च होना है।

श्री अध्यक्ष-

निषाद जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री दीप नारायण सिंह ''दीपक यादव''-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है कि मेरी पत्नी के नाम एक पट्टा था लेकिन वह पट्टा सिर्फ एक साल चला होगा और जिस दिन सदन में शपथ ली दूसरे दिन वहां छापा लगा उसी दिन ही एफ0आई0आर0 लिख गयी और खनन का आरोप भी लग गया। इतना ज्यादा पैसा सरकार ने जमा कर लिया, बर्बाद हो गये। मान्यवर, हमारा व्यक्तिगत मसला है इसको यहां न उठायें लेकिन मान्यवर, आप जांच करा लें अगर कहीं कोई एक रुपये की खनन की हो तो मैं इस्तीफा देकर वापस चला जाऊंगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हमें दुख है कि माननीय मंत्री जी कड़ी कार्यवाही का कोई आश्वासन देना नहीं चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से भाषण दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं बस इतना बता दीजिये।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड सूखा प्रभावित क्षेत्र है और वहां पर जे0वी0सी0 मशीनों से बालू खनन का कार्य हो रहा है। मजदूरों से कराया जाय तथा जो नवीनीकरण एवं नये पट्टे में रिश्वत मांगी जा रही है समाप्त करायी जाय 15 लाख एक पट्टेदार से मांगा जा रहा है तथा शेयर अलग से मांगा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई भाषण नहीं होगा, मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,67,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

*लघु उद्योग मंत्री (श्री चन्द्रदेव)-

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,02,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे किसान के बेटे को बहन जी के आशीर्वाद से आज हमें इस विधान सभा में बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी को अपने दिल से हार्दिक शुभकामना और आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। प्रदेश में लघु उद्योग के विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन में उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम उत्तर प्रदेश निर्यात निगम भदोही विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो आदि की प्रमुख भूमिका है।

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। (व्यवधान)

श्री चन्द्रदेव-

इसे पास करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बिश्नोई जी आप कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री सलिल बिश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देता है और सबसे ज्यादा बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। किसी भी देश और प्रदेश की समृद्धि का जो पैमाना होता है वह उस प्रदेश में कृषि उपज और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चलने वाले उद्योग की क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करता है। मान्यवर, यह जो बजट साहित्य दिया गया है इसमें लिखकर कहा गया है कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में लघु उद्योगों का विशिष्ट योगदान है।

लघु एवं ग्रामीण उद्योग कम लागत से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सरकार यह जानती है कि रोजगार के अवसर यह लघु उद्योग उपलब्ध कराता है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार निरन्तर इस लघु उद्योग क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। जो मूल बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था उसमें लघु उद्योगों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा राजस्व और सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले क्षेत्र की घनघोर उपेक्षा की जा रही है। इसमें दिग्दर्शिका में कहा गया कि सरकार के द्वारा सिंगल विण्डो सिस्टम लागू है। सिंगल विण्डो सिस्टम का मतलब यह होता है कि प्रदेश में कोई भी लघु उद्यमी जो उद्योग लगाने आये उसको विभिन्न-विभिन्न कार्यालयों में जाकर चक्कर न लगाना पड़े और सारे विभागों की स्वीकृति उसको एक स्थान पर मिल जाये। कभी ऐसे हर जिले में मुख्यालय पर इस तरह की बैठकें रख ली जायें कि सारे विभाग के अधिकारी आ जायें और उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाये लेकिन माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में यह सिंगल विण्डो सिस्टम पूरी तरह से असफल हो गया है यह लघु उद्यमियों के लिए मात्र छलावा साबित होगा और उद्यमियों को अपने लाईसेन्स के लिए हर दरवाजे पर जाना पड़ता है। एक लघु उद्योग के ऊपर दो दर्जन से अधिक विभागों का शिकन्जा होता है। उन दो दर्जन विभागों के इन्सपेक्टर लघु उद्यमी का किस तरह से शोषण करते हैं इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रदेश में निरन्तर लघु उद्योगों की संख्या घट रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, यह इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पूर्व अध्यक्ष श्री प्रवीण सडाना, उनके पूर्व अध्यक्ष श्री तरूण खेत्रपाल, श्री एस0के0 पालीवाल, श्री सुनील वैश्य, मान्यवर, यह सब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हैं न ही नेता हैं यह प्रदेश और देश की सबसे बड़ी लघु उद्योगों की एसोसियेशन है आई0आई0ए0 उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका यह कहना है।

अभी 24 फरवरी, 2008 को लेटेस्ट प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा, जो बातें उन्होंने कहीं वह प्रदेश सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। इनका कहना है कि प्रदेश में पंजीकृत और अपंजीकृत 15 लाख उद्योगों में से 10 लाख उद्योग सरकारी उपेक्षा से बन्द हो चुके हैं। पांच लाख उद्योग ही करीब डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार ने अगर उद्योगों को राहत नहीं दी तो उत्तर प्रदेश से लघु उद्योगों का पलायन बढ़ेगा। उद्यमियों की सुविधा के लिए इण्डियन इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेशन ने सिंगल विण्डो प्रणाली का विकल्प दिया था लेकिन सरकार ने लागू नहीं किया। जांच पड़ताल में इन्सपेक्टर इतना उत्पीड़न करते हैं कि उद्यमी फैक्ट्री बन्द करना ही मुनासिब समझता है। अधिकारी समस्यायें सुनते हैं पर कुछ निर्णय लेने के पहले ही उनका तबादला हो जाता है। लघु उद्योग विभाग के सचिव और यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के एम0डी0

इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कोई भी अधिकारी महीना 15 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाता है, उद्योगों के लिए कोई निर्णय हो नहीं पाता है। बिजली की बुरी दशा है सहारनपुर के 40 और कानपुर के 200 लघु उद्योग उत्तरांचल को पलायन कर चुके हैं। वैट के बारे में भी आई0आई0ए0 ने जो सुझाव दिये थे वह सरकार ने मंजूर नहीं किये। माननीय अध्यक्ष जी वैट एक ऐसा रोग लग गया है, इस प्रदेश के व्यापार और उद्योग को कि जिसके कारण ट्रेड और इण्डस्ट्री दोनों परेशान हैं। अभी हमारे खाद्य मंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जो समाज कल्याण निगम है उसको वैट से मुक्ति दिलानी पड़ी तब वह चल पाई। जब सरकारी विभागों की यह स्थिति है और आप एक छोटे लघु उद्यमी से यह सोचें कि उसके पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में दिल्ली में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, जो टैक्स की दरें हैं उनसे ज्यादा टैक्स दे कर उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग चला सकें, ऐसा सम्भव नहीं है। वैट में टैक्स की दरों को इस तरह से अनुरूपता लानी चाहिए कि पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा हो सके और अपने प्रदेश के जो उद्योग हैं वह चल सकें। आज प्रदेश के दालमील उद्योग जो सबसे बड़ी फूड प्रॉसेसिंग की यूनिट है, राइस मिल, फ्लोर मिल, 300 रुपये की एम0आर0पी0 का जूता जो आगरा में बहुत बनता है। प्लास्टिक और रबड़ की चप्पलें, फार्मास्युटिकल जीवन रक्षक दवायें, होजरी, साबुन, ईंट, भट्ठा, बर्तन उद्योग, बारदाना तथा खाद्यान्न उद्योग आज सब वैट की मार से झुलस रहे हैं। व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, मंहगाई बढ़ रही है यह लघु उद्योग ही ऐसा क्षेत्र है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करता है।

आपने जो रोजगार के आंकड़े दिये हैं अपनी दिग्दर्शिका में वह भी यह बता रहे हैं कि यह सारे के सारे आंकड़े फर्जी हैं।

मान्यवर, आपके विभाग द्वारा यह बताया गया है कि 2006-2007 में 28,487 उद्योग लगे और 1,20,876 लोगों को रोजगार मिला तथा वर्ष 2007-08 में दिसम्बर माह तक 20,128 उद्योग लगे एवं 1,02,068 बेरोजगारों को काम मिला। मान्यवर, क्या एक लघु उद्योग में 4-5 लोगों को ही काम मिलता है। मान्यवर, यह आंकड़े ऐसे हैं जो अधिकारी अपनी टेबुल पर बैठकर तैयार करते हैं जबकि वास्तविकता भिन्न होती है। मान्यवर, एक लघु उद्योग में एक मालिक होता है कि मैनेजर होता है। 12-12 घण्टे के अंतर पर काम करने वाले दो चौकीदार तैनात होते हैं। इसी तरह से उसमें टेक्नीकल मिस्त्री होता है और दूसरा 4-5 लोगों का परमानेन्ट स्टाफ होता है। उसमें काफी मजदूर काम पर लगते हैं तो इस तरह से अधिकारी अपनी टेबुल पर बैठकर सब आंकड़े बना लेते हैं कि इतने लोगों को रोजगार मिला। मान्यवर, जबकि जो आई0आई0ए0 है उसका मानना है कि 5 लाख लघु उद्योगों में डेढ़ करोड़ लोगों को काम मिला है। मान्यवर, यह लघु उद्योग ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और वही क्षेत्र आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। मान्यवर, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1991, 1992, 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जितने उद्योगों की स्थापना हुई थी आज उसके मुकाबले उनकी संख्या कम हो गयी है। यह आप स्वीकार कर रहे हैं कि 1,22,282 यूनिटें बंद हो

गयी हैं। मान्यवर, यहां पर खेती की बात सब करते हैं लेकिन उद्योगों के विकास की बात कोई नहीं करता है। इसलिए मुझे अपनी बात कह लेने दें। मान्यवर, सबसे ज्यादा टैक्स यह इन्डस्ट्री वाले ही देते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक मात्र संस्था उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है जो बंदी की कगार पर खड़ी है। वहां के कर्मचारियों को 6 महीने, 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उसको पिकप और दूसरी आपकी वित्तीय संस्थायें सहायता नहीं दे रही हैं जिससे वह लघु उद्योगों को सहायता दे सके। मेरी प्रार्थना है कि यू0पी0एफ0सी0 को चुस्त दुरुस्त बनाया जाये। मान्यवर, अगर यह सरकार वास्तव में प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है और प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो मेरे कुछ सुझाव हैं उन पर गौर करने का कष्ट करें।

मान्यवर, औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक आस्थानों के फीडर अलग लगाये जायें और उन्हें निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाये। मान्यवर, क्योंकि बिना विद्युत आपूर्ति के इन्डस्ट्री चल नहीं सकती है। बिजली विभाग का राजस्व आप देख लें सबसे ज्यादा राजस्व उसे इण्डस्ट्रीज से ही मिलता है। उनकी बिजली की कटौती भी उतनी ही की जाती है जितनी की साधारण उपभोक्ताओं की। मान्यवर, इसी तरह से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में लघु उद्योगों के ऐसे भूखण्ड जिन पर पिछले 10 वर्षों से उद्योग चल रहे हों, उन औद्योगिक इकाइयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उनके भूखण्डों को फ्री-होल्ड कर दिया जाये। इसी प्रकार से मान्यवर, ऐसे उद्योग जिनसे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, उनकी सूची जारी करके उन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण विभाग के चंगुल से मुक्त रखा जाये। मान्यवर, प्रदूषण विभाग के इंस्पेक्टर का आतंक उन पर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रदूषण विभाग का इंस्पेक्टर वहां पर पहुंच कर उनसे जबरन वसूली करता है। इसी प्रकार से प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की भांति ही वैट में कर दी दरें निर्धारित की जायें।

मान्यवर, यह बताना चाहता हूं कि लघु उद्योग के निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष से डालर के मुकाबले आयी रुपये की मजबूती ने छोटे निर्यातकों को भारी नुकसान दिया है। इससे निर्यातकों को घाटा हो रहा है जो डालर के मुकाबले रुपये की मजबूती आयी है उसमें तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो कच्चा माल है, रॉ मेटिरियल है, उस पर छूट देकर इन निर्यातक इकाइयों को आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। उनकी कर की दरें आप कम कर सकते हैं।

मान्यवर, एस0ई0जेड0 की बहुत महत्वाकांक्षी योजनायें आयी थीं। मान्यवर, कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। लेकिन कानपुर के एस0ई0जेड0 के लिए अभी भूमि के अधिग्रहण की तैयारी शुरू नहीं हुई है। जबकि कानपुर से ही औद्योगिक वातावरण का सृजन होता है। मान्यवर, कभी कानपुर मैनचेस्टर आफ इण्डिया के नाम से जाना जाता था आज वहां उद्योगों की स्थिति क्या हो गयी है ? आज वह बीमार उद्योगों का शहर हो गया है। मैं मांग करता हूं कि

कानपुर में औद्योगिक वातावरण को बनाने के लिए कानपुर को विशेष पैकेज दिया जाये। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के तहत उद्योगों के सम्बन्ध में छोटे-मोटे स्थानों पर मेले जगह-जगह पर लगने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप औद्योगिक वातावरण प्रदेश में बनाना चाहते हैं तो औद्योगिक राजधानी कानपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मेला लगायें ताकि प्रदेश के लघु उद्योगों को लाभ मिल सके। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे, संरक्षण दे। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री चन्द्रदेव-

माननीय विश्नोई जी का सुझाव मैंने सुना अच्छा सुझाव उन्होंने दिया। कुल प्राप्त प्रार्थना-पत्र इस सत्र में 45,335 थे जिसमें से 42,654 का निस्तारण कर दिया गया। यह 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया गया और मान्यवर, लघु उद्योग में एक उद्योग स्थापित होता है तो 4 लोगों को रोजगार मिलता है। वैसे आपके दर्द को मैंने सुना। बहन जी से हम आशीर्वाद लेकर और आपकी बात को पूरी तरह से कहकर आपकी मंशा के अनुरूप इस विभाग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आपसे सिफारिशें करेंगे कि आप कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

विश्नोई जी, वापिस ले रहे हैं।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया, वह रोजगार तो प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है जो केन्द्र सरकार की योजना है उसमें प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार और यह सौभाग्य है लघु उद्यमियों का कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। मैं यह चाहता हूं कि प्रदेश सरकार लघु उद्यमियों के लिए कुछ ऐसा पैकेज और संरक्षण दे जब तक यह कोई घोषणा नहीं होती तब तक हम प्रस्ताव वापिस नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-3-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-3-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 72,02,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपक अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,47,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,25,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह हथकरघा विभाग इस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण गरीबों से जुड़ा हुआ, आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें रोजगार की व्यापक संभावनायें हैं। यह प्रदूषण रहित एक महत्वपूर्ण रोजगार है वैसे तो यह पूर्ण रूप से केन्द्र पर आधारित है। केन्दीय सहायता उसके अंश तथा राज्य सरकार के बजट को मिलाकर विभाग कार्य करता है।

लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूर्व की सरकारों में इसकी काफी उपेक्षा देखने को मिली, जिससे भारत सरकार ने इस पर अनुदान देना बन्द कर दिया था लेकिन आज सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद, जिसकी अगुवा हमारी नेता बहन कु0 मायावती जी हैं, के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, भारत सरकार ने जिन योजनाओं पर अनुदान देना बन्द कर दिया था, उसको पुनः प्रारम्भ कर दिया है और भारत सरकार के सचिव हमारे साथ बैठक भी किये हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बुनकरों से जुड़ी जो भी योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित की जायेंगी। शत-प्रतिशत भारत सरकार उसको स्वीकृत करेगी। यह अभी चन्द दिनों पहले हमें आश्वासन उन्होंने दिया है, यह हमारे लिये और प्रदेश के लिये खुशी की बात है। मान्यवर, हथकरघा उद्योग जहां पूरे प्रदेश में अपना एक स्थान रखता है, पूरे देश में भी इसका एक स्थान है, इससे विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा अर्जन होता है, लेकिन इससे जुड़े हुये जो हमारे गरीब बुनकर हैं। उनके विकास के लिये पूर्व में जो प्रयास थे, उनमें कहीं न

कहीं कोई कमी थी, यह मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। इस पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिये। लेकिन मुझे जो इस विभाग को देखने से महसूस हुआ कि इसमें कहीं न कहीं हमारी कमी रही है जिससे उनकी समस्यायें दिनोंदिन बढ़ती रही हैं। बार-बार सदन में यह आवाज भी उठती रही है कि उनका यह नहीं हुआ, उनका कर्ज बढ़ गया, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार एक कदम आगे बढ़कर के उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये तत्पर है। उनके लिये जो सरकार की नई योजनायें प्रस्तावित हैं। उसे बताना चाहूंगा जो अब तक समितियों के माध्यम से बिचौलियों द्वारा शोषण होता था, यह सरकार उसको बंद करना चाहती है।

भारत सरकार का जो पैसा है और स्टेट गवर्नमेन्ट का जो कमिटेड फण्ड है, उन दोनों को मिलाकर हम उनको क्लस्टर के रूप में विकसित करेंगे, सारी सुविधायें यहां तक कि उनको आवास, शेड, उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है, चरखा आदि की जो भी आवश्यकता है, सब सरकारी रूप से मुहैया कराया जायेगा और उनको एकरूपता के रूप में विकसित किया जायेगा। इसमें अगर इन्डीविजुअल बुनकर भी कहीं हैं तो हम उनको भी मदद करेंगे। हमारे पास रेशम विभाग भी है, उसमें भी भारत सरकार से 200 बुनकरों को व्यक्तिगत रूप से 10-10 हजार रुपये देने के लिये पैसा प्राप्त हो रहा है। उसको भी यह सरकार उनको देने जा रही है। मेरे कहने का आशय यह है कि आज तो हम बहुत अच्छी उपलब्धि बताने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारी नेता का पूरा प्रयास है कि यह रोजगारपरक योजना है, गरीबों से जुड़ी योजना है। हमारा लक्ष्य है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक लगभग 1 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकें। इस समय हमारे प्रदेश में लगभग 7 लाख बुनकर हैं और पूरे देश के लगभग एक चौथाई बुनकर यहां रहते हैं। उनकी स्थिति को अगर हम और सुदृढ़ कर देंगे तो प्रदेश का और विकास होगा। हमारे पास इस समय नई योजनाओं में उनको हेल्थ बीमा की भी योजना है। हमारे विभाग ने 3 लाख बुनकरों का एक लक्ष्य रखा है, जिसमें भारत सरकार से शत-प्रतिशत पैसा प्राप्त हो रहा है और एक बैंक के माध्यम से सीधे चेक के द्वारा उनको पैसा जा रहा है। उसमें किसी बिचौलये की जरूरत नहीं है। इससे सीधे 3 लाख लोग लाभान्वित होंगे, यह हमारी 2008-2009 की योजना है। इसी के साथ जो हैण्डलूम से बने उत्पाद होंगे, उनको बाहर भेजने के लिये, उनको प्रोत्साहित करने के लिये रिबेट के रूप में मदद दी जा रही है। होता क्या था पूर्व के वर्षों में रिबेट की धनराशि जो सोसाइटी के लोग जो बिचौलिये बन गये थे, असली बुनकर तक न पहुंचाकर बीच से इधर-उधर करते थे जिससे बुनकरों की दशा में गिरावट आई और उनको पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में यह व्यवस्था बंद की जा रही है। पूरा सर्वे कराया जा रहा है। हमने शासन की तरफ से कमिश्नर कलेक्टर को यह पत्र लिखा है सर्वे करके, हर बुनकर जो सोसाइटी का मेम्बर है, उनकी सूची तैयार की जा रही है, विभाग द्वारा भी तैयार की जा रही है, माननीय सदस्यों से भी मेरा आह्वान है कि जिनके क्षेत्रों में

ऐसे लोग हों, इन्डीविजुअल बुनकर, वह सोसाइटी के सदस्य हैं या नहीं, उनको सुविधायें मिलती हैं कि नहीं, मुझे कृपया अवगत करायें।

मान्यवर, एक बहबूदी फण्ड होता है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। चौधरी साहब आप बुरा मत मानियेगा। पिछली सरकारों में जो बहबूदी फण्ड बना था। ब्याज का पैसा उनको मिलता है, हम एकमुश्त जमा करते हैं बजट से, उसके सूत के पैसे से उनको दवाई या अन्य सुविधायें हम देते हैं। पिछले दिनों देखने को मिला, मेरे कार्यभार ग्रहण करने से पहले उस पैसे से जिप्सी खरीदी जा रही थी, तेल भराया जा रहा था। मैंने आते ही उसे बन्द कर दिया और उसके लिए एक नयी नियमावली बनाया है। उनके गरीब पुत्रियों की शादी या जो भी अन्य जरूरतें बुनकरों को पड़ेंगी उन पर खर्च किया जायेगा, उसके अलावा और किसी चीज पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमारे कुछ सेंटर थे जो टूट चुके थे, आज बेरोजगार युवक घूम रहे हैं हम उनको प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको रोजगार मिलेगा। हमारे जो तीन चार सेंटर बन्द थे उनको चलाने के लिए बहन जी के निर्देशन में बजट में प्रावधान भी किया गया है। उनको सब्सिडी दे करके, उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको हम सब्सिडी देंगे उनको इम्प्लाइमेन्ट की गारन्टी दी जायेगी। इसी के साथ-साथ हम नयी डिजाइन की बात करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में हैण्डलूम की मांग है, भारत आज इसलिए पीछे हो रहा है क्योंकि हम नयी डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज कम्प्यूटर का युग है हम कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था करके नयी डिजाइन को नया रूप देने जा रहे हैं। उस डिजाइन के आधार पर उत्पाद होगा तो निश्चित रूप से बुनकरों को लाभ होगा। एक नयी योजना है प्रोत्साहन की, अगर वह मेले वगैरह में जा रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जायेगा उनको मेले में भेजा जायेगा। पावरलूम तीसरा सेक्टर हमारा हैण्डलूम के साथ पावरलूम है जो अभी तक काफी काम कर चुका था वह हैण्डलूम से थोड़ा सा अच्छी स्थिति में है लेकिन अब थोड़ा सा उपेक्षित महसूस कर रहा था। वर्तमान बजट में मा0 बहन जी के आदेशानुसार उन पावरलूम क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए हर सोसायटी को एक आटोमैटिक मशीन सरकार की ओर से इस बजट के माध्यम से फ्री दी जायेगी। उस मशीन के माध्यम से वह सोसाइटी पूरा कार्य करेगी और अपना उत्पाद बढ़ायेगी।

मान्यवर, हैण्डलूम के बारे में मैंने अपनी बात रखी है। अब मुझे खादी के बारे में दो शब्द कहना है। खादी भी रोजगारपरक सबसे पुरानी सबसे प्राचीन व्यवस्था है जो देश की आजादी के साथ शुरू हुई है खादी और देश की आजादी का आपस में एक तालमेल रहा है। लेकिन धीरे-धीरे हम खादी का सिर्फ खादी कपड़े से ही अर्थ लगाने लगे, इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर खादी बोर्ड भी है जिसमें जनकल्याणी रोजगार की बहुत बड़ी योजना है। हम पुरानी बातों को न दोहराते हुए दो नयी चीजें जो वर्तमान सरकार ने मा0 बहन जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है, वही बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो शिल्पग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक

जनपद में एक शिल्पग्राम बनाया जायेगा। वह शिल्पग्राम उस क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को देखते हुए एक जगह उनकी मार्केटिंग की, उनकी डिजाइनिंग की तथा कार्य करने की व्यवस्था की जायेगी। हम पूरे सत्तरों जिलों में इसकी व्यवस्था करेंगे, मैं आह्वान करता हूं अपने साथियों को कि वह अपने-अपने क्षेत्र में जहां भी जगह हो उपलब्ध करा करके अपने खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी को अवगत करा दें, तो यह पत्रावली आगे बढ़ेगी और उस पर काम होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा तबका गरीबों का जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग लगे हुए हैं वह है पशु विच्छेदन। यह बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है इसमें लगभग 1337 सोसाइटियां इस प्रदेश में काम कर रही हैं, उनको आधुनिकीकरण मशीन दी जा रही है। जो पशु गांव से उठाये जायेंगे, उनको उस मशीन के माध्यम से मार्गनाइज करेंगे जैसे सींग से कुछ बनता है, हड्डी से कुछ बनता है, उसको वहीं पर चूरा के रूप में बना करके लाभान्वित होंगे और एक जो पर्यावरण का खतरा है वह भी दूर होगा। यह दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और जो 1337 सोसाइटियां हैं उनके लिये 10 लाख रुपये का अनुदान है और पूरा फ्री है। सब्सिडी सात लाख रुपये है, ढाई लाख रुपये सोसाइटियों को व्यवस्था करना है। इस प्रकार से यह बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है जिसको वर्तमान सरकार चलाने जा रही है। इसके साथ शेष सारी योजना पुरानी हैं, मैं मा0 सदस्यों के जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उनका मैं स्वागत करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

हाशमी जी, अनुदान सं0 (5) और (6) दोनों पर कटौती एक साथ रख दें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी तथा ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो हथकरघा उद्योग के बारे में सरकार की नीयत और नीति के बारे में बताया है। यह सब कागजी आंकड़ा है जमीनी हकीकत से यह बहुत परे है। मा0 मंत्री जी बहुत वरिष्ट हैं और यह जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो आम जनता और आम आदमी से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, हथकरघा चलाने के लिये बिजली, पानी, ऊन सहित मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। सूत, कपास के उत्पादन के लिये जो मूलभूत आवश्यकता होती है। जिस तरह से महंगाई ने अपना जाल फैलाया है और महंगाई के इस दौर में इससे जुड़ा बुनकर समुदाय त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज बुनकरों की दशा यह है कि उत्तर प्रदेश में इनके बच्चों को पढ़ाने के लिये फीस नहीं है इनकी दवाई का कोई

इंतजाम नहीं है इनकी फला बहबूदी की कोई बात बजट में नहीं की गयी है, न सरकार द्वारा पहल की गयी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को ओर सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग जो सीधे गांव से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा है। गांव का गरीब आदमी बहुत महंगा कपड़ा न पहन करके हथकरघा से जुड़े लोगों की बनायी हुई धोती, उनके बनाये हुए वस्त्र, उनके बनाये हुए कम्बल आदि प्रयोग करते हैं। आज उनकी दशा के लिये इस बजट में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । यहां तक कि पिछले वर्षों में जो कपड़ा 60 करोड़ मीटर उत्पादन किया था, इसमें खाली लक्ष्य दर्शाया गया है कि इतने मीटर उत्पादन करेंगे। उत्तर प्रदेश में बुनकर पूरे प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक इस काम को करने वाले हैं, उनकी योजना के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि सरकार को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। इसमें जो बातें कही गयी हैं वह सब कागजी हैं।

ग्रामोद्योग के बारे में जो ग्रामोद्योग का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था और चरखा, कातकर अंग्रेजो को भगाने के लिये इस देश में आन्दोलन चलाया था। इसकी स्थिति यह है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा गांवों में इकाइयां स्थापित की जाती है। कृषि आधारित उद्योग खादी, तेल घानी, गुड़, खांडसारी, अनाज, दाल, जड़ी बूटी, फल प्रशोधन आदि, खनिज आधारित उद्योग, कुम्हारी, चूना पत्थर की वस्तुएं, वनस्पति उद्योग, हाथ कागज, माचिस, अगरबत्ती, लाख, बांस, बेंत, कत्था, गोंद, रेजिन, आयुर्वेदिक दवाइयां, रेशम उद्योग, पॉलीमर, रसायन, खाद्य तेल साबुन उत्पादन पर आधारित दांत के सामान, कांसे के वर्तन आदि। वस्त्र उद्योग में सिलाई पोली वस्त्र, होजरी आदि। मान्यवर, सेवा उद्योग में धोबी, नाई, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, बिजली उपकरण आदि तथा डीजल इंजन की मरम्मत हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग कर्ज देता हैं उस कर्ज को लेने के लिये जब व्यक्ति गांव से निकलता है तो उसको बिचौलिये घेर लेते हैं और दलालों की मार से वह इतना परेशान होता है कि वह कर्ज लेने के लिये भी कर्ज लेता है। इस सरकार का जो रवैया है वह गरीबों के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो गांव का आदमी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से कर्ज लेने के लिये निकला उसको सुनिश्चित किया जाय कि 10 दिन के अन्दर 15 दिन के अन्दर कर्ज दिला दिया जायेगा उसको पैसा मिल जायेगा। जब कोई इकाई लगायेगा तो उसको बिजली की आवश्यकता होगी डीजल के दाम इतने बढ़ गये हैं सारी चीजों के दाम इतने बढ़ गये हैं कि वह मूल भूत सुविधाओं से वंचित हो जाता है। जो बातें मंत्री जी ने कही है वह बातें आधी अधूरी हैं इसलिये गरीबों के विकास के लिये कुटीर उद्योग लगाने के लिये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जो व्यवस्था है कुछ मानक निर्धारित हैं कि इतने मानक के तहत जिले पर कर्ज देंगे उसके बाद फाइल लखनऊ आती हैं जब फाइल लखनऊ आ जाती है तो कर्ज लेने वाला व्यक्ति लखनऊ के चक्कर लगाते-लगाते आधा बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसको कर्ज प्राप्त नहीं होता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मांग करता हूं कि गरीबों को सस्ता और शीघ्र ऋण

उपलब्ध कराया जाय, बिचौलियों की व्यवस्था खत्म की जाय, दलालों के चंगुल से प्रदेश को बचाया जाय।

श्री अब्दुल कलाम-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हथकरघा की समस्याओं के सम्बन्ध में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मुझे खुशी होती है कि बुनकरों की आवाज सुनने के लिये अगर नेता सदन यहां बैठी होती तो हम यह समझते कि बुनकरों की गरीबों की दुखदर्दी उनके अन्दर है लेकिन बुनकरों की समस्या जैसी आती है नेता सदन वापस चली जाती हैं। आज मंत्री जी ने बुनकरों के लिये तमाम कागजी ख्याल पेश किया वास्तविकता में कुछ नहीं किया जिससे बुनकरों को लाभ मिल सके। एक सोसाइटी के नाम पर जो पैसा भेज देंगे सोसाइटी के नाम पर पैसा जाने से एक पैसे का फायदा बुनकरों को नहीं हो रहा है। बुनकरों की हालत यह हो गई है कि सुबह अगर उनके यहां चूल्हा जलता है तो शाम को चूल्हा जलाने की व्यवस्था नहीं है अगर मंत्री जी अपने भाषण में बुनकरों को 18 घण्टे बिजली देने की बात करते बुनकरों को सस्ते मूल्य पर सूत सप्लाई करेंगे यह कहा गया होता। जिस तरह से बुनकरों को सूत आ रहा है उसकी चार प्रतिशत सब्सिडी देने का काम करेंगे। आज बुनकरों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है उनसे शहरी दर पर बिजली की वसूली की जाती है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुनकरों को कर्ज नहीं चाहिए वह हाथ नहीं फैलाना चाहता लेकिन जो सूत पर 4 प्रतिशत सब्सिडी है वह दी जाय 18 घण्टे बिजली दी जाय और जो उनका कच्चा माल बनता है उनके कच्चे माल की सप्लाई की व्यवस्था की जाय अगर यह कराया जाता तो बुनकर भुखमरी के कगार पर नहीं पहुंचता यह सोसायटी के नाम पर, कारपोरेशन के नाम पर आज बुनकरों को छलावा दिया जा रहा है इससे बुनकर संतुष्ट नहीं होगा गरीबी उससे खत्म नहीं होगी। मेरा यह अनुरोध है कि बुनकरों को कम से कम 18 घण्टे बिजली दी जाय, सस्ते मूल्य पर सूत की सप्लाई की जाय और उनके बने हुए माल को बाहर भिजवाने की व्यवस्था की जाये तीसरे जो विद्युत दर है वह शहरी क्षेत्र के नाम से जो वसूली हो रही है उसको ग्रामीण क्षेत्र के नाम से वसूलने का काम किया जाय और बुनकरों के ऊपर जो सरचार्ज लगाया जाता है उसे माफ किया जाय।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन् मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं समझता हूं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बुनकर हैं तो वह मेरी विधान सभा बनारस में है। बुनकरों की दिन प्रतिदिन गिरती हुई स्थिति से यह सरकार निश्चित रूप से संवेदनशून्य होकर सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों भी कई बार बुनकरों की समस्याओं को लेकर यहां पर काफी सवाल उठाये गये थे और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था

कि बुनकरों की बेहतरी के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि कई बार बात होने के बाद भी आज तक बुनकरों की भलाई के लिये कोई काम नहीं किया गया। इस बजट में बुनकरों के लिये जो प्राविधान रखा गया है वह बुनकरों के माहौल के हिसाब से उनको मुंह चिढ़ाने जैसा है। यह सरकार जो गरीबों, मजलूमों की सरकार कहलाती है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का झूठा नारा देती है। इस सरकार का केवल एक ही उद्देश्य है सर्वजन हिताय और बहुजन सुखाय। मान्यवर, बनारस के बुनकरों और समस्त पूर्वांचल के बुनकरों का जो हाल है ये कभी खून बेचते कभी औलाद बेचे जाना आम बात हो गई इस समय। इनकी बेहतरी के लिये कोई योजना यदि सरकार के पास है तो सबसे पहले बुनकरों के लिये शिक्षा का प्राविधान करना पड़ेगा। बनारस में बुनकरों की शिक्षा के लिये दो महत्वपूर्ण विद्यालय है। एक नेशनल इण्टर कालेज, पीली कोठी और दूसरा है मुस्लिम इण्टर कालेज, लल्लापुर बनारस में इन दोनों विद्यालयों को डिग्री कालेज में तब्दील करने की सरकार कोई योजना बनाये। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये सरकार द्वारा कोई योजना नहीं है। उनके स्वास्थ्य के लिये बुनकर पहचान-पत्र जारी करने चाहिए। सरकार ने योजना बताई है कि बुनकरों के व्यापार में सुधार के लिये डायरेक्ट माल खरीदने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस तरह से कन्ट्रोल से राशन वितरित होता है उसी तरीके से बुनकरों का माल खरीदने के लिये डायरेक्ट बुनकरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बनारस में बुनकरों के ऊपर बिजली का बहुत बड़ा कर्ज है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इसको सरकार को तत्काल माफ करना चाहिए क्योंकि उनसे बिजली के कर्ज की वसूली के लिये उनका बहुत शोषण हो रहा है। उनके नाम से आर0सी0 जारी होकर कार्यवाही हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि बुनकरों के खिलाफ जारी की गई बिजली आर0सी0 को तत्काल रुकवाने का काम करें। उनकी बिजली कर्ज की माफी का कोई समुचित उपाय किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

बस अब सब बात आपकी आ गई है।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

सरकार को बुनकरों के लिये बी0पी0एल0 कार्ड भी जारी करने चाहिए। उनके पहचान पत्र के माध्यम से उनको दी जाने वाली सारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सीधा मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे हथकरघा उद्योग पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान 2/3 चीजों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, आज प्रदेश के बुनकर बहुत विषम परिस्थिति में है। प्रदेश के बुनकर हथकरघा उद्योग बन्द होने के कारण लगभग बेरोजगारी की कगार पर है। मैं अपने जनपद के विषय में बताना चाहता हूं कि जनपद बागपत के सैदपुर, जनपद बागपत के सिंगावली अहीर, खेखरा डोग आदि जगह पर हजारों बुनकरों की छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थीं आज जिसमें से 75 प्रतिशत बन्द हो गयी हैं। मैं एक संशोधन के रूप में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बुनकरों को दिये जाने वाले सूत की सप्लाई में छूट मिलनी चाहिए। बिजली में उनको छूट दी जानी चाहिए। बुनकरों के होने वाले उत्पाद के लिये कि उनकी खपत कहां होनी उसके लिये बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय। इसी के साथ-साथ में एक बात बुनकरों के स्वास्थ्य के लिये यह कहना चाहता हूं कि लाबार्ड योजना आई0सी0आई0सी0आई0 द्वारा चलाई जा रही थी। इसकी अनियमितताओं के सम्बन्ध में 23 जुलाई, 2007 को योजना आयोग की मा0 सदस्य सइदा अहमद ने भी आपत्ति दर्ज की थी। उसमें भी उचित कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, अभी हमारे साथी बनारस से बोल रहे थे। बनारस में वीवर्स ट्रस्ट वाराणसी हैं उसकी कुछ सिफरिशें थीं जो विशेष सचिव हथकरघा विभाग के द्वारा बनारस के मण्डल आयुक्त को लिखी गई थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, मैं संशोधन के रूप में आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि इन सब चीजों को बागपत के डूबते हुए हथकरघा उद्योग के उत्थान के लिये एक मुश्त कोई पालिसी दें। बुनकरों को जो देने वाले अनुदान हैं उसमें पारदर्शिता रहे। उसमें बीच में कोई न रहे। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता है।

श्री जगदीश नारायण राय-

मैंने अपने भाषण में सारी बातें स्पष्ट किया है जो आप कहना चाहते थे वह मैंने स्वीकार किया है। अभी हमारे साथी पावरलूम की बात कर रहे हैं हम हैण्डलूम की बात कर रहे हैं। मैंने अपने भाषण में कहा जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। डा0 साहब भी कह रहे हैं बनारस की भी बात आई है हम उसमें प्रयासरत हैं मैंने पहले ही कहा बिचौलिये, सोसाइटी के लोग यह सब बुराई की जड़ है जो करना चाहिए जो देना चाहिए वह हम नहीं दे पा रहे हैं। मैंने एक जी0ओ0 जारी कराया कि हमें एक्च्युअल बुनकरों की सूचना कमिश्नर के माध्यम से दी जाए तो हमारे खिलाफ बहुत से नेता लोग लाम्बंद हुए। लेकिन हमने उसमें झुकने का काम नहीं किया है मैं उसमें जांच कराऊंगा। एक-एक सोसायटी की जांच कराऊंगा। यह सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है बिचौलियों को हटाकर के पूरी तरह से उनको सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। यह हमारा वायदा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो पूरे आंकड़े के साथ मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हाशमी जी क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया है और दे रहा हूं सारे भाषण में माननीय मंत्री जी ने जो गरीबों पर कर्जा आ गया था उनकी आर0सी0 कटी हुई है। बुनकरों की कर्ज माफ होने चाहिए। उनकी दशा इस तरह खराब है।

श्री जगदीश नारायण राय-

जो कर्ज है उस पर ब्याज माफी का पहले दिन से ही प्राविधान रहा है उसको बढ़ाने की पत्रावली चल रही है। उनका पूर्ण ब्याज माफ कर दिया जायेगा। अगर वह एक मुश्त जमा कर देंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

हटधर्मी से न हटते हैं बगावत के गुलाम आज सीने में सरकार के महफूज यह चिंगारी रहे जिसकी गर्मी से महकते हैं बगावत के गुलाब आपके सीने में वह है "सरकार के" महफूज चिंगारी रहे। मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हाशमी जी वापस नहीं ले रहे हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,47,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,25,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक में अनुदान के लिए मागों पर चर्चा और मतदान

अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,53,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

निषाद जी कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,53,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मागों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-15, कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

*पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,44,01,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-16 भी रख दें।

अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,99,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भली भांति परिचित है कि पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से गांव में रहने वाले गरीबों, किसानों, पशुपालकों के लिए कार्य करता है और गांव में आज भी 2001 की जनगणना के मुताबिक 79.18 परसेंट लोग रहते हैं। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 26 प्रतिशत है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 9 प्रतिशत है। मुख्य रूप से यह पशुपालन विभाग गांव के गरीब की प्रमुख रूप से कमाई के लिए और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए यह विभाग है। मैं अपने सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि पशुपालन विभाग के बजट को सुनिश्चित तौर पर सुनकर इसमें योगदान करने का कष्ट करेंगे। मान्यवर, विभाग में मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न पशुधन की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि कर दुग्ध, अण्डा, ऊन तथा मांस में स्वावलम्बी बनाना, समन्वित पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कार्यक्रमों द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखते हुए उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करना, आधुनिक, वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा विभिन्न पशुधन की प्रजनन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा स्वदेशी पशुधन प्रजाति का संरक्षण एवं संवर्धन करना, पशुधन हेतु हरा चारा एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। मान्यवर, पशु गणना 2003 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।-

कुल संख्या-585 करोड़ है। जिसमें गोवंशी पशु 185 लाख हैं तथा महिषवंशी 299 लाख, भेड़ 14 लाख, बकरी 189 लाख, सूकर 22 लाख, कुक्कुट 117 लाख अन्य पशुधन 57 लाख है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध का उत्पादन 290 ग्राम है, राष्टीय स्तर 246 ग्राम है। देश में दुग्ध का उत्पादन पूरे उत्तर प्रदेश में नम्बर एक पर होता है इसके साथ-साथ विभिन्न उत्पादों में दूध 180.94 लाख मी0टन, अण्डा 81 करोड़ 35 लाख, ऊन 14 लाख 61 हजार किग्रा0, मांस 2002 लाख किग्रा0 तथा 2008-09 में दूध के उत्पादन का लक्ष्य 218 लाख मी0टन, अण्डा 98 करोड़ 43 लाख, ऊन 17 लाख, मांस 2422 लाख का लक्ष्य रखा गया है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2008-09 के लिए कुल बजट में प्राविधान 412 करोड़ 81 लाख 20 हजार का आय व्ययक का प्राविधान किया गया है जो अन्य विभाग समाज कल्याण विभाग का भी है।

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति को आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उस पर कटौती बिल्कुल न रखता। कटौती रखने का मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन मंत्री जी ने स्वयं अपने बजट में कटौती कर दिया और उस कटौती से हमारे जो पशुपालक है उनके लिए आपने कोई योजना नहीं रखी। जिससे दुग्ध उत्पादन का विकास हो सके या पशुधन का विकास हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश के अन्दर जो हमारा उत्तर प्रदेश है यह सबसे बड़ा प्रदेश है और यह कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की आबादी का 70-80 प्रतिशत गांवों में रहता है और करीब 35 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। 65 प्रतिशत वह लोग हैं जो ग्रामीण अंचल में गरीब कृषक हैं और 7.8 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो एक एकड़ से कम जोत के लोग खेती करते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध पशुधन और दुग्ध उत्पादन से पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग और दुग्ध विभाग यह देश और प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और यह सरकार अगर कल्याणकारी सरकार होती तो पशुपालकों के लिए दुग्ध उत्पादकों के लिए अच्छी से अच्छी योजना लाने की बात करती। मान्यवर, पशुधन विभाग को वर्ष 1944 में स्वतन्त्र रूप से अलग बनाया गया। और 1976 में दुग्ध विभाग को स्वतंत्र रूप से अलग विभाग का दर्जा दिया

गया। 1976 में राज्य दुग्ध परिषद् का गठन किया गया और स्वेत क्रान्ति के उद्देश्य से भारत में सबसे पहले राजकीय डेरी विकास बोर्ड का गठन किया गया। पीसीडीएफ योजना के अन्तर्गत देश के 10 राज्यों में 18 केन्द्रों की स्थापना की गयी। 1993 में हमारे प्रदेश में पशुओं की संख्या 652.63 लाख थी और इसके बाद घटते-घटते 1998 में 614.87 लाख रह गयी। इस तरह से जो सरकार की गलत नीतियां रहीं, अच्छे तरह से बजट नहीं दिया गया, तो घटते-घटते दस प्रतिशत के हिसाब से देखा जाय, तो आज उत्तर प्रदेश में पांच करोड़ बड़े पशु और तीन करोड़ छोटे पशु हैं। मान्यवर, डेरी में विकास करना है, दुग्ध उत्पादन में करना है तो जो राजकीय डेरी फार्म मथुरा, गाजियाबाद, बरेली में जो हरियाणा प्रजाति की गाय हैं, उनको अच्छे ढंग से रखा जाय तो जितनी हमारी दुग्ध समितियां हैं, या पशु पालक लोग हैं, उनको अगर हम हरियाणा की गाय और सिन्धी गाय पशु चिकित्सालय केन्द्र पर उपलब्ध करायेंगे तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले नम्बर है, यह और तरक्की करेगा। मान्यवर, एक विशेष रिपोर्ट यह आयी है कि फार्म में जिस तरह से पशुओं की संख्या घटती जा रही है, आने वाले समय में प्रति वर्ष दो करोड़ टन दूध की कमी आयेगी। मान्यवर, अखबारों में आपने देखा होगा कि वेल्स में सौ करोड़ टन दूध उत्पादन करके भारत में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो मान्यवर, फार्मस को और अधिक विकसित करें, जितने भी पशु फार्मस हैं, राजकीय पशु फार्म मथुरा वाराणसी में है, गंगा तीरी नस्ल की जो आपकी गायें हैं और इसी तरह से राजकीय पशु फार्म सैदपुर में हैं, झांसी में है कनकसा नस्लों की गायें हैं, इनको बढ़ाना होगा। यह नहीं बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया में पशुधन सबसे बड़ा धन है। अर्जेन्टाइना, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड तथा अन्य प्रदशों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। सरकार को चाहिए कि अच्छी योजनाएं चलाकर पशुपालन करें। यही नहीं, हमारे प्रदेश की आय में तेरह या चौदह प्रतिशत पशुपालन का है। मान्यवर, आपने पन्द्रह हजार पर एक पशु अस्पताल खोलने की बात की है, चिकित्सालय खोलने की बात की है तो ऐसे विकास नहीं हो पायेगा। आप दस हजार जानवर पर एक पशु चिकित्सालय खोलें, पांच हजार जानवर पर सेवा केन्द्र खोलें तो समझेंगे कि कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। हमारे वित्त मंत्री श्री लालजी वर्मा जी ने बजट रखा है, 2008-09 का इसमें दो सौ करोड़ का प्राविधान रखा है। और डॉ0 अम्बेडकर स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.10 लाख वन्य इकाई गठित करने की बात कही है तो कैसे आप करेंगे दो सौ करोड़ में ? आप दवाई नहीं दे सकते, डाक्टर नहीं दे सकते तो कैसे उत्पादन करेंगे, कैसे आप पशु का कल्याण करेंगे और जो लोग जुड़े हैं, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो खेती करते हैं उन्हें गरीबी की रेखा से कैसे ऊपर उठायेंगे ? आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार कल्याणकारी सरकार अपने को कहती है गरीबों की सरकार है। आज मान्यवर, देखा जाये गरीबी कितने तरीके से बढ़ रही है अगर आपको बेरोजगारी को घटाना है तो आपको पशुपालन को बढ़ावा देना होगा गांवों में। आज मान्यवर, दिनों दिन पशुओं की संख्यायें घट रही हैं

और उसका कारण है कि टैक्टर से खेती हो रही है, मशीनों से खेती हो रही है और मशीनों से खेती होने की वजह से मान्यवर, जो किसान है वह जानवरों को नहीं पाल रहा है, वह तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहता है, इसलिए दिनों दिन हमारे जानवरों की संख्या घट रही है। मान्यवर, भैंस की बात ले लीजिए मान्यवर, भदावरी भैंस, मुर्रा भैंस, जाफरीबादी भैंस, इन भैंसों को दुग्ध समितियों को पशुपालकों को मान्यवर, आप पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराइये। जिससे कि मान्यवर, हम आगे बढ़ें। भैंस के मामले में मान्यवर हमारा उत्तर प्रदेश नम्बर-एक का है और नम्बर दूसरा है आन्ध्र प्रदेश का, तीसरा नम्बर है राजस्थान का। इसीलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में 57 प्रतिशत भैंस हमारे इस देश में और 16 प्रतिशत गाय और बैल हैं मान्यवर, और उसी में हमारा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है। आज आप बकरी पालन की बात कर रहे हैं, मान्यवर, यह बकरी पालन जो छोटे किसान हैं, दलित तबके के लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ व्यवसाय है। बकरी पालने के लिए मान्यवर, बरबरी, जमुनापारी ....

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, अब आप समाप्त करें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, आप तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि गरीबों का उत्थान हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि दलितों का उत्थान हो, चूंकि आप सिर्फ कहने वाले लोग हैं कि हम केवल दलितों के उत्थान की बात करेंगे। ये सीधा दलितों से जुड़ा हुआ विषय है चूंकि बकरी पालन केवल दलित करता है, पिछड़ी जाति के लोग करते हैं, बड़े लोग नहीं करते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सफराबादी, मान्यवर जो है गोट इंस्टीट्यूट जो मथुरा में है, भारत सरकार ने मान्यवर, जो गोट इन्स्टीट्यूट केन्द्रीय संस्थान मथुरा में है, माननीय जगजीवन राम जी ने इसीलिए इसको खुलवाया था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग उसका लाभ उठा सकें। वहां पर मान्यवर, उनका अनुसंधान, रिसर्च होता है उनके रोग के विषय में, चारा के विषय में। आप चारे की बात करते हैं, चारा आप कहां से दे रहे हैं, ग्राम सभाओ में कितने चारागाह है, सब चारागाहों पर कब्जे हो गये हैं आप चारा कैसे उपलब्ध करा देंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जफराबादी भेंड़, आप ऊन का उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे, जफराबादी भेंड़, बीकानेरी भेड़ इसके लिये मान्यवर, आपको केन्द्रों पर पहुंचाना होगा। आज आपके पास 2008 पशु चिकित्सालय हैं और 259 द श्रेणी के औषधालय हैं और 2542 आपके पास पशु सेवा केन्द्र हैं तो मान्यवर, इतने में आप कैसे कहते हैं हम बकरी पालन, सुअर पालन, भेंड़ पालन, कुक्कुट पालन कैसे आप करा सकते हैं। आप किसी भी केन्द्र पर दवा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, आपका डाक्टर वहां पर नहीं जाता है गांवों में, आपने टीकाकरण करवाने की कहीं कोई बात नहीं की कि हम टीकाकरण करवायेंगे। आपके पास वैक्सीन

नहीं हैं अस्पतालों में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मान्यवर, जब तक उनकी दवाओं का वैक्सीन का, टीकाकरण की व्यवस्था जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक आपके प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, पशुओं का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, आप बार-बार घड़ी देख रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं लेकिन आप खुद गम्भीर हैं मान्यवर, हमारी बात को सुन रहे हैं क्योंकि आप चिंतित हैं इस बात पर कि प्रदेश सरकार दलितों के लिये जो काम करने जा रही है मान्यवर, हम तो गम्भीर नहीं हैं, करना चाहिये आपको क्योंकि आप उसी उम्मीद पर आये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति जो है वर्तमान समय में आपको सोचना होगा ओर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये आपको सोचना होगा कि हम पशु पालन और दुग्ध उत्पादन में क्या-क्या योजनायें ला करके गांव स्तर पर दें जिससे कि उनका उत्थान हो सके। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना के अन्तर्गत मान्यवर, इस प्रदेश में भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया गया और छः फेजों में पहले फेज में बुन्देलखण्ड में हमीरपुर, जालौन, उरई में किया गया, दूसरे फेज में पूर्वान्चल में बस्ती, देवरिया, गोरखपुर आजमगढ़ में किया गया, तीसरे फेज में मान्यवर तराई क्षेत्र में गोण्डा, खीरी, लखीमपुर, आदि तराई क्षेत्रों को मान्यवर आच्छादित किया गया है। मान्यवर, आज तराई बेल्ट में क्या स्थिति है, बार्डर इलाकों में आपने कोई व्यवस्था नहीं की है आप वहां के प्रस्तावों पर ध्यान दें। आपको उन पर सोचना होगा कार्य करना होगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं मान्यवर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दुग्ध का उत्पादन नहीं बढ़ पायेगा। मान्यवर, आज वैट लगने से दुग्ध के दाम बढ़ गये हैं एक रुपया बढ़ गया है। मान्यवर, लेकिन जो दुग्ध समितियों को रेट मिलना चाहिये 14 रु0 40 पैसे का वह पूरा का पूरा पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। उनको 10 रु0, 9 रु0, 8 रु0 का भुगतान दिया जाता है। तो इस भुगतान प्रणाली को व्यवस्थित और सुचारु बनाने के लिये आपको प्रभावी कदम उठाने होंगे। मान्यवर, हमारे जिले गोण्डा में 344 दुग्ध समितियां हैं इन समितियों पर वहां पर एक प्रबन्धक, एक डेरी इंस्पेक्टर और 10 सुपरवाइजर हैं। तो इतनी कम संख्या में आप इतना सब कुछ कैसे देख सकते हैं। इसी तरह से जिले में 35 पशु चिकित्सालय हैं और 34 पशु सेवा केन्द्र हैं और उन चिकित्सालयों पर केवल 16 डाक्टर है और 10 डाक्टर पशु सेवा केन्द्रों पर हैं। आज पूरे प्रदेश में पशु डाक्टर नहीं हैं दवाओं की बात तो दूर रही। पूरे जिले के लिये हमारे केवल दवाओं के नाम 1 लाख 70 हजार रु0 की व्यवस्था है। तो दवायें आप दे नहीं पा रहे हैं तो कैसे काम होगा। इस पर आप विचार करें। मान्यवर, राज्य दुग्ध परिषद् के अन्तर्गत जितनी भी समितियां चलती हैं, पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत दुग्ध केन्द्र चलते हैं। जो आपका पी0सी0डी0एफ0 है और दुग्ध संघ है वह ज्यादातर सही ढंग से संचालित नहीं हो रहा है। जो आपकी राज्य दुग्ध परिषद् के अन्तर्गत समितियां संचालित हो रही हैं वह आपकी समितियां पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रही हैं।

मान्यवर, जो आपकी एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना है, उसमें फेज-4 में जनपद मऊ, महाराजगंज एवं झांसी को आच्छादित किया गया है। इन जनपदों के लिये कुल रु0 758.44 लाख की परियोजना की भारत सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिये वित्तीय वर्ष 2001-02 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी तरह से फेज-6 में जनपद प्रतापगढ़ के लिये वित्तीय वर्ष 2003-04 में कुल परियोजना लागत रु0 290.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। हम यह चाहते हैं कि जो धन मिला है उसका पूरा उपयोग होना चाहिये और दुग्ध विकास के कार्यक्रम चलाये जाने चाहिये। मान्यवर, जो आपकी गोशाला है वह गोशाला नहीं चल रही है। गो सेवा आयोग का गठन इसलिये किया गया था कि वह अपनी रिपोर्ट देगा और उसके अनुसार जानवरों के लिये उचित प्रबन्ध होंगे। सरकार ने उस आयोग को उसमें एक रुपया भी नहीं दिया है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि यह आयोग आपका सफलतापूर्वक कार्य करेगा। इसमें तीन सदस्यीय समिति का गठन होना था वह नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाये तो जब पूर्ण रूप से गठित नहीं हैं तो रिपोर्ट कैसे आ पायेगी। मान्यवर, इसी तरह से आपकी स्वर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है उसमें दलितों के उत्थान के लिये उनके समूह गठित किये जाते हैं इसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। केवल अनुदान देने के दृष्टिकोण से इसमें कार्य हो रहा है। इसमें डेरी के लिये ज्यादातर लोग लोन लेते हैं। इसमें दो लाख रुपये का लोन होता है जिसमें एक लाख रु0 का अनुदान होता है। समूह गठित हो गये हैं। इसमें एक भैंस दिया और दो लाख रु0 का लोन ले लिया। तो आप इसको किस तरह से सफल बना सकते हैं। इसको आपको देखना होगा। दूसरे दुग्ध समितियों को आप प्रभावी बनायें। मान्यवर, अगर सरकार ग्रामों में रहने वाले जो लोग हैं उनके उत्थान के लिये कुछ करना चाहती है तो उसे उन पर पूरा ध्यान देना होगा। वहां पर अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भैंस, बकरी और भेड़ को उपलब्ध करायें। मान्यवर, अण्डे की बात भी कह दूं कि पोल्टरी उद्योग को भी आपको प्रोत्साहन देना होगा। आज आंध्र प्रदेश में इतना अण्डा होता है कि वह अण्डे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। आज हमारे यहां कुक्कुट पालन का व्यवसाय एकदम खराब हो गया है। जानवर विभिन्न बीमारियों से मर जाते हैं। गलाघोंट, लंगड़ी, क्षयरोग, बांझपन, खुरपका, थबेला रोग, अफराअतिसार, मुंहपका आदि रोग जानवरों में बढ़ रहा है परन्तु इनकी गांवों में दवायें उपलब्ध नहीं हैं। वह दवायें आप उपलब्ध करायें।

गलाघोंटू जो बरसात में फैलता है इन रोगों को रोकने के लिये आपको दवा को देना होगा तभी प्रदेश का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी इच्छा है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार दलितों और पिछड़ों की हितैषी सरकार है उनकी बात करने वाली सरकार है, उनकी कल्याणकारी सरकार है तो यह पशुधन हमारा और दुग्ध उत्पादन यह सीधे गांवों से जुड़ा हुआ है उसको और मान्यवर, आगे लाने की बात है उसको प्रभावी ढंग से जुड़ा हुआ है उसको और मान्यवर, आगे लाने की

बात है उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की बात है इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने धैर्यपूर्वक सुना और मैं यह कहूंगा कि जो हमारे माननीय सदस्य लोग है, जो वरिष्ठ लोग हैं वह अपनी बात कहें और अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। दूध की जब बात आती है अमृत के बाद में अगर किसी चीज का नाम आता है तो वह दूध का नाम आता हैं आपने यह कहावत सुनी होगी कि अगर मां का दूध पिया है तो यह काम कर दो, वह काम कर दो, सही मायने में देखा जाय, मां का दूध हो, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, बकरी का दूध हो, सम्पूर्ण आहार है तो दूध है। मैं बार-बार इस बात के लिये बल देने की कोशिश करता हूं कि जब तक हम अपने कृषि धन की तरफ और पशुधन की तरफ ध्यान नहीं देंगे भारत का कल्याण नहीं सम्भव है। अर्जेन्टीना का नाम लिया, डेनमार्क का नाम लिया, यह विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले देश हैं। मांस का उत्पादन और दूध का उत्पादन इनका मुख्य उत्पाद है। लेकिन वहां पर गायों का जो दूध मिलता है वह 40 से 120 किलोग्राम तक पर डे के हिसाब से वह दूध दिया करती है। यह गरीब का व्यवसाय है लेकिन अगर देखा जाय तो कृषि आज लाभ का सौदा नहीं है उसी तरह से दुग्ध उत्पादन भी लाभ का सौदा नहीं रह गया है और मुख्य कारण है कि दूध का दाम तो कम है लेकिन जो दुग्ध उत्पादन में आने वाले कारक हैं चाहे वह चारा हो, चोकर हो, खली हो इसके साथ में जो बीमारियां हैं उनके रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। प्रजनन क्षमता भी बुरी तरह से कम हो रही है। आक्सीटोसिन का उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण दूध का उत्पादन थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन पशु की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अभी बात हुई कि 282 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्पाद कर रहे हैं। क्या गरीब को दूध मिल रहा है। क्या जिसको जरूरत है उसको दूध मिल रहा है उसके बच्चों को दूध मिल रहा है। हम ज्यादातर दूध का निर्यात कर देते हैं चाहे अपने पड़ोसी राज्यों में ही क्यों न करें। हरियाणा में चला जायेगा दूध, दिल्ली में दूध चला जायेगा, मध्य प्रदेश में दूध चला जायेगा, राजस्थान में दूध चला जायेगा लेकिन गरीब बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है। अभी बात हुई कि हमारे यहां 173.56 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होने लगा है। लेकिन इसमें सहकारी समितियां हैं उसका योगदान सिर्फ 9.07 लाख प्रतिदिन के हिसाब से आता है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2006-07 में जिस समय 10 हजार 442 लाख टन का उत्पादन होता था और समितियां थी 14,674 जो घटकर इस समय 13000 रह गयी है और दूध का उत्पादन भी कम हो गया है। इसको मैं उठाना चाहता हूं इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिये 2006-07 में रु0 1042.17 खर्च हुआ लेकिन इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जनवरी, 08 तक सरकार ने 8973.96 लाख का खर्च किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह विसंगति क्यों आई है। सघन डेरी योजना में आप 3 वर्ष के लिये दो भैंसों के बाद

36545 डेरी खोलने जा रहे हैं इस पर आप कैसे 81140 लोगों को रोजगार देंगे ? मेरी मांग है कि गोकुल पुरस्कार की राशि को कम से कम 100 लाख रखी जाये। आप केन्द्रीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण का इन्तजाम कर रहे है। अभी तक इनेनक्टीसाइ, अल्फाटोक्सीन हैवी मेटल का परीक्षण कहां करा रहे थे। खुरपका रोग के टीकाकरण को पूरे उत्तर प्रदेश में करें। गोट प्लेग के टीकाकरण के लिये जो फतेहाबाद में फैला उसका आपके पास वैक्सीन ही नहीं था, तो इसकी व्यवस्था की जाये। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने हेतु समय देने के लिये मैं आपका आभारी हूं और मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं कुछ सुझाव माननीय पशुधन मंत्री जी को देना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि मेरे सुझावों पर जरा ध्यान भी दें। मान्यवर, पिछले 10-15 वर्ष से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशी पशुओं/ब्रीड्स पर बड़ा भरोसा किया जा रहा है। लेकिन पिछले 4-6 साल से सरकार को यह भी ध्यान आया कि हमारी जो देशी जिन्सें थीं जैसे भदावरी भैंस, यमुनापारी बकरी, बरबरी बकरी, हमारी हरियाणा या साहीवाल नस्ल की गाय, वह विलुप्त की श्रेणी में जा रही हैं और उसकी तरफ सरकार ने सोचते हुए बजट में कुछ प्राविधान भी किये कि हम देशी पशुओं, देसी नस्लों की संख्या बढ़ाने के लिये कोशिश कर रहे हैं लेकिन बड़े खेद का विषय है कि यह जो बजट के आंकड़े उपलब्ध कराये गये हैं इसी में कृत्रिम गर्भादान के जो आंकड़े दिये हुए हैं, 90.44 प्रतिशत विदेशी सांडों द्वारा और देसी सांडों के हिस्से में केवल 9.56 प्रतिशत आया है। मैं चाहूंगा कि देशी जो हमारी वैराइटीज हैं, जिन्सें हैं, उनको बचाया जाय, यह इस देश के भविष्य का सवाल है और एक चीज और बड़ी गम्भीरता से कहना चाहूंगा कि आर्टीफिशियल इम्यूनेशन के लिये जो स्टाक रखे जाते हैं, लखनऊ में चक गजरिया फार्म आपके पास का है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन बनाने का जो संयंत्र है, वह पिछले 2-3 वर्ष से खराब है। उस संयंत्र के खराब होने से देश के पशुपालकों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है इसलिये उसको तत्काल शुरू किया जाय। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में भड़ाका में एक पशु चिकित्सालय बना हुआ है, फैजाबाद की सोहावल तहसील में महोली में एक अस्पताल बना हुआ है उसके लिये अभी तक स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया है, माननीय मंत्री जी उसके लिये स्टाफ उपलब्ध करायें और जनपद हाथरस के सादाबाद तहसील में चार नये पशु चिकित्सालय सहवाजपुर, मई, उतहरा, गडोंदरा में व्यवस्था करने की कृपा करें। अन्तिम बिन्दु मेरा है कि जापानी बटेर और क्रिसमस वर्ड इनका पालन इस सूबे के जो ग्रामीण बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने में बड़ा सहायक होगा, इस चीज के लिये कार्य योजना बनाई जाये और इसका पालन शुरू कराया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी चूंकि ऐसे परिवार से हैं जहां बहुत गायें पाली जाती हैं, उन्हें सारी बातों की जानकारी भी है। मैं केवल सुझाव के रूप में दो तीन बातें कहूंगा और इसलिये भी कहूंगा कि हमारा जनपद बुलन्दशहर जहां से हम जीतकर आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद बुलन्दशहर में सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है। लेकिन जो दूध का उत्पादन होता है उसमें मिलावट सिन्थेटिक दूध और मिलावटी घी भी बहुत बड़ी मात्रा में बनता है। लेकिन जो लोग सिन्थेटिक दूध बनाते हैं, मिलावट करते हैं, वह बहुत प्रभावशाली लोग हैं और इतने प्रभावशाली हैं कि जिला स्तर का अधिकारी उन पर हाथ नहीं डाल सकता। माननीय मंत्री जी से मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसे माफियाओं पर जो सिन्थेटिक दूध बनाकर जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, मिलावटी घी बनाते हैं उन पर कड़े से कड़ा नियंत्रण रखें। साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि यहां पर 24-25 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, जबकि हमारे बुलन्दशहर में गांवों में किसान को 10-11-12 रुपये लीटर दूध मिलता है। दुग्ध समितियां सारा दूध नहीं खरीद सकतीं इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि ऐसी डेरी वालों पर जो दूध का दाम कम देते हैं किसानों को उन पर भी नियंत्रण दुग्ध विकास विभाग का हो ताकि किसानों को उनके सही दूध का दाम मिल सके। बी0जे0पी0 की जब हमारी सरकार थी तो गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौवों का बहुत ज्यादा अवैध कटान होता था और गौ सेवा आयोग को बिल्कुल एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया है इसलिये गौ सेवा आयोग को प्रभावी बनाया जाय और जहां पर गौवों का अवैध कटान होता है प्रत्येक जिले में एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाय सरकार की ओर से जो ऐसे मुकदमों को देखें। जब वह अधिकारी जाते हैं तो वहां पर ठीक से कार्यवाही नहीं होती। मान्यवर, दो तीन स्थान नोट कर लें हमारे क्षेत्र में अलीपुर खिरतौना, लार्ड पर, अगौता और परतापुर यह चार अस्पताल कई सालों से बने हुए पड़े हैं, जिनकी खिड़कियां टूटने लगी हैं लेकिन इनमें डाक्टर व कर्मचारी नहीं हैं, इसकी व्यवस्था कराये।

(पशुधन एवं दुग्ध विकास) डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। मान्यवर, दो छोटी-छोटी बातें रखनी हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का अगर कोई कृषि के अलावा दूसरा धन्धा है तो वह पशुपालन हैं मान्यवर, किसानों का ही नहीं मजदूरों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का अगर मजदूरी के साथ दूसरे धन्धे हैं तो पशुपालन है। मान्यवर, हरियाणा से राजस्थान से या अन्य प्रदेशों से भैंसें और गायें लायी जाती है जिससे हमारा राजस्व अन्य प्रदेशों में चला जाता है। मै मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था प्रदेश में ही करें। मान्यवर, वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता सभी जिलो में दुग्ध संघ की थी उसी के तहत जनपद बागपत और

ज्योतिबाफूले नगर में दुग्ध संघ का गठन किया गया है। ज्योतिबा फूले नगर के दुग्ध संघ को इंडिपेन्डेन्ट कर दिया गया है लेकिन जनपद बागपत का दुग्ध संघ अभी भी जनपद मेरठ के अधीन है। मान्यवर, केवल 20 सेकेण्ड लूंगा। मैं आपको बता दूं कि जनपद बागपत में दूध में बसा और एस0एन0एफ0 का स्तर जो है वह पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। यह पराग के आंकड़े के अनुसार मैं कह रहा हूं। इसके आधार पर जनपद बागपत में पिछले लगभग 10 साल से अन्य जिलों से 50 पैसे अधिक दूध का मूल्य प्राप्त होता रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि दुग्ध संघ का पुनर्गठन किया जाये और दूसरे प्रदेशों से जो पशु आ रहे हैं उन पर रोक लगायी जाय और जनपद बागपत में दूध इकट्ठा करने के लिये दो सदस्यीय चिलिंग प्लान्ट का गठन किया जाये। कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

डा0 राज कुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह पशुधन विकास मंत्रालय गांव से जुड़ा ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों बेरोजगारों के जीवन में खुशियां लायी जा सकती हैं। निश्चित रूप से इस विभाग के बजट में 16 प्रतिशत की अभिवृद्धि करके लगभग 449 करोड़ 14 लाख 7 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं, खास तौर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वर्ण रोजगार योजना के तहत जो प्रावधान किये गये हैं निश्चित रूप से मेरा मानना है कि गांव से जो लोग भाग रहे हैं, जो नौजवान निराश हैं, उनको रास्ता मिलेगा और इसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 मंत्री जी को बधाई देता हूं। आप सबको बताना चाहता हूं कि चार पशुओं के लिए कुल 1 लाख 25 हजार रुपये का प्रावधान है, जिसमें 50 प्रतिशत लगभग 61 हजार रुपये की छूट मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

(प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज आयी कि जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, उसको मा0 मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है।)

डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, यह बात सही है कि मंत्री जी बता चुके हैं लेकिन हम भी बता रहे हैं हम पहली बार आये हैं नये सदस्य हैं। प्रबोधन कार्यक्रम में आप भी आये थे और कहा था कि नये सदस्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा। लेकिन हतोत्साहित कर रहे हैं यह बात अच्छी नहीं लगी, इन चार लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

'हम वह सही है जो मंजिल की खबर रखते हैं,
पांव कांटों पे शगूफों पे नजर रखते हैं।

कितनी रातों से निचोड़ा है उजाला हमने,
रात की कब्र पे बुनियादे शहर रखते हैं।'

श्री अवधपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हमारे साथी विधायक यह कह रहे थे कि हमने पशुपालन विभाग में कोई योजना नहीं रखी है चूंकि हमारे मा0 मंत्रिगण ने कहा कि जल्दी पास करा दिया जाए, मैंने नहीं कहा था। पिछले 60 वर्षों में 1788 अस्पताल बन पाये और चल पाये और 200 अस्पतालों के लिए अभी भी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। बहुत काम किया इनके नेता थे धरती पुत्र तीन-तीन बार मुख्य मंत्री रहे। मैं किसान का बेटा हूं और आप सबकी कृपा से चौथी बार चुनकर आया हूं और मेरे पिता जी भी इस सदन के 4 बार सदस्य रहे हैं। मेरे यहां 28 गायें और भैसें पलती हैं। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर इनके दिल में किसानों के प्रति एक प्रतिशत दर्द है तो मेरे अन्दर किसानों के लिए 100 प्रतिशत दर्द है। मैं जो कर सकता था, पशुपालन के बजट में करने का प्रयास किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 नई योजनायें सम्मिलित किये हैं, प्रमुख रूप से पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों के लिए मैंने नई योजना स्वीकार की है। दुधारू और बड़े पशुओं के लिए बीमा योजना जो पशु डेढ़ हजार से अधिक दूध देंगे ऐसे पशुओं के लिए नई बीमा योजना लाया हूं। नैसर्गिक प्रजनन हेतु गाय भैंसों के लिए हरियाणा और बाहर से जो हमारे मा0 विधायक जी ने कही सांड़ की बात की सांड़ खरीदकर लाऊंगा और फ्री पूरे प्रदेश में बंटवाऊंगा। हमारे विपक्ष के जिन-जिन विधायकों को चाहिए हो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनके यहां भी सांड़ भिजवा दूंगा। इसी के साथ-साथ मान्यवर, पशुधन प्रक्षेत्रों में भी इटावा में भदावरी भैंसे पाली जा रही हैं, यमुनापारी बकरियां इटावा में पाली जा रही हैं और हम उनका संरक्षण कर रहे हैं। भदावरी भैंसे इस देश में 8 परसेन्ट से लेकर 14 परसेन्ट तक घी 100 किलो दूध में देती है। सबसे ज्यादा भदावरी भैंस की दूध में घी होता है। मान्यवर, साहीवल गायों का संरक्षण चक गंजरिया फार्म में किया जा रहा है। इसीके साथ-साथ 1 करोड़ रुपये का प्राविधान पशुधन प्रक्षेत्रों के लिए सांड़ खरीदने के लिए किया है यहां भी अच्छे सांड़ लायेंगे और उनसे बढ़िया बच्चे पैदा होंगे। उन गाय और भैंसों का भी पूरे प्रदेश में बंटवाने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में इन नकली धरती पुत्रों से कई गुना ज्यादा काम कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान्यवर, श्वेत क्रांति ग्राम की योजना हम लाये हैं, यह बिल्कुल नई योजना है। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं यह बिल्कुल नई योजना लाये हैं हरा चारा आच्छादन योजना, यह भी हम नई योजना लाये हैं। इसके साथ-साथ चारा एवं चारा बीज उत्पादन हेतु प्रक्षेत्रों पर भी हम सब बीज उगायेंगे रोग निदान प्रयोगशालायें नई बनवाने की योजना हम लाये हैं। पशुसेवा केन्द्र श्रेणी के 268 पूरे प्रदेश में। पिछले बीसों साल में चले आ रहे हैं। उनको हम उच्चीकरण करके पशु चिकित्सालय बनाने

की योजना लाए हैं। एक योजना दुग्ध विकास विभाग में लाए हैं वह योजना मैं आपकी ईमानदारी के साथ कहता हूं वह योजना इस प्रदेश में श्री नरेश अग्रवाल जी सुन लें मैं पहली बार बोल रहा हू आप कई बार विधायक रह चुके हैं मुझे सुन लें। हम इस देश के महान नेता बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जिनका पूरा जीवन गरीबों के लिए मजलूमों के लिए और सम्पूर्ण समाज के लिए जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया उनके नाम पर डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना लाए हैं यह बहुत बढ़िया योजना है। जिसमें चार पशुओं की 14,534 इकाइया, 6 पशुओं की 4723 इकाइयां आठ पशुओं की 1900 इकाइयां 10 पशुओं की 1900 इकाइयां कुल 23 हजार 57 इकाइयां स्थापित होंगी। जिनमें एक लाख 18 हजार 69 व्यक्तियों को अपना रोजगार स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना मे चार पशुओं की लागत एक लाख 25 हजार 250 रुपये है 6 पशुओं की लागत एक लाख 84 हजार 200 रुपये 8 पशुओं की लागत 2 लाख 43 हजार 650 रुपये है 10 पशुओं की लागत 3 लाख 27 हजार 600 रुपये है। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों को अनुदान मिलेगा वह एक लाख 25 हजार में 50 प्रतिशत लगभग 61 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। 6 पशुओं पर 88, 500 रुपये अनुदान मिलेगा और 8 पशुओं पर एक लाख 16 हजार 800 रुपये का अनुदान मिलेगा 10 पशु वालों को एक लाख 55 हजार 500 रुपये का अनुदान मिलेगा। एक गरीब आदमी को इतना अनुदान मिल जाएगा तो मैं तो इस मत का हूं और पूरा सदन इस मत का होगा कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा 200 करोड़ रुपये जो गरीबों के लिए स्वीकृत हुए हैं यह हराम नहीं जाएगा इसमें कहीं डांडी नहीं मारी जायेगी मैं यह विश्वास दिलाता हूं। मैं चार बार विधायक रहा हू जब बड़े-बड़े लोगों के पास साईकिल नहीं थी तब मेरे पास जीप थी। आज भी इस देश के किसी बैंक में मेरे नाम एक लाख रुपया नहीं है। मेरी तनख्वाह को छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं है मेरे बेटे के नाम पर कुछ नहीं है। मैं किसानों का हमदर्द हू। किसानों और गरीबो का दर्द मैं समझता हू। भाई नरेश अग्रवाल जी सुन लें। 820 विकास खण्डों मे पूरे प्रदेश में यह योजना चलायेंगे। इस योजना में प्रत्येक उस परिवार के लिए जिसमें 7 व्यक्ति तक होंगे पति पत्नी और उसके पांच बच्चों का एक-एक लाख रुपये का बीमा होगा पांच वर्ष के लिए उन पशुओं का पूरा का पूरा बीमा होगा, अगर कोई पशु मर जाता है तो उस पशु की पूरी कीमत मिलेगी। इसी के साथ-साथ अगर उसके घर में बीमारी हो जाती है तो उसे 30 हजार रुपये इलाज करने का अधिकार होगा। हमारे भाई राम विशुन आजाद ने बहुत सी बाते कही हैं मैं बताना चाहता हूं कि यह जो डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना लाए है आने वाले समय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए तथा सभी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए विचाराधीन है और इस पर जैसे ही हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे हम सभी के लिये यह योजना लायेंगे। इसी के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक आजाद जी ने कहा कि दवायें नहीं हैं। हम विश्वास के साथ आपसे कहते है कि अस्पतालों में दवायें हैं। जिस अस्पताल का यह नाम बता दें मैं उसकी जांच करा लूंगा, कार्यवाही भी करवा दूंगा और आपको दवा भी दिलवा दूंगा। मैं

कहना चाहता हूं कि जहां तक यह कहते हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं तो मैं पिछले तीन साल का इनका बजट दुग्ध विकास का आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। वर्ष 2004-2005 में 14 करोड़, 12 लाख 10 हजार रुपये। वर्ष 2005-2006 में 15 करोड़, 26 लाख 87 हजार रुपये और वर्ष 2006-2007 में 14 करोड़, 39 लाख 45 हजार रुपये और हमारी सरकार का वर्ष 2007-2008 का बजट 116 करोड़, 92 लाख 72 हजार। 712 प्रतिशत की वृद्धि हमारी सरकार ने की हैं मैं इसी के साथ 2008-2009 में 112 करोड़, 89 लाख 97 हजार हमारी सरकार ने दुग्ध विकास विभाग के लिये बजट दिया हैं 200 करोड़ का डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना के लिये दिया है। मान्यवर, दुग्ध विकास विभाग ने पहली बार आम किसान का, पशु पालक को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले मैंने कम से कम दूध का 14 रुपये रेट घोषित किया और मैं इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि दुग्ध में 4 सीजन होते हैं फलत सीजन होता है नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी का जिसमें सबसे ज्यादा दूध होता है। मीन सीजन होता है मार्च, अप्रैल, सितम्बर, अक्टूबर का जिसमें थोड़ा कम हो जाता है। और लीन सीजन होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त में। 14 रुपये फलत सीजन में, मीन सीजन में 16 रुपये और जीन सीजन में जब मई जून जुलाई अगस्त का समय होगा उस समय 18 रुपये दूध का किसानों को देने की घोषणा करता हूं। मान्यवर, हम किसानों के सच्चे हमदर्द हैं। उनके हितैषी हैं अगर हमारे पास संसाधन होते तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजना को हम 1000 करोड़ से शुरू करते लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी के कारण हम 200 करोड़ की यह योजना लाये हैं हम पूरे सदन से अनुरोध करेंगे कि किसानों के हित में, किसानों के हक में आप लोग काम करें। इसके साथ-साथ मैं एक तथ्य से और अवगत कराना चाहता हूं कि देश जब आजाद था तो देश का किसान और पशुपालक 57 परसेन्ट जी0डी0पी0 देता था आज भी उत्तर प्रदेश का किसान और पशुपालक 32 परसेंट जी0डी0पी0 देता है जबकि देश में राष्ट्रीय स्तर 22 प्रतिशत जी0डी0पी0 का है और देश की जी0डी0पी0 में 9 परसेन्ट योगदान सिर्फ पशुपालन विभाग का है जबकि पशुपालन विभाग का केन्द्रीय बजट में प्राविधान मात्र .816 रहा पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में .716 रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 0.897 रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना में .977 रहा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में .800 रहा। छटवीं पंचवर्षीय योजना में .734 रहा और 7वीं पंचवर्षीय योजना में घटता गया .546 रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में .299 रहा। नवीं पंचवर्षीय योजना में .179 रहा और दसवीं में मान्यवर, .430 परसेन्ट हो गया जो 9 परसेन्ट जी0डी0पी0 देता है उसे यह बजट मिला है। अगर 9 परसेन्ट जी0डी0पी0 देने वाले को और आजादी के समय जिस किसान ने 57 परसेन्ट जी0डी0पी0 दी थी अगर उस किसान को 57 परसेन्ट का आधा भी बजट दिया गया होता इस देश में तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, गांव में आज कोई भी आदमी गरीब नहीं होता, किसी के कपड़े फटे नहीं होते, किसी पर कर्जा नहीं होता और बुन्देलखण्ड की तरह बाढ़ और

सूखे से किसान बर्बाद नहीं होता। मैं यहां सदन में बैठे हुए सभी माननीय विधायकों से और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि किसानों की सिर्फ बात न करें किसानों के लिये कार्य करने का प्रयास करें। यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहिन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में किसानों की बात भी करेगी और किसानों के लिये काम भी करेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश से एक दिन गरीबी मिटने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव है रखा है रामविशुन आजाद जी ने उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

दूध में कटौती होनी नहीं चाहिए।

(हंसी)

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

कुछ विषय छूट गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब मौका नहीं मिलेगा। आजाद जी वापस ले रहे हैं ?

श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस तो ले लेता अगर मंत्री जी पहले इस बात को रख देते तो मैं मंत्री जी की बात का जवाब देता। लेकिन मान्यवर माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अच्छी प्रजाति का सांड़ तो भेज दूंगा। लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अच्छी प्रजाति की गाय भेज दूंगा जब गाय भेजेंगे तब तो सांड़ उत्पन्न होगा तो मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव तब वापस लूंगा। जब माननीय मंत्री जी सभी अस्पतालों में पशु चिकित्सालयों में डाक्टर उपलब्ध करा दें और दवा उपलब्ध करा दें। तब मैं यह समझूंगा कि यह सरकार कल्याणकारी सरकार है क्योंकि मंत्री जी ने प्रवचन तो कहा लेकिन यह नहीं कहा कि दवा देंगे या नहीं देंगे। यह बात आ जाए तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वापस ले रहे हैं तो ठीक है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,44,01,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,99,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जमुना निषाद-

मान्यवर...

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन अंडा तक तो झेल गए लोग। अब मछली का बजट भी आज मंगलवार के दिन ही प्रस्तुत होना था। इसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दूसरा दिन प्रस्तावित करते तो ज्यादा अच्छा रहता। मान्यवर, इसके अलावा एक और बात समय नहीं था और हम भाई अवधपाल जी को धन्यवाद नहीं दे सके। मुझे डर लग रहा था कि कहेंगे बीच में खड़े हो गये इसलिए मैं खड़ा नहीं हुआ। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ी परेशानी में रहते हैं सांड़ का कोई उपयोगी अंग इनके यहां जरूर भिजवा दें यह बड़ी परेशानी में रहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना निषाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,11,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में हम तो पहली बार चुनकर आये हैं, बहन कुमारी मायावती जी के आर्शीवाद से और मुझे मत्स्य एवं सैनिक कल्याण विभाग दिया गया है। आज हमें मत्स्य विभाग का बजट प्रस्तुत करने का एक शुभ अवसर मिला है। अभी तक तो हमारे इस सदन में श्वेत-क्रान्ति की बात चल रही थी, श्वेत क्रान्ति पर बहस चल रही थी, अब आप सब के सामने नील क्रान्ति की बात उठी है। मा0 वरिष्ठ सदस्य, बड़े भाई आदरणीय चौधरी साहब के सामने मछली कोसों दूर होने के बाद भी उसकी बदबू आ गयी लेकिन हम मा0 अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपका संरक्षण चाहते हुए मा0 चौधरी साहब को यह बताना चाहते हैं कि जिस सदन में आप बारम्बार आए हैं, कभी इधर, कभी उधर बैठे हैं, उस सदन में मा0 अध्यक्ष जी की पीठ के ऊपर जो उत्तर प्रदेश का मोनोग्राम है, उसमें भी जरा देख लीजिए। हमारी मछली ही बनायी गयी है। आपका सांड़ आपकी भैंस, आपका बैल नहीं दिखायी दिया। मान्यवर, मैं मत्स्य विभाग की तरफ से कहना चाहता हूं कि मछली एक ऐसी वस्तु है, मछली एक ऐसा जीव है, जिसे हमारे देश का ही नहीं, वरन् पूरी दुनिया का हर, नर-नारी, बच्चा किसी न किसी रूप में प्रयोग करता है। चाहे दवाओं के रूप में हो, चाहे भोज्य पदार्थ के रूप में हो और चाहे किसी अन्य रूप में। आपके सामने मत्स्य विभाग एक छोटा विभाग है, लेकिन इसकी उपयोगिता और इसका नाम आदिकाल से सर्वोपरि रहा है। चूंकि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, उस समाज का इस विभाग से सीधा खूनी रिश्ता है, सीधा जुड़ाव है। हम आपके बीच में इस विभाग की तमाम सारी उपलब्धियों को बहुत चन्द समय में रखना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मछुवा समुदाय के उत्थान के लिए यह विभाग विविध तरह के कार्यक्रम चलाता है। जैसे मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुवा जाति के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। नम्बर 1, मत्स्य जीवी सहकारी संघ जो उत्तर प्रदेश लेविल पर गठित है। नम्बर 2, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन गठित है। नम्बर 3, न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां गठित हैं। वर्तमान में 908 प्राइमरी समितियां 19 जिला फेडरेशन और 1 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हम तो इस सदन में अपने जीवन में पहली बार आए हैं। मत्स्य पालन चूकि मेरा विभाग है और मत्स्य पालन के जरिए इसमें तमाम तरह के जो कार्यक्रम है, उसमें आय-व्ययक का एक अनुमान जो हम आपके बीच में रखना चाहते हैं।

मान्यवर, वर्ष 2006-2007 में आय-व्यय 3229.41 लाख था वहीं वर्ष 2007-08 में 5518.43 लाख हुआ। आज बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी

के शासन में वर्ष 2008-09 में 7573.89 लाख का लक्ष्य है। आज मत्स्य के क्षेत्र में हम कहना चाहते हैं कि आज मत्स्य उत्पाद हेचरी के माध्यम से उत्पादित करके जो हमारा विभाग बहुत पीछे था आज वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से इसमें कम से कम 10 गुना उत्थान कराया गया है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा मत्स्य विभाग कृषि के एक अंग हैं। अब तक तो आप लोगों ने स्थल पर उपजी बात रखी है लेकिन हमारा विभाग जल के अन्दर की बात करता है। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा हमारे यहां 9 हेचरी मौजूद है उसमें 150 निजी क्षेत्र में ऋण सुविधा देकर मिनी हेचरी है। वर्ष 2007-08 में 30 करोड़ का लक्ष्य था, मत्स्य बीज पैदा करने का और आज 26 करोड़ 59 लाख का उत्पादन इस वर्ष हुआ है और इससे कुल आय हमारे विभाग का 21 लाख 272 हजार 200 है। इसके साथ-साथ हमारे इस विभाग में मछुआ गरीब तबके के लोग जो आजादी के 60 वर्षों से गरीब हैं और आज तक एक कमरे का पक्का मकान नहीं बना सके, हमारे विभाग के जरिये मछुआ आवास का प्रावधान किया गया है। मछुआ आवास में 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार धन देती है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार धन देती है। इस तरह से हमारे यहां अब तक 16 हजार 648 आवास अब तक बनाये हैं और इस वर्ष 2007-08 में हम 1268 मछुवा आवास पूरे उत्तर प्रदेश में बनाये हैं और उसके साथ-साथ 62 हैण्डपम्प भी इन मछुआ लोगों के लिए लगाये गये हैं हम कहना चाहते हैं कि मत्स्य विभाग पर आज जो बजट हमने पेश किया है वह अभी तो आवश्यकता से कम है क्योंकि हमारा विभाग अभी सिकुड़ा हुआ है और अपने विभाग को व्यापक पैमाने पर ले जाने के लिए हमने बहन कुमारी मायावती जी से चर्चा की है और हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी सलाह ली है और हम एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं कि जहां जल है वहां मत्स्य है और जहां मत्स्य है वहां मत्स्य विभाग होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना है कि आजादी के 60 सालों में मत्स्य विभाग को 5-6 भागों में बांटा गया है। आज हम आपके बीच में यह कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे जलाशय कुछ वन विभाग में, कुछ नगर निगम में कुछ सिंचाई विभाग में, कुछ पी0डब्ल्यू0डी0 में और कुछ जिला पंचायत में है। जब उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग संचालित है, डेवलप है ? डेवलप है तो होना यह चाहिए था कि आजादी के साठ वर्ष के बाद से, पहले ही आप सबके राज्य में आ जाना चाहिए था। जैसे माननीय फतेह बहादुर जी का वन विभाग है, इनका एक पेड़ सड़क पर है तो सामाजिक वानिकी में वन विभाग के अन्तर्गत आता है, लेकिन हमारे जलाशय, चालीस प्रतिशत जलाशयों में हम काबिज हैं और साठ प्रतिशत जलाशय अन्य विभागों के प्रबन्धाधीन हैं। आगे जल्दी ही नियमावली में बहन कुमारी मायावती जी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी से बात करके इसमें परिवर्तन करके इस विभाग को डेवलप करेंगे और सही ढंग से बजट को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारी बातों को समर्थन करते हुए हमारे बजट को स्वीकार करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यद्यपि दीर्घाओं का संज्ञान नहीं लिया जाता है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और विभाग की उपेक्षा की बात है, आज इससे गम्भीर उपेक्षा और कोई नहीं हो सकती है कि उनके विभाग का कोई अधिकारी छोड़ कोई बड़ा बाबू विभाग की ओर से सुनने के लिये उपलब्ध नहीं है, यह बात अपने आप में सिद्ध करती है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या मत्स्य मंत्री जी इसको गम्भीरता से संज्ञान में लेंगे तो लगेगा कि सचमुच में बजट प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। इनकी जो पीड़ा रही है तो इससे अधिक उपेक्षा और कोई नहीं हो सकती है। कृपया इसको संज्ञान में लें और जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप इसको अवगत भी करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह परम्परा है कि जिस विभाग का बजट होता है उस विभाग की ओर से अधिकारी बैठते हैं और जो बातें होती हैं उसे नोट करते हैं लेकिन यहां कोई नहीं है। मंत्री जी आप इसको दिखवा लें। यह गम्भीर बात है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हम दिखवा लेंगे।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अनुदान सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय और कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, माननीय मत्स्य पालन मंत्री जी का भाषण है और यहां पर कोई अधिकारी उपस्थित न रहने से यह पता चलता है कि मत्स्य विभाग कितना उपेक्षित सरकार द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि अभी चौधरी साहब ने भी कहा है। मान्यवर, हमने माननीय मंत्री जी के बजट को देखा है। लगता है कि माननीय मंत्री जी ने अपना बजट नहीं पढ़ा है, समयाभाव रहा होगा। हम देख रहे हैं कि दुर्घटना बीमा में 2007-08 में सात लाख और वहीं 2008-09 में सात लाख चौदह हजार दिखाया गया है इसी तरह से प्रयोगशालाएं मृत अवस्था में पड़ी हैं। जल मृदा परीक्षण नहीं हो रहा है। गत वर्ष 6 लाख था और इस वर्ष भी वही है जबकि महंगाई बढ़ गई है, 100 रुपये मजदूरी हो गयी है और हर चीज के दाम बढ़ गये हैं तो इससे पता चलता है कि इनका बजट जो है वह ठीक नहीं है। मत्स्य पालन विकास अधिकरण की सहायता के लिये मान्यवर, 2007-08 में 1201 लाख रुपया था मान्यवर, इन्होंने घटाकर 1108 लाख रुपये कर

दिया है मान्यवर, यह मत्स्य पालन को बढ़ानै के बजाये घटाने का काम कर रहे हैं, जो लोग मत्स्य पालन से जुड़े हैं उनको मत्स्य पालन के लिये बढ़ावा देने का काम करना चाहिए और ये घटाने की योजना बना रहे हैं। जो मान्यवर, जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन वृद्धिकरण की योजना में 2007-08 में 200 लाख की व्यवस्था थी मान्यवर, 2008-09 में मान्यवर, 100 लाख की व्यवस्था कर दी है, सीधे 50 प्रतिशत घटा दिया है मान्यवर, पता नहीं यह कैसे विभाग चलेगा। आधुनिकीकरण के मामले में भी स्थिति वही है 2007-08 में 79 लाख था, वही आज भी है। मान्यवर, इस तरह से कुछ सुझाव हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश मान्यवर, नदियों का प्रदेश है। नदी, तालाब, झील की जो परिस्थिति आज है पूरे प्रदेश से नदियों से जलाशय से मछली गायब हो रही है। मछली का उत्पादन जहां से होता था, जैसे आज गंगा प्रदूषण की बात हो रही है, यमुना प्रदूषण हटाने की बात हो रही है, अगर मत्स्य पालन ज्यादा मात्रा में होता तो आज नदियों का प्रदूषण समाप्त हो गया होता, तालाबों का प्रदूषण समाप्त हो गया होता। मछली फिल्टर का काम करती है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में मत्स्य पालन के प्रति सरकार की कोई रुचि नहीं है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से मत्स्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के तालाब हैं मान्यवर, पांच साल के लिये नीलाम किया जाता है तो माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि उसमें संशोधन करें और हमारा सुझाव नोट करें कि उनको दस साल के लिये कर दें। मदुआ समाज की समितियों को ऋण नहीं दिया जा रहा है और उनकी सोसाइटी में सचिव है, सारे लोग लगे हैं मत्स्य जीव सहकारी संघ को सुदृढ़ करने के लिये मान्यवर, उसमें सचिव को कुछ मानदेय दिया जाये नहीं तो धीरे-धीरे करके जितनी प्रदेश की सोसाइटियां समाप्त होती जा रही हैं जिस तरह से आज सदन में यह स्थिति आई कि अधिकारी इससे चिंतित नहीं हैं और माननीय मंत्री जी ने तो खुद इस पर चिंता जाहिर की कि जिस तरह से हमारे विभाग पर दूसरे लोगों का कब्जा है वन विभाग और अन्य विभाग के लोग कब्जा किये हुए हैं मान्यवर, तो माननीय मंत्री जी की चिंता सही है हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि वन विभाग से या दूसरे अन्य विभागों से नगर पालिका वगैरह से सबसे कब्जा हटवा करके अपने विभाग को सुदृढ़ करने का काम करें। मान्यवर, राजस्व विभाग के अभिलेखों में जो दर्ज तालाब, पोखर हैं, झील, जलाशय है उनके कब्जेदार श्रेणी तीन के पट्टेदारों को नियमित कर दिया जाये। मान्यवर, कब्जे के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा का वार्षिक लगान सर्किल रेट के आधार पर किया जाये। मान्यवर, इतना सर्किल रेट दिया जाता है कि कोई भी मत्स्य पालक धीरे-धीरे कर्जदार हो जाता है, भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है, आत्महत्या करने के लिये तैयार हो जाता है। मान्यवर, मत्स्य विभाग में मछुआ पद होता है, मछुआ पद में जिस समाज से व्यक्ति है उस समाज से व्यक्ति न रखकर मान्यवर, दूसरे समाज का रख लिया जाता है जो दिन भर अगर तालाब में नदी में घुसे रहे फिर भी एक मछली नहीं पकड़ सकता है, ऐसे आदमियों को मछुआ पद दे दिया जाता है। उसमें सौ परसेण्ट आरक्षण मछुआ वर्ग के लोगों के लिये कर दिया जाये मान्यवर। पूरे प्रदेश का सर्वे करा कर मान्यवर, बाढ़ पीड़ित

बस्तियों में सभी पात्र व्यक्तियों को मछुआ आवास दिये जायें। मान्यवर, तालाबों का पट्टा समितियों को नहीं दिया जा रहा है, वह दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, दो-चार बातें रह गई हैं, मान्यवर, आज मछुआ आवास की जो स्थिति है तीन हजार का लक्ष्य रखा गया, मान्यवर, जो पिछले साल का बजट था, वही रख दिया गया। अब मजदूरी बढ़ गई, सीमेण्ट के रेट बढ़ गये, सरिया के रेट बढ़ गये और आप उतना ही बजट रख रहे हैं तो कैसे मछुआ आवास बनेगा। वह मछुआ आवास की जगह झोपड़ी बन जायेगा, फिर घास-फूस का छप्पर डालना पड़ेगा, इसलिये यह बजट आज न प्रस्तुत करें, इसको वापस करिये, दोबारा संशोधित रूप में बजट प्रस्तुत करिये, इससे आपकी छवि खराब होगी और जो जिला पंचायतों से नदियों वगैरह की नीलामी होती है, उसको समाप्त करके समितियों को सारे अधिकार दे दिये जायें। तमाम जनपदों में बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर की तरफ जिला पंचायतें नीलामी कर रही है उसे हटा करके समितियों के सुपुर्द कर दिया जाये यह हमारा सुझाव है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री जमुना निषाद-

मान्यवर, माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने मत्स्य विभाग के बजट पर रखे अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया है। मैं उनसे चाहूंगा कि सारी बातों को भूलकर जब आप सब लोगों को आलोचना और विरोध ही करना है तो जो दुग्ध और घी पर भी आलोचना करना ढूंढते हैं तो यह श्रीमन् मछली से सम्बन्धित विभाग है। कुछ लोगों को उससे बदबू लगती है। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि यह विभाग गरीब जनता से जुड़ा हुआ विभाग है आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस बजट को सर्वसम्मति से पास करा दें। यह विभाग आप सबके लिये लाभदायी रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, झांसी यहां निजी तालाब हैं। इन भूमिधरी तालाबों को ग्राम सभा में दर्ज कराया जा रहा है और उन भूमिधरों को बेदखल किया जा रहा है। इसे आप दिखवा लें और यथास्थिति बनाये रखने की कार्यवाही करायें यह अनुरोध है। पट्टा छीनने की बात न हो। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत अनुदान सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,11,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 51 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 26 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद-मुजफ्फरनगर में किसानों के निजी नलकूपों के नये विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति तत्काल कराये जाने के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना श्री आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश के हजारों प्रशिक्षण प्राप्त उर्दू प्रशिक्षुओं को मानदेय न दिये जाने एवं वर्ष 2006 के द्वितीय बैच के हजारों उर्दू प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी, 2006 से जून, 2006 तक का वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयीं।

चौथी सूचना श्री राम किशुन की जनपद-वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी के दायें तट पर किले के समीप रुके घाट का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर में नियम विरुद्ध खुले देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स का नवीनीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में तथा

छठी सूचना श्री धर्मपाल यादव (डी0पी0 यादव) की जनपद-गौतमबुद्धनगर के ग्राम-महिउद्दीनपुर- कनावली में ग्राम प्रधान एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित पट्टे भूमि को प्राइवेट कम्पनी को बेंचे जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयीं।

सातवीं सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की भारत का संविधान ''चौहत्तरवां संशोधन'' अधिनियम, 1992 के अनुसार मेयर एवं सभासदों को अन्य राज्यों की भांति अधिकार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

आठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ सदर से मोहम्मदपुर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने एवं आजमगढ़-बेलरिया मार्ग में किये गये धन के दुरुपयोग की जांच कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में,

नवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम-बड़ागांव के विद्युत स्टेशन से कुवाया, बण्डा-खुटार, गंगसरा के विद्युत सब- स्टेशन को जोड़ने के सम्बन्ध में तथा

दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल तथा श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश के गिरते जल स्तर को रोकने हेतु तालाबों की तत्काल खुदाई करने एवं उनके किनारे पर हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री अब्दुल वारिश अली खां

2-डा0 हरगोविन्द भार्गव,

3-श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री आर0 पी0एन0 सिंह,

4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

5-श्री आरिफ अनवर हाशमी,

6-श्री लल्लू सिंह,

7-डा0 राजेन्द्र सिंह,

8-श्री बैजनाथ दुबे,

9-श्री संजय कपूर,

10-श्री दीप नारायण सिंह,

11-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

12-श्री पूरन प्रकाश,

13-डा0 अनिल चौधरी

14-श्री कमलेश चन्द्र दिवाकर,

15-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,

16-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

17-श्री राधेश्याम जायसवाल,

18-श्री कालीचरन राजभर,

19-डा0 अजय तोमर,

20-श्री मदन चौहान,

21-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

22-श्री इमरान मसूद,

23-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल

तथा

24-श्री निर्मल वर्मा।

जनपद सिद्धार्थनगर, थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर द्वारा भारी संख्या में गांव के किसानों का जबरन पेड़ कटवाकर गिरा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 20-02-2008 को यह सूचना दी गयी थी कि दिनांक 11-02-2008 को त्रिलोकपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी श्री शमशेर बहादुर सिंह ने जो पिछले बहुत दिन से ग्राम गौरा बढ़हरी के छोटे काश्तकारों से बड़े जमींदारों के प्रभाव में आकर नाराज रहते थे तथा विभिन्न अवसरों पर इन लोगों को फर्जी मुकदमे में कई बार चालान भी कर चुके हैं ने अपने दल बल के साथ दिन में 9 बजे उक्त ग्राम में आये और श्रीमती मत्ती विधवा मोहन का तीन पेड़ नीम व तीन पेड़ आम का काटना शुरू किया इस पर लोगों ने पूछा यह आप क्या कर रहे हैं जिस पर उन्होंने गाली गुप्ता दिया और लाठियां चलवायीं तथा कुछ प्रभावशाली लोगों को पकड़ कर बैठा लिया और पुनः श्री शम्भू पुत्र गोवर्धन का तीन पेड़ नीम, एक पेड़ जामुन व दो

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेड़ शीशम व एक पेड़ आम का कटावा कर गिरवा दिया। तत्पश्चात् पांचू पुत्र झिन्कू का एक पेड़ नीम और दो पेड़ शीशम श्री राम निवास पुत्र लाले जिनका पेड़ उनके नम्बर में था उनका दो पेड़ शीशम उसे भी कटवा कर गिरवा दिया। आराजी नम्बर 581 जिसमें उत्तर से दक्षिण तरफ जब से गांव बसा है लोग उसी रास्ते से आते जाते थे उसे भी उत्तर तरफ से बन्द करवा दिया है। इसी प्रकार से उन्होंने आतंक मचाकर पूरे गांव वालों को प्रताड़ित किया है तथा यह सारे पेड़ 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं नियमानुसार इन्हें कटवाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था मात्र कुछ बड़े लोगों के दवाव में आकर भय पैदा करने के लिये कार्यवाही की गयी है जिससे पूरे गांव में रोष व्याप्त है पेड़ कटवा कर गिराने के बाद पुनः अपने दल बल के साथ थाने चले गये और लोगों से यह कह गये कि इसकी किसी से शिकायत की तो हाथ पैर तोड़ कर विभिन्न मुकदमों में चालान कर दिया जायेगा।

प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद सिद्धार्थनगर ग्राम गौरा वड़हरी के निवासी श्री विनोद पुत्र श्री परमात्मा एवं श्री चित्रगुप्त पुत्र श्री झिन्नू द्वारा आम-1 वृक्ष, नीम-1 वुक्ष, शीशम-4 वृक्ष, यूकेलिप्टस 3 वृक्ष व जामुन-1 वृक्ष काटे गये हैं, उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उ0 प्र0 वृक्ष अधिनियम संरक्षण की धारा-4 के उल्लंघन हेतु वन रेन्ज केस संख्या-19/2007-08 दिनांक 20-02-2008 दर्ज कर लिया गया है। इसी प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों द्वारा आरोप लगाया गया कि उक्त वृक्ष थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर की सहमति पर कटवाये गये हैं। उपरोक्त आरोप के दृष्टिगत थानाध्यक्ष श्री शमशेर बहादुर सिंह को थाना प्रभारी के पद से हटा दिया गया है एवं मामले की प्रारम्भिक जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वन विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वन विभाग ने पूरी जांच करके जो मुख्य आरोपी थे जिन पर वह मुकदमा लिखाना चाहते थे लेकिन पुलिस के दबाव में उस पर नहीं लिखाया जा सका कुछ दोषियों को जरूर दण्डित किया गया। मेरा एक ही प्रश्न है जब पुलिस की उसमें यह जांच हो गयी कि थानाध्यक्ष की सहमति से पेड़ कटवाये गये मेरा सवाल था कि थानाध्यक्ष ने जबरदस्ती बैठकर कटवाया राजनैतिक दबाव में तो जो दो व्यक्ति थे जो दबाव डलवा रहे थे उन पर तो मुकदमा लिख दिया गया थानाध्यक्ष पर मुकदमा न लिखने का क्या कारण है ? जबकि यह बता दिया गया कि हटाये तो गये तो अन्य कारणों से गये थे लेकिन माननीय मंत्री जी अगर मेरा ही कारण जोड़ दिया तो आपको धन्यवाद। मैं यह एफीडेविट ले आया हूं मैं जानता था, मैं सब एफीडेविट गांववालों का ले आया हूं कि इन्होंने कटवाया। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह जांच चल रही है मैं आपको इसे प्रेषित कर दे रहा हूं जो भी जांच अधिकारी हों इसे आप भिजवा देंगे जिससे इसकी विवेचना सही ढंग से हो जाय। और थानाध्यक्ष दोषी है तो उनको उचित मुकदमें में अपराधी अभियुक्त बनाया जा सके।

श्री लालजी वर्मा-

आपकी सारी बातें इसमें आ गयी हैं और स्पष्ट जवाब आ गया कि जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

यह मैं दे रहा हूं और इस पर आप अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे और परीक्षण के बाद कार्यवाही होगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, आपका विभाग तो मुकदमा लिखा ही रहा था दरोगा के खिलाफ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी परीक्षण करा ही दे रहे हैं।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 07 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 26 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ संख्या-136 पर)

मा0 अध्यक्ष के अदेशानुसार (खाद्य एवं रसद विभाग) की अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आज दिनांक 26 फरवरी, 2008 को समयाभाव के कारण जो सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके और जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वे संलग्न हैं।

श्री बैजनाथ दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन माह तक गेहूं बी0पी0एल0 का एवं चावल तथा मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। एक ड्रम से 100/- पूर्ति विभाग द्वारा लिया जाता तथा 50/- प्रति कुन्तल चावल व गेहूं से लिया जाता है। तथा "मिड डे मील" योजना में जिले के अधिकारियों द्वारा दुलाई नहीं दी जाती है बल्कि बाउचर भराकर पैसा निकाल लिया जाता है तथा एक तहसील में एक ही डीलर तैनात है। वे दल बदल-बदल करके मिट्टी के तेल की काला बाजारी करते हैं। यदि इनकी जांच व पूर्ति विभाग की जांच खाद्य सेल से कराकर एवं इनकी सम्पत्ति की भी जांच की जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा